मंगलवार, 18 अगस्त 1992

दशम माला, खंड 8 अंक 4

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 29, मंगलवार, 18 अगस्त, 1992/27 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
जनता दल में विभाजन और उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष के अन्तरिम आदेश के बारे में	1-61 और 63-67
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	61-62
राज्य सभा से संदेश	62-63
संसदीय समितियां	
कार्य सारांश—सभा पटल पर रखा गया	63
सभा पटल पर रखे गए पत्र	67-74
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	
सातवां प्रतिवेदन— प्रस्तुत	74
बर्नपुर स्थित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का शीघ्र आधुनिकीकरण किए जाने के बारे में याचिका	74-77
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	
पंजाब में पुलिस कर्मचारियों के परिवारों की हत्या किए जाने की घटनाएं	
श्री एम० एम० जैकब	77-78
लोक लेखा समिति	
इकतीसवां और बत्तीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	78
सर्वश्री सूरजभानु सोलंकी और दिग्विजय सिंह, संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में घोषणा	78-79
कार्य-मंत्रणा समिति	
बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	79
राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक—पुरःस्थापित	79-80

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	81-84
(एक) अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए सम्बलपुर और बड़ीपाद में जिला केन्द्र स्थापित करने हेतु उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	81
(दो) उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र में वायु प्रदूषण रोधी समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी फ्रिडा तोपनो	81
(तीन) मिजोरम में मलेरिया के कारण हुई मौतों की जांच कराने की आवश्यकता	
डा० सी० सिलवेरा	81
(चार) मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानकू राम सोढ़ी	82
(पांच) कोटा, राजस्थान को वायु सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री दाऊ दयाल जोशी	82
(छः) उत्तरप्रदेश में हाथरस किला से हाथरस जंक्शन के बीच रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
डा० लाल बहादुर रावल	83
(सात) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि सिन्धी को यथोचित मान्यता प्राप्त हो	
श्री राम पूजन पटेल	83
(आठ) पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले की दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुब्रत मुखर्जी	84
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक	84-105
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	84
श्री एम०एम० जैकब	84

विषय	पृष्ठ
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी	86
श्री सुधीर सावन्त	89
श्री सुधीर गिरि	92
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	94
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	95
श्री दाऊ दयाल जोशी	95
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम० एम० जैकब	98
सेना (संशोधन) विधेयक	105-156
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० कृष्ण कुमार	105
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी	109
श्री के० पी० सिंह देव	116
श्री हन्नान मोल्लाह	126
श्री अन्ना जोशी	130
श्री सुधीर सावन्त	13
श्री एस० एस० आर० राजेन्द्रकुमार	.
श्री थाइमा सिंह युमनाम	140
श्री भोगेन्द्र झा	142
श्री गिरधारी लाल भार्गव	145
श्री रमेश चेन्नितला	145
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० कृष्ण कुमार	156

लोक सभा

मंगलवार, 18 अगस्त, 1992/27 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में पाकिस्तानी झण्डा फहराया गया है और तिरंगे झण्डे का अपमान हुआ है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । (व्यवधान)

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अनेक माननीय सदस्यों को खरीदने का काम हुआ है, मैं चाहता हू कि इस सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान)

11.01 म०प०

जनता दल में विभाजन और उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष के अन्तरिम आदेश के बारे में

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप अपने अन्तरिम आदेश को वापिस लीजिए, यह निर्णय उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : वर्ना हाउस को नहीं चलने दिया जायेगा । (व्यवधान)

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रिविलेज मोशन इन लोगों के खिलाफ आपको दिया है । यह हाउस चलना चाहिए । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हाउस कैसे चल सकता है···(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : बिहार में जनता दल के लोगों ने झा०मु०मो० के लोगों को तोड़ा है, वहां

उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्हें खरीदने का काम किया जा रहा है। ये लोग जबरदस्ती हाउस को नहीं चलने देना चाहते हैं, हाउस चलना चाहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने अंतरिम आदेश देकर बहुत गलत काम किया है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ये सारे के सारे लोग यहां भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और पार्टी की मीटिंग में भी इन्होंने डिस्टर्बेंस किया है। बराबर ये लोग डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हाउस चलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन यह हाउस चलेगा कैसे। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह हाउस चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कई समस्याएं हमारे सामने हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपकी कार्यवाही से निश्चित रूप से सभा में सदस्यों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बिहार की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : ये लोग बिहार की सरकार को बचाना चाहते हैं, इसीलिये डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। वहां बिहार की सरकार जा रही है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, कश्मीर में स्थिति बहुत गम्भीर है, वहां पाकिस्तानी झंडा फहराया गया है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इस तरह हाउस कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, लोक तंत्र की हत्या की जा रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, संसदीय लोकतन्त्र की हत्या हो रही है। आप अपने आदेश को स्थगित रखें। आप इस सभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा को मलिन न करें। (व्यवधान)

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का रोज-रोज यही काम है। बिहार में लोगों को तोड़ने और उनको खरीदने का काम इन्होंने शुरू किया है। व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत काम किया है और फिर भी ये शोर मचा रहे हैं। सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप हमें बताएं कि आप अपने आदेश को स्थगित रखेंगे या नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए, मैं अब आपको बताऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को नहीं सुनना है वे चले जाएं।

11.08 म०प०

इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुनें। क्या आप मुझे सुनना चाहते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय। (व्यवधान,

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आप सभा की भावना का जायजा लें कि क्या सदस्य संसद को चलाना चाहते हैं या नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इनको हाउस से निकाल दीजिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि सभा में संसद को चलाने वाले सदस्यों और कार्यवाही में व्यवधान डालने वाले सदस्यों का जायजा लें। इस प्रकार नहीं चल सकता...(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : फिर एक संकल्प पेश कीजिए...(व्यवधान) हम परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं है। आप ऐसा करके प्रेशराईज कर रहे हैं, हाउस में प्रेशराईज कर रहे…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप अन्य के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप निलम्बित क्यों नहीं करते? क्या लोकतन्त्र को चलाने का यह तरीका है?…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको निलम्बित क्यों करूं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप निर्णय लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। लोग ही इसे देखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप निर्णय लेने के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको बाहर निकालकर नीतिश कुमार जी की बात नहीं मानूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आपने फैसला क्यों दिया ? आप क्यों इन्कार कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों विलम्बित करूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप निर्णय लेने के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। आप मेरे निर्णय के लिए सभा में खुले रूप से दबाव डाल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप इस प्रकार निर्णय के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। मैं इस प्रकार नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई गोपनीय बात नहीं है। आप सभा में हैं। आप अध्यक्ष पर दबाव डाल रहे हैं। आप इस प्रकार निर्णय प्राप्त नहीं कर सकते। न्यायिक निर्णय इस प्रकार नहीं लिए जा सकते। जब कक्ष में अध्यक्ष के खिलाफ कुछ मतों का उपयोग किया जाता है तो सभा निर्णय ले सकती है। आप खुले रूप से सभा में हरेक के सम्मुख न केवल अध्यक्ष को बुरा कह रहे हैं बल्कि निर्णय लेने के लिए भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : उन्हें निकालकर मैं आपको अनुग्रहीत नहीं करूंगा। मैं इस प्रकार दबाव में नहीं आऊंगा। न्यायिक निर्णय इस प्रकार नहीं लिए जा सकते। आप इस प्रकार निर्णय की अपेक्षा नहीं कर सकते।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हमारी पार्टी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि इस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार करने की जल्दी में नहीं हूं। मैं इस बारे में भी भावुक नहीं होना चाहता। मैं उन्हें सुधरने का एक अवसर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब यह सभा, समाचार माध्यम और देश देख रहा है तब आप निर्णय के लिए दबाव डाल रहे हैं। आप इस प्रकार निर्णय नहीं ले सकते।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि हम निर्णय के लिए आप पर दबाव डाल रहे हैं तो हमें इस पर अफसोस है।

अध्यक्ष महोदय अगर यह दबाव डालना नहीं है तो फिर क्या है ? क्या न्यायिक निर्णय का यही तरीका है ? आपने मेरे सम्मुख मामले पर तर्क दिया था। मैंने अपने कक्ष में आपको तर्क करने की अनुमति दी थी। मैं इस पर आपसे पुनः तर्क करूंगा लेकिन इस प्रकार निर्णय लेने के लिए आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। मैं आपके या किसी अन्य के दबाव में निर्णय नहीं दूंगा। आप खुले रूप से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपने यह स्थिति उत्पन्न की है। आपने आदेश जारी क्यों किए ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह दर्शाने के लिए किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है कि आप निर्णय के लिए अध्यक्ष पर दबाव डाल रहे हैं। आप इस प्रकार तर्क नहीं कर सकते। आप हरेक के सामने यह कर रहे हैं। आप इस मामले पर एक सप्ताह या कई दिन तक तर्क कर सकते हैं लेकिन आप निर्णय के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह डेमोक्रेसी का सवाल है। इसकी हत्या हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी इच्छानुसार आपको इस मामले पर तर्क करने के लिए समय दूंगा। आप वकील के साथ आ सकते हैं। आप स्वयं आ सकते हैं। आप किसी के भी साथ आ सकते हैं या आप लिखित में अपने तर्क दे सकते हैं। मैं इस पर निर्णय लूंगा लेकिन आप इस प्रकार निर्णय के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अगर कोई पार्टी अपने मैम्बर को निकालता है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे सत्याग्रह नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने सभा में अध्यक्ष को अपशब्द कहे। अगर आपको मुझमें कोई विश्वास

नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव रखिए। मैं अपने विरुद्ध आरोप को चुनौती दूंगा। यह क्या है? आप इस प्रकार मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की ताकत नहीं है, स्पीकर के खिलाफ नो-कांफिडेंस मोशन मूव करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुग्रहीत नहीं करूंगा। मैं उन्हें अनुग्रहीत नहीं कर रहा। मैं उन्हें निकालकर आपको अनुग्रहीत नहीं कर रहा हूं और आपके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करके उन्हें अनुग्रहीत नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप निकाल दें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने अध्यक्ष को न्यायाधीश के रूप में काम करने की अनुमति दी है तो मुझे एक न्यायाधीश मानकर मेरे सम्मुख तर्क करें। आप इस प्रकार एक न्यायाधीश के सम्मुख तर्क नहीं कर सकते। आप एक न्यायालय में जाकर न्यायाधीश के सम्मुख चिल्लाकर फैसला प्राप्त नहीं कर सकते। आप तर्क पर निर्भर रहें। आप तर्कसंगत हों। आप कानून पर निर्भर रहें। आप तथ्यों पर निर्भर रहें और फिर आप फैसला प्राप्त करें। आप इस प्रकार निर्णय के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। मैं इस प्रकार दबाव में आपको फैसला नहीं दूंगा। इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी ने मुझ पर दबाव डाला है लेकिन अब साक्ष्य है कि आपने निर्णय के लिए मुझ पर दबाव डाला है। मैं इस प्रकार आपको फैसला नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सर ये कुछ भी कर सकते हैं।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आप हम पर दबाव डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं। इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि मुझ पर किसी ने दबाव डाला हो लेकिन इसका अब साक्ष्य है कि आपने मुझ पर दबाव डाला और मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रहा। लेकिन आप सबके सामने हैं और मुझ पर दबाव डाल रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : अन्तरिम आदेश जारी करने के लिए सरकार ने आप पर दबाव डाला है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : ये संत महाराज से पूछिए, बिहार में कौन शुरू किया—पूछिए न। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी पक्षों में निरअपवाद रूप से यहां पर बैठे हुए लोग भी, उनमें कई ऐसे होंगे कि जिनको कल की और आज की जो कुछ भी सदन में कार्यवाही चल रही है, उस पर अफसोस होता होगा।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : नहीं, अफसोस नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : इनको लज्जा तक नहीं है। इनको अफसोस क्यों होगा। ये तो* पर तुले हैं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतन्त्र का अर्थ यह है कि··· (व्यवधान)···

श्री हरि किशोर सिंह : ये बोलते हैं,······। ये पचास लाख रुपए लिए हैं, वे कहां हैं।··· (व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : बिकाऊमल से कोई बात नहीं करनी है। (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : ये लोग लज्जा त्याग चुके हैं, मैं फिर कहता हूं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, संसदीय लोकतन्त्र का अर्थ यह है कि हम कैसी भी स्थिति हो और कैसी भी उत्तेजना हो, कितने भी गहरे मतभेद हों, तो भी चर्चा के द्वारा कोई रास्ता निकालें और इसी लिए अभी भी कोई ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वह, मैं समझता हूं, आप अपना सकते हैं। जिसमें चर्चा के द्वारा जो भी घटनाएं हुई हैं, विगत दो-तीन-चार दिनों में, उस पर बहस कराई जा सकती है।···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : बहस कराई जाए। (व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वह चाहे इधर के प्रस्ताव के ऊपर हो, चाहे उधर के प्रस्ताव के ऊपर, लेकिन विधिवत लोग अपनी बात कह सकें। क्योंकि, अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि संसद के सदस्यों के सामने न केवल संविधान होता है और कानून होता है बल्कि संसद की परम्पराएं भी होती हैं और मेरी मान्यता है इधर के पक्ष को यह शिकायत है कि एक परम्परा जो इस सदन की रही है और जिसको कोई कह सकता है कानून में मान्यता नहीं है उस परम्परा की इनको जानकारी दिए बिना एक निर्णय लिया गया, अब किसी का एक्सपल्शन होने के बाद भी वह उसी पार्टी का सदस्य है और उसके ऊपर व्हिप फिर भी जारी रहेगा, यह जानकारी मुझे कल तक नहीं थी। कल शाम को आपके कक्ष में जब चर्चा हुई तब मुझे यह अर्थ समझ में आया कि 10 शेड्यूल के अनुसार एक सदस्य जिस समय चुना जाता है, जिस पार्टी का वह एक्सपल्ड होने के बाद भी 10 शेड्यूल की दृष्टि से उस पार्टी का सदस्य रहेगा और उसको व्हिप दिया जा सकेगा और अगर वह व्हिप का पालन नहीं करेगा तो उसको डिस-क्वालिफाई किया जा सकेगा, सदस्यता से हटाया जा सकेगा। यह जो इंटरप्रटेशन है और मैं आपके इस अर्थ को इस नाते चुनौती नहीं देता हूं, क्योंकि हरेक का अर्थ निकाला जा सकता है जबकि कोई चीज लिखी हुई नहीं है। मैं मानूंगा कि हमारे 10 शेड्यूल में एक्सपेल्ड मेम्बर्स की क्या स्थिति रहेगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व के आपके अधिकारियों ने उनको अन-अटैच्ड माना था और पूर्व के अधिकारियों ने अनअटैच्ड मान करके उस पार्टी को इस अधिकार से वंचित किया था कि वे सचेतक उनको व्हिप दे सकें। आपका अर्थ अगर दूसरा था तो मेरा निवेदन होगा कि इनकी यह उपेक्षा सही है कि जिस समय वे चार सदस्य इनके द्वारा निष्कासित किए गए उसी समय आप इनको भी बता दे, पार्टी को भी बता देते कि अब वे निष्कासित होते हुए भी 10 शेड्यूल की दृष्टि से वे अभी भी आपके सदस्य हैं, आपके सचेतक के आधीन हैं। आप उनको व्हिप दे सकते हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि अगर यह स्थिति होती तो आज यह परिस्थिति पैदा न होती। लेकिन मैं फिर भी अपने उन साथियों को कहूंगा कि आपको अगर अध्यक्ष से शिकायत है तो अध्यक्ष से शिकायत को प्रकट करने की और कोई प्रक्रिया नहीं सिवाए मोशन आफ रिमूवल के। यह जो तरीका है, जो आपने अपनाया है या आज अपना रहे हैं मैं विनम्रता से कहूंगा कि यह तरीका उचित नहीं है यह अध्यक्ष के पद की अवमानना और संसद की अवमानना है। (व्यवधान) इसलिए कोई भी ऐसी बात न इस तरफ से और न उस तरफ से होनी चाहिए, जिसके द्वारा अध्यक्ष के पद की अवमानना हो क्योंकि अध्यक्ष के पद की अवमानना संसद की अवमानना है, यही मैं निवेदन करूंगा।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हमारे ये मित्र तैयार हैं और कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव इन्होंने लाया है तो वह भी एक बहस का मौका हो सकता है उसी पर बहस हो जाए और चर्चा हो जाए, लेकिन चर्चा के द्वारा इस स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, आज जब यह चर्चा चले, इससे पहले जो सदस्य यहां बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं। (व्यवधान) अब चर्चा शुरू हो गई है, आइए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप पहले हम लोगों की सुन लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले बोलूंगा, बाद में आपको बोलने के लिए चांस दूंगा। मैंने कल भी आपको कहा था, मैंने कल आपको कहकर भी भिजवाया था कि मेरे चेम्बर में आकर आप वकील के द्वारा, आप खुद कानून के ऊपर और जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर, मेरे जो विचार हैं उसके खिलाफ या उसके पक्ष में जो भी आपको कहना हो, कहिए। अगर 10 शेड्यूल को डिसाइड करने का अधिकार स्पीकर को दिया गया है तो उसका डिसीजन हाउस में नहीं होता है। अगर हाउस में आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको बुलाया था, आप नहीं आए थे, गुलाम नबी आजाद के द्वारा मैंने कहलवा भिजवाया था और अगर हाउस के अन्दर भी इसके ऊपर आप चर्चा करना चाहें तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं।

दूसरी बात, मैं यह कह रहा हूं लोगों ने कहा कि इसकी चर्चा हाउस में इस प्रकार से नहीं होती और न ही करनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर इनसिस्ट नहीं किया था, मैंने कल आपको बुलाकर चार घंटे चर्चा करके आपको यह बात समझाई थी।

अगर आज आप हाउस के अंदर चर्चा करना चाहते हैं तो कांस्टीट्यूशन के लिहाज से 14 दिन का नोटिस देने की जरूरत है, मगर मैं उस नोटिस को वेव करने के लिए तैयार हूं। आप स्पीकर के ऊपर नो-कान्फीडेंस-मोशन मूव कर दीजिए, मैं इस कुर्सी से हट जाता हूं, डिप्टी स्पीकर को यहां बैठने दीजिए और पूरी आप चर्चा कीजिए। मैं आपके खिलाफ लाए हुए ब्रीच आफ प्रिविलेज पर चर्चा नहीं चाहता। आपके खिलाफ अगर वह लेना है तो मैं वह अधिकार लूंगा, लेकिन उसकी चर्चा मैं नहीं चाहता। मैं चर्चा चाहता हूं कि आप स्पीकर के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन दे दीजिए, मैं एडमिट करके बाजू को बैठ जाता हूं, डिप्टी स्पीकर को यहां बिठाइए और आपका जो कहना है, वहां बैठ कर मैं आपको समझा दूंगा, यहां बैठकर मैं आपको नहीं समझा सकता कि कांस्टीट्यूशन का क्या अर्थ है, आपकी पार्टी का क्या अर्थ है, जिस कांस्टीट्यूशन में किसी को एक्सपेल करने का अधिकार नहीं दिया गया है, वहां आप खुद के कांस्टीट्यूशन द्वारा इलेक्ट किए हुए लोगों को एक्सपेल करने की बात करते हैं। 32-32 लोगों को बिना नोटिस दिए हुए एक्सपेल कर सकते हैं और वही परम्परा आप जारी रखना चाहते हैं, उस परम्परा को आप चालू करना चाहते हैं, मगर मैंने जो कहा है, वह भी फाइनल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कहा है, वह फाइनल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सुनना पड़ेगा, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपको बैठना होगा। मैं कार्यवाही नहीं रुकने दूंगा। आपको मेरी बात सुननी ही होगी। मैं आपको एक अवसर दूंगा। मैंने कहा था कि मैं स्वयं अध्यक्ष के खिलाफ

अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। प्रस्ताव रखिए, मैं स्वीकार करूंगा। मैं वहां पर बैठूंगा और आपको वहीं से सब बातें स्पष्ट करूंगा। आप नहीं चाहते हैं कि मैं यहां से स्पष्ट करूं। यदि आप मुझसे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप एक वकील के साथ मेरे कक्ष में आइए और मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा और यदि आप मुझसे स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं वहां से स्पष्ट करूंगा। आप मुझे उस तरह से धोखा नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप पार्टी की कार्यवाही को कैसे चुनौती दे सकते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। मैंने कहा था कि आप अध्यक्ष की आलोचना करना चाहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव रखिए मैं वहां से बात करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय को यहां आना चाहिए और बैठना चाहिए। आप मुझे विश्वास दिलाइए या मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। आप इस तरह के दोहरे मापदण्ड नहीं अपना सकते।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको इस सभा की परम्परा का भी अनुसरण करना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, लीडर आफ दी अपोजीशन श्री आडवाणी जी ने एक अहम सवाल उठाया है और इस एजीटेटेड हाउस को शांत करने की भी कोशिश की है। इनकी सीधी सी बात है कि आपने एक बेसिक चीज को छेड़ा है कि कोई पोलिटिकल पार्टी अपने मेम्बर को निष्कासित भी कर दे तो आपने उस मेम्बर को उस पार्टी का सदस्य माना है।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री राम विलास पासवान : मैं समझता हूं कि यह केवल जनता दल का सवाल नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी या पार्टी सिस्टम में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि कोई पोलिटिकल पार्टी यदि अपने सदस्य को निकाल देती है तो क्या लोक सभा में वह उसी पार्टी का सदस्य माना जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : हां-हां।

श्री राम विलास पासवान : आप कहते हैं कि माना जाएगा, हम लोगों का कहना है कि वह नहीं माना जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरी बात गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इसमें राजनैतिक दल का कोई जिक्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जब दलबदल विरोधी कानून मूलतः बनाया गया था, तो हमें प्रधान मंत्री जी ने आमन्त्रित किया था··· (व्यवधान) 1985 में जब प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने विपक्ष के प्रतिनिधियों को दल बदल विरोधी विधेयक के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए आमन्त्रित किया था, मुझे याद है कि मूल प्रारूप में "दल-बदल" को परिभाषा देते हुए एक प्रावधान रखा गया था कि यदि किसी सदस्य को पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो उसे दलबदलू माना जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम लोगों में से कुछ ने इस प्रावधान का विरोध किया और हमने कहा कि आज राजनैतिक दल प्रक्रिया का अनुसरण न करते हुए बहुधा स्वच्छन्दता से कारंवाई करते हैं और यह अनुचित होगा कि एक संसद सदस्य, जो दस लाख से भी अधिक लोगों द्वारा चुना जाता है, को इस कानून के तहत मनमाने ढंग से निकाल दिया जाए।

अतः प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी इस बात पर सहमत हुए और उस प्रावधान को निकाल दिया गया। उन्होंने दल-बदल की परिभाषा में केवल यह सम्मिलित किया "कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पार्टी से निकल जाता है अथवा यदि वह व्हिप का अनादर करता है और पार्टी की अनुमति के बिना व्हिप का अतिक्रमण करता है।" केवल ये दो कसौटियां हैं जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को दल-बदलू माना जा सकता है।

इसके साथ-साथ दसवीं अनुसूची के परिचालन में कुछ ऐसे भी मामले थे जहां पार्टी से निकाल दिए गए सदस्य, पार्टी के सदस्य के रूप में बने हुए थे लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उन्हें 'असम्बद्ध' की संज्ञा दी। उन्हें 'असम्बद्ध' घोषित किया गया था। श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन को 'असम्बद्ध' घोषित किया गया। शायद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी पहले असम्बद्ध घोषित किया गया था। यह सब कुछ हुआ था। इसलिए, मैंने कहा था कि आपकी व्याख्या गलत नहीं है और मैंने उसकी आलोचना भी नहीं की। मैंने आपकी व्याख्या की आलोचना नहीं की। उस तरह की व्याख्या की गुंजाइश थी। लेकिन मैंने कहा था कि, जहां तक इस सम्बन्ध में सभा की निष्पक्षता का प्रश्न है जिसके समक्ष पहले से ही श्री बलराम जाखड़, श्री रवि राय का विनिर्णय पड़ा हुआ है; जहां तक उन सदस्यों की निष्पक्षता का सम्बन्ध है जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया था—चाहे यह निष्कासन उचित था अथवा नहीं, मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं है—जहां तक इस सम्बन्ध में पार्टी की निष्पक्षता का प्रश्न है, जिन्होंने इन सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था; उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि दसवीं अनुसूची के सम्बन्ध में आपकी व्याख्या के मुताबिक, हालांकि पार्टी ने इन चार सदस्यों को निष्कासित कर दिया है और जहां तक दसवीं अनुसूची का सम्बन्ध है वे जनता दल के सदस्य बने रहेंगे। यदि ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि यह समस्या पहले भी और आज भी उत्पन्न नहीं होती।

श्री श्रीकांत जेना : बहुत अच्छा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप समझते हैं कि

इससे पहले की व्याख्या गलत थी तो आपको अपनी व्यवस्था देने का अधिकार है और आप जो कुछ प्रस्ताव रख रहे हैं, उसमें लाभ भी है लेकिन उन लाभों को सभा में जब इस तरह से उछाला जाता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी ही। अतः एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें उनको इसकी सूचना आदि पहले से ही दी जानी चाहिए और आपके समक्ष लम्बित पड़े हुए मामलों पर पहले से ही निर्णय ले लेने से आप उत्पन्न स्थिति का समाधान कर सकते हैं।

अतः यह बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दसवीं अनुसूची सम्बन्धी आपकी व्याख्या पर टिप्पणी कर रहा है, कम से कम मैं तो टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि दसवीं अनुसूची का निष्कासन से कोई सम्बन्ध नहीं है। दसवीं अनुसूची का केवल इस बात से सम्बन्ध है कि व्यक्ति निर्वाचित होता है। वह आपको यह सूचना देता है कि "मैं अमूक पार्टी द्वारा चुना गया हूं और दलबदल की परिभाषा पार्टी को अपनी इच्छा से छोड़ना और व्हिप का अतिक्रमण करना, तक ही सीमित है। निष्कासन का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आपको दो पूर्ववर्ती वक्ताओं ने यह व्याख्या दी थी—मैं उनको दोष नहीं देता यदि वे लोग यह मानकर आगे कहने लगे कि यह एक शब्द है, यह एक अन्तिम शब्द है—और अतः यह साधारण सी बात है कि वे उस सम्बन्ध में उत्तेजित हो गए थे, मैं फिर से यह अनुरोध करता हूं कि अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त करना चाहिए था, इस तरह से नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं अब सभा का विचार जानना चाहता हूं। क्या आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं?

श्री अनुदेव आचार्य : पहले आप हमारी बात सुनिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदस्य भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और यदि सब कुछ ठीक चलेगा तो मैं उनको अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दूंगा। मैं उनको अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के औचित्य के बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा। माननीय नेता विरोधी दल ने परम्पराओं की चर्चा की और उन्हीं परम्पराओं की याद मैं नेता विरोधी दल को दिलाना चाहूंगा। दो वर्ष अध्यक्षों ने निर्णय लिया। इनकी एक बात की शिकायत है कि सदस्यों को सूचना नहीं दी गई, पहले के बारे में, पूर्व के अध्यक्ष ने जब 62 सदस्यों को अनअटैच किया था, तो माननीय विरोधी दल के नेता को मैं स्मरण दिलाने के लिए कह रहा था कि उन्होंने किसी को सूचना नहीं दी ''

उस समय हमारे जैसे बहुत से लोग उस रूलिंग से सहमत नहीं थे। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल के जो सदस्य थे और हमारे इस पक्ष के सारे मित्रों ने कहा कि जो कुछ हो इस डिक्वेलिफिकेशन के सवाल पर अध्यक्ष महोदय की अन्तिम शक्ति और अन्तिम निर्णय उनका है। परम्परा यह भी रही है कि मेरे जो भी ऐतराज रहे हों, मैंने एक शब्द भी इस सदन में, यद्यपि मैं उस कुर्सी पर बैठा हुआ था, अध्यक्ष की रूलिंग के बारे में नहीं कहा था और इस तरफ बैठे हुए सारे लोगों ने एक स्वर से यह कहा था कि अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। मैं नहीं समझता था कि प्रगतिशीलता की सीमा कहां

तक जाएगी। 18 महीने पहले अध्यक्ष सर्वोपरि थे और 18 महीने बाद अध्यक्ष इस परम्परा में आ गए जिसकी एक बात भी सुनी नहीं जा सकी। अध्यक्ष के खिलाफ लोगों को ऐतराज हो सकता है। जैसा आडवाणी जी ने कहा कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार किसी भी सदस्य या किसी भी दल को है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाए बिना अध्यक्ष की अवमानना करना, उस पद की गरिमा को नीचे गिराना, जो मैं यह मानता हूं कि पूर्व अध्यक्षों ने जो निर्णय लिए थे, मैं उससे तब सहमत था और आज सहमत हूं। मैं समझता हूं कि वे निर्णय पार्टीसन निर्णय थे। लेकिन अध्यक्ष के निर्णय को और संसद में अध्यक्ष की गरिमा को रखना हर सदस्य का कर्तव्य होता है। इसलिए उस समय इन लोगों की सलाह को मैंने माना था। नैतिकता की दुहाई देने वाले, सदन की परम्परा की दुहाई देने वाले अपने अतीत को झांककर देख लो···(व्यवधान) जिस समय असुविधा होने लगे, नेतृत्व खतरे में पड़ जाए तो चार सदस्यों को बाहर निकाल दो। राजनीतिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता यह है कि अगर सदस्य आपके दल में नहीं रहना चाहता हो तो उसको ग्रेसफुली स्वीकार करो, अलग हो गए हों···(व्यवधान) अपने जीवन के दो दिन और चलाने के लिए संसदीय परम्पराओं की मान्यताओं की दुहाई देना एक जघन्य राजनीतिक अपराध है और इस अपराध से संसद को बचाना है···(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : ···(व्यवधान) पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब महाभारत हो रहा हो···(व्यवधान) भीष्म पितामह को धृतराष्ट्र के दरबार में खड़ा कर दिया गया था···(व्यवधान) द्रोपदी का चीरहरण हो रहा था और उस समय भीष्म पितामह बैठे रह गए और श्री चन्द्र शेखर भी उसी परम्परा को कायम रखने के लिए···(व्यवधान) इस काम के लिए खड़े हुए हैं। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि पूर्व के दो अध्यक्षों के निर्णय से उन्होंने असहमति जताई है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके निर्णय के बारे में उनकी क्या राय है। क्या यह गलत है या सही है।···(व्यवधान) जब बड़े बुजुर्ग लोगों की बुद्धि मन्द पड़ जाती है तो यहां चिल्लाना पड़ता है इसलिए क्षमा चाहूंगा। आज परम्परा की बात हो रही है, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि हमारे दल नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी···(व्यवधान) लेकिन मैं अपना नेता ममता बैनर्जी को मानने के लिए तैयार हूं।···(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं उधर जाने के लिए तैयार नहीं हूं, आप लोग इधर आ जाइए।

श्री राम नाईक : यहां डिफेक्शन के लिए ओपन आह्वान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ···(व्यवधान)

हमारे संसदीय दल के नेता ने मेरे चार सदस्यों के नाम आपके पास भेजे थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी सचेतक की अवहेलना की थी। आपने राजनीति शास्त्र के कई सिद्धांत, जब इस पर चर्चा हो रही थी, प्रतिपादित किए हैं। शुरू में मैं भी राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूं, लगता है मुझे फिर अरस्तू और प्लूटो को पढ़ना पड़ेगा, अब मैं उसके लिए तैयार हूं। यह पार्लियामेंट एक संसदीय संस्थान है, उच्च संस्थान है, यद्यपि मैं पढ़ूंगा चाहे ममता बनर्जी पढ़ाएं या गुलाम नबीजी, इनसे भी पढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी उस पर रूलिंग दें। आपकी रूलिंग क्या है, जो नैतिकता का तकाजा है···

अध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर दें···

श्री हरिकिशोर सिंह : विरोधी दल के नेता आडवाणी जी ने इस सदन मे परम्पराओ की चर्चा की है, पूर्व अध्यक्षों की रूलिंग की चर्चा की है उसके बारे में आपको क्या कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ एक बात मुझे बता दें ताकि दूसरे स्पीकर्स को भी बोलने में सुविधा हो जाएगी। एक बात मुझे स्पष्ट कर दीजिए कि यह सदन आपकी पार्टी के कांस्टीट्यूशन के तहत चलेगा या इण्डियन कांस्टीट्यूशन के तहत चलेगा ?

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : दोनों के तहत चलेगा।

श्री हरिकिशोर सिंह : दोनों के तहत चलेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : आपने बहुत टेढ़ा सवाल पूछा है...

अध्यक्ष महोदय : अटल जी, आपको बैकग्राउंड का पता नहीं है...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप देश के संविधान को, पार्टी के संविधान को आमने-सामने मत रखें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सवाल का जवाब आपको भी देना पड़ेगा...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर से किसी सदस्य को बाहर निकालना है या इस सदन मे बैठने की उसकी शक्ति को कम करना है या पार्टी की संख्या कम करना है तो यह मैटर कांस्टीट्यूटन आफ इण्डिया के तहत डिसाइड किया जाएगा या पार्टी की तरफ से ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ये समस्याएं ऐसी हैं जिन पर पहले चर्चा हुई थी, ये समस्याएं ऐसी है जिन पर आगे चर्चा हो सकती है। आज जो दल-बदल विरोधी कानून बना हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में फैसला करना पड़ेगा...

अध्यक्ष महोदय : जरूर, वही मैं कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि देश का संविधान और पार्टी का संविधान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों इसकी जरूरत नहीं है। यह सदन देश के संविधान के हिसाब से चलेगा और हमारी अलग-अलग पार्टीज हैं वह अपने हिसाब से चलेंगी, दोनों में टकराव कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं एग्री करता हूं, वाजपेयी जी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस प्रश्न पर आडवाणीजी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर एक बात कही है कि अगर आप जिस समय जनता दल से चार सदस्यों के निष्कासन की सूचना आपको दी गई थी और आपने उनके बैठने की अलग व्यवस्था की उसी समय अगर आप जानकारी दे देते अपने इस इन्टरप्रिटेशन की कि वह पार्टी के सदस्य बने रहेंगे...

अध्यक्ष महोदय : माफ करना, मैंने अपने आर्डर में अन-अटेच्ड शब्द नहीं कहा है, सिटिंग सेपरेटली शब्द इस्तेमाल किया है, आप मुझसे पूछते कि क्यों किया है।

श्री नीतीश कुमार : यह स्थिति नहीं आती। आडवाणीजी के इस कथन का समर्थन करते हुए आपने कहा कि सिटिंग सेपरेटली लिखा, अन-अटेच्ड नहीं लिखा। चूंकि अन-अटेच्ड पूर्व के दो अध्यक्षों ने इस्तेमाल किया था, आपने सिटिंग सेपरेटली किया, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था···

अध्यक्ष महोदय : उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़े ही है।

श्री नीतीश कुमार : इसका विश्लेषण कोई भिन्न होगा। अभी इस सन्दर्भ में माननीय चन्द्रशेखर जी ने एक सवाल छेड़ा है अपनी आदत के अनुकूल। कोई भी सवाल हो उसको नया एंगिल दे देते हैं चन्द्र शेखरजी, हम उनकी इज्जत करते हैं, यह इन्होंने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उनके भाषण पर चर्चा नहीं है, दूसरे विषय पर चर्चा है, नीतीश कुमार जी, इसको छोड़िए।

श्री नीतीश कुमार : आप भी इसको सुन चुके हैं, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन हमें पूरी बात कहने दीजिए। अगर आपके जवाब देने के लायक कोई बात होगी तो जरूर जवाब दीजिएगा, हम आपसे सीखेंगे। इन्होंने यह कहा है कि 25 को अनअटेच्ड किया गया था। जब 25 को अनअटेच्ड किया गया था तो तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी ने बाद के अपने निर्णय में उसको दुरुस्त कर दिया था, उसको रैक्टिफाई किया था···

अध्यक्ष महोदय : असल में फाईनल निर्णय में तो हुआ था···

श्री नीतीश कुमार : फाईनल निर्णय में रैक्टिफाई किया था। फिर इसलिए जब फाईनल निर्णय हो गया तो जो पहले निर्णय हुआ, उसकी चर्चा का, उसके प्रेसिडेंट का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जब अन्तिम निर्णय हो गया, उसका ही उद्धरण हो सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। उनकी जैसी भी सरकार थी, वह सरकार बन गई थी, वह बची हुई थी। अध्यक्ष महोदय, अगर आपने जो पहले निर्णय दिया था, वैसा ही निर्णय तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी ने दिया होता तो···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कानून न जानना कोई बहाना नहीं है। यह कानून का मूल सिद्धांत है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सर, हमारी बात पूरी हो जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर उस समय के तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी श्री रबि राय जी ने आपके मांग के इन्टरप्रेटेशन को संविधान और टैंथ शेड्यूल के सन्दर्भ में माना होता तो उस समय श्री चन्द्रशेखर जी श्री वी० पी० सिंह के ग्रुप के अन्दर होते और प्रधानमन्त्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। उस समय यह स्थिति आई थी, एक

विचित्र परिस्थिति उत्पन्न होती। कल्पना कीजिए कि आप जैसा नियमन दे चुके होते तो क्या वे प्रधान मन्त्री की गद्दी पर रहते? अगर रहते तो भी श्री वी० पी० सिंह को व्हिप के अन्दर रहना पड़ता। इसलिए एक भयानक स्थिति उत्पन्न होती। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इस सन्दर्भ में···

अध्यक्ष महोदय : अगर वन-थर्ड सैपरेट हो गये तो मानने की जरूरत नहीं है···

श्री नीतीश कुमार : हम अपनी बात पर आ रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग आपकी सफाई चाहेंगे। आपकी तरफ से जानकारी लेंगे और अपना ज्ञान-वर्द्धन करेंगे। इससे हमारी जानकारी बढ़ेगी। श्री चन्द्रशेखर जी की स्थिति उस समय क्या होती, इसके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया कि वन-थर्ड पर व्हिप लागू नहीं होता है।

श्री नीतीश कुमार : लेकिन मैं एक बात आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि आपने निर्णय दे दिया। सारे लोग व्हिप के अन्दर आ गये लेकिन जो हमारी पार्टी के सदस्य थे, उनको व्हिप जारी हुआ और नो-कान्फिडेंस के मोशन में व्हिप का वॉयलेशन किया गया, उनके बारे में जवाब-तलब किया गया। उसका उत्तर आने पर असंतुष्ट होने पर व्हिप ने आपको सूचना दी कि उनको कंडेम नहीं किया और उनको निकालने की पैटीशन दी। आपकी इन्टरप्रेटेशन, जो आपने चैम्बर में कहा और यहां कहा, उससे यह ध्वनि निकलती है तो उसके बारे में तत्काल निर्णय होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : तत्काल कैसे होगा। आपने कल मुझे पैटीशन दी कि उनकी मैम्बरशिप कैंसिल करनी है, आज निर्णय कैसे दे दूं, यह कैसे हो सकता है? एक यही तो बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नेचुरल लॉ जस्टिस के खिलाफ कैंसिल करती है···

श्री नीतीश कुमार : आप जरूर करिए। लेकिन उस समय व्हिप जारी हुआ या नहीं? अगर हुआ तो उन्होंने सचमुच व्हिप का पालन किया या नहीं? बस ये दो बातें जाननी हैं जो आपके रिकार्ड में है, उसकी गवाह हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन लोगों को सुनूंगा जिसके खिलाफ आपने पैटीशन दिया···

श्री नीतीश कुमार : जरूर सुनिये···

अध्यक्ष महोदय : तो फिर बिदाउट सुने, मैं कैसे करूं?

श्री नीतीश कुमार : आप उनकी ज्यादा सुनिए। हमें तो यह कहना है कि आप उनकी हम से ज्यादा सुनिए लेकिन आपकी इस मामले में जो विचारधारा है, उस विचार के हिसाब से निर्णय दिया जाए। आपने कहा कि व्हिप का वॉयलेशन करेंगे तो···

[अनुवाद]

उन्हें निकाल दिया जाएगा, उनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, उसी नियमन के अन्तर्गत आपको खतरा किस बात का है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खतरा मालूम नहीं है। मुझे आप कानून बतायेंगे। मुझे खतरा दोनों का हो सकता है···

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, केवल दो सेनटेंस में मेरा सबमिशन है और मुझे पूरा कर लेने दीजिए। इस नियम से जनता दल के सदस्य बने हुए हैं जो 20 हैं जिनके बारे में अलग-अलग तरफ से पेंटीशन हमारी तरफ से है। आज वे जनता दल के सदस्य बने हुए हैं कल स्पलिट क्लेम करेंगे और एक तिहाई सदस्य के आधार पर स्पलिट मान लिया जाएगा यह खतरा है जो आप इनके लिए कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : आपने जो व्हिप दिया, उन्होंने माना या नहीं माना ? तो आप उनको निकाल भी सकते हैं दोनों तरफ से खतरा है···

श्री नीतीश कुमार : निकालने का हम लोगों ने किया लेकिन उसको नहीं मान रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए सदन में ऐसी चर्चा नहीं होती है क्योंकि मैं डाक्यूमेंट्स लाकर आपको बताता, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आपको बताकर चला जाता कि दो दिन के अन्दर पेंटीशन के निर्णय नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो चार-चार साल लगते हैं। हमको एक महीना भी उनको सुनने का मौका नहीं देंगे ?

श्री नीतीश कुमार : आप उनको पूरा सुन लीजिए। लेकिन इस मामले में हम लोग जल्दी नियमन इसलिए चाह रहे हैं कि इसके चलते नए सिरे से जो इन्टरप्रेटेशन आपका आ गया है, उसके बाद कोई भी कहीं भी जा सकता है। अभी ममता बनर्जी इधर आकर बैठ जाए, कांग्रेस पार्टी की मेम्बर बनी रहेंगी। यानि विचित्र स्थिति उपस्थित हुई है। पार्टी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अन्त में एक बात आपको कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कानून पर बोलिए।

श्री नीतीश कुमार : आपने जो सवाल पूछा है कि हाउस पार्टी के संविधान से चलेगा या कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया से चलेगा। हमारा आपके सामने एक विनम्र सबमिशन है कि पार्टियां अपने संविधान से चलेंगी और अगर पार्टियों का संविधान भारत के संविधान के खिलाफ होगा तो इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। लेकिन आज पार्टी सिस्टम है। 10वां शेड्यूल छोड़कर कहीं भी पोलिटिकल पार्टी की चर्चा संविधान में नहीं है। कहीं भी चर्चा नहीं है लेकिन मेजॉरिटी पार्टी को ही सरकार बनाने की इजाजत दी जाती है। यह सारी परम्परा क्या चीज है ? पार्टियां चलेंगी अपने संविधान के हिसाब से, अगर पार्टियों के संविधान भारत के संविधान के खिलाफ नहीं हों। इसलिए यह परस्पर विरोधी नहीं है। भारत के संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। चर्चा में जब यह हुआ कि पार्टियां ऐक्सपेल करेंगी तो वह चले जाएंगे। उस समय उसको नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं ऐक्सपेल को मान रहा हूं।

श्री नीतीश कुमार : इसका मतलब है पार्टियां हैं और पार्टियां इनको कर सकती हैं। इसलिए जब ऐक्सपेल करेंगी तो उसके स्टेट्स के बारे में साफ-साफ निर्णय होना चाहिए न कि चाल मेल वाला निर्णय कि वह पार्टी में बने रहेंगे। यह बिल्कुल ही प्राकृतिक नियम है। यह प्रतिकूल है कि कोई किसी को पार्टी से निकाल दे तो उसको व्हिप भी दे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी जजमेंट में जो लिखा है, वह मैं आपको बता देता हूं ताकि गड़बड़ न हो। मैंने जजमेंट में यह लिखा है कि···, आपको ऐक्सप्लेन करने के लिए अवसर दिया जाएगा। मैंने अपने इन्टरिम जजमेंट में यह लिखा है कि अगर पार्टी के कहने पर चार आदमी बाजू में बैठें तो उसका क्या अर्थ होता है, या वह खुद बाजू में आकर बैठे तो उसका क्या अर्थ होता है। आप मुझे समझाकर बोले। समझने के बाद मैं इसका निर्णय लूंगा। आपको मैंने समझाने का मौका दिया है।

श्री अजित सिंह (बागपत) : माननीय अध्यक्ष जी, पार्टी के कांस्टीट्यूशन, जैसा आपने कहा पार्टी के बाहर जो भी हो, सदन के अन्दर आप उसका कोई नोटिस नहीं लेते हैं, यही परम्परा रही है। मैं तो सिर्फ आडवाणी जी ने जो पाइंट उठाया, उसके बारे में कहना चाहूंगा। 10वें शेड्यूल का इन्टरप्रेटेशन लोगों ने कहा कि अलग-अलग हो सकता है। लेकिन 10वें शेड्यूल में "अनअटैच्ड" वर्ड, "इंडीपेंडेंट" वर्ड कोई नहीं है और जो ऐण्टी डिफेक्शन लॉ के पीछे भावना थी कि मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे एक सिंबल पर पार्टी मैनिफैस्टो पर चुनकर भेजा है और उसको हटाने का अधिकार किसी पार्टी के अध्यक्ष, मैं उस पार्टी कांस्टीट्यूशन के बारे में नहीं जाना चाहता जो उस पार्टी के अध्यक्ष ने किसी तरह से फौलो नहीं किया है। मैं सिर्फ एक सवाल जो आडवाणी जी ने कहा कि आपको चाहिए था कि जब आपने हम चारों को अलग किया तो इन लोगों को खबर कर देनी चाहिए थी। हम "अनअटैच्ड" नहीं हैं, पार्टी के मेम्बर हैं, वह व्हिप जारी करें। जो अध्यक्ष जी ने मुझे पत्र लिखा है, जो वी० पी० सिंह जी ने लिखा है, वह सब ऐक्सपेल्ड मेम्बर्स को लिखा है। उसमें उन्होंने 'अनअटैच्ड" शब्द का इस्तेमाल किया, सिर्फ कहा कि सदन में फंक्शनिंग के लिए अलग सीट दी जा रही है। उस लैटर को अगर इन लोगों ने नहीं पढ़ा और ये क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। किसी भी समय ये सचिवालय के सचिवालय में जाकर देख सकते थे कि जनता दल के सामने 59 मेम्बर्स आज तक लिखे हुए हैं। ये इग्नोरेन्स आफ लॉ है। जो लेटर्स आ रहे हैं, ये उसको नहीं पढ़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी न अध्यक्ष की है और न वह जिम्मेवारी हमारी है। अगर पार्टी कांस्टीट्यूशन के अन्दर ये हमको व्हिप जारी नहीं करना चाहते तो ये भी इनकी जिम्मेवारी है। कोई इनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि चाहे हम कानून के हिसाब से पार्टी के मेम्बर हों, सदन में ये अगर हमको नहीं मानते और व्हिप जारी नहीं करना चाहते तो ये वैसा कर सकते हैं।···(व्यवधान)···मुझे माननीय सदस्य की बात सुनाई नहीं दी है। मैं पूरी बातों पर यहां चर्चा नहीं करना चाहता था।

12.00 मध्याह्न

क्योंकि आडवाणी साहब और सब लोग यह मान रहे हैं कि दसवें शेड्यूल का इन्टरप्रिटेशन अध्यक्ष जी के हाथ में है कि वे किस तरह से करें। उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। इन्होंने तो

बल्कि यह भी कहा कि आमने-सामने, अगर हरि किशोर सिंह जी चाहते तो अध्यक्ष जी और मेरे सामने बैठकर डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन वे तो इस सदन में चिल्लाना चाहते हैं और आमने-सामने बैठकर बात नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : इनको डिफैक्शन का नेचुरल राईट है, मैं कन्सीड करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि टैन्थ शैड्यूल को खत्म कर दे, फिर इनको 10 करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री अजित सिंह : एक बात और कहना चाहूंगा कि देश में आज जो इंस्टीट्यूशन्स खत्म हो रहे हैं, वे इंस्टीट्यूशन्स इसलिए खत्म होते हैं, क्योंकि आपने जो अपना निर्णय दिया है, उसके खिलाफ अगर ये उसे क्रिटिसाइज करते, निर्णय को क्रिटिसाइज करते, अगर कानून के आधार पर उसको क्रिटिसाइज करते तो ठीक था लेकिन इन्होंने आपकी पर्सनल नहीं, स्पीकर की इंस्टीट्यूशन पर जिस तरह अटैक किया है, उसी तरह से इंस्टीट्यूशन्स खत्म होते हैं। मैं जनता दल के लोगों से कहना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : जनता दल में तो आप खुद भी हैं।

श्री अजित सिंह : हम तो खुद हैं लेकिन मैं सब लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी किसी डैमोक्रैलिटी के तरीके से बनी रहे तो किसी राजनैतिक पार्टी की जो बात नीतीश कुमार जी कह रहे थे, उसे समझ लीजिए। वह राजनैतिक पार्टी उसके नेता के आचरण और उसकी नीतियों के आधार पर चलेगी। जैसा पासवान जी हर जगह कहते रहते हैं, नेता की नियत, नेता की नीतियां, उसके आधार पर चलेगी लेकिन आप लोग यहां हल्ला मचाकर सोचते हैं कि 20 लोगों को आप अपना नेतृत्व मानने पर मजबूर करेंगे तो कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान जी।

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : महोदय, हम भी यहां पर हैं। कृपया हमारी बात भी सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप बाद में जवाब देना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से एक व्यक्ति को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब को बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा यहां जो प्वाइंट्स उठे हैं, उन्हीं प्वाइंट्स की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आपने एक बात यहां पर अनअटैच्ड और सैपरेट मैम्बर्स के बारे में कही है और हमारे साथियों ने भी उसे उठाया, मैं यहां किसी का नाम नहीं लेता हूं मगर सामूहिक चीज जो है, उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको शायद मालूम होगा कि वी० पी० सिंह जी ने चार मैम्बर्स के सम्बन्ध में आपको लिखकर दिया था और उन चारों मैम्बर्स के सम्बन्ध में आग्रह किया था कि चूंकि जनता दल ने और एस० आर० बोम्मई साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि उन्हें आप जनता दल से अलग सीटें दें। यह बात सही है कि पार्टी अगर किसी सदस्य को निकालती है तो उसकी मैम्बरशिप जाती नहीं है, वह मैम्बर बना रहता है, सिर्फ जैसा कहते हैं कि वह पार्टी से अलग हो जाता है, इंडीपेन्डेंट हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वन-थर्ड ग्रुप में बैठने की ताकत मैंने कहा, आपने अपनी पार्टी से उनको निकाल दिया, आप निकाल दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : हम चाहेंगे कि जरा सा, यदि आप हमसे कुछ बात करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैना साहब, मैं आपको बाद में मौका दूंगा, अभी आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री कक्ष से कोई व्यक्ति सरकारी दीर्घा की ओर जा रहा है और वहां अधिकारियों से बात कर रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं कहना चाहता हूं कि जब वी० पी० सिंह साहब ने आपको लिख कर दिया...

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (कैसरगंज) : अध्यक्ष जी, हम यहां कुछ अपने क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहते हैं लेकिन ये लोग सदन का पूरा समय अपने झगड़ों में बर्बाद करना चाहते हैं, कल सारा दिन इन्होंने सदन का बर्बाद कर दिया और आज भी समय बर्बाद कर रहे हैं, कितना रुपया इस सदन को चलाने पर खर्च होता है, यह शायद इनको पता नहीं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : जब वी० पी० सिंह जी ने चार मैम्बर्स को पार्टी से निकाल दिया और आपसे आग्रह किया तो आपने वी० पी० सिंह जी के एक्सपलशन के जवाब में लिखा कि चूंकि आपने चार मैम्बर्स को निकाल दिया है इसलिए हमने उनके लिए सैपरेट सीट की सदन में व्यवस्था की है।

जब किसी पार्टी का कोई लीडर किसी को निकाले या पार्टी किसी व्यक्ति को निकाले, ए बी सी डी कोई पार्टी वह हो, उसके बाद स्पीकर ऐसी रूलिंग दें कि वे आउटसाइड आफ जनता दल या कांग्रेस दल की तरफ बैठेंगे···

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, एक मिनट, माफ करना मुझे, देखिये मैंने अपने जजमेंट में यह लिखा है और वह जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं ।

श्री राम विलास पासवान : मेरे पास वह जजमेंट है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी बात सुनें तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा । अब, कृपया सुनिए, यह मैं सब के लिए बोल रहा हूं—

[अनुवाद]

"उनके दल से एक सदस्य को उसके दल से निकालने में क्या आशय है? क्या इस निष्कासन से लोक सभा के सदस्य के रूप में उनकी पदवी पर कोई प्रभाव पड़ता है ? क्या भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के सम्बन्ध में यह किसी प्रकार से उन्हें अधिक उत्तरदायी तथा उसके निचले स्तर का बना सकता है ?"

[हिन्दी]

और उसके बाद मैंने यह कहा है, उसके अन्दर यह जो पाइंट है, वह आपको डिसाइड करना है । जजमेंट के पैराग्राफ 40 में लिखा है, मैंने फाईनल जजमेंट नहीं दिया है। मैंने तो आपको बोलने का मौका दिया है ।

[अनुवाद]

"दल के नेता के कहने पर अथवा स्वयं ही चार-चार के समूह में अथवा बीस के समूह में अलग से बैठने का वैधानिक आशय क्या है, इस बात को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना है ।"

आपको यह बात मुझे बतानी होगी । मैंने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है । मैं उस पर ही आ रहा हूं सर । मैं कह रहा था कि आपने लीडर के जवाब में लिखा है। मैम्बर्स को सैपरेट सीट अलॉट कर दी गई है । उस परिस्थिति में हम यह समझते हैं और कोई भी आदमी समझता है, जैसा कि आडवाणी जी ने कहा कि वी० पी० सिंह जी को निकाला गया या उन्नीकृष्णन जी को निकाला गया, कल को कोई पार्टी से निकाला जाता है, जिस पार्टी ने उसे निकाल दिया है, वह कैसे व्हिप जारी करेगा ? जिस पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या समझते हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है ?

श्री राम विलास पासवान : हम यह कहना चाहते हैं कि जिम्मेदारी दोनों आदमियों की होनी चाहिए, अब नहीं, तो बाद में हो ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कानून न जानना कोई बहाना नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दूसरा आग्रह मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि जो 20 आदमी बाद में मिले थे, उनके बारे में अजीत सिंह जी ने किसी स्टेज पर स्प्लिट की चर्चा नहीं की थी । इन्होंने आपसे कहा था कि हम सेपरेट सीट की व्यवस्था चाहते हैं क्योंकि वी० पी० सिंह जी से मेरा तालमेल नहीं खाता है, उनकी आयडियोलोजी में मेरा कोई विश्वास नहीं है और आपने कहा कि ठीक है, इन्क्लूडिंग 4 जो अजीत सिंह जी के साथ में गए थे, उनको मिलाकर के, जो दिसम्बर में गए, उनको लाकर के आपने कहा कि बीसों आदमियों को आपने सेपरेट सीटें दे दीं । आप सीट चेंज कर सकते हैं, हमारे नीतीश कुमार जी की सीट चेंज हो गई और दूसरे साथियों की सीटें चेंज हो गयीं और आप कहते हैं कि वे जनता दल में हैं ।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल को यदि, मान लीजिए, कांग्रेस पार्टी में, अर्जुन सिंह जी,···(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : यह सब जनता दल पार्टी में होगा । यह आपको ही शोभा देता है ।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी मुझे लीगल आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, पौलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं संवैधानिक व्याख्या चाहता हूं ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, मेरा एक बेसिक क्वश्चन है, कल कांग्रेस पार्टी हो या बी०जे० पी० हो या किसी पार्टी का हो, कोई मेम्बर कहे कि हमको अलग सीट,···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके राजनैतिक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं; मैं आपके वैधानिक प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह पॉलिटिकल क्वश्चन नहीं है। किसी पार्टी के 10 मेम्बर या 5 मेम्बर, आपके नजदीक आकर के कहें कि हमको इस पार्टी के नेतृत्व मे विश्वास नहीं है या हमारा तालमेल नहीं खाता है, आप हमें सैपरेट सीट अलॉट कीजिए। क्या आप उनको सैपरेटसैपरेट सीट अलॉट कर देंगे? चूंकि आपको अजीत सिंह जी ने या हमारे जो साथी बाद मे गए हैं, उनमें से किसी ने यह लिखकर नहीं दिया है कि हमने स्प्लिट किया है, इसलिए हमको आप अलग सीट दे दीजिए। उन्होंने कहा है,...

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने पर मैं 4 आदमियों को सैपरेट सीट दे सकता हूं, दूसरों को नहीं दे सकता हूं, क्या आपका यह कहना है?

श्री राम विलास पासवान : नहीं नहीं। हम तो कहते हैं कि जिसको आपने सैपरेट सीट दी, वह पार्टी से अलग हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मतलब क्या है?

श्री राम विलास पासवान : सर, आपका जो निर्णय है, उससे डिफैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। कोई आदमी कहे कि हम 4 आदमी आज निकल गए हैं, और वे कहें कि हमको सैपरेट सीट दो और कहें कि भविष्य में हम 1/3 स्ट्रेंग्थ कायम कर देंगे और 2 साल के बाद वह 1/3 का क्लेम करेगा और उसके बाद आप कह देंगे कि यह ब्लॉक हो गया, तो यह जो डेमोक्रेसी है, इसमें यह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमारे साथियों ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि एंटी-डिफैक्शन कानून है, बजाय इसके कि 50 लाख मे एक करोड़ में खरीद-फरोख्त हो, स्टॉक हो, उससे बढिया तो रिटेल हो जाए, खत्म हो जाए। कम से कम जो छोड़ेगा तो वह मेम्बर का इनडिवीजुअल ही होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि यह बुनियादी सवाल है कि जो परमानेंट डिफैक्शन किया है, हमने रवि राय जी के व्यूज पढ़े हैं, दूसरे साथियों के भी पढ़े हैं। यदि अजीत सिंह जी कहते कि मेरे पास एक-तिहाई बहुमत है और जनता दल स्प्लिट को रोकना चाहती है, आप निणय लीजिए, मैं समझता हूं कि आप सही निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अजीत सिंह जी ने किसी स्टेज पर आपको नहीं कहा कि हमारे पास एक-तिहाई बहुमत है। अभी 4 मेम्बर्स को डिसक्वालीफाई किया गया और डिसक्वालीफिकेशन के लिए आपके पास आग्रह किया गया। 12 मेम्बर बचे हैं। 12 और 4=16। वे भी 20 मेम्बर रहते तो आप कह सकते थे कि शायद इसमें सत्य है। लेकिन आपके पास 16 मेम्बर गए, फिर 4 मेम्बर्स को आपने जोड़ने का काम किया और जोड़कर कहा कि हम सैपरेट सीट देते हैं, जो हमारे साथियों की मंशा है। आपने कुछ बुनियादी सवाल छेड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, अजीत सिंह जी ने ऐंटी-डिफैक्शन लॉ के नीचे स्प्लिट नहीं मांगी है मगर आपने अपनी रिटन स्टेटमैंट में सिर्फ ऐंटी-डिफैक्शन लॉ के सम्बन्ध में ही लिखा है।

श्री राम विलास पासवान : मेरा सवाल दूसरा है।...(व्यवधान) हमने वह सवाल उठाया है। हम कहते हैं कि यदि कोई मेम्बर आपको कहेगा कि हमको सैपरेट सीट दीजिए तो आप उसको सैपरेट

सीट दे देंगे। हमारा सम्मान आपके साथ है लेकिन आपने इंटरिम आर्डर दिया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो आर्डर आपने दिया है वही फाईनल करके दे दीजिए। कम से कम भविष्य में जो मामला है वह तो रुक जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे आदेशों के लिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते।

श्री राम विलास पासवान : मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं।

[हिन्दी]

लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जिससे डिफैक्शन को बढ़ावा मिले।...(व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। अभी श्री पासवान जी बोल रहे थे, आपने उसके बारे में अपना जजमैंट दिया है और आपके जजमैंट के बारे में वे बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय के बारे में जो बात करें वह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। इतना ही थोड़े है।

(व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे : इसलिए हमने प्रीविलेज मोशन दिया था। उसके बारे में आपने क्या किया?

अध्यक्ष महोदय : प्रीविलेज मोशन को बारे में देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 4 के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य को अन्य बातों के साथ-साथ फार्म तीन के अनुसार विवरण और घोषणा का वक्तव्य महासचिव को प्रस्तुत करना होगा। नियम 5 के उपनियम (2) में यह कहा गया है कि 'प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में जानकारी, रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी।'

इस उद्देश्य से में फार्म में उल्लेखित दो वाक्यों को संक्षेप में रखता हूं। वह चुनाव आदि अपनी पार्टी सम्बद्धता अर्थात वह किस पार्टी से संबद्ध है, की घोषणा दर्ज करता है। वह आगे यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना में यदि कुछ परिवर्तन आ जाता है तो वह इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को तुरन्त देंगे।

फार्म 4 में, यदि आप कालम संख्या 7 और 8 देखेंगे, तो कालम 7 में उस राजनैतिक दल का

नाम दिया गया है जिससे वह संबद्ध हैं। कालम 8 में विधायी दल का नाम दिया गया है जिससे वह संबद्ध है।

आपने जो सवाल किया है मैं उसका उत्तर नम्रता से देने की कोशिश करूंगा। यदि कोई राजनैतिक पार्टी उस सदस्य को पार्टी से निकाल देती है या निष्कासित करती है, जो संसद के किसी भी सभा का अथवा विधान-सभा का निर्वाचित सदस्य है, मैं यह अनुरोध करता हूं कि प्रत्यक्षत: यह विधायी दल अथवा संसदीय दल के सदस्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि ऐसा दसवीं अनुसूची में नहीं दिया गया है और उन्होंने उसकी सूचना अध्यक्ष अथवा महासचिव को नहीं दी। संबद्ध सदस्य ने इसकी सूचना नहीं दी इसलिए महासचिव जिस रजिस्टर का लेखा-जोखा रखते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सका। जब तक रजिस्टर में वो परिवर्तन नहीं किया जायेगा, वह उसी संसदीय दल अथवा विधायी दल का सदस्य ही रहेगा जिसके लिए उसने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस मामले में वे चार माननीय सदस्यों, जिनको पहले अलग स्थान आवंटित किया गया था और वे चार माननीय सदस्यों, जिनको बाद में अलग स्थान आवंटित किया गया था, ने आपको ऐसी कोई सूचना नहीं दी और संबद्ध सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी में कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह मेरा नम्र निवेदन है और इस तरह सदस्य उस राजनैतिक दल के सदस्य बने रहेंगे। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 4 के अन्तर्गत केवल अध्यक्ष ही किसी सदस्य को सभा में स्थान आबंटित करता है। यह अध्यक्ष का परमाधिकार है। कुछ सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को दी गई याचिका अथवा आवेदन पत्र के जवाब में, अध्यक्ष, अन्य मुद्दों पर विचार किए बिना उन सदस्यों को अलग स्थान आबंटित करता है, तो हम इसको चुनौती नहीं दे सकते और इस तरह से मैं अलग स्थान आबंटित करने संबंधी तर्क-आधार के अन्तिम मुद्दे पर आता हूं। यदि मेरा अनुमान, मेरी सूचना सही है, माननीय सदस्य अलग स्थान चाहते हैं। वे अलगाव की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को श्री रामविलास पासवान जी ने भी मान लिया है। दलबदल विरोधी कानून का प्रश्न ही नहीं उठता। वे सभा में किसी अवांछनीय स्थिति को टालने के लिए अलग स्थान चाहते हैं। और यह आपके द्वारा लिया गया सिर्फ एक अन्तरिम निर्णय है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों की व्याख्या का प्रश्न उठता है तो यह देखना अध्यक्ष का कर्त्तव्य बन जाता है कि कानून के प्रावधान को कोई भी व्यक्ति बदल न सके।

दल-बदल विरोधी कानून में एक प्रावधान किया गया है। वह यह है कि यदि दल के एक तिहाई सदस्य विभाजन करना चाहते हैं तो उन पर दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। एक समय हमारे माननीय मित्र इस संबंध में अलग-अलग मत व्यक्त कर रहे थे। उस समय उन्होंने इन प्रावधानों को स्वीकार किया था परन्तु बाद मे इसको चुनौती दी। आज वे···

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन बातों को उलझाओ नहीं। हमें इस झगड़े को कम करना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि यदि कोई दल चार सदस्यों को एक साथ निष्कासित करके इन प्रावधानों की प्रवंचना करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें इस मामले का निर्णय उनके सामने प्रस्तुत किए गए गुण

दोष के आधार पर करना चाहिए। इस मामले में तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है और तब तक पृथक सीटें आबंटित करना एकदम न्यायसगत है।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरी यह धारणा थी कि आप हमारे विचारों का समर्थन कर रहे हैं। आप हमारे विचारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप हरेक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। आप किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : आपके दल से 20 लोगों को निष्कासित किया गया है।

डा० देबी प्रसाद पाल (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : कल जिस ढग से कार्यवाही शुरू हुई है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सभा के कुछ सदस्यों ने स्पष्ट रूप से यह पाया है कि आप इस उच्च पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। कुछ सदस्यों ने टिप्पणी की है कि यह पद सरकार की कठपुतली बन गया है। परन्तु इस सभा के सदस्यों को इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सही और जिम्मेदारी-पूर्वक कार्य करने का तरीका नहीं है।

यहां पर क्या हुआ है ? माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक अन्तरिम निर्णय लिया है। उन्होंने यह निर्णय किन परिस्थितियों में लिया ? हम कारवाई के औचित्य की बात नहीं करेंगे। इस पर दूसरी तरह से वाद-विवाद होगा। कुछ सदस्यों को कथित रूप से राजनीतिक दल द्वारा निष्कासित किया गया है। अब यदि कोई राजनीतिक दल किसी सदस्य को निष्कासित करता है तो इस सम्माननीय सभा की सदस्यता के लिए वह सदस्य स्वतः ही अयोग्य नही हो जाता है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बिलकुल ठीक ही संकेत दिया है कि दसवीं अनुसूची के नियम 3 के तहत दो परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अयोग्य हो सकता है। पहली परिस्थिति यह कि सदस्य जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है उसे वह स्वेच्छा से छोड़ दे या वह अपने राजनीतिक दल के ह्विप की अकारण अवमानना करे। यदि कोई राजनीतिक दल किसी सदस्य को निष्कासित करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वत: या वस्तुत: इस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है, निष्कासन कई कारणों से हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक दल से मनमाने ढग से निष्कासित किया गया है और यदि अध्यक्ष को यह निर्णय लेना हो कि यह कानून के अनुसार है या नहीं तो तब इस मामले की छानबीन करनी होगी। माननीय अध्यक्ष ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी और उसके बाद इस पर अन्तिम निर्णय लेना होगा। परन्तु जब तक अन्तिम निर्णय लिया जाता है तब तक इन व्यक्तियों की इस सदन की सदस्यता को समाप्त नहीं की जा सकती है। यदि ऐसी बात है तो उन्हें सदन में कुछ सीटें दी जानी चाहिए। आप यह नहीं कह सकते हैं कि उन्हें कोई सीटें नहीं मिलेगी, उन्हें सदन में सीटें आबटित नहीं की जाएंगी। यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। यदि अध्यक्ष ने अन्तरिम उपाय के रूप में यह निर्णय लिया है, तो जब तक इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक अन्तरिम निर्णय लेने में कोई बुराई नहीं है। फिलहाल हम किसी भी हालत में अध्यक्ष महोदय के निर्णय के औचित्य को चुनौती नही दे रहे है। हमे यह बात नहीं भूलनी चाहिए।...(व्यवधान)...संवैधानिक लोकतंत्र ने सदस्यों को

अधिकार दिए हैं। साथ ही अध्यक्ष के पद की गरिमा को भी बनाए रखना होगा। कुछ सदस्यों ने जिस तरह से व्यवहार किया है वह केवल इस सभा का अपमान ही नहीं है बल्कि वह विशेषाधिकारों का भी उल्लंघन है। इस सदन के शीर्षस्थ पद के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आप विशेषाधिकार का उल्लंघन करने की गलती कर रहे हैं, आप···की अवहेलना कर रहे हैं।···(व्यवधान)···हां हमने नोटिस दिया है।···(व्यवधान)···

श्री हरि किशोर सिंह : कृपया अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।···(व्यवधान)···

डा० देवी प्रसाद पाल : जिस तरह से यह किया गया है वह वास्तव में इस सदन का अपमान है। यदि संवैधानिक लोकतंत्र को ठीक से चलाना है तो हमें माननीय अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करना चाहिए। आप अपनी शिकायतों को विभिन्न प्रकार से रख सकते हैं। आप यह बता सकते हैं कि आप कैसे खिन्न हैं।···(व्यवधान)···परन्तु यह कोई तरीका नहीं है कि अपमानजनक टिप्पणियां की जाएं। माननीय अध्यक्ष के उच्च पद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने का कोई अर्थ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं ? हम स्वयं अपनी प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं, हम स्वयं को और इस सम्माननीय सदन को बदनाम कर रहे हैं। सदन की गरिमा को बनाए रखना प्रत्येक सदस्य की सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हम अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इसका पालन करना होगा। हम इस तरह की अपमानजक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष का पद इस सभा का सबसे ऊंचा पद है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वह वास्तव में इस सम्माननीय सदन का अपमान करता है। हमने पहले ही यह नोटिस दिया है जिसमें कहा गया है कि जिन सदस्यों ने ये अपमानजनक टिप्पणियां की हैं उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। हमने विशेषाधिकार के उल्लंघन का नोटिस पहले ही दे दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दें।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस चर्चा को लम्बा करने से होने वाली परेशानी से हमें बचाएँ। कृपया इसके परिणामों को समझने का प्रयास करें।

(व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : माननीय अध्यक्ष, ने इस सदन में यह चर्चा करने की अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष के न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है। ···(व्यवधान) जो हो, यह एक तथ्य है। यह अध्यक्ष का अधिकार है कि वह इस मामले में निर्णय दें। चर्चा के दौरान अगर पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष पर कोई आक्षेप लगता है, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पीठासीन अधिकारी के किसी भी निर्णय के विरुद्ध किसी भी आरोप को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपा कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपा कर मेरी मदद करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एक अन्तरिम टिप्पणी है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणी रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, इस अशुभ घटना के बारे में, पिछले कुछ दिनों के दौरान कुछ सदस्यों के दल के बारे में, माननीय सदस्य के जो भी विचार हो, मेरे विचार में, हम सबको—सम्बन्धित मुद्दे पर विचार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसका कि इस सदन की किसी भी पार्टी पर कभी भी प्रभाव पड़ सकता है। इस समय, इसका प्रभाव एक विशेष पार्टी पर पड़ रहा है परन्तु जो कुछ भी हुआ है, किसी और पार्टी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस वजह से, हमें इस प्रश्न पर विचार करते समय सावधान और सचेत रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जोकि हमें आया राम गया राम के दिनों में ले जाएगा, और जिसके के कारण अन्त में दल-बदल विरोधी अधिनियम बना। मैंने यहां पर दिए गए तर्कों को सुना। मुझे खेद है कि मुझे किसी और जगह से यहां आते हुए कुछ देर हो गई। तर्क उस प्रश्न पर थे—हालांकि सभी कहते हैं कि हम विनिर्णय की अवज्ञा नहीं कर सकते, और न ही इस पर कोई प्रश्न कर सकते हैं, यह व्यवस्था आपके द्वारा दी गयी, चाहे यह अन्तरिम व्यवस्था ही हो, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में कुछ तर्क चल रहे हैं—कुछ सदस्यों को अलग से सीटों का आबंटन किया गया, जिन्होंने आपसे उस बारे में यह आग्रह किया है। मैं केवल एक या दो मुद्दे उठाने चाहता हूं। दूसरी पार्टी के दूसरे सदस्य चिंतित न हों, परन्तु मुझे इस पर चिंता है। सी०पी०आई० एक छोटा सा दल है। अगर कल, मेरे दो तीन सदस्य, जोकि अब मेरे पीछे बैठे हुए हैं—निश्चय ही, ऐसी चीज नहीं होगी क्योंकि हमारी पार्टी में अलग तरह का अनुशासन है—उठ कर वे आपको लिखते हैं या जाकर आपको आपके कक्ष में मिलते हैं और कहते हैं, "हम श्री इन्द्रजीत गुप्त को पसन्द नहीं करते, हमें उनका चेहरा पसन्द नहीं है, हमें उनका बोलने का तरीका पसन्द नहीं है, हम उनके नेतृत्व मे रहना नहीं चाहते, और इस वजह से, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें सी०पी०आई० के स्थान से अलग, कुछ अलग सीटों का आबंटन करें। अब क्या होगा? मैं देखता हूं कि आपको सम्बोधित पत्र में, मेरे पास उस पत्र की प्रति उपलब्ध है, लगभग बीस माननीय सदस्यों ने यह कहा है : "अगस्त को, 10.30 म०पू० पर हम, लोक सभा के अधोहस्ताक्षरी सदस्य", यहां पर बीस नाम हैं, "जोकि जनता दल के टिकट पर लोक सभा में चुने गए, एतत् द्वारा नोटिस देते हैं कि संसदीय पार्टी के वर्तमान नेता, श्री वी० पी० सिंह के साथ धर्मनिरपेक्षता बनाये रखने और साम्प्रदायिकता को रोकने के प्रश्न पर हमारे मूल मतभेद हैं। इसका तात्पर्य है कि उनके कुछ राजनीतिक मतभेद हैं। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के बारे में श्री वी०पी० सिंह की कुछ अपनी व्यक्तिगत पसन्द या नापसन्द है। यही वह स्पष्टीकरण है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। इसमें यह लिखा है, "इस वजह से, हम सदन में पृथक से बैठना चाहते हैं।" प्रत्येक पार्टी के···

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आप कृपा कर इसको आगे पढ़ें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उस पर आ रहा हूं। मैं इसी चिट्ठी पढूंगा। कमोबेश सभी दल एक बात

से सहमत हैं कि कोई सदस्य अपने नेताओं या अपनी पार्टी से उचित या अनुचित कारण से असन्तुष्ट हो सकता है। क्या लोक सभा में अलग सीटों का आवटन करने हेतु उनके द्वारा आपसे अनुरोध करने का एक कारण यह हो सकता है ? उनका यह भी कहना है कि, 'यह राजनीतिक पार्टी में विभाजन के कारण है, और चिन्ह आदेश के पैरा 15 के अन्तर्गत हमारा दावा है, जोकि चुनाव आयोग द्वारा एक अर्जी में आग्रह किया जाएगा कि हम ही मौलिक जनता दल हैं।" यहां पर मैं केवल दो मुद्दे या तथ्य कहना चाहूंगा, जिनका कि मुझे ज्ञान है। एक यह है, कि उन्होंने चुनाव आयोग से चिन्ह आदेश के अन्तर्गत, उन्हें चिन्ह अलाट किए जाने की मांग की थी जो नामंजूर हो गई थी। महोदय दूसरी, बात यह है कि, मैंने आपका आदेश में देखा है कि आपने स्वयं एक बार नहीं, परन्तु तीन बार अलग-अलग जगह पर कहा है कि "मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि इन लोगों को क्या चाहिए और इनका दावा क्या है. जो उन्होंने मुझसे कहा, उससे मैं समझ नहीं पाया।" मैं आपके शब्द नहीं उद्धृत कर रहा क्योंकि मेरे पास आपके आदेश की प्रतिलिपि नही है। परन्तु जो कुछ आपने कहा है उसका सार यही है।

क्या उन्होंने कहा और क्या वे अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने जनता दल से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है ? फिर निश्चित रूप से वे कह सकते हैं कि उन्हें अलग सेमीटें चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। क्या उन्होने यह कहा है कि जनता दल के एक-तिहाई सदस्यों ने दल-बदल किया है और इसलिए वे एक पृथक ग्रुप अथवा पार्टी के हकदार है और इसलिए आपको उन्हें अलग सीटें देनी चाहिएं ? उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीतजी, पासवानजी को मैंने यह बात अभी स्पष्ट की है। पासवान जी ने मुझसे पूछा, "उन्होंने दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत कुछ नहीं मागा है। आप दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत निर्णय क्यों लेते हैं ?" उन्होंने दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत कुछ नही मांगा है, परन्तु जनता दल द्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य में केवल दसवीं अनुसूची की बात के बारे में कहा गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु आप कह रहे हैं कि आप उनकी बात समझ नही पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसी वजह से, अजित सिंह जी के ग्रुप द्वारा एक याचिका दी गयी है और वी०पी० सिंह जी के ग्रुप द्वारा एक लिखित वक्तव्य दिया गया है। अजित सिंह जी की याचिका में दसवीं अनुसूची के बारे में कोई उल्लेख नहीं है; वी०पी० सिंह जी के लिखित वक्तव्य मे केवल दसवीं अनुसूची के बारे मे कहा गया है। इसी वजह से, मुझे यह कहना है कि मैं अब दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत किसी भी मुद्दे का निर्णय नहीं कर रहा हूं। मैं वह मुद्दा दोनों पार्टियों की सुनवाई के बाद करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिल्कुल ठीक है। मैं न तो जो श्री अजित सिंह कहते हैं उसको दोहरा रहा हूं, न जो श्री वी०पी० सिंह कहते हैं उसे दोहरा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, कि यदि दसवी अनुसूची का उल्लेख नही किया गया, तो मैंने उसका उल्लेख क्यों किया। मुद्दा यह है। मै यह स्पष्ट कर रहा हूं कि लिखित वक्तव्य में दसवी अनुसूची की विषयवस्तु का ही उल्लेख किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वास्तव में, जिस मुद्दे पर मैं, आपसे और स्पष्टीकरण ले रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी स्पष्टीकरण दूंगा। परन्तु इस कुर्सी पर बैठे-बैठे स्पष्टीकरण देना बहुत कठिन है। मैं आपको दस्तावेज दिखा सकता हू, उनका जिक्र कर सकता हूं और, और सब कुछ आपको दिखा सकता हूं। परन्तु यहां पर बैठे हुए, मुझे लगता है, कि मेरे पर ही आरोप हैं। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह हो सकती थी कि मैं सदन से पूछता कि क्या उनको मुझमें विश्वास है या नहीं और फिर आगे कार्यवाही करता क्योंकि मैं यहां पर बैठ कर निर्णय नहीं दे सकता और दोनो बातें साथ-साथ नहीं कर सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मानता हूं, कि आपके समक्ष बहुत अजीब स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए पहली बात जो मैं सभा से पूछना चाहता हूं, वह यह है कि यदि उन्हें विश्वास है तो मैं उनकी बात सुनूंगा। वरना मैं सोचता हूं कि वास्तव में यह मेरे खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव है, भले ही यह प्रत्यक्षतः विधिवत् नहीं है। यदि उन्हें विश्वास है तो मैं यहीं बैठता हूं। वरना मैं नहीं बैठूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा कीजिए। लेकिन दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं सोचता कि किसी सदस्य ने आपके प्रति अविश्वास व्यक्त किया है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, टण्डन जी के खिलाफ किसी ने एक लफ्ज कहीं पर कह दिया था तो टण्डन जी ने आकर हाउस मे कहा कि मैं इस कुर्सी से हट जाता हूं। चौधरी नवीकुजमा और सारे के सारे लीडर गए और उनसे माफी मांगी। आपके खिलाफ इतने लोग बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हट जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए मैं कह रहा हूं—

[अनुवाद]

इससे पूर्व कि आप अपनी बात कहें, यदि आपको अध्यक्ष में विश्वास है तब तो आप अपनी बात कह सकते हैं। वरना, मैं अभी इसी वक्त नीचे उत्तर आता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं महोदय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, हमें आपमें पूरा विश्वास है और अविश्वास का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : जहां तक मुझे याद है आपके सभा के अध्यक्ष होने के पूरे कार्यकाल में किसी सदस्य ने आपके प्रति लेशमात्र भी अविश्वास प्रकट नहीं किया। इसलिए कल

जो घटित हुआ है, वह एक दुःखद बात हो सकती है और मैंने सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहा है और आज भी उसे दोहरा देता हूं। इसलिए एक माननीय सदस्य ने जो इस तरह से टिप्पणी की है, इसको इस अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। आरम्भ में आपने स्वयं ही इसके लिए कहा है। मैंने तो इसलिए कहा है कि क्या हम लोगों को अध्यक्ष की निष्ठा के प्रश्न के बारे में वास्तव में कोई नाराजगी है, वह अपनी व्यवस्था देने में गलती भी कर सकते हैं और आखिरकार हर किसी का अपना अलग ही निर्णय होता है, अपनी अलग ही व्याख्या होती है लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को यही दलील दूंगा कि हमें पद की निष्ठा के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है, एक निष्ठापूर्ण तरीके से ही किया जा रहा है। जैसा कि मैंने स्वयं भी कहा है, मैं इस व्याख्या से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। यदि यही व्याख्या की जानी थी, तो उसके लिए उचित सूचना दी जानी चाहिए थी। इस व्याख्या से इस बात पर नियंत्रण लगने की सम्भावना है कि यह जो निष्कासन का तरीका है, जिसकी कई राजनीतिक दलों द्वारा विभाजन के प्रावधान की उपेक्षा करने के लिए भर्त्सना की जा रही है, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह से जो सदस्य किसी राजनीतिक दल की निन्दा करना चाहते हैं, वे जानबूझकर निष्कासन की बात करते हैं जिससे वे लोग दल-बदल संबंधी कानून से बच सकें। क्योंकि दल से निष्कासित होने के बाद भी यदि कोई सदस्य दल के व्हिप के अधीन रहता है, तो उस सदस्य को उतना नहीं दिया जा सकता। इसीलिए आप जो व्याख्या देना चाहते हैं, उसके अपने ही लाभ हैं भले ही जैसा कि मैंने कहा है, यह व्याख्या काफी देरी के बाद दी गई है। इसलिए मेरे साथियों का इसके प्रति रुष्ट होने का कारण स्पष्ट जाहिर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वास्तव में यह कहना चाहता हूं कि आडवाणी जी एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सही चर्चा की जा सके। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं वास्तव में काफी जटिल स्थिति में हूं। आप मेरी पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस ढंग से तो मैं यह कहूंगा कि सभा पूर्णतया सहमत है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विपक्ष के माननीय नेता की टिप्पणी से मैं यह समझ पाया हूं कि वह यह अनुभव करते हैं कि आपके आदेश, आपकी व्याख्या से दोनों तरफ लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यही बात हो कही है। इससे उन दलों पर नियंत्रण लगेगा जोकि…

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, आप मेरी व्याख्या की चर्चा न करें। यह कोई अन्तिम आदेश नहीं है। मैंने कहा है कि आप मुझे तसल्ली करा सकते हैं। मान लीजिए आप मेरे आदेश से रुष्ट हैं, उच्चतम न्यायालय ने भी तो यह कहा है कि अध्यक्ष के आदेश उच्चतम न्यायालय पर लागू हैं; यह बात न्यायोचित भी है। लेकिन फिर भी मैं वैसी बात नहीं कर रहा। यह अन्तिम आदेश नहीं है। मैंने कहा है कि इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

मैंने जो कुछ कहा है मैं उसे पढ़ देता हूं। "पैरा संख्या 40—दल के नेता के कहने पर, अथवा अपनी इच्छा से चार-चार समूहों में अथवा 20 का समूह बनाकर अलग-अलग बैठने के कानूनी प्रभाव

क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में स्पष्ट निर्णय लिया जाना है।" इस प्रकार यह कोई अन्तिम आदेश नहीं है। मैंने सदस्यों को अवसर दिया है कि मेरे पास आयें और मुझे बतायें, स्पष्ट करें और यदि मेरे इस विचार में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो मुझे बतलायें। यह मेरा अन्तिम आदेश नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि सदस्यों को अथवा आपको इसके प्रति क्या अन्देशा हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या मैं अपनी बात आगे रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि ऐसा लगता है कि आपने सारी बातें नहीं पढ़ी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने इसे एक बार नहीं, कई बार पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आपकी स्मरण शक्ति काफी तेज है, इसलिए मैं ऐसा नहीं समझता कि आप जिस बात को पढ़ लेते हैं, वह बात आप याद भी रखते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो बात मुझे उलझन में डाल रही है अथवा भ्रम निवारण करें।

जिस वर्तमान प्रणाली के अनुसार हम अपना कामकाज कर रहे हैं, उसके आधार पर भारत की संसद राजनैतिक दलों पर ही आधारित होती है। जिस संसदीय लोकतन्त्र में हम अपना कामकाज चला रहे हैं, राजनैतिक दल ही उसके आधार स्तम्भ हैं। इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। कुछेक सदस्यों, जोकि निर्दलीय सदस्य अथवा असंबद्ध सदस्य हो सकते हैं, को छोड़कर, बहुमत में जो सदस्य होते हैं, वे किन्हीं मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों से संबद्ध होते हैं। वे लोग उन दलों के प्रतिनिधियों के रूप में ही यहां पर आये हैं; उनके नुमाइन्दों, उनके उम्मीदवारों के रूप में यहां आये हैं। यदि ऐसी बात है, तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी बात की जा सकती है अथवा की जानी चाहिए जिससे इस दल प्रणाली को नीचा देखना पड़े अथवा किसी तरह से इसको तोड़ा जा सके। यह मेरा प्रश्न है।

जैसा कि मैंने कहा है कि मान लीजिए दल के कुछ सदस्य मुझे नहीं चाहते और अलग जाकर बैठना चाहते हैं, तब दल के साथ क्या होगा ? तब इसके अनुसार सभी दलों का विखण्डन और एक-दूसरे से विभाजन होगा और उनको बैठने के लिए अलग-अलग सीटें दी जायेंगी अथवा उनके अलग-अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी, यद्यपि उन्होंने यह नहीं कहा होगा कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, यह नहीं कहा होगा कि उन्होंने अपना दल बना लिया है। उन्हें बैठने के लिए अलग सीटें क्यों दी जाएं ? आपके पास ऐसा करने का अधिकार है, मैं आपके अधिकार के बारे में कोई प्रश्न नहीं कर रहा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को भूल सकता हूं और शायद बाद में इसका उत्तर न दे सकूं, इसीलिए मैं इसका उत्तर अभी दे देता हूं। मान लीजिए कि नेता मुझे अपने दल के सदस्यों को चार समूहों में अलग-अलग बिठाने के लिए कहते हैं और उसी आधार पर अन्य सदस्य भी अलग-अलग स्थान की मांग करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इन्द्रजीत जी, आपका प्रश्न उचित नहीं है। क्योंकि सदस्यों के इस मामले में तो केवल एक ऐसे नेता ने ही कहा है जिसे पार्टी ने निष्काषित कर दिया है। ऐसा अपनी मर्जी से नहीं किया जा सकता। इसमें अपनी मर्जी नहीं की जा सकती। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं श्री जसवंत सिंह को अलग बिठाना चाहता हूं। ऐसा मैं कभी-भी नहीं कहूंगा। लेकिन यदि मैं किसी सदस्य को अपने दल से निष्काषित कर देता हूं तो इस तरह से मैं उसके लिए अलग स्थान की मांग करता हूं तो वह न्यायोचित है। इसी तरह से यदि मेरे दल का कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है अथवा कोई सदस्य यह कहता है कि वह दल का सदस्य नहीं रहा और इसलिए उसे अलग स्थान चाहिए, तब यह बात न्यायोचित है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसमें जो बात आपने कही है, मैं उसको समझता हूं, लेकिन मैं इस पर अपना अन्तिम निर्णय सुरक्षित रखूंगा। आपकी बात सुनने के बाद ही मैं ऐसा करूंगा। आप जो बात कर रहे हैं, उसे मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा काफी लम्बी दूरी तक खींच सकता है। इसे इस हद तक जारी रखा जा सकता है जिससे इस सभा में दल के कार्यकरण का सही मकसद खंडित हो जाएगा। यदि मेरे दल के अलग-अलग सदस्य—एक, दो, तीन, चार अथवा आधा दर्जन—अधिकार के रूप में इस बात का दावा करते हैं कि चूंकि वे दल की नीतियों को अथवा दल के नेता को पसन्द नहीं करते, इसलिए इन्हें बैठने के लिए अलग-अलग स्थान दिया जाना चाहिए, तब दल के साथ क्या बीतेगा ? कल किसी दूसरे राजनैतिक दल के साथ भी ऐसा होगा। ऐसा हमारे बहुत से साथियों के साथ होगा जो कि यहां बैठें हैं। तब क्या स्थिति होगी ? (व्यवधान) जी, हां। ऐसा मेरी पार्टी के साथ हो सकता है, ऐसा मेरी पार्टी से दस गुणा अधिक आपकी पार्टी के साथ हो सकता है।

इसलिए महोदय, चूंकि मैं इसे समझता हूं, आपकी व्याख्या यह है—यदि मैं गलत हूं तो कृपया मुझे सही कर दें—कि यदि कोई दल अपने ही संविधान, नियमों आदि के अनुसार, जिनसे शायद आपका संबंध नहीं है, किसी सदस्य को दल से निष्काषित कर देता है तब इस तरह के निष्कासन से सभा के अन्दर उसकी स्थिति पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आपकी व्याख्या है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे दल से निष्काषित किया जा सकता है लेकिन सभा के भीतर उस पर दल का अनुशासन तथा ह्विप आदि सभी बातें लागू रहेंगी।

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह तो इनकी व्याख्या है, मेरी नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना : यह व्यवस्था की बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : व्यवस्था यह है जो मैंने अभी बताई है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इन्द्रजीत जी, ऐसा कहा लिखा हुआ है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आपने ही कहा है कि आपकी व्याख्या के अनुसार···

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह कहा है कि मुझे इस बारे में निर्णय लेना है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके निर्णयानुसार, उदाहरण के लिए, श्री अजीत सिंह, जिन्हें गत दिसंबर में जनता दल से निष्काषित कर दिया गया था, अभी भी जनता दल के व्हिप के अधीन है और यदि वह इस व्हिप का पालन नहीं करते तो इसे सभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । यह आपके निर्णय का तार्किक उत्तर है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने निर्णय में से यह अर्थ कैसे निकाला है ? यदि आपने निर्णय को पढ़ा है, तो आप यह अर्थ मुझे दिखायें ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपने कल भी कहा और आज इसी पर डिसकशन हो रहा है । ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल के डिसकशन के बारे में बोलना चाहते हो तो सारा डिसकशन चलाना पड़ेगा । जजमेंट में मैंने कहा है—

[अनुवाद]

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं । लेकिन आपकी बात सुनने के बाद ही ऐसा करूंगा । निर्णय में ऐसा कहां लिखा हुआ है ? कृपया मुझे दिखायें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें पार्टी से निष्काषित किया गया है जो कि पार्टी ने भी खुले तौर पर बताया है, और आपको भी सूचित किया है कि निम्नलिखित सदस्यों को निष्काषित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी बात की मैंने उन सदस्यों से भी बातचीत की थी जिन्होंने इसे दिया था और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई थी । मैं उन बातों को सभा में नहीं बता सकता । अब आप इसके लिए दबाव डालते जा रहे हैं । आप इस निर्णय पर चर्चा कर रहे हैं । आप मुझे दिखायें कि मैंने कहां पर ऐसा कहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि मैं गलती पर हूं तो कृपया आप मुझे सही करें—तथ्य तो यह है कि आपने स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया कि जिन 20 लोगों ने आपको लिखा, आपको सिफारिश की और आपसे मिले, उन्हें अलग-अलग स्थान आवंटित किया जा सकता है । इसका अभिप्राय है कि अपने निर्णय में —चार सदस्य जो गत दिसम्बर में निष्काषित किए गए थे— चार सदस्य जो बाद मे जनवरी में निष्काषित किए गए थे और अन्य चार सदस्य जिनके बारे में मेरा विश्वास है कि जनता पार्टी ने इसलिए एक याचिका दायर करनी चाही थी क्योंकि उन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था यह

सभी लोग तथा बारह सदस्य अथवा जितने भी हैं, मैं नहीं जानता, जिन्होंने बाद में आपसे सिफारिश की, उन सभी को एक साथ एक समूह में बिठा दिया जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसा किस तरह से किया जा सकता है। आपने कहा है कि ये बीस सदस्य अलग-अलग बैठ सकते हैं। मेरा आपसे इसी बारे में विनम्र अनुरोध है। मुझे कोई संदेह नहीं है चूंकि आपने उचित ही कहा है कि आप इस मामले पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व पूर्णतया विचार करेंगे। मैं तो केवल आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हरसंभव सावधानी अपनायें—मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे—कि जो प्रक्रिया अब खुले तौर पर शुरू हो गयी है, उस पर नियंत्रण रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अवश्य ध्यान रखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रक्रिया को यदि कहीं न कहीं रोकी नहीं गयी तो इससे खरीद-फरोख्त और दलबदल की प्रथा बढ़ती ही चली जाएगी। इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं उन दिनों की बात नहीं दोहराना चाहता हूं। जब यहां···

[हिन्दी]

आया राम गया राम···

[अनुवाद]

का व्यापार जोरों पर था इस समय मैं यहीं था। हमें इसे रोकना चाहिए। हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे जाने-अनजाने में ही इन प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिले। यही कारण है कि मैं आप से इस मामले पर गौर करने को कह रहा हूं। इन सब लोगों मे एक ही श्रेणी मे नहीं डाला जा सकता। उन्हें निकाल बाहर कर दिया गया है और कुछ लोगों को नहीं किया गया है। उनसे किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। आप इन सब पहलुओं पर गौर करें।

उन्होंने श्री अजित सिंह के पत्र में यह बताया है कि वे पृथक सीट क्यों चाहते हैं : सभा की बेहतर कार्यवाही के लिए। इसका क्या अर्थ है ? कोई भी इसका कुछ भी मतलब ले सकता है। सभा की बेहतर कार्यवाही क्या है। कुछ लोगों ने कहा, अशोभनीय घटनाओं को रोकने के लिए।

[हिन्दी]

हाथापाई न हो जाए।

[अनुवाद]

कुछ अन्य तर्क दे सकते हैं। इसे कैसे एक गम्भीर तर्क माना जाय कि सभा की कार्यवाही चलाने के लिए हमें पृथक सीटों की आवश्यकता है ? यह कोई तर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि तब तो इस सभा की कार्यवाही चलाने वाले अन्य संगठित दलों के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है है कि आप इस मामले पर गौर करें। उसके पश्चात ही आप अपना अन्तिम निर्णय दें जिसकी मुझे शीघ्र प्राप्त होने की उम्मीद है। मुझे बस यही सब कहना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दो मिनट के अन्दर कानूनी मुद्दों के बारे में बताएं।

[हिन्दी]

आप दो मिनट में बोलिएगा।

[अनुवाद]

अन्यथा मैं उपाध्यक्ष महोदय से यहां बैठने को कहूंगा।

(व्यवधान)

मुझे जाना है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य देश के अध्यक्ष यहां आए हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने आज सभा स्थगित नहीं की। हम विशेषकर अपने जनता दल के मित्रों का व्यवहार को देख रहे हैं। (व्यवधान) इस सत्र में अयोध्या के मुद्दे पर सभा को आठ बार स्थगित किया गया।

श्री श्रीकांत जेना : वे किस बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री विजय एन० पाटील : कल भी सभा को स्थगित किया गया था। आज आपने उन्हें काफी अवसर दिया। जहां तक मैं समझता हूं कि प्रक्रिया यह है कि जब किसी एक दल का नेता बोल चुका होता है तो उस दल के अन्य सदस्यों के लिए बोलना अनिवार्य नहीं रह जाता। इस सभा में छोटे-छोटे दल भी हैं। आप उन सभी को अवसर दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त दल-बदल विरोधी कानून के बारे में बोल चुके हैं। यह हमारी चिन्ता नहीं थी। हम भारी बहुमत में थे। जब दल-बदल विरोधी कानून पारित किया गया उस समय इस सभा में हमारे 400 संसद सदस्य थे। इसकी आवश्यकता क्यों हुई ? 1°77 से ही हम देख रहे थे जनता पार्टी बार-बार बनती टूटती जा रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी और कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन नहीं हुआ। (व्यवधान) कांग्रेस में फूट पड़ी। (व्यवधान) कृपया सुनिए।

हम यह विधेयक उस समय लाए जब हम भारी बहुमत में थे। उस समय हमारी संख्या 400 थी। दल-बदल का रोग तो मुख्यतः जनता दल—जनता पार्टी को लगा है। (व्यवधान) श्री इन्द्रजीत गुप्त ने श्री अजित सिंह के बारे में कहा है। श्री अजित सिंह ने अपने पक्ष में असली जनता दल होने का दावा किया गया है। और इसीलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे दल-बदल कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वे अपने मामले की वकालत स्वयं कर सकते है।

श्री विजय एन० पाटील : हमें तर्क देना है। हमने उन्हें देखा है। हमें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी गई है, इसलिए हम अपने विचार व्यक्त करेंगे।

आपने अपने अन्तरिम निर्णय में स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि आपके अन्तिम विनिर्णय के पश्चात् सम्बन्धित सदस्य यदि वे चाहें तो, इस मामले में उच्चतम न्यायालय में जाने को स्वतन्त्र होंगे।

उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि यह अपील योग्य निर्णय है। महोदय, इसके बावजूद भी कुछ दलों में उच्च पदों पर आसीन हमारे कुछ मित्रों ने—मैं उन महानुभाव का नाम नहीं लेना चाहता—प्रेस में आपके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। क्या प्रेस में आपके विरुद्ध उनकी अपमानजनक टिप्पणी से आपका अन्तिम निर्णय प्रभावित नहीं होगा? जब न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में एक अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया और कानूनी कार्यवाही चल रही है और न्यायाधीश को अभी अपना निर्णय देना है तो उसी समय समाचारपत्रों मे अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित हो गई है। मैं समाचारपत्रों में प्रकाशित हर बात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में भी यह सब आए। आपने मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अपना विनिर्णय सुरक्षित रखा है। उसमें तकनीकी कठिनाइयां आ सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर विशेष ध्यान दें और इसके पत्पश्चात अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चोधरी अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं केवल एक-दो मिनट का समय लूंगा। मैं समझा कि आप मुझे बोलने के लिए नहीं कह रहे है क्योंकि धन और पद का लालच देकर दल-बदल मेरी पार्टी में नहीं होता। जब दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया तो इस बात पर विचार किया कि संसद सदस्यों के दल-बदल करने सम्बन्धी अनैतिक आचरण पर रोक लगाई जानी चाहिए और हमें इसे रोकने हेतु कुछ करना चाहिए था। अब नैतिकता का प्रश्न यह है कि अन्तरिम आदेश के साथ ऐसी अनिश्चितता क्यों कायम रखी जाए। क्या दल-बदल विरोधी कानून की व्याख्या इस तरह की जाए जिससे दलबदलुओं को बढ़ावा मिले और जो धन के जोर पर दलबदल की प्रक्रिया को जीवन्त रखे? अब आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप भी खुलेआम लगाए जा रहे हैं। पैसा दिया गया है और वह भी लाखों रुपया दिया गया है। हम देश के नीति निर्माता हैं और यदि धन के जोर पर हमारी खरीद-फरोख्त होने लगेगी तो देश की नैतिकता का क्या होगा? यह आने वाला महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तकनीकी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। श्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि प्रत्येक सदस्य को अपने दल की सदस्यता का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। उसकी सम्बन्धित दल के नेता द्वारा भी पुष्टि की जानी चाहिए और उसी के आधार पर उन्हें सीटों का ब्लाक दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा बात है तो श्री पवन कुमार बन्सल यह लिखें कि वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) के सदस्य हैं। मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा। इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। किसी पार्टी के सदस्य का व्यक्तिगत रूप से ऐसा विवरण देने से ही मामले का अन्तिम निपटारा नहीं हो जाता। यहां दलीय प्रणाली है और इस तरीके से नहीं की जा सकती जिससे हमारे देश की दलीय प्रणाली दुर्बल हो। यदि इस सभा से संसद सदस्यों को निकाल बाहर कर दिया जाता है तो इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को संसदीय दल के सम्बन्धित नेता द्वारा दी गई जानकारी पर गौर किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन जी आप ऐसा चाहते हैं, तो आप इसे संविधान में लागू कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह नियम और परम्परा है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन आप इसे संविधान में लाइए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें सदन के बाहर निकाला गया है। सदन में नहीं। दोहरा व्यक्तित्व कैसे हो सकता है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि जो कुछ आप पार्टी संविधान के अन्तर्गत करते हो उसे सभा में स्वीकार करना है तो ऐसा संविधान में संशोधन करें। मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं यही बात कह रहा हूं। आप इस उदाहरण को लें···

अध्यक्ष महोदय : यह कानूनी मुद्दा है। मैं इस मुद्दे पर आपसे बाद में चर्चा करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि पार्टी द्वारा अपने कुछ संसद सदस्यों को बाहर निकाल दिया जाता है तो मेरे लिए यही करना उचित होगा कि मैं इसकी सूचना आपको दूं कि मैं इन्हें अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि मेरी पार्टी में बने रहने से उन पर हमारा व्हिप लागू होगा। मेरा यह नैतिक कर्तव्य नहीं है कि मैं आपको यह सूचित करूं कि वे मेरी संसदीय पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आप उन्हें अलग सीटें आवंटित कीजिए और आपको ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए। हमें कतिपय नियमों, मानदण्डों, और परम्पराओं का अनुसरण करना है। हम स्वैच्छिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह कानूनी मुद्दा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यही कारण है कि मेरा कहना है···(व्यवधान)···यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं सभा में नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं थोड़ा चुप रहूंगा। लेकिन श्री सैफुद्दीन जी, मेरे प्रति आपका यह सही रवैया नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मुझे इससे कष्ट पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय : आप जितना चाहें बोलें। यह मुझे सभा में ही ब्लैकमेल करना है। आप जितना चाहें उतना बोलें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं पहले उठाए गए मुद्दों पर नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलें, मैं आपके बोलने पर आपत्ति नहीं करूंगा। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है। लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं, ठीक नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने जितना, उन्होंने आज कहा उसका दसवां भाग बोलने का फैसला किया था बस इतना ही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन जी, मेरे प्रति यह व्यवहार सही नहीं है । आप जितना चाहते हो उतना समय लेते हैं। लेकिन यह रवैया ठीक नहीं है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं उन सब मुद्दो पर बोल चुका हूं जिन पर मैं बोलना चाहता हूं । अब और कोई मुद्दा नहीं है ।

श्री श्रीकांत जेना : अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करने दें··· (**व्यवधान**)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ी थी । तब क्या हुआ था ? क्या मैं श्री सैफुद्दीन जी से पूछ सकता हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारे दल-बदल विरोधी कानून ने ठीक ही मान्यता प्रदान की है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया बैठ जाइए । मैंने श्री जेना जी का नाम पुकारा है ।

श्री श्रीकांत जेना : मुझे एक स्थिति स्पष्ट करने दीजिए मेरा कहना है कि हम शुरू से ही आप पर किसी बात का दबाव नहीं डाल रहे हैं । हम केवल अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और आपका निर्णय हमें मान्य नहीं है। यह निर्णय ठीक नहीं है । मैं आपका ध्यान आपके निदेशक, श्री अहलुवालिया के दिनांक 7 जुलाई, 1991 जब दसवीं लोक सभा गठित हुई थी, के पत्र की ओर दिलाना चाहूंगा :

सेवा में,

श्री वी० पी० सिंह,

"लोक सभा में बैठने की व्यवस्था के बारे में मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष महोदय लोक सभा में जनता दल के सदस्यों को लिए आवंटित करने हेतु सलग्न लोक सभा विवरण और बैठक-योजना के अनुसार सहर्ष 56 सीटें आवंटित करते है ।"

यदि आप उन 20 सदस्यों को जनता दल के सदस्य मानते हैं तो आप तब तक उन्हें सीट आवंटित नहीं कर सकते, जब तक आपको इस बारे में श्री वी० पी० सिंह न लिखें क्योंकि आप पहले ही जनता दल ब्लाक को 56 सीटें आवंटित कर चुके हैं। यह आपका अपना पत्र है और अब आप अपनी ही बात से पीछे हट रहे हो । मेरा तो कहना है कि हमें परामर्श किए बिना, हमें बिना बताए आप इन 20 सदस्यों को पृथक सीटें आवंटित कर रहे है । आपने इस प्रकार की कार्यवाही की है । ऐसा पत्र केवल श्री वी० पी० सिंह को ही नहीं लिखा गया है । इसी आधार पर पत्र सभी राजनैतिक पार्टियों को भेजे गए हैं। इस सभा में राजनैतिक पार्टियों का कार्य करने का तरीका यह है । केवल सम्बन्धित दलों के नेता ही आपको लिखते हैं और उसके अनुसार आप सीटें आवंटित करते है । मेरी आपत्ति तो यह है कि वे सदस्य आपको ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि वे जनता पार्टी में हैं लेकिन उसके नेता को अपना नेता

नहीं मानते ? यदि वे दल के नेता को अपना नेता नहीं मानते तो उन्हें पार्टी की बैठक में मतदान के माध्यम से उसे हटा देना चाहिए। ऐसी कार्यवाही हुए बिना यदि आप उन्हें मान्यता देते हैं और उन्हें अलग सीटें आवंटित करते हैं तो आप पार्टी के आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारी यही शिकायत है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : वे इस तरह से नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

1.00 म०प०

श्री श्रीकांत जेना : हम आपका आदर करते हैं और हमारे मन में आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी आपत्ति केवल यही है कि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं और आप उन्हें अलग स्थान प्रदान करके अपने अधिकार क्षेत्र के पद का महत्व कम कर रहे हैं।

जहां तक व्हिप की बात है, 11 तारीख को मैंने आपको लिखा था कि चार सदस्यों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। दसवीं अनुसूचि, दल-बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि क्या उन्हें व्हिप जारी किया गया था या नहीं और क्या उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में मतदान में भाग लिया था नहीं। आपको इस समय तक अपना निर्णय दे देना चाहिए। हमारी आशंका यह है कि इन सदस्यों को एक साथ लाया गया ताकि उनकी संख्या 20 हो जाए और पार्टी में विभाजन हो सके। आपके कार्यालय का उपयोग उन्हें हमारे दल में विभाजन करने के लिए नहीं करने देना चाहिए। यही हमारी शिकायत है।

श्री पवन कुमार बंसल : वह विवेक की सीमाओं को पार कर रहे हैं।

श्री श्रीकांत जेना : मुझे समाप्त करने दीजिए। इसे देखते हुए, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें सदन में मान्यताप्राप्त पार्टियों की तरह हमारे बैठने के स्थान आवंटित कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें अलग सीट देने का आदेश वापिस ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, ये अति कर रहे हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चार्ल्स जी, कृपया मुझे सदन को चलाने दें। मैं स्वयं को इस तरह के संघर्ष में नहीं डालना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, जिनको अभी हमें भी आपने सेपरेट सीट दे दी है, एडजेसेंट टू अजित सिंह ग्रुप। (व्यवधान)

एक बात है कि बैटर फंक्शनिंग के लिए, हमारी रिक्वेस्ट के बिना, यदि हमें उनकी बगल में सीट दी गयी है, उनको अलग सीटें दी गयी हैं तो बैटर फंक्शनिंग के लिए हम चाहते हैं कि आडवाणी जी की बगल में आप हमें सीट दीजिए, यह हमारी रिक्वेस्ट है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपका यह सिंसियर प्रोपोजल है तो उनसे आप बात कर लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सब लोग हाउस में एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, सब लोग अलग कहां हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : जनता दल के डिप्टी लीडर बी० जे० पी० में डिफैक्ट कर रहे हैं, इसे नोट किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप डिफैक्टर्स को क्यों बुलवा रहे हैं, आज यहां एन्टी डिफैक्शन के ऊपर बात हो रही है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य को दल बदलू नहीं कहा जा सकता है। इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : आप पहले इनको बिठा दीजिए अपनी जगह पर।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने का चांस दिया है।

श्री सूरज मंडल : मैं कह रहा हूं कि सदन में दलबदल विरोधी कानून के तहत बात हो रही है, और जिस तरह से एक-दूसरे पर प्रहार हो रहे हैं, अपना दोष दूसरों के सिर थोपा जा रहा है, अभी पासवान जी बोल रहे थे, जैना साहब बोल रहे थे और हरि किशोर सिंह जी बोल रहे थे, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की—जनता दल ने ही तो इसकी शुरुआत की है या कांग्रेस पार्टी ने इसे शुरू किया, इस पर विचार होना चाहिए। (व्यवधान)

किसने कितना लिया, कैसे करके लिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप उनसे बात मत कीजिए, चेयर को एड्रैस करके कहिए।

श्री सूरज मंडल : हमारे दो एम० पीज० को दलबदल कराने के लिए कितने करोड़ रुपया जनता दल ने दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने इतना ही नहीं किया कि दो एम० पीज० को दलबदल कराने का काम किया, अलग आपके यहां लिखकर दिया है ... (व्यवधान) ...

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जनता दल के लोगों को, * (व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे स्पीकर की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

श्री सूरज मंडल : यहां भी आपके बारे में वैसा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप गाली दे दीजिए, लेकिन दूसरे स्पीकर की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

[अनुवाद]

यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : यदि 7 सदस्य 5 अगस्त को वहां के स्पीकर को लिखकर देते हैं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह दूसरे सदन का मामला है, लैजिस्लेचर का मामला है।

श्री सूरज मंडल : मैं किसी असैम्बली का नाम नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे किसी लैजिस्लेचर का नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा। आपको यहां किसी दूसरे लैजिस्लेचर की चर्चा नहीं करनी चाहिए।

श्री सूरज मंडल : मैं यहां जनता दल के मोरल की बात कर रहा हूं, इसकी मोरेलिटी की बात कर रहा हूं, जैसा अभी सैफुद्दीन चौधरी साहब ने कहा...

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन आप किसी का नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री सूरज मंडल : 7 सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय वहां लिखकर दिया, मैं आप से जानना चाहता कि अगर किसी हाउस में 18 मैम्बर्स हों और उन 18 मैम्बर्स में से 7 सदस्य अगर स्पीकर को लिख कर दे दें और एक सदस्य वहां जो अनअटैच्ड हो, यदि 7 सदस्य ऐसा लिखकर दे दें कि उस अनअटैच्ड सदस्य को हम अपना लीडर मानते हैं, उन्हें हमारा लीडर बना दीजिए, कुछ सदस्य आज लिखकर दें और कल आकर वो या कुछ दूसरे मैम्बर्स को स्पीकर अपने यहां बुलवा कर लिखवा ले और सब कहें कि अनअटैच्ड मैम्बर को उसी पार्टी में शामिल कर लिया जाए और फिर उसे ही दल का नेता भी बना दिया जाए। नेता बनाने के बाद, जो पहले वहां के चुने हुए विधायक दल का नेता है, उसको हटा दिया जाए तो उस समय नैतिकता कहां चली गयी। इस तरह से खरीद और फरोख्त का काम बिहार से आज शुरू हुआ है, जनता दल ने उसे शुरू किया है। जैसा कहते हैं—'जिस का जूता उसी का सर, दिल है छोटा बड़ा शहर"—यही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी, जैसा कि सदन में बताया कि पिछले दो स्पीकरों ने "अन-अटैच" किया था, आपने "सैपरेट" शब्द का इस्तेमाल किया। अब कोई तीसरा स्पीकर "सूटेस्ट" या "नीयरेस्ट" शब्द का इस्तेमाल करके कहे कि मैं इसको नीयरेस्ट सीट दे रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है? कुछ भी कहिए—अन अटैच, सैपरेट, सूटेस्ट या नीयरेस्ट, लेकिन

मेरा सब्मीशन यह है अध्यक्ष महोदय कि आपके पास यह सैपरेट सीट कहां से आई ? अध्यक्ष महोदय, यह एक गूढ़ सवाल है। आपने इसको सैपरेट नाम दिया है, तीसरा स्पीकर कोई और नाम देगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं सोचकर जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सबसे पहली बात तो यह है कि वे केवल पुनरावृत्ति है। जब दल-बदल विरोधी विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो मैं उस समय श्री आडवाणी के साथ राज्य सभा में था। मैं तो कहूंगा कि उस समय जो कुछ हुआ था उन्होंने एकदम वही पेश किया है। उस समय यह प्रावधान था और इसे उस समय लोगों के हित के कारण वापस ले लिया गया था।

दूसरे जब यह विधेयक सभा में लाया गया था तो हमें यह समझना चाहिए था कि इस देश में राजतंत्र और राजनैतिक लोकतन्त्र को हमने ही ईमानदारी से चलाना है लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अत: यह जो दल-बदल वाली बात है यह हमारी राज्य व्यवस्था पर एक ऐसा नासूर बन गयी है कि कम से कम उसे रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। ये बाद वाली सारी कार्यवाही इसी ध्येय से की गयी थी। जब हम दल-बदल विरोधी विधेयक को संशोधित करने की बात करते हैं तो यह भी उसी भावना से करते हैं। इस अधिनियम के स्वीकृत हो जाने के बाद भी शायद इसमें कुछ खामियां थी। अत: जो भी कार्यवाही हम सदन में करें उसका यही उद्देश्य होना चाहिए और इससे दल-बदलू ताकतों, आया राम-गया राम ताकतों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए बल्कि ये इसके प्रतिकूल होना चाहिए और जैसे ही श्री सैफुद्दीन चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह हमारे परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।

तीसरे मैं एक मुद्दा रखना चाहता हूं अर्थात् एक राजनैतिक मुद्दा रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि केवल एक कानूनी मुद्दा है। हम सच्ची राजनीति में विश्वास रखने वाले लोग हां यहां आते हैं जहां हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अत: राजनैतिक पहलू को कभी भी कम से कम इस सदन में भुलाने नहीं दिया जाना चाहिए।

चौथे मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। आप बार-बार संविधान का जिक्र कर रहे हैं। कोई भी प्रस्ताव संविधान से एक तरह से नहीं, दो तरह से नहीं बल्कि तीन तरह से भी सबद्ध हो सकता है। विवरण संविधान का अंग हो सकता है। एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है। हम सब यह जानते हैं। कोई बात संविधान विरोधी हो सकती है। अत: उसका विरोध किया जाना चाहिए। परन्तु कई अन्य चीजें ऐसी हैं जो संविधान में नोहित नहीं है न ही वे संविधान विरोधी हैं और जिन्हें गैर-संविधानिक कहा जा सकता है। कई चीजें संविधान में नहीं दी गई है। मैं एक बहुत ही छोटा उदाहरण

दे रहा हूं। उदाहरण के लिए संविधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि इस सदन में बोलने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे पास अधिकार भी है कि हम इसे हटा लें ताकि हम कहीं कि भी न रह जायें। कई और बातें है जो संविधान में नहीं है। देखना यह है कि क्या यह संविधान की भावना के विरुद्ध है।

संविधान में राजनैतिक दलों का प्रावधान नहीं है फिर भी चुनाव का प्रावधान रखा गया है जिससे राजनैतिक दल को मान्यता मिलती है और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और हम इसे संविधान विरोधी नहीं समझते हैं लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं यह संविधान विरोधी नहीं हो।

ठीक इसी तरह बार-बार हम बहुदलीय लोकतंत्र के विकास की बात करते है जिसके बारे में हम गर्व महसूस करते हैं। अतः पार्टी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए और जो भी कदम आप इस सदन में उठाते हैं उससे यह पार्टी प्रणाली मजबूत होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब आप सीट देते हैं—पहले ही वह इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब व्यक्तिगत रूप से वक्तव्य दिए जाते हैं तो पार्टी के नेता द्वारा उनकी पुष्टि होनी चाहिए और पार्टी का नेता एक मनोनीत व्यक्ति होता है। अतः पार्टी का नेता ही यह प्रमाणित करता है कि कौन पार्टी से संबद्ध है अतः उसे पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। यह बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। मान लिया कि आप उन्हें हमारी पार्टी का सदस्य घोषित करते हैं और हम इसका खण्डन करते हैं और यह कहते हैं कि हम उन्हें नहीं ले सकते हैं। दूसरे यह बात नोट की जानी चाहिए कि सीटें दी जाती हैं तो पार्टी को सीटों का एक पूरा ब्लाक दिया जाता है। पार्टीगत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें इस सदन में 36 सीटें दी गई हैं। अतः यह बात पार्टी के ऊपर है कि वह अपने प्रत्येक सदस्य को कैसे ये सीटें दे, यह सब पार्टी ही करती है, इसे सदन नहीं करता है। हम अध्यक्ष महोदय या महासचिव को सूची देते हैं और उसे मान्यता प्रदान की जाती है इससे संसद के अन्दर पार्टी के कार्यकरण को बल मिलता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को ऐसे न मोड़ें जिससे हमारी पार्टियों के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़े।

अभी इस वर्तमान मामले में क्या किया गया है? इस मामले में कुछ सदस्यों को उनकी पार्टी से निकाल दिया गया है। आपने मान्यता प्रदान की है। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : दल-बदल विरोधी कानून को निरस्त करने के लिए पार्टी द्वारा कुछ सदस्यों को निकाला गया है। वस्तुतः चार सदस्यों को निकाला गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपकी समझ-बूझ की सराहना करता हूं लेकिन जैसे आप समझते हैं वैसे अध्यक्ष महोदय नहीं समझे है। उन्होंने अन्ततः चार सदस्यों को जबरन मे मान्यता प्रदान कर दी थी और उन्हें अगली सीट प्रदान की थी।

सीटें विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा दिए विवरण के अनुरूप आवंटित की जाती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि जब आप इस बात को ठीक समझते हैं कि चार व्यक्तियों को पार्टी विशेष से निकाल दिया जाना चाहिए तो आप ने आकस्मिक रूप से यह भी फैसला कर लिया कि वे अब उस पार्टी के सदस्य नहीं रहे जिनके नेता ने आपको यह कहा था कि वे निकाल दिए गए थे।

अत मैं समझता हूं कि जैसे कि जनता दल की इच्छा है इस दल-बदल के प्रश्न पर तुरन्त निर्णय लिया जाए और यही वह हल है जिससे पार्टीगत लोकतन्त्र चल सकता है और तभी संसद उस भावना से काम कर सकती है जोकि संसदीय दृष्टिकोण से सही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे अन्तिम वक्ता होंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जितना समय चाहेंगे मैं आपको उतना समय अपने कक्ष में दूंगा। मैं आपको सुनूंगा मैं आप दोनों की बात सुनूंगा—आपको भी और श्री गुमान मल लोढा को भी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं राजनैतिक सवालों पर बात नहीं करूंगा, आपने जो कानून के मुद्दों को छेड़ा है मैं अपने को वहीं तक सीमित रखूंगा...(व्यवधान) मैं संवैधानिक चर्चा नहीं करूंगा।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपके तर्क लिखित रूप में रिकार्ड करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुला लूंगा...

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसे कैसे हो सकता है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपके और सब लीडर्स के आर्गयूमेंट्स मैं सुनूंगा, राइटिंग में ले लूंगा और आपको दे दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पांच मिनट दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दीजिए।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, सभी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए हमें भी बोलने का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों को भी मैं बोलने का समय दे दूंगा।

[अनुवाद]

हां, बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं यहां नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे वह तारीख याद आती है जब आपने विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को दल-बदल विरोधी अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए आमन्त्रित किया था।

अब अधिनियम के तहत इस सम्बन्ध में अन्तिम प्राधिकार या तो संसद के अध्यक्ष के पास है या विधान सभाओं के अध्यक्ष के पास है। फिर उच्चतम न्यायालय ने एक उद्घोषणा की और आपने सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को आमन्त्रित कर यह सुझाव दिया था कि हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय का आदर करना चाहिए।

मुझे वह अन्तरिम आदेश याद आता है जो इस सम्बन्ध में दिया गया था जिसके तहत सदस्यों को यह संकेत दिया गया कि चूंकि इस सम्बन्ध में पूर्व लोक सभा अध्यक्षों की घोषणाएं देखी गयी अतः इन चार सदस्यों को जो अलग सीटें दी गई हैं वह उनके दल के नेता के पत्र के अनुरूप किया गया है। इसी तरह चार और सदस्यों को चार अलग सीटें दी गई और अब उन 12 सदस्यों को एक साथ बैठाया गया है···

अध्यक्ष महोदय : राव जी मैं इसे कार्यालय में विस्तार से सुनूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अब चार, चार और बारह के एक साथ मिलने से गलत संकेत पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हम सब बहुत ही उत्तेजित हैं और इससे लोकतन्त्र की यह संसदीय पार्टी प्रणाली नष्ट हो जाएगी। इससे काफी नुकसान होगा।

पहले ही सत्ताधारी दल विपक्षी दलों को तोड़ने के पूरे प्रयास में लगा हुआ है और इस प्रयास में लगा है कि उनकी संख्या बढ़ जाए क्योंकि उनकी सदस्य संख्या आवश्यक संख्या से कुछ ही कम है। उन्होंने इस सदन में हमारी अपनी तेलगू देशम पार्टी और अन्य राजनैतिक दलों को तोड़ा है।

अतः मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि चूंकि आप इस सभा के जोकि इस देश की सबसे बड़ी संस्था है, संरक्षक है, इसलिए आप इस संसदीय लोकतंत्र और राजनैतिक दलों के कार्य करने वाली इस

व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करें। हमारे यहां दसवीं अनुसूची भी है, पार्टी संविधान भी है और व्यावहारिक रूप से अब तक उनका अनुसरण भी किया जाता रहा है। अतः आपको ऐसा निर्णय लेना है, यह भी सुनिश्चित करना है कि न केवल न्याय ही दिया जाए बल्कि लोगों को लगे कि न्याय किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में आप यथाशीघ्र निर्णय लें क्योंकि आपने पहले भी चार सदस्यों के सम्बन्ध में अभी तक फैसला नहीं किया है और पुन: अन्य चार सदस्यों के बारे में भी ऐसी ही बात है।

अब बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति पैदा की गई है। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस पर तुरन्त कार्यवाही करें।

इसी उद्देश्य से उन्होंने हमारी तेलगू देशम पार्टी तथा इस सभा में अन्य राजनीतिक दलों में फूट डाली है।

अतः आपका इस सम्माननीय सभा के जोकि इस देश की सर्वोच्च संस्था है, संरक्षक होने के नाते आपसे मेरा यह नम्र निवेदन है कि संसदीय लोकतंत्र तथा राजनीतिक दलों के कार्यकरण की रक्षा की जाए। अब दसवीं अनुसूची उपलब्ध है तथा दल का संविधान भी यहां है और अब तक पालन की गई प्रथाओं के अनुसार आपको निर्णय करना है तथा यह धारणा बनानी है कि न सिर्फ न्याय किया गया है बल्कि लोगों को भी यह महसूस होना चाहिए कि न्याय किया गया है। इस मुद्दे पर आप कृपया जल्द से जल्द निर्णय लीजिए, क्योंकि आप चार सदस्यों के सम्बन्ध में और पुन: चार अन्य सदस्यों के सम्बन्ध इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।

अब एक बहुत ही असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं आपसे इस पर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष जी, आज सुबह से इसी विषय पर सदन में बहस चल रही है, मैं एक-दो कानूनी प्वाइंट रखना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने यह कहा कि पहले वाले स्पीकर साहब ने "अनअटैच्ड" शब्द का इस्तेमाल किया था और इस समय आपने "सेपरेट" शब्द का इस्तेमाल किया है। टेंथ शैड्यूल के अन्दर कहीं भी न सेपरेट शब्द है और न अनअटैच्ड शब्द है। मेरा आप लोगों से पूछना यह है, जिस दिन हम चार लोगों को पहले बार सेपरेट सीट एलाट की गई थी, उस समय तो आपने कोई ऐतराज उठाया नहीं। अगर आपको सेपरेट शब्द से कोई गुरेज था और उस समय यह निर्णय दिया गया था, अगर निर्णय सही नहीं था, तो आज जिस बात के लिए आप उठा रहे हैं, उस समय भी आपको उठाना चाहिए था। अगर आपने सेपरेट सीट केवल इसलिए दे दी कि व्यवस्था सही रूप से चले, सदन में कोई झगड़ा फसाद न होने पाए, आपने हमें सेपरेट सीट दे दी, लेकिन हम जनता दल के सदस्य बने रहे। अगर आपने हमें कोई व्हिप सर्व नहीं किया, तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी थी कि व्हिप आप हमको सर्व करते और हम अगर उसको डिसओबे करते, तो आप कह सकते थे इस बात के लिए। अब ये प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि आप इन्हें निर्णय क्यों नहीं दे रहे हैं। महोदय, आपका निर्णय तो अभी पूर्णतया अंतरिम है। संसद चल रहा

है, सदन चल रहा है, इस दर्मियान अगर कोई विषय उठा है, तो वर्तमान व्यवस्था के लिए जो निर्णय आपने लिया है, वह विवेकपूर्ण लिया । इसके अतिरिक्त अगर सात लोग व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो आर्बिट्रेरीली चार के लिए तो कर दिया, तो क्या हम उसको कंडोन नहीं कर रहे हैं, तीन को तो आप कंडोन कर देते हैं । अगर ऐसा ही निर्णय ये चाहते हैं, तो दूसरी बात है । इनको भी सुनना पड़ेगा, वे चार लोग जो यहां पर उपस्थित नहीं रह पाए, व्हिप का पालन नहीं कर पाए, उस समय उपस्थित नहीं हो पाए, इसका भी कारण होगा, तो इसको भी सुनना पड़ेगा । लीगल पहलू भी देना पड़ेगा, लेकिन आज हमें इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपके साथ हम बन्धुआ मजदूर की तरह पार्टी के अन्दर रहें । यह हमने भली प्रकार से सीख लिया । माननीय वी० पी० सिंह से सीखा था, जब ये कांग्रेस पार्टी के अन्दर थे । उस समय तो ये कांग्रेस का व्हिप का सम्मान करते थे और बाहर हमारे लिए कह दिया जाता था कि संसद में उल्लंघन किया जाता है और कांग्रेस को गाली दी जाती थी । हमने यह सीख लिया । सात महीने से हम अपना समय काट रहे हैं, हमें दल के अन्दर नहीं माना जा रहा है । मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस निर्णय में कोई देरी थी, तो सात महीने के अन्दर आपको कहना चाहिए था । सभी लोग जनता दल के सदस्य थे, अगर हम 2 लोगों ने टैन्थ शेडयूल के तहत आपको लिखकर दिया है, तो इस समय पर कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं । आपका अन्तिम निर्णय सोच-समझ कर के हो । अब जिस तरह से दबाव दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे डैमोक्रेसी का गला कटता है, अगर इनके दबाव के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जाती है । मेरी अपील है कि न आप आज झुके हैं और न भविष्य में कभी आप झुकेंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी । मैंने पहले ही कहा कि मैं सियासी मसले पर नहीं बोलूंगा । आपने जो पत्र भेजा है, उसमें आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं—

[अनुवाद]

"भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के किन प्रावधानों के अन्तर्गत ?" इत्यादि ।

[हिन्दी]

मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा । इसमें चौथा प्रश्न है—

[अनुवाद]

सभा द्वारा पालन की जा रही प्रक्रिया के किन नियमों के अन्तर्गत किसी एक सदस्य अथवा सदस्यों को दल से निकाला जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली के इन नियमों के अन्तर्गत ।

[हिन्दी]

श्री राम कुमार दास (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नियम से सम्बन्धित प्रश्न है । इस समय आप मेरी बात सुन लीजिए । आप पूरी संसद चलाना चाहते हैं, क्या उस पर सब लोग बोलेंगे या वे

जवाब देंगे पेपर का? यदि ऐसा है, तो सब लोगों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह इस हाउस में जवाब दें। क्या आप सबको एलाउ करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था का प्रश्न मान्य है। लेकिन आप जानते हैं कि असाधारण परिस्थितियों में यह किया जा रहा है। आपका मुद्दा बहुत ही मान्य है। मैंने इसका समर्थन किया है।

[हिन्दी]

श्री आर्थर फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, एपेंडिक्स-4 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसमें जो पेज-181 पर रूल-3 है, उसमें 1(ए) में यह अनिवार्य है कि चुनकर आने वाले सदस्य के कुछ ही दिनों के अन्दर, समय निर्धारित है, पार्टीज फार्म-1 के अन्तर्गत अपने सदस्यों की सूचना देने का काम करें। लेकिन बात वहां नहीं रुकती है, रूल 3(1)(बी) हमें यह आदेश देता है—

[अनुवाद]

> "सम्बन्धित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो)।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, उसके आगे

[अनुवाद]

नियम 3(1)(ग) में कहा गया है :

> "जहां ऐसे विधान-दल के कोई पृथक् नियम और विनियम हैं (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति।"

[हिन्दी]

अब जब आप संविधान को और अगर लेजिस्लेचर पार्टी का अपना नियम अथवा संविधान हो, पार्टी का, उसे हम मानते हैं तो फिर उसको इन नियमों के अन्तर्गत मान्यता मिल जाती है और इसलिए यह जो प्रश्न है कि किन नियमों के अन्तर्गत आपने एक सदस्य को पार्टी से एक्सपेल करने का अधिकार रखा है तो वह प्रश्न वहीं पर खत्म हो जाता है, वह प्रश्न नहीं रहता है। इस नियम के अन्तर्गत शेड्यूल एपेंडिक्स 4, 3(1)(बी) एण्ड (सी), इसके लिए पूरा इन्तजाम करके रखा है।

अध्यक्ष जी, अब यह शेड्यूल 10 पार्टी द्वारा किए हुए एक्सपल्शन को मानेगा या नहीं मानेगा, मेरी राय में यही 3(1)(बी) एण्ड (सी) से यह मामला खत्म हो जाता है। (व्यवधान) यदि आप लों

कि आपकी राय में मामला खत्म नहीं हो जाता है, मैं नहीं मानता हूं, तो फिर मैं इसी रूल 3 के सब-रूल (4) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब हमने आपको सूची दी : फोर्म-(1) में सूची देने के बाद मेरे दल के नियमों के अन्तर्गत, मेरी मूल पार्टी का विधान या मेरे लेजिस्लेचर पार्टी के नियम या विधान के अन्तर्गत किसी भी एक सदस्य के ऊपर मुझे कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी तो उसकी जानकारी मैंने आपको देने, न देने का जो यह प्रश्न आपकी तरफ से उठा है तो आप रूल (3) सब-रूल 4 को देख लीजिए।

[अनुवाद]

नियम 3 उपनियम (4) में कहा गया है

"जब कभी किसी विधान-दल के नेता द्वारा उपनियम (1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उपनियम (2) के अन्तर्गत दी गई सूचना में परिवर्तन होता है तो वह उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देगा।"

[हिन्दी]

अब यह कौन-सी चेंज है, यह चेंज उसकी उम्र भर के लिए (व्यवधान) हर साल एक साल-दो साल···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, यदि उस दल के साथ अन्य दल मिल जाते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह बात हो गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह नहीं है कि दल के अन्तर्गत आप निष्कासित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे प्रश्न का उत्तर आपने आधा दिया, पूरा उत्तर देने से आप इन्कार कर रहे हैं। (व्यवधान) मर्जर हो गया, टोटल मिल गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक्सपेल करने की अथोरिटी इसमें से निकलती है ऐसा आपको मुझे बताना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नियम (ख) और (ग) मैं अपने दल का संविधान आपको क्यों दूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह जानने के लिए कि कौन आपका नेता है। यह जानने के लिए कि आपने किसे टिकट दिया है। मैं सारी बातों को खुला रखूंगा। मैं आपकी बात धैर्यपूर्वक अपने कक्ष में सुनूंगा।

आप जो तर्क दे रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। वास्तव में यदि आपने सभा में ही इस मामले पर बहस किया होता। ऐसा करना चाहिए था जैसाकि अभी आप कर रहे हैं। आप जिन बातों को कह रहे हैं मैं उसे समझ सकता हूं। इस समय मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मेरे इस कथन को स्वीकारोक्ति नहीं समझा जाना चाहिए। मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा। आप मेरी सहायता करते यदि आप मेरे पास आते और मेरे समक्ष अपनी बात कहते। लेकिन ये मुद्दे इसमें शामिल है और जटिल भी हैं कि आपके लिए पांच मिनट में इन सभी बातों को मुझसे कहना बहुत ही कठिन होगा और मेरे लिए अधिक जानकारी हासिल करना, चाहे आपके लिए मुझे विश्वास दिलाना या मुझे आपको विश्वास दिलाना बहुत ही कठिन होगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आप बहुत ही अच्छी बातें कह रहे मैं इन्हें सुन रहा हूं। आप कृपया मुझे लिखित रूप से दीजिए और मेरे सामने तर्क पेश करें। आपकी बात सुनने से पहले मैं इसका निर्णय नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा मैं कोई सियासी बात नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन फिर बात वही है कि पांच मिनट में इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे अब विश्वास हो गया है मैंने जो बात रखी है उसको आधा तो आपने मान लिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह लायर का मामला नहीं है, यह चालाकी का मामला हो गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर बाद में ऐसा कोट नहीं करना।

[अनुवाद]

मैंने यह कहा कि मैंने कुछ बातें देखी हैं। मैंने कोई निर्णय नहीं किया है। मैं आपकी बात सुनूंगा। चाहे आप मुझे यकीन दिलायें या मैं आपको यकीन दिलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : ठीक है अध्यक्ष जी, इसलिए मैं यहीं तक अपने आपको ले आ रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आधा भी नहीं माना है, पूरा भी नहीं माना है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : इसलिए मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर रहा हूं, यहीं तक अपनी बात को छोड़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : पार्टी कांस्टीटयूशन का कहां सम्बन्ध आता है, यह आप बताने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

और आप सही तरीके से ऐसा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मैं आपकी बात सुनूंगा। आपको मुझे यकीन दिलाना होगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्योंकि आपका जो तर्क है, मैंने इसमें जो आपका तर्क देखा है···।

अध्यक्ष महोदय : यह फायनल नहीं है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : यह ठीक है कि आपने कोई निर्णय नहीं लिया है, यह मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : लेकिन जिस तरह से आपने प्रश्नों को देखा है, उससे मुझे लगा कि जैसे नियमों को, इसके साथ जुड़ी हुई बातों को, इन सब चीजों को नजरअन्दाज किया जा रहा है, यह मेरे मन में शंका है और इसलिए मैंने बहुत आग्रह से कहा कि अब···।

अध्यक्ष महोदय : आपका आर्गूमेंट मैं अप्रेशिएट करता हू।

[अनुवाद]

मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री आर्कां फर्नान्डीज : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत समय से चर्चा हो रही है । आप स्वयं जानते हैं कि सदन का प्रति मिनट खर्च एक लाख रुपए से अधिक आता है । हमको यह बताया जाए कि इस विषय पर कितने घण्टे और चर्चा होगी ? यदि यह चर्चा आपके चैम्बर में हो तो बहुत अच्छा है । आज तक जो डिफेक्टर रहे हैं, उन्होंने ही पहले मास डिफेक्शन शुरू किया है, अब भी उन्हीं का चल रहा है, इसलिए आप इसमें न पड़ें और जो भी चर्चा हो, चैम्बर में की जाए, इस विषय पर और चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हर चीज की कीमत लगाने की आदत हो गई है । (व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : कीमत लगानी चाहिए, आप खर्च किए जा रहे हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम कुछ परेशान हैं । इसे मैंने कल शाम स्पष्ट कर दिया था । इस तरह यह श्री शिवराज वी० पाटिल जी के विरुद्ध नहीं है । कृपया इसे गलत मत समझिए, क्योंकि अभी तक आपका विनिर्णय या निर्णय एक अन्तरिम निर्णय है । हमारे अनुसार यह गम्भीर रूप से सभा में दलों के कार्यकरण को प्रभावित करता है और इससे कुछ प्रश्न भी उठते हैं जो हमें अशांत बना रहे हैं ।

यह दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत अयोग्यता का मुद्दा समझा जा रहा है । सारी बातों की शुरूआत एक पत्र द्वारा हुई है, जो 24 सदस्यों द्वारा भेजा गया बिना तारीख वाला पत्र है और जिसमें 20 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं । एक नोट में तीन अनुच्छेद हैं । पहले अनुच्छेद में उन्होंने कहा है कि वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से खुश नहीं हैं । दूसरे अनुच्छेद में एक वाक्य है जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"अतः हम सभा में अलग बैठना चाहते हैं ।"

तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

"हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें जनता दल की रूप में मान्यता प्रदान की जाए और हमें लोक सभा में अलग स्थान दिया जाए । यह राजनीतिक दल में विभाजन का परिणाम है और संकेत आदेश के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत हमारे दावे को चुनाव आयोग के समक्ष एक आवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि हम ही मूल रूप से जनता दल हैं ।"

आपको संकेत तथा चुनाव आयोग के समक्ष वे जो प्रस्तुत करना चाहते हैं उससे कुछ लेना-देना नहीं है । दसवीं अनुसूची के खण्ड 6 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार की याचना की जा सकती है । इसमें कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

"यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा···"

उन्होंने अयोग्यता का प्रश्न नहीं उठाया है। इस पत्र में किस प्रकार आप खण्ड 6 के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार की याचना कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। यह बहुत ही अच्छी बात है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और यही बात श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा कही गई थी। यदि ऐसी बात आपके जैसे नेता और न्यायविद् द्वारा कही जाती है तो मुझे इसे अवश्य ही स्वीकार करनी चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। यह आवेदन दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आता है। लेकिन लिखा गया विवरण दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत है जिसका आपने उल्लेख किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे खुशी हुई है कि आपने इसे उठाया है। यह प्रति विवरण प्रति दावा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रति दावा नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये वे प्रति दावा वापस ले लेते हैं तो आप इसे बर्खास्त कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसे अस्वीकृत कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इसे वापस ले लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिर्फ उनके पत्र के आधार पर ही आपके क्षेत्राधिकार की याचना की गई है। यदि ऐसा है तो···

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मैं वास्तव में जरा दुविधा में हूं। एक अच्छे अधिवक्ता होने के नाते आप सोचते हैं कि मेरी बात सही है लेकिन साथ ही एक अच्छा राजनीतिज्ञ होने के नाते आपको तर्क भी देना है। यही मेरी परेशानी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम यहां बेवजह तर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : क्योंकि आपने पार्टी से कमेंट्स मांगे हैं, इसलिए हमने दिए हैं।··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने इस पत्र के आधार पर ही निर्णय किया है। इसमें कोई

अन्य बात नहीं है। यदि अयोग्यता का प्रश्न उठाया जाता है सिर्फ तभी आपके क्षेत्राधिकार की याचना की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने कहा है कि यह निर्णय है ? मैंने कहा कि यह आदेश है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आदेश, न कि एक निर्णय।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह लिखा है कि यह आदेश है, यह निर्णय नहीं है। आपको इन चीजों में अन्तर करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः हमें इस आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए कि आपने कोई निर्णय नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन आपने उन्हें स्थान दिया है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों के अन्तर्गत है। यह दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा, महोदय। फिर हम अपनी चर्चा संक्षिप्त कर रहे हैं। यह आपके द्वारा स्थानों के आबंटन का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः यह विभाजन का मामला नहीं है। आपने स्वयं यह कहा है कि वे विभाजन का मामला नहीं बना पाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मैं आपके द्वारा किए गए अवलोकन का अध्ययन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपको इसका अध्ययन करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : डी-1 में, यह महत्वपूर्ण दस्तावेज डी-1 है, हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने यह दावा नहीं किया है कि वे जनता दल के अन्य सदस्यों से अलग हो गए हैं। फिर महोदय, मैं एक और वाक्य पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप कृपया इसे पूरा कीजिए। इस प्रकार से नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे यह दावा कर रहे हैं कि वे ही असली दल हैं। उन्होंने अपनी मान्यता की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है। डी-1 में उन्होंने स्थान प्रदान करने की बात कही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : फिर महोदय, 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभा में अपने कार्यकरण के उद्देश्य से अलग बैठने की मांग की है। इस स्थान से जहां वे अभी बैठ रहे हैं अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है ! अतः 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी-1 से अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है जो इस मुद्दे के लिए प्रासंगिक है। वे 'विभाजन' की बात नहीं कर रहे हैं। वे कोई अन्य जानकारी नहीं दे रहे है। वे सिर्फ अलग बैठना चाहते हैं किस उद्देश्य से? जैसाकि मैंने कहा कि कांग्रेस में अनेक भिन्न मतावलम्बी है। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वे अलग बैठना चाहते हैं··· (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनमें से कुछ की श्री आडवाणी जी के दल के साथ मित्रता सुविदित है। महोदय, यह एक उपहासमात्र होगा—कृपया मुझे क्षमा करें—अगर एक नेता को पसन्द न करने में मेरा नाम शामिल है, तो मैं जहां चाहूं बैठ सकता हूं और आप किसी को भी जहां चाहे बिठा सकते हैं। अगर सैफुद्दीन एक युवा, कहीं और बैठना चाहते है, तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री मुरली देवरा (मुम्बई) दक्षिण : श्री निर्मल चटर्जी कहीं और बैठना चाहते हैं, न कि सैफुद्दीन जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन्हें कैसे नियन्त्रित करूं? इसका क्या समाधान है? इसके लिए क्या मान्यता होगी? क्या मापदंड अपनाए जाएंगे? इससे लोगों को हर प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त करने को बढ़ावा मिलेगा। वे कहीं और आपस में खुशी मना रहे होंगे। अगर वहां उनकी अच्छी देख-भाल की जा रही है, तो वे आकर कहेंगे कि वे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के पास नहीं बैठना चाहते, वे श्री आडवाणी जी के समीप बैठना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आप मेरी परेशानी भी महसूस करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसाकि मैंने कल कहा था, मैं एक मन्त्री नहीं हूं और मैं कभी भी एक मन्त्री नहीं रहा हूं। मैं अपने भतीजे श्री गुलाम नबी आजाद के बराबर में बैठना चाहता हूं। कृपया मुझे वह स्थान दे दें।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। मेरी बात अनसुनी न करें। आप नेताओं के कहने पर नियमानुसार मुझसे यह चाहते हैं कि अलग-सीटें दूं, लेकिन आप मुझसे यह नहीं चाहते कि अन्यों को अलग-सीटें दूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दल के सदस्यगण मुझसे गलत व्यवहार करेंगे और आप उन्हें उत्साहित करते जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वे मुझे अपना नेता स्वीकार नहीं करते, तो या तो वे बाहर चले जायें अथवा उन्हें मेरे अनुशासन के अधीन रहना ही चाहिए। दलों में अनुशासन रखने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को नहीं है। जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है,

सभा के अन्दर अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार मेरे पास है; जहां तक भाजपा का सम्बन्ध है, यह अधिकार आडवाणी जी के पास है, न कि किसी और अथवा हरेक के पास।

अध्यक्ष महोदय : क्या अन्य नेताओं का भी ऐसा मत है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या अन्य नेताओं का यह भी मत है ?

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक सीटों का सम्बन्ध है, आप पहले ही ऐसा कह चुके हैं। परिपाटी को अगर देखें, तो हमें हमेशा यही बताया गया है कि ये 119 सीटें हैं। आप इन सीटों को आवंटित करें। परम्परा यह रही है। यह लिखित रूप में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि उनके नेता ने कहा है। आप बहस करते रहे हैं क्योंकि उनके नेता ने इन चारों को अलग-सीटें देने को कहा है। जब सदस्यों ने अलग सीटों की मांग की है, तो आप कैसे इन्कार कर सकते हैं। मैंने कहा है कि नेता ने केवल एक विशेष परिस्थिति में, जब इन चार सदस्यों को दल ने निष्कासित कर दिया था, अलग सीटों की इनके लिए मांग की थी और इस मामले में भी अगर सदस्यों ने कहा है कि इन्होंने दल से इस्तीफा दे दिया है, तो निश्चित रूप से वे अलग बैठने के पात्र हैं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : पत्र के पैरा 3 में कारण बताए गए हैं। कृपया इसे देखें। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन अपने आप ही दल के दो भाग न करें। (व्यवधान) कृपया उस कुर्सी पर बैठे बिठाए दल के तीन फाड़ न करें। महोदय, आप हमसे उच्च स्तर पर बैठे हैं। आपको उसी आधार को बनाए रखना चाहिए। आपको दलगत-स्तर पर नहीं आना चाहिए। उस कुर्सी की यही शान है कि आप उस पर आसीन हैं। महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं···(व्यवधान)

आपके प्रति मेरा व्यक्तिगत सम्मान, उनके शोरगुल करने से कम नहीं होगा। अतः, उन्हें आपका पक्ष न लेने दें। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : क्यों नहीं (व्यवधान)। यह आपत्तिजनक है। हम सभी इस सभा के सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आप ही के मन में सन्देह था। यह आपके आदेश के पैरा 40 में है। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"दल के नेता के निर्देश अथवा चार-चार के समूहों में अथवा बीस के एक समूह में उनके ही कहने पर अलग से बैठने के सुस्पष्ट चिंतन के बारे में कानूनी प्रक्रिया क्या है।"

अत:, उसके बिना वे अलग कैसे बैठे रह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण यह एक अन्तरिम आदेश।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मैं आपसे एक अति विनम्र निवेदन कर सकता हूं ? आपके मन में अभी भी अनेक शंकाएं हैं। कृपया इसे स्थगित रखें और एक अन्तिम निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अत:, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। हम जानते हैं कि आप अन्तिम चरण पर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपके मन में अभी भी इतने अधिक सन्देह हैं, तो कृपया इसे स्थगित रखें। इसे वापिस न लें। कृपया इसे स्थगित रखें। थोड़े दिनों के लिए उन्हें उन्हीं की सीटों पर वापिस जाने दें। (व्यवधान) कृपया अपनी सीटों पर वापिस जाएं। अगर, वे ऐसा नहीं करना चाहते, तो हम उनके बीच में कुछ स्थान छोड़ दें। हमें उन्हें अनौपचारिक रूप से दूरी उपलब्ध करा देनी चाहिए। मुझे आशा है कि वे हाथापाई पर उतारू नहीं होंगे। हम उन्हें प्रतिरोधक प्रदान कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि बहुत-सी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और हरेक नेता ने शंकाएं व्यक्त की हैं। अत:, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस मामले को स्थगित रखें और उचित समय पर इस बारे में निर्णय लें। धन्यवाद।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि दो बातों को आपस में मिलाने से अत्यधिक भ्रांति है। नियम 4 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को सीटें आबंटित करने का अधिकार प्राप्त है। सभा में हमारा दृष्टिकोण यही है। एक बार अध्यक्ष महोदय द्वारा उस प्राधिकार का उपयोग कर लिया जाता है, तो कोई न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह एक आन्तरिक-व्यवस्था है। अगर ऐसा करना इतना आसान होता, तो इस प्रकार की किसी बहस अथवा चर्चा अथवा इस प्रकार का विवाद जो यहां अब उठाया जा रहा है, की कोई जरूरत न पड़ती।

यह सारी समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि दल-बदल कानून के अनुसार, इस सभा ने जो नियम बनाए हैं, यह अपेक्षित है कि सत्यापन आदि करवाने के लिए एक विशेष-प्रपत्र में एक आवेदन किया जाना चाहिए और उस आवेदन पर नियमानुसार अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय सुनिश्चित करेंगे जिस पर दूसरे पक्ष की सुनवाई की भी जरूरत होगी और साक्ष्य ले लेने के बाद, अगर यह आवश्यक है, फिर मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।

महोदय, जैसाकि हमारे नेता ने इसे बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है, दलबदल की परिभाषा यहां दी गई है। उसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद एक विघटन है। अब मुद्दे का सारांश यह है

कि दुर्भाग्य से, कोई छींटाकशी किए बिना अथवा कोई लांछन लगाए बिना, आपने जो साधारण आदेश पारित किया है—वह बहुत साधारण और एक पंक्ति का है—उसकी आलोचना की जा रही है। मैं आपके आदेश से उद्धृत करता हूं :

"सभा में कार्य करने के उद्देश्य से, अन्तरिम अवधि के लिए, जब तक कि यह मुद्दा अन्तिम रूप से निपट नहीं जाता है, बीस सदस्य जिन्होंने मेरे कक्ष में डी-1 पर हस्ताक्षर किए थे, को जनता दल संसदीय-पार्टी के अन्य सदस्यों से अलग बैठने की अनुमति दी जाती है।"

यह एक लाईन का आदेश है, जोकि यहां हमारे सामने है। समस्या यह है कि आपके पहले अलग आदेश द्वारा चार सदस्यों को अलग से बैठने की अनुमति दी गई थी। इन चार सदस्यों को अन्य सोलह सदस्यों के साथ सम्मिलित करने अथवा उनमें मिलाने का अवसर कहां था ? वे पहले ही वहां बैठे हुए थे। अगर आपने यह कहा होता कि जिन 16 व्यक्तियों ने आवेदन किया था, जो अपने लिए अलग सीटें चाहते थे और जब तक आप इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय ले, जहां तक दल-बदल के लिए आवेदन का प्रश्न है—जोकि जनता दल के नेता ने दिया है—आप बिना किसी अन्य परिणाम के, उन्हें 16 के एक ग्रुप के रूप में बैठने की अनुमति दे देते, तो यह बहुत आसान होता।

महोदय, फिर यह मामला बहुत साधारण हो जाता। 20 की इस संख्या ने देश को एक संकेत यह दिया है कि कुछ न कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इन बीस से ऐसा व्यवहार किया गया है, जोकि अप्रत्यक्ष रूप में यह प्रदर्शित करेगा कि यह एक विघटन है, जोकि अपवाद है और उन्हें इस धारा के अन्तर्गत अयोग्य ठहराने से बचा रहा है। आमतौर पर अध्यक्ष महोदय के अधिनिर्णय, निर्णय और आदेश पर चर्चा नहीं की जाती है और उन पर टीका-टिप्पणी बिल्कुल नहीं की जाती तथा प्रतिकूल टीका-टिप्पणी तो बिल्कुल करनी ही नहीं होती। लेकिन, महोदय, जैसा कि हमारे माननीय नेता जी ने कहा है, क्या मैं आदरपूर्वक अनुरोध कर सकता हूं कि पहली परम्परा से हटने के प्रश्न के अलावा—यह एक अलग मुद्दा है—16 जमा 4 के इस सम्मिश्रण से यह सारी समस्या पैदा हुई है और महोदय, इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि देश को एकमात्र यही सन्देश दिया गया है कि 'यहां देखिए....' —महोदय, क्योंकि मेरे मित्र श्री आर्य ने पहले यह मांग की थी कि दल-बदल बड़े पैमाने पर धन के भुगतान करने के कारण हुए हैं और एक जांच की जानी चाहिए। महोदय, ठीक है, जांच की जानी चाहिए और नहीं की जानी चाहिए, यह एक भिन्न मुद्दा है। यह नैतिक, नीति-विषयक और राजनैतिक मापदंडों के आधार पर था कि हम यहां दल-बदल को बढ़ावा देने के लिए नहीं है क्योंकि यह राजनैतिक समाज में एक बहुत बुरी घटना है। लेकिन, महोदय, इसे हमने किसी कारण अथवा अन्यत्र के लिए स्वीकार नहीं किया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि यह और भी अच्छा होता, अगर एक जांच कर ली जाती क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए हैं। वे कहते हैं कि 50 लाख रुपए दिए गए हैं; अन्य लोग कहते हैं कि 'श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक तानाशाह, एक निरंकुश शासक अथवा एक नरपति के रूप में कार्य कर रहे हैं और हम अपनी सम्पूर्ण सोच और अपना अनुशासन आदि उन्हें समर्पित करने को तैयार नहीं हैं।' महोदय, कोई एक अथवा दूसरा सम्भवतः सही हो सकता है। लेकिन अब, सारे देश को इस बात की चिन्ता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि 4 पहले और 16 अब के—इन 20 सदस्यों को छोड़ देने से अत्यधिक आलोचना होती रही है। अतः, महोदय मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं कि अन्य सदस्य,

जैसाकि आपने कहा था कि क्यों है, के कारण है। मैं आपको यह भी निवेदन करता हूं कि आपने अपने कक्ष में कुछ बातों पर चर्चा की थी। यह बिल्कुल सही है, चर्चा बिल्कुल सही है। यहां एक धारणा पैदा की गई थी कि आपने निर्णय लिया है कि जब कभी एक सदस्य को निष्कासित किया जाता है, तो वह उस दल का एक सदस्य बना रहेगा। यह आपका निष्कर्ष है, यह वहां नहीं है। (व्यवधान) श्री बंसल जी मैं यह कह रहा हूं कि यह वहां नहीं है, लेकिन कक्ष में इस पर चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : मान लें इस प्रकार का विचार मुझे आ जाता है, तो इस पर मैं आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, प्रथम दृष्टि में संभवतः एक दृष्टिकोण अथवा अन्य दृष्टिकोण सही हो और चूंकि इस मुद्दे पर आपको अपना अभिनिर्णय अभी लेना है, तो वह निर्णय दोनों पक्षों की सुनवाई करने तथा कानून और कानून-विशेषज्ञों आदि से परामर्श करने के के बाद लिया जाएगा। यह एक गम्भीर मुद्दा है। अतः मेरा कहना है कि फिलहाल···

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने बार-बार यह कहा था कि आप मुझे इस अथवा उस ढंग से राजी कर सकते हैं।

श्री गुमान मल लोढा : मैं प्रसन्न हूं। लेकिन पूर्ण समस्या चार जमा सोलह की वजह से है। महोदय, अतः मेरा अनुरोध है कि अगर सभा मतैक्य है कि नियम 4 के तहत जो सोलह सदस्य अलग से बैठे हुए हैं, स्पष्ट तौर से यह उल्लेख कर रहे हैं कि नियमों के नियम 4 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है, न कि अयोग्यता कानून अथवा दसवीं अनुसूची दलबदल कानून के अन्तर्गत, जिससे यह समस्या सुलझ जाएगी।

ठीक है, महोदय, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपका अतिशय धन्यवाद।

———

1.48 म० प०

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब मुझे निष्कर्ष निकालना चाहिए।

क्योंकि इस मामले पर अत्यधिक चर्चा हो चुकी है. अतः अन्तरिम आदेश, सभा के वृतांत का भाग होगा। मैं इस मामले में सभी दलों के नेताओं की बात सुनूंगा। जिन्हें सुनवाई के समय उपस्थित रहकर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने चाहिए और मेरी बात की सुनवाई करने की कृपा करनी चाहिए।

इस मामले में सभा में उठाए गए सभी प्रश्नों को उनके सामने बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के रूप में माना जाएगा। बहस के दौरान अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

इस मामले में निर्णय बिना विलम्ब के लिया जायेगा, परन्तु जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा

क्योंकि निर्णय देने में देरी निर्णय से वंचित करना है और साथ ही साथ निर्णय लेने में जल्दबाजी निर्णय को दबाना है। इस बहस से यही निष्कर्ष निकलता है कि दलबदल कानून को संशोधित करने की आवश्यकता है। यह हम सभी के हित में होगा कि दलबदल कानून में शीघ्र संशोधन किया जाये। इन मुद्दों पर सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रक्रिया थोड़ी असाधारण व सबर्षमय हो गई है तथा फिर भी सभी सदस्यों ने एक सीमा को बनाये रखा और उन्होंने अपनी समझ के अनुसार मुद्दे उठाने का प्रयास किया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरा विचार है कि हम जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा इस पर विचार करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : जब तक अन्तिम आदेश नहीं दिए जाते तब तक अन्तरिम आदेश का क्या होगा? आप इसे स्थगित क्यों नहीं करते?

अध्यक्ष महोदय : मुझे फिर से आदेश देने के लिए जोर डाला जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : आपने हमारी सब की बातें सुन ली हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह सब बातें सुन ली हैं और मैंने अभी और बातें सुननी हैं।

————

1 49 म०प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1992, को, जिसे लोक-सभा द्वारा अपनी 10 अगस्त, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेलवे) संख्यांक 4 विधेयक, 1992, को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 अगस्त, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन विधेयक, 1992, को

जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 अगस्त, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 अगस्त, 1992, को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 12 अगस्त, 1992 को पारित किये गये विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध निवारण) विधेयक, 1992, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

———

1.50 म०प०

संसद समितियां

कार्य सारांश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 20 जून, 1991 से 31 मई, 1992 की अवधि से सम्बन्धित "संसदीय समितियां (वित्तीय समितियों को छोड़कर)—कार्य-सारांश" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा 2.50 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होनी है।

1.51 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.50 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.52 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.25 म०प० पर पुनः समवेत हुई

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

जनता दल में विभाजन और उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष के अन्तरिम आदेश के बारे में—जारी

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति जी, हम लोगों ने उस समय जो चर्चा चलाई

थी, तब हम लोगों ने सवाल उठाया था और हम लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि स्पीकर साहब ने अंत में क्या रूलिंग दी। क्योंकि हम लोग यह मांग कर रहे थे कि जो इंटरिम आर्डर है, उस इंटरिम आर्डर को स्थगित किया जाए और फाइनल आर्डर तुरन्त दिया जाए। सम्भव हो तो 20 तारीख से पहले दिया जाए। हमें पता नहीं चल पाया कि बाद में क्या अन्तिम आदेश हुआ। हम आपके माध्यम से यह मांग करना चाहते हैं कि जो आदेश दिया गया है वह आदेश जनहित में नहीं है, दल के हित में नहीं है। इससे इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि डिफेक्शन को समाप्त करना है और उस पर सख्त कदम उठाना है तो जो आर्डर दिए गए हैं, उन आर्डर्स को तत्काल स्थगित किया जाए और फाइनल आर्डर तत्काल दिया जाए। हम लोग आपसे यह मांग करना चाहते हैं और हम आपसे चाहते हैं कि आप इस सम्बन्ध में अपनी रूलिंग दीजिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हम अन्तरिम आदेश को वापिस लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज सुबह जब अध्यक्ष महोदय ने स्वयं बहुत सी टिप्पणियां की हैं जिसमे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं कई मुद्दों पर स्पष्ट नही हैं। वह कहते है कि वे सब आगे और चर्चा कर सकते हैं। वह दलील सुनना चाहते हैं और वह अपने पहले के विचारों को बदल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह कहते हैं, यह आदेश है, निर्णय नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कम से कम अन्तिम आदेश आने तक अन्तरिम आदेश को स्थगित किया जाना चाहिए, न कि इसे वापिस नहीं लिए जाने के लिए कह रहे हैं।

मुझे आशा है अध्यक्षपीठ इस उचित मांग से सहमत होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसा माननीय अध्यक्ष ने कहा है उन्होंने आदेश दिये हैं और उन्होंने किसी बात का निर्णय नही लिया है। यह आदेश बिना निर्णय का है। इसलिए यह केवल सम्भावना थी कि उन्होंने कुछ इस प्रकार के अंतरिम कार्यकारी प्रबन्ध किए है। लेकिन अब स्पष्ट हुआ है कि कार्यकारी प्रबन्ध से सभी लोग प्रभावित हुए हैं। मुझे विश्वास है मेरे बहुत से मित्र सदन के भीतर इसे स्वीकार नही कर सकते, लेकिन वे जानते हैं कि जो कुछ किया गया है वह ठीक नही है मैं अनुरोध करता हूं कि अंतिम आदेश देने के लिए एक तारीख निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि न इसमें जल्दी और न ही देर होनी चाहिए। इसलिए, बीच मे क्या हुआ ? हम जानना चाहते हैं जिससे कि हमें पता चले यह कब तक चलेगा। कृपया हमें इस बात की जानकारी दीजिए। अन्यथा, कार्य करना कठिन है, प्रत्येक नेता इससे प्रभावित है। मैं नहीं जानता मेरा क्षेत्राधिकार कितना है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से जो कुछ अध्यक्ष महोदय ने हमारे खड़े होने से पहले कहा वह रिकार्ड मे है। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसे स्पष्ट नहीं कर सकता तथा मैं उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर हमारे खड़े होने से पहले जो कुछ कहा था वह रिकार्ड से

स्पष्ट हो जाएगा लेकिन जहां तक मैंने समझा है उन्होंने कहा था कि वह आदेश को स्थगित करने के लिए सहमत नहीं है। यही आखिरी बात है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हम लोग इसकी पार्टी बनना नहीं चाहते हैं (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं हैं।

सभापति महोदय : इसलिए मैंने कहा है कि यह रिकार्ड में है। न तो मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूं और न ही मुझे माननीय अध्यक्ष की ओर आपको कोई आश्वासन देने का अधिकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको माननीय अध्यक्ष की ओर से सूचित किया गया है कि आदेश कब दिए जायेंगे।

सभापति महोदय : जी, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या किया जा सकता है?

सभापति महोदय : मैं अब कार्य सूची के अनुसार कार्य करूंगा।

कई माननीय सदस्य : जी, नहीं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं *(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट। संसदीय मामलों के मन्त्री बोलना चाहते हैं।

*(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय *(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री सैयद शहाबुद्दीन को बोलने की अनुमति दी है।

*(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : सभापति महोदय, सुबह की सभी कार्यवाहियों को देखते हुए मैं केवल यही समझ पाया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उठाये गये मुद्दे पर शीघ्र निर्णय देने का आश्वासन दिया है। लेकिन जहां तक मुझे याद है हमें उनसे अन्तरिम आदेश के बारे में उनका निर्णय सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है। मैंने सब रिकार्ड देख लिए हैं। मैंने पाया है कि 7 अगस्त के मूल आवेदन में अन्तरिम आदेश का अनुरोध नहीं किया गया था। 11 तारीख को विचार करने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति से अन्तरिम आदेश के लिए कहा गया था और अध्यक्ष महोदय ने अपने निर्णय में 12 तारीख को इसकी तुरन्त स्वीकृति दे दी थी। अब आप एक बड़े विधिवेत्ता हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अन्तरिम आदेश का मामला स्वेच्छा से नहीं हो सकता। यह केवल कतिपय ज्ञातव्य प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं के अधीन किया जा सकता है और जैसाकि आप जानते हैं अन्तरिम आदेश केवल लाभों के आधार पर दिया जा सकता है। यदि बैठने का इन्तजाम अलग से नहीं होता तो कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा और न ही सदस्य आपस में लड़ने वाले हैं।

अतः, मैंने यह पाया है कि आदेश में केवल सभा में कार्य करने का उद्देश्य ही बताया गया है। यहां मेरे साथियों ने आदेश का अच्छी तरह से विश्लेषण किया है। सदस्य राजनैतिक दलों के सदस्यों की तरह कार्य करते हैं।

अतः, जब तक उस प्रश्न पर निर्णय नहीं ले लिया जाता, उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अन्तरिम आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्तरिम आदेश की कोई अत्यावश्यकता नहीं है। इसलिए, हमारी मांग है कि अन्तरिम आदेश को वापस ले लिया जाए अथवा इसे स्थगित किया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अगर आपको इसके डिसीजन की आथरिटी नहीं है, तो हम इसके खिलाफ वाक-आउट करते हैं।

2.59 म०प०

तत्पश्चात श्री राम विलास पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसे स्थगित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : ऐसा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बहुत दुखद दिन है। इसके विरोध में हम सभा से बाहर जाते हैं।

3.00 म०प०

तत्पश्चात श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, हम कार्यसूची को लेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

———

3.00 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के सातवें तथा आठवें वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विस्तृत रूप से की गई कार्यवाही की रूपरेखा को प्रस्तुत करने वाला ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के वर्ष 1984-85 के सातवें वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विस्तृत रूप से की गई कार्यवाही की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले ज्ञापन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2516/92]

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के वर्ष 1985-86 के आठवें वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विस्तृत रूप से की गई कार्यवाही की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2517/92]

वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 1992

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री कमल नाथ की ओर से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 1992 जो 28 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 563(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2518/92]

दूर-संचार विभाग के वर्ष 1990-91 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : महोदय, मैं श्री राजेश पायलट की ओर से दूर-संचार विभाग के वर्ष 1990-91 के लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र (प्रोद्भवन आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2552/92]

आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्रति

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : महोदय, मैं "आठवीं पंचवर्षीय योजना* 1992-97" (खण्ड I और II) (केवल हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2553/92]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) चीनी (वर्ष 1991-92 उत्पादन का मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1922 जो 7 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 671(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) चीनी (वर्ष 1991-92 उत्पादन का मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1992 जो 28 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 692(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2554/92]

दिल्ली (दुग्ध और दुग्ध पदार्थ) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1992 इत्यादि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली (दुग्ध और दुग्ध पदार्थ) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1992, जो 6 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 605(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2555/92]

*योजना का अंग्रेजी संस्करण 5 अगस्त, 1992 को सभा पटल पर रखा गया था।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) गोआ मीट काम्पलैक्स लिमिटेड, गोआ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोआ मीट काम्पलैक्स लिमिटेड, गोआ का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2556/92]

बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2557/92]

बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री दलबीर सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, की धारा 10

की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण).—

(एक) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2519/92]

(दो) बैंक आफ इंडिया के वर्ष 199 -92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2520/92]

(तीन) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2521/92]

(चार) केनरा बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2522/92]

(पांच) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1991/92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2523/92]

(छह) इंडियन बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2524/92]

(सात) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2525/92]

(आठ) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2526/92]

(नौ) यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2527/92]

(दस) यूको बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2528/92]

(ग्यारह) देना बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2529/92]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा (10) की उपधारा (8) के अन्तर्गत आंध्रा बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे मे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2530/92]

(3) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक और इसके समनुषंगी बैंक अर्थात स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर, के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2531/92]

(4) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2532/9]

(दो) बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2533/92]

(तीन) श्री विशाख ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2534/92]

(चार) प्रथम बैंक, मुरादाबाद के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2535/92]

(पांच) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण, लहेरिया सराय के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2536/92]

(छह) बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक, पाटन के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2537/92]

(सात) शहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा के वर्ष 991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2538/92]

(आठ) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुन्दरी के वर्ष 1·91-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2539/92]

(नौ) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाईमाधोपुर के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2540/92]

(दस) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली के वर्ष 1991·92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2541/92]

(ग्यारह) चन्द्रपुर गाढचिरोली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2542/92]

(बारह) दामोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दामोह के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2543/92]

(तेरह) बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2544/92]

(चौदह) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़ के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2545/92]

(पन्द्रह) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2546/92]

(सोलह) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2547/92]

(सत्रह) मनजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2548/92]

(5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1988 जो 23 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए०एक्स०-1/एस०टी०/5672/88 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2549/92]

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय, मैं भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड और वाणिज्य मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रख रहा हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 258/92]

विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : महोदय, मैं विदेश संचार निगम

लिमिटेड और दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2550/92]

3.02 म० प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

3.03 म० प०

बर्नपुर स्थित इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का शीघ्र आधुनिकीकरण किए जाने के बारे में याचिका

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैं श्री जे० एन० कार चौधरी तथा अन्य कामगारों द्वारा हस्तांतरित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल के शीघ्र आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, कश्मीर में जो हालत हो रही है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। कश्मीर मे 14 अगस्त मे पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। उससे 3 दिन पहले यहां पर सरकार कह रही थी कि हालात अच्छे हैं और हम वहां चुनाव कराने की सोच रहे हैं। जो आपका 15 अगस्त का फंक्शन होता है उसमें मेरी इन्फार्मेशन यह है कि बड़े-बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया और वहा पर राकेटों से हमले हुए और सबसे बड़ी चिन्ताजनक बात यह है कि फारूख अब्दुल्ला ने जो बात कही है कि कश्मीर का फैसला करते समय सिर्फ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को ही बात नहीं करनी है बल्कि कश्मीरियों को भी पार्टी

बनाया जाएगा, यह बहुत गलत और देश के टुकड़े करने वाली बात कही है। जिस प्रकार से जिन्नाह ने देश का विभाजन हिन्दू-मुस्लिम के आधार पर किया, उसी प्रकार से फारूख अब्दुल्ला भी नेशन स्टोरी की बात कहकर देश का विभाजन करना कराना चाहते हैं जिसको आप मुख्यमन्त्री बनाने की सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, वह व्यक्ति भी नेशन स्टोरी की बात करके देश के विभाजन को तैयार है और आज वहां स्थिति यह है कि देश की 45 वर्ष की आजादी के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी झंडा फहराया गया, किस तरह से हिन्दुस्तानी झंडे का अपमान किया गया, यह सहन नहीं किया जा सकता है। महोदय, आतंकवादियों की अखबारों में जो फोटो नकाब के साथ छपी हैं, वे कतरनें मेरे पास हैं। पंजाब केसरी में छपी हैं जिनमें आतंकवादी हथियार अपने हाथों में लेकर जुलूस निकाल रहे हैं।

मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा पर आप आपत्ति करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस बारे में वक्तव्य दें। होम मिनिस्टर बैठे हैं, देश इसके कारण बहुत चिन्तित है। जो घटनाएं पिछले 3-4 दिनों में जम्मू क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में हुई है, उनके बारे में भी आप वक्तव्य दें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, किश्तवार में, डोडा में व मंदसौर या बदरवां में 15 तारीख को लगातार 11 घन्टे तक फायरिंग हुई है। मैं उन दिनों वहीं पर था।... (व्यवधान) जो सेना के लोग थे उनको भी किसी तरह का आदेश नहीं था। खुलेआम आतंकवादियों ने 11 घन्टे तक उन्होंने जो चाहा वह किया। वहां पर इस प्रकार के पर्चे बांटे गए। जिनमें खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन की बात कही है जिनमें कहा गया है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो चाहते हैं वह करके रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस बारे में भी वक्तव्य दें।

हम वहां से निकले। ड्योढ़ा में हमारी गाड़ी पर कुछ ही दूर पहुंचे कि फायरिंग की गई है। मैं चाहता हूं कि ड्योढ़ा और बदरवां के बारे में, किश्तवार के बारे में वक्तव्य दें कि 14-15-16 तारीख को जिस प्रकार की घटना घटी, उनके बारे में आपने क्या कार्यवाही की। सेनाबल के कई जवान घायल हुए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जीवन पी० एस० चौहान (अल्मोड़ा) : गृह मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं। उन्हें इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति महोदय, वास्तव में कश्मीर की स्थिति बहुत गम्भीर है और पिछली बार तो हमने, जो विदेश सचिवों की चर्चा होने वाली थी, उसको कैंसल किया, सही किया। अबकी बार आग्रहपूर्वक उसको करवाया। मैं नहीं जानता हूं कि सत्र समाप्त होने से पहले सरकार हमको जानकारी देगी कि नहीं देगी कि उसमें से क्या निकला क्योंकि भारत और पाक संबंधों

के बीच में अगर सबसे जटिल समस्या है तो वह कश्मीर में जिस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसका वर्णन अभी श्री खुराना और पांडेय जी ने किया।

हमारे तीन संसदीय मंडल वहां गए, अभी-अभी टीम्स गई। एक लद्दाख गई, एक बदरवां के उस पार गई और एक पुंछ राजौरी गई। उनकी रिपोर्ट मुझे मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री आकर सूचना दें। लेकिन इतनी गम्भीर स्थिति है, उसका कोई दिग्दर्शन आपके बयानों में से नहीं आता जिसमें लगातार यह कहा जा रहा है कि हम वहां पर चुनाव करवाने वाले हैं।

मैं चाहूंगा कि सत्र समाप्त होने से पहले एक तो विदेश सचिवों की चर्चा इस सन्दर्भ में क्या हुई, उससे संसद को अवगत करवाएं और दूसरे कुल मिलाकर वहां की परिस्थिति के बारे में आप क्या करने वाले हैं, उसकी जानकारी दें।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): महोदय, माननीय सदस्य इस मुद्दे पर मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं तथा विपक्ष के नेता ने उचित रूप से ही इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है। जहां तक सचिव स्तर पर हो रही बातचीत का प्रश्न है। मैं विदेश मंत्री महोदय तक आपकी भावनाओं को पहुंचा दूंगा तथा यह विचार किया जाएगा कि क्या अब हम वर्तमान स्थिति में वापस हट सकते हैं। वर्तमान में यह बातचीत किस चरण तक पहुंच चुकी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

जिस मुद्दे का खुराना जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में तथा श्रीनगर में कुछ स्थानों पर झंडा फहराने सम्बन्धी घटनाओं जैसी पनप रही स्थितियों से हम सब चिन्तित हैं। उन स्थानों पर हुई घटनाओं की हम वास्तविक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। जो कुछ वह कह रहे हैं, उसका अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो मैं सत्र समाप्ति से पहले इस सदन में वापस आकर इस सम्बन्ध में वक्तव्य दूंगा। परन्तु किसी ने भी ऐसा अभी तक नहीं कहा है कि कश्मीर में बिलकुल शान्ति है। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करके हम वहां पर चुनाव करवाना चाहते हैं। इसलिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से आरम्भ की जाएगी। बातचीत द्वारा, विचार-विमर्श द्वारा, कार्यवाही करने तथा जहां आवश्यकता हो वहां ताकत का प्रयोग करके तथा घुसपैठ पर काबू पाकर। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): आप कांग्रेस के पांच मेम्बर लाल चौक पर भिजवा दीजिए। वहां पर जाकर भाषण दे आएं और आप इलेक्शन करवा लें। पांच मेम्बर वहां पर भाषण तो दे नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते और इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं।…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब: जहां तक संभव होगा, हम जानकारी एकत्रित करने की चेष्टा करेंगे।

अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली तो मैं उसे देने के लिए पुन: सभा में उपस्थित हो जाऊंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मद संख्या 16 के अन्तर्गत मन्त्री महोदय का वक्तव्य होगा।

———

3.11 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंजाब में पुलिस कर्मचारियों के परिवारजनों की हत्या की जाने की घटनाएं

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : मैं पंजाब में हुई दु:खद घटनाओं के बारे में इस सदन को सूचित करता हूं, जिनमें पुलिस-कार्मिकों के परिवारों के कई सदस्यों की पिछले कुछ दिनों में हत्या कर दी गई है।

2. चालू वर्ष के दौरान पंजाब में सुरक्षा बलों ने न केवल सामान्य नागरिकों की हत्याओं में कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि कई आतंकवादी गिरोहों का सफाया करने में भी उन्हें सफलता मिली है। वर्ष 1991 के दौरान सामान्य नागरिकों की कुल 1634 हत्याओं के मुकाबले चालू वर्ष में समरूपी अवधि मे 1187 हत्याएं हुई हैं। आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में पिछले तीन महीनों के दौरान महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बल 75 कट्टर आतंकवादियों को मार-गिराने में सफल हुए। इनमें पंजाब में सक्रिय प्रमुख आतंकवादी संगठनों के तीन मुखिया अर्थात् "बी० टी० एफ० के०" का गुरबचन सिंह संधु (?) , के० एल० एफ० का गुरजंत सिंह बुध-सिंहवाला और बब्बर खालसा इन्टर नेशनल का सुखदेव सिंह बब्बर शामिल है। उपर्युक्त मुखियाओं और कट्टर आतंकवादियों के अलावा 1135 अन्य आतंकवादी भी मार गिराए गए। इनके अतिरिक्त 4 कट्टर आतंकवादियों सहित 324 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। सुरक्षा बलों की उपर्युक्त सफलताएं लोगों के दिमागों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुई और वे ऐसी चुनौतियों का बड़े विश्वास और जोर-शोर से सामना करने लगे हैं। पुलिस की कारंवाई करने योग्य आसूचना की प्राप्ति में भी इन दिनों लगातार और स्थाई रूप से वृद्धि होती रही है।

3. कुछ प्रमुख आतंकवादियों के मारे जाने और उनके गिरोहों की संख्या कम हो जाने के कारण पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गिरोहों में आतंक फैल गया है और अपने मनोबल को बढ़ाने के निराशा-पूर्ण प्रयास के रूप मे उन्होंने पिछले कुछ दिनों मे कुछ आसान लक्ष्यों, विशेषरूप से पंजाब के पुलिस कर्मियों के परिवारजनों को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने 9-8-1992 को पंजाब होमगार्ड के 2 व्यक्तियों सहित 2 व्यक्तियों को मार गिराया, 10-8-92 को 2 विशेष पुलिस अधिकारियों और 2 पुलिस कार्मिकों सहित 2? व्यक्तियों को मारा, 11-8-92 को 6 व्यक्तियों को मारा, 13-8-92 को 2 व्यक्तियों को मारा और 16-8-92 को 1 विशेष पुलिस अधिकारी सहित 7 व्यक्तियों को मारा। इस प्रकार से कुल 56 व्यक्ति मारे गए जिनमें से 49 व्यक्ति रिश्तेदार थे और 7 पुलिस कार्मिक थे।

4. यह चुनौती सुरक्षा बलों के ध्यान में है और उन्होंने इस सम्बन्ध में अनेक कार्यवाहियां आरम्भ की हैं ताकि आतंकवादियों की धमकी का सामना किया जा सके और पुलिस कार्मिकों के परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शेष आतंकवादी गिरोहों पर भारी दबाव डालने और पुलिस कार्मिकों तथा उनके परिवारों को पर्याप्त सरक्षण देने के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। पूरे राज्य को सतर्क कर दिया गया है।

5. पंजाब सरकार ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की है। इसमें से 50,000/- रुपए नकद दिए जाएंगे और शेष राशि जमा खाते के रूप में दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक, पंजाब, प्रभावित परिवारों के पास गए और उन्हें सांत्वना दी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि ऐसी घटनाओं से बलों का मनोबल न घटे।

6. मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कायरतापूर्ण कार्य की निन्दा करने तथा मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने में सदन मेरा साथ देगा।

———

3.14 म० प०

लोक लेखा समिति

31वां तथा 32वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :

(1) गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा गन्दी बस्ती सुधार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रम सम्बन्धी 31वां प्रतिवेदन।

(2) लघु औद्योगिक उपक्रमों के आंकलन सम्बन्धी 32वां प्रतिवेदन।

———

3.14½ म० प०

सर्वश्री सूरजभानु सोलंकी तथा दिग्विजय सिंह, संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे पुलिस अधीक्षक, धार, मध्य प्रदेश से प्राप्त, 17 अगस्त, 1992 के निम्नलिखित टेलप्रिंटर सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"सर्वश्री सूरजभानु सोलंकी तथा दिग्विजय सिंह, संसद सदस्यों को 306 अन्य व्यक्तियों सहित, 17 अगस्त, 1992 को धामनोद, जिला धार, मध्य प्रदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत, आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्हें धर्मपुरी, धार की विशेष जेल में रखा गया है।"

3.15 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा सागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 12 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत हो।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 12 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.15½ म० प०

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा सागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, श्री कमलनाथ की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय होने वाली किसी दुर्घटना से उद्भूत नुकसान के लिए कठोर दायित्व का उपबंध करने और व्यक्तियों, सम्पत्ति और पर्यावरण

*दिनांक 18-8-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (2), खण्ड 2 में प्रकाशित।

को हुए नुकसान के लिए राहत और प्रतिकार देने की दृष्टि से, ऐसी दुर्घटना से उद्भुत मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय होने वाली किसी दुर्घटना से उद्भुत नुकसान के लिए कठोर दायित्व का उपबंध करने और व्यक्तियों, सम्पत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए राहत और प्रतिकार देने की दृष्टि से, ऐसी दुर्घटना से उद्भुत मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं ** विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

— ———

सभापति महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उससे पहले मैं जनहित के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति चाहता हूं। मैंने इसकी सूचना दी थी। परन्तु इस तरह की दूसरी चर्चा पर अधिक समय लग जाने के कारण मैं यह मामला उठा नहीं पाया।

सभापति महोदय : हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर की छत से एक बड़ा पत्थर गिर गया है।

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं। (व्यवधान) ऐसी प्रक्रिया नहीं है। कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)*

**भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए सम्बलपुर तथा बारीपेड़ा में जिला केन्द्र स्थापित करने हेतु उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं। उड़ीसा सरकार ने चालू शैक्षिक सत्र के लिए सम्बलपुर तथा बारीपेड़ा में अंग्रेजी भाषा सिखाने के दो जिला केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा इन केन्द्रों पर खर्च होने वाले राज्य के हिस्से का खर्च वहन करने की बात मांगी है। यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पिछले दो वर्षों से लम्बित हैं। ये प्रस्ताव तुरन्त स्वीकृत किए जाने चाहिए ताकि इन केन्द्रों को शुरू करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(दो) उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा उर्वरक संयंत्र में पर्याप्त वायु-प्रदूषण रोधी समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : वायु प्रदूषण से उड़ीसा नगर तथा उसके आसपास के इलाके में गंभीर समस्या पैदा हो गई है। इस्पात संयंत्र की चिमनी से छोड़ी गई लोहे की धूल तथा प्रदूषित धुंआ सारे इलाके में फैल रहा है। लोहे की धूल लोगों की आंखों में गिरती है; विशेषकर दोपहिया चालक इसके कारण समस्या का सामना कर रहे हैं। उनकी आंखों में दर्द होता है तथा कुछ दिनों के उपरांत आंखों में कई किस्म के रोग पैदा हो जाते हैं। यदि लोहे भरी धूल आंखों से तुरन्त न निकाली जाए तो बहुधा मामलों में आंखें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

एक अनुमान के अनुसार आंखों की बीमारी अथवा लोहे भरी धूल आंखों में पड़ने के कारण लगभग 2000 लोग राउरकेला सरकारी अस्पताल में दाखिल होते हैं तथा इतने ही लोगों को इस्पात जनरल अस्पताल में प्रतिवर्ष दाखिल होना पड़ता है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा भारतीय उर्वरक निगम द्वारा स्थापित उर्वरक संयंत्र इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। इन संयंत्रों द्वारा छोड़ी गई लोहा भरी धूल तथा प्रदूषित वायु से अनेक प्रकार के रोग जैसे दमा, क्षय रोग तथा कैंसर आदि हो जाते हैं। परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष हजारों लोगों को उपचार के लिए हस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्री से अनुरोध है कि वह इस्पात तथा उर्वरक मंत्रालयों को इस बात के लिए राजी करें कि वे राउरकेला स्थित संयंत्र तथा उर्वरक संयंत्र में पर्याप्त आधुनिक वायु प्रदूषण निरोधी उपकरण लगाकर प्रदूषण रोकने के दिशा में तुरन्त कदम उठायें।

(तीन) मिजोरम में मलेरिया के कारण हुई मौतों की जांच कराने की आवश्यकता

डा० सी० सिलवेरा (मिजोरम) : पिछले एक वर्ष में मिजोरम में मच्छरों का प्रकोप काफी

बढ़ा है। इसका मुख्य कारण समय पर कीटनाशकों का उपलब्ध न होना है। वर्ष 1991 के दौरान कीटनाशक उपलब्ध न होने के कारण डी०डी०टी० का छिड़काव नहीं हुआ ऐसा समझा जा रहा है कि इसी कारण मच्छरों का प्रकोप तथा मलेरिया के कारण हुई मौतों में भारी वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों से यह तथ्य प्रमाणित होता है। मलेरिया के कारण मौतें वर्ष 1988—16, वर्ष 1989—17, वर्ष 1990—8, वर्ष 1991—12, वर्ष 1992 (जुलाई महीने तक)—23।

चूंकि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम राज्य केन्द्रीय कार्यक्रम है, इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सामग्री तथा नकद सहायता आमतौर पर देरी से प्राप्त होती है, जिसके कारण इस कार्यक्रम में अड़चन पैदा होती है। अतः सरकार से अनुरोध है कि मिजोरम में मलेरिया के कारण हुई मौतों में वृद्धि को देखते हुए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मिजोरम सरकार को दी जाने वाली सहायता तुरन्त भेजी जाए ताकि मलेरिया के कारण हो रही मौतों में वृद्धि को रोका जा सके।

(चार) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : महोदय, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला बस्तर में पिछले 10 वर्षों में हजारों लोग आंत्रशोथ, हैजा, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर आदि बीमारियों से मर चुके है तथा अब भी प्रतिवर्ष मर रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या सर्वाधिक अर्थात् लगभग 60 प्रतिशत या उससे अधिक ही होती है। इस तरह बस्तर में शिशुओं की जन्मदर लगातार घटती जा रही है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरे उत्साह और सख्ती के साथ लागू कर रही है। इसका प्रमाण यह है कि परिवार नियोजन का लक्ष्य हमेशा बस्तर में पूरा किया जाता है एवं विभाग को प्रदेश में प्रथम आने का श्रेय व पुरस्कार भी मिले है। इस कारण आदिवासियों की जन्म दर में काफी कमी आ रही है। अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में जनसंख्या पिछले 15 साल मे बढ़ी ही नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने कभी भी यह सर्वेक्षण नहीं कराया है कि आदिवासियों की जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है। इस अनुपात को जाने बगैर ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को और आगे जारी रखना आदिवासियों का विनाश करने के बराबर है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह बस्तर तथा अन्य आदिवासी जिलों में आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ जन्म दर तथा मृत्यु दर के अनुपात का तत्काल सर्वेक्षण कराएं और उसके बाद ही उन जिलों में परिवार नियोजन का लक्ष्य निर्धारित किया जाए अन्यथा उस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।

(पांच) कोटा, राजस्थान को वायु सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, राजस्थान का कोटा नगर औद्योगिक राजधानी है। दुर्भाग्य है कि सब प्रयत्न करने के बावजूद भी कोटा को वायु सेवा से नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि पूर्व में चालू वायुदूत सेवा को भी रद्द कर दिया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोटा नगर की महत्ता को देखते हुए इसे शीघ्रातिशीघ्र वायुसेवा से जोड़ा जावे।

(छः) उत्तर प्रदेश में हाथरस किला से हाथरस जंक्शन के बीच रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : महोदय, हाथरस किला से हाथरस जंक्शन तक विद्युत-चालित रेलगाड़ी प्रारम्भ किए जाने हेतु सरकार ने 1991-92 तक उक्त रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने का आश्वासन दिया था। जिसके अनुरूप सर्वे कार्य पूर्ण करके कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया किन्तु कार्य की गति इतनी धीमी रही कि उक्त अवधि में कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका और अब कार्य बिल्कुल ही बन्द कर दिया है जिसके कारण सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा नहीं किया जा सका है। क्षेत्रीय जनता को सुचारू रूप से रेल सुविधा न उपलब्ध होने से आवागमन में असुविधाएं हो रही हैं।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि हाथरस किला से हाथरस जंक्शन तक रेल मार्ग को शीघ्र पूरा कराया जाए।

(सात) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि हिन्दी को यथोचित मान्यता प्राप्त हो

श्री रामपूजन पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र ने स्वीकारा है। स्वतंत्र देश की अपनी पहचान भाषा-साहित्य तथा संस्कृति से होती है। जिस देश में अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति नहीं रहती, वह देश सदियों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहता है। देश तो स्वतंत्र है, परन्तु दिल और दिमाग परतन्त्रता की कड़ी से अभी तक अवमुक्त नहीं हो पाया। आवश्यकता है देश को एक सूत्र में बांध कर इसकी सुदृढ़ता, सम्प्रभुता तथा संपन्नता को सुनिश्चित किया जाए। देश के महान विचारकों ने कहा है कि हिन्दी ही एक मात्र भाषा है जो पूरे देश को एकरूपता प्रदान करने में समर्थ है। सुविख्यात उड़िया लेखक कालीचरण पाणिग्रही ने यहां तक कहा था "मैं शुद्ध अंग्रेजी बोलने के बजाए अशुद्ध हिन्दी बोलना पसन्द करता हूं, क्योंकि हिन्दी मेरी राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजियत की बू देश के काम काज में आज भी है, जिससे आम आदमी का बोलचाल कोसों दूर है।

सरकार यह सुनिश्चित करे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में सारी परीक्षाएं वहां की मातृभाषा में हों तथा केन्द्रीय परीक्षाएं राजभाषा हिन्दी में हो। साक्षात्कार में सभी को अपनी मातृभाषा में उत्तर देने की अनुमति हो, जिससे देश के उपेक्षित तथा गरीब वर्ग के मेधावी अभ्यार्थी भी उच्च पदस्थ स्थान पर आसीन होकर देश को नई दिशा देने में योगदान दे सकें। सरकार अहिन्दी भाषी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और बुद्धिजीवियों से हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए विचार-विमर्श करके उनके अनुसार हिन्दी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे देश का कोई क्षेत्र अछूता न रह सके।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं पारंपरिक भावनात्मक एकता को सुदृढ़ रखने के लिए जन-संपर्क भाषा हिन्दी को संविधान के अनुरूप यथोचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाए।

[अनुवाद]

(आठ) पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले की दूर-संचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में पूरे उत्तर दिनाजपुर जिले में गत कुछ महीनों से दूरसंचार विभाग के स्थानीय और ट्रंक सेवा में लगातार गड़बड़ी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक दूरसंचार सेवाएं खराब पड़ी हैं। दूरसंचार विभाग का ध्यान इस ओर बार-बार दिलाया गया लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया है। मुख्य महा-महाप्रबन्धक पश्चिम बंगाल दूरसंचार विभाग को भी इस स्थिति से अवगत कराया गया। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। ट्रंक सर्किट में दूरसंचार की विफलता के कारण सरकार की राजस्व की भारी हानि और आम जनता को भी परेशानी हो रही है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में तत्काल कार्यवाही करे ताकि उत्तर दिनाजपुर में दूरसंचार सेवाओं को फिर से चालू किया जा सके।

3.29 म०प०

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संबंधित विषयों के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

जैसाकि सभा जानती है हमारी उत्तरी सीमा पर चीनी आक्रमण के कारण अक्तूबर, 1962 में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन हुआ था। यह बल एक संगठित गैर-पारम्परिक गुरिल्ला-

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

छापामार-लड़ाकू बल के रूप में बनाया गया था और इसे दुर्गम हिमालय में कार्य करना था। इसके गठन के समय से ही इसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समुद्र तल से 9,000 से 19,000 फुट की ऊंचाई पर दूरदराज की उत्तरी सीमाओं पर सेना की रक्षा पंक्ति से आगे तैनात कर दिया गया। यह सीमा पर निगरानी के कार्य सहित अपनी भूमिका का निर्वाह कारगर रूप से कर रहा है।

इसके अलावा गत तीन दशकों में इसे अत्यंत खतरे से पूर्ण अतिविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, बैंक सुरक्षा तथा पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में आतंकवादी विरोधी कार्यवाही में भाग लेने का बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्राप्त विशेषताओं के कारण इसकी अपनी पहचान बन गई है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अपने गठन के समय से ही समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल नियम, 1955 के तहत सचालित हो रहा है। फिर भी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की भूमिका केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल से भिन्न है क्योंकि इसके तहत सीमाओं पर रहने वाली जनता में सुरक्षा का भावना उत्पन्न करना, सीमा पार यातायात पर नियंत्रण, कारगर सीमा निगरानी सुनिश्चित करना और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सेना के संचालन नियत्रण के तहत कार्य करना शामिल है। इस भूमिका में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल से भिन्न प्रकार के कानूनी उपबन्धों की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए एक पृथक अधिनियम की जरूरत है, इससे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों मे गर्व उत्पन्न होगा।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक की कुछ मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूंगा। इस बल को दी गई संवेदनशील भूमिका के तहत यह अनिवार्य है कि इसके कर्मियों में अनुशासन और कुशलता का उच्चतम स्तर कायम रखा जाए। ऐसा इस बल के सदस्यों में सख्त संहिता लागू करके ही किया जा सकता है। इसीलिए इस विधेयक में उपयुक्त दंडात्मक और अनुशासनात्मक उपबन्ध शामिल किए गए हैं। इस विधेयक को तैयार करते समय सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और कुछ मामलों में सेना अधिनियम के उपबन्धों को लिया गया है। फिर भी आवश्यकतानुसार तब्दीलियां भी की गई हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि विधेयक मुख्यत: इस बल के बुनियादी स्वरूप से सम्बद्ध है और प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक विवरण के बारे में नहीं है, ये तथा सेवा शर्तें इत्यादि खंड 156 के तहत बनाए गए नियम के भाग होंगे।

सैन्य बलों में समय-समय पर सैनिक बैठक और बल के सदस्यों की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए अनुरोध कक्ष की अन्तर्निहित प्रणाली है। यह विधेयक अभ्यावेदन या शिकायत होने पर याचिका को वैधानिक अधिकार देता है। फिर भी सदस्यों में अनुशासन का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सेना को सचालित करने वाले कानून में भी ऐसे ही उपबन्ध हैं।

इस बल को देश की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करनी होती है और इसके लिए सदस्य

अत्यधिक त्याग करते हैं और अगर कोई कार्य देश की सुरक्षा और अखंडता के विरुद्ध होता है तो उस पर सख्त कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिए कड़ी सजा के प्रावधान और ऐसी सजाएं देने के लिए बल के न्यायालयों को शक्तियां देने की बहुत जरूरत है।

बल के न्यायालय को ऐसी शक्तियों पर अंकुश रखने और अन्याय और एकतरफा फैसले की संभावना कम करने के लिए बल के न्यायालय द्वारा दी गई सजा की उचित प्राधिकारी द्वारा पुष्टि अनिवार्य बनाई गई है। इसके अलावा सजा देने के खिलाफ अभियुक्त को वैधानिक अधिकार दिया गया है कि वह नियत प्राधिकारी को पुष्टि पूर्व और पुष्टि के बाद याचिका दे सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा स्वतः कार्यवाही की समीक्षा का उपबन्ध भी दिया गया है। इन पुष्टि याचिकाओं की जांच न्यायधीश महान्यायवादी द्वारा की जानी है जो मुकद्दमे से जुड़ा नहीं होता। इस प्रकार अन्तर्निहित व्यवस्था के तहत सजा के मामले में सदस्यों को न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है।

इस बल के कारगर और कुशल उपयोग के लिए केन्द्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह कुछ शर्तों और सीमाओं के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय अधिनियमों जैसे आपराधिक दंड संहिता, सीमा शुल्क अधिनियम इत्यादि के तहत इस बल के अधिकारियों को शक्तियां और कार्य सुपुर्द कर सकती है। ऐसी ही शक्तियां राज्य अधिनियमों के तहत राज्य सरकारों की सहमति से बल के कर्मियों को दी जा सकती है। ऐसे उपबन्ध भी सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तटरक्षक इत्यादि के अधिनियमों में भी मौजूद हैं।

महोदय, दूसरी सभा में इस विधेयक का आमतौर पर स्वागत किया गया और मुझे आशा है कि इस सभा में भी सभी सदस्य इसका स्वागत करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे और इसे स्वीकृति दे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन का उपबंध करने करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, इस भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक, 1992 के तहत, जैसाकि मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है, ऐसा विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है जो एक सख्त कदम है। यह अधिनियम उस बल पर लागू है जो पहले से एक वर्दीधारी बल है और कुछ नियमों, विनियमों तथा सेवा में कुछ शर्तों से बंधा है।

जैसाकि उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है, यह बल अक्तूबर, 1962 को गठित हुआ था और इसे केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल से संबंधित नियमों के तहत संचालित किया जा रहा है। इसलिए इसके अस्तित्व के 30 वर्ष बाद अब एक विधेयक लाने का औचित्य मंत्री द्वारा स्पष्ट किया

जाना चाहिए था। उनके संक्षिप्त वक्तव्य तथा उद्देश्य और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि कुछ बदली हुई परिस्थितियों और गत तीन दशकों के अनुभव से यह महसूस किया गया है कि इस बल को एक पृथक पूर्ण विधान द्वारा संचालित किया जाए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह स्पष्ट करें कि ऐसा क्या अनुभव प्राप्त हुआ है और वे क्या परिवर्तन हुए हैं कि उन्हें नियमों और विनियमों का एक पृथक स्वरूप तैयार करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

मैं थोड़ा बाद में इस बारे में विस्तार से बोलूंगा लेकिन मुझे लगता है कि ये तो वस्तुत: सेना अधिनियम कि प्रति हैं। मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल पर लागू सामान्य कानून और विशेष कानूनों के तहत मौजूदा नियमों और विनियमों से संबद्ध कठिनाइयों के बारे में भी जानना चाहूंगा।

उद्देश्य और कारणों के कथन के संबंध में मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। इस बल को दिए गए दायित्व बहुत निष्पक्ष नहीं हैं। वास्तव में विभिन्न दायित्वों को मिला दिया गया है। यह सही नहीं है कि आप किसी बल को अनेक प्रकार के ऐसे दायित्व सौंप दें, जो एक-दूसरे से मेल न खाते हों। मैं उनके कर्तव्य पढ़ता हूं। इस बल को उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों मे सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने और सीमा पार के अपराध रोकने का दायित्व दिया गया है। इतना तो ठीक है। लेकिन उन्हें तस्करी और भारतीय सीमा में अनधिकृत प्रवेश को रोकने का कार्य भी अन्य सुरक्षा बलों से समन्वय रखकर करना है। इसके अतिरिक्त इस बल को आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, बैंक सुरक्षा का कार्य तथा अन्य संबंधित कार्य भी दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि ये तो इस बल के कर्तव्यों का एक भाग मात्र हैं। मेरा कहना है कि एक तरफ तो आप बल को शत्रु के खिलाफ कार्यवाही का दायित्व देते हैं और दूसरी तरफ उन्हें कानून और व्यवस्था लागू करने के नाम पर अपने ही लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उपयोग करते हैं। काफी समय से आप सेना के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। जो लोग सीमा पर हैं वे सीमा पर ही कार्य करें और जो हमारे लोगों के विरुद्ध ही आन्तरिक सुरक्षा के लिए चाहिए वे केवल पुलिस का कार्य करें। इन दो कर्तव्यों को इस प्रकार एक-दूसरे से न मिलाया जाए।

मैं तीसरी बात यह करना चाहता हूं। मैंने इस विधेयक का अध्ययन करके यह पाया है कि यह वस्तुत: सेना अधिनियम है और यह इस हद तक है कि विभिन्न सजाएं, अपराध इत्यादि शब्दश: नकल की गई है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इस विधेयक का खण्ड 17 सेना अधिनियम के खण्ड 34 की तरह ही है। इसी तरह खण्ड 18 सेना अधिनियम के खण्ड 36 से संबंधित है। और सब में भी इसी तरह की बात है।

इसी तरह दण्ड देने सम्बन्धी मामला भी एक जैसा है इसका जिक्र पृष्ठ 17 से 20 पर किया गया है। जो भी दण्ड सेना अधिनियम में दिए गए हैं वे ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस विधेयक में शामिल किए गए हैं। इसमें मृत्यु दण्ड भी शामिल है। जब आप मृत्यु दण्ड जैसे दण्ड की बात करते हैं तो जहां तक दुश्मन के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही है, उसमें तो यह समझ मे आता है लेकिन इसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस जैसे बल मे शामिल करना, जोकि उस श्रेणी में नही आता है, ठीक नहीं है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत तिब्बत सीमा पुलिस को भी सेना अधिनियम जैसे अधिनियम के अन्तर्गत जान-बूझकर लाया जा रहा है। यदि ऐसी बात है तो यह कहना ठीक नहीं

होगा कि यह बल एक अलग अधिनियम के अन्तर्गत आने की बजाय सेना के अधीन आ जाएगा? यदि इसकी कोई और वजह है तो हम यह सब जानना चाहेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि मृत्यु दण्ड सम्बन्धी दण्ड पर पुनः गौर किए जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार से अधिनियम में शामिल किए जाने के लिए यह सही दण्ड नहीं है। जहां तक पृष्ठ 17, पैरा 56(1) की बात है आपने यहां कतिपय दण्डों का जिक्र किया है, जो कि अधिनस्थ अधिकारियों को दिए जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सेना अधिनियम (संशोधन) विधेयक में जो कि आज लाया जा रहा है, यह प्रावधान है कि कनिष्ठ अधिकारियों से सम्बन्धित न्याय देने की गति को तेज करने की दृष्टि से ये कतिपय दण्ड देने के अधिकार यूनिट कमान्डरों को दिए जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इसमें जो भी संशोधन किए जाएं, चाहे वो उदारीकरण के हों या प्रशासनिक तौर पर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को और आसान करने के सम्बन्ध में हों, यहां भी सेना अधिनियम कार्यान्वित किया जाना चाहिए अन्यथा जो लाभ सेना को दिए गए हैं, वे इन्हें नहीं मिलेंगे।

सेना अधिनियम की तरह वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में भी एक खण्ड इस विधेयक में शामिल किया गया है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि सिपाहियों को दण्ड देने की जो अवधारणा सेना या भारत तिब्बत सीमा पुलिस में है, उसकी आर्थिक दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए। सेना में एक स्थायी निर्देश दिया गया है कि सरकारी सम्पत्ति के नुकसान के लिए जुर्माना किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और इस खण्ड अर्थात 61(क) को हटा दिया जाना चाहिए। सरकारी सम्पत्ति को नुकसान या इसी प्रकार के मामलों को छोड़कर वित्तीय जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

अब मैं संक्षिप्त निपटान वाले एक अन्य रुचिकर पहलू को लूंगा। हम सेना में समरी कोर्ट मार्शल कहते हैं। यहां हम समरी सैन्य बल न्यायालय कहते हैं। सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति जो कि अभियोजक है या एक व्यक्ति जो कि आरोप लगाता है वह यहां न्यायाधीश भी होता है। एक यूनिट कमांडर जो कि यह निर्णय देता है कि एक व्यक्ति ने अपराध किया है वह यह भी निर्णय करता है कि उसे क्या दण्ड दिया जाए। आमतौर पर इस तरह की प्रक्रिया को अच्छा नहीं समझा जाता है। अभियोजक और न्यायाधीश एक ही नहीं होने चाहिए। सेना में यह कुछ वजह से चल रहा है लेकिन भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भी यह बात लागू करना उचित नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पहलू की समीक्षा करें। यदि मंत्री महोदय इस उपबन्ध को बरकरार रखना चाहते हैं तो वह कृपया इसका औचित्य बतायें।

इसी तरह संक्षिप्त दण्ड भी है। संक्षिप्त निपटान का अर्थ है कि कमान अधिकारी किसी व्यक्ति को एक वर्ष तक दण्ड दे सकता है। वह उस व्यक्ति के पास जाता है, उस व्यक्ति को सुनता है और फिर उसे एक वर्ष का दण्ड देकर इस मामले को निपटा लिया जाता है। ऐसा यहां किया जा रहा है क्योंकि यह सेना में किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस में इसी तरह का दण्ड दिया जाना चाहिए। इसकी भी समीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

मैं अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि एक अपीलीय प्राधिकारी होना चाहिए। आपने सेना में न्यायाधीश, महाधिवक्ता या इसी तरह की कुछ बात की, लेकिन इस सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात

की है कि संक्षिप्त न्यायालय, कोर्ट मार्शल या अन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दण्डों को वास्तविक रूप से लागू करने से पहले एक न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए या ऐसे दण्ड जो कि कड़ा हो, वहां संबद्ध व्यक्ति को एक अलग सिविल अपीलीय प्राधिकारी के पास जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, ताकि तुरन्त न्याय किया जा सके और उसे सिविल न्यायालयों में पिछले न्यायालय के आदेश से बंधे न रहकर निर्बाध रूप में जाने के लिए ज्यादा लम्बे समय तक इन्तजार न करना पड़े।

अतः आपके जरिये मेरा यह सुझाव है कि यद्यपि मैं कठोरता बरतने की आवश्यकता को मानता हूं, लेकिन फिर भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जैसे बल पर इतनी कड़ी आचार संहिता लागू करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इस सबको उनके पिछले कार्य निष्पादन के संदर्भ में गौर करना चाहिए और उनके उन कामों के संदर्भ में देखना चाहिए जो उन्हें सौंपे जाते हैं और इस सम्बन्ध में केवल सेना से तुलना ठीक नहीं है, जिसकी एक अलग ही भूमिका है खासतौर पर दुश्मन के सम्बन्ध में। अतः मेरा सुझाव है कि इस अधिनियम की इस संदर्भ में समीक्षा की जानी चाहिए।

श्री सुधीर सावत (राजापुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन उस समय किया गया, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा था। इसे 1962 में गठित किया गया था। उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तैनात करने के लिए ऐसे किसी बल की कमी थी। अतः भारत तिब्बत सीमा पुलिस की उत्पत्ति हुई। आज हमें यह देखना है कि जिन परिस्थितियों में इस बल का गठन जरूरी हो गया था क्या वे आज भी सुसंगत है। इसके बारे में मैं और कुछ बाद में बोलूंगा।

लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं इस विधेयक का इस वजह से स्वागत करता हूं कि अंततः इस बल के अधिकार इस तरह के किसी दस्तावेज का सहारा ले सकते हैं। तथापि, ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि श्री खन्डूरी ने अभी कहा था कि इस विधेयक को सेना अधिनियम और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के कुछ भाग लेकर बनाया गया है। मैं समझता हूं कि नये बल की आवश्यकता के अनुरूप क्या जरूरी है, इस सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया गया। सेना अधिनियम की सभी खामियां इसमें जोड़ दी गई हैं। उदाहरण के लिए संक्षिप्त निपटान के मामले को लीजिए। जैसे कि श्री खन्डूरी ने कहा है यह कठोर उपाय है। सेना अधिनियम पर बोलते हुए हम इस मुद्दे पर भी बोलेंगे। भारतीय सेना अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा इस देश की पैदल सेना को अपने वश में लाने के लिए लाया गया था और आज तक भी उसी संदर्भ में ये औपनिवेशिक विरासत सेना में चल रही है। संक्षिप्त निपटान का उदाहरण लीजिए। जिस व्यक्ति को दण्ड देना है वह कमान अधिकारी के पास जाता है और कमान अधिकारी उसे सश्रम कारावास का दण्ड देता है, फिर उसे बल से निकाल देते हैं और जेल में डाल देते हैं।

यहां इस पर कोई अपील नहीं होती है। स्वतंत्र भारत में मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई स्थिति होनी चाहिए, जहां मानव अधिकारों का हनन हो, जहां लोगों को इसलिए जेल भेजा जाए कि उसकी कमीज में बटन नहीं हैं या कोई बुखार की वजह से एक दिन की छुट्टी पर हो, तो उसे एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है। ये सब बातें आज हो रही हैं। कुछ मामलों में व्यक्तिगत पहलू की भी मुख्य भूमिका है। कुल मिलाकर इस सम्बन्ध में अधिकारी वर्ग उत्तरदायी हैं, निर्णय निष्पक्ष होते हैं लेकिन

उन उदाहरणों का क्या करें जहां ज्यादतियां होती हैं, जहां निर्णय देते हुए व्यक्तिगत राग-द्वेष सामने आते हैं।

इस विधेयक में धारा 25 और 43 है। धारा 26 अशोभनीय आचरण के बारे में है। इसका क्या मतलब है ? विधेयक में जो यह बात लाई गई है, वह सेना अधिनियम के तहत अपराध है। धारा 26 अनुचित आचरण से संबद्ध है। और इस सम्बन्ध में अर्थात् अशोभनीय आचरण के बारे मे फैसला अधिकारी या प्राधिकारी विशेष के ऊपर निर्भर है, वह किसी भी तरह से निर्णय ले सकता है। मैं इस धारा को इसमें शामिल करने का पूरी तरह से विरोध करता हूं। धारा 43 भी है जिसमें अच्छी व्यवस्था और अनुशासन के उल्लंघन की बात है। अच्छी व्यवस्था और अनुशासन क्या है ? इसको यहां ऐसे कहा गया है कि जहां आप किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मे कोई विशेष गलती न निकाल सकें उसे धारा 43 में रखते हैं। यह तो सेना अधिनियम 1963 की ही नकल है। यदि कोई व्यक्ति ठीक ढंग से खड़ा नहीं होता है तो उसे सेना अधिनियम 1963 और भारत तिब्बत सीमा पुलिस विधेयक के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है। अतः ये चीजें यन्त्रवत हो जाती हैं और उन्हें 7 वर्ष तक की सजा भुगतनी पड़ती है। किस वजह से ? यह तो अच्छी व्यवस्था और अनुशासन का उल्लंघन करने की वजह से दे दिया गया, लेकिन यह मनमाने ढंग से किया जाता है। इसीलिए किसी भी अधिनियम या किसी विधेयक में जहां मनमानी करने की गुंजाइश हो, ऐसे अधिनियम की निन्दा की जानी चाहिए, इसे आधुनिक भारत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

हमने भारतीय सेना अधिनियम ब्रिटिश काल के सेना अधिनियम से तैयार किया है। ब्रिटिश लोगों का भारतीय सेना और अपने लिए भिन्न-भिन्न सेना अधिनियम थे। अब इस सेना अधिनियम को लेकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस विधेयक बनाया गया। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक के खण्डों पर गम्भीरता से पुनर्विचार करें, क्योंकि हम इस विधेयक को इसके इस रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसमें यह धारा क्यों है ? आज की इस परिस्थिति में संक्षिप्त निपटान क्यों हो ? इस विधेयक में कई खामियां हैं जिन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं सबसे अधिक मूलभूत मुद्दे की बात करूंगा, जिसके बारे में हमे स्वयं से पूछना चाहिए अर्थात् अर्धसैनिक बलों के संगठन के बारे में। क्या आज हमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास सीमा सुरक्षा बल मौजूद हो, असम राईफल्स हो, सी०आर०पी०एफ० हो। इनमें से तीन तो एक ही कार्य करती हैं। असम राईफल को भी इस देश की सीमाओं की चौकसी करनी पड़ती है। ज्यादा बलों को रखना भी बेकार हुआ है, ज्यादा संख्या में बलों के होने से और कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि इससे इस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप नये बल रखना चाहते हैं तो आपको इनके मुख्यालय भी रखने होंगे, यदि आप नया बल बनायेंगे तो, कर्मचारी चाहिए प्रशिक्षण सुविधा देनी होगी, करोड़ों रुपए का राजकोष इस तरह की गतिविधियों पर लगेगा तथा इससे जमीन पर कोई बात नहीं बनेगी।

आज हमें वे व्यक्ति चाहिए जो जमीन पर रहकर कार्य करें और हमें अपने खर्च कम करने चाहिए। मैंने कुल मिलाकर पूरे रक्षा बजट अनुपातों पर गौर किया है। इसी तरह अर्धसैनिक बलों के कुल बजट को अपनी जरूरत के मुताबिक ठीक किया जाना चाहिए। अतः हमें देखना चाहिए कि भारत

तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक की इस रूप में आज आवश्यकता है या इसे सीमा सुरक्षा बल के साथ ही मिला दिया जाए या सीमा सुरक्षा बल को भारत तिब्बत पुलिस बल के साथ मिला लिया जाए।

हम इसे वहन नहीं कर सकते। आतंकवादी कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए एक दूसरा बल गठित करने का एक विशेष उद्देश्य होता है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स बल को किसी अन्य प्रयोजन केलिए सृजित किया था लेकिन अब इसे किसी दूसरे कार्यों में लगा दिया गया है। आपने सेना में एक अन्य विशेष बल 'राष्ट्रीय रायफल्स' का गठन किया है। राष्ट्रीय रायफल्स से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, मैं नहीं जानता। इस सम्बन्ध में हम अधिकाधिक बलों का गठन करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लेना चाहिए। आप देखिए, जम्मू और कश्मीर में कई बल संचालित हैं। उनमें परस्पर कोई समन्वय नहीं है। एक-दूसरे पर गोलाबारी की घटनाएं हो रही हैं। जनता उनकी अपनी ही गोली से मर रही है। यह सब उनके बीच समन्वय न होने के कारण ही हो रहा है। हमें इस विशेष मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : ऐसा कहां हुआ है ?

श्री सुधीर सावंत : यह उस समय की बात है जब मैं सेना में था। मैं इसे इस समय नहीं बता सकता। लेकिन वहां ऐसा ही हो रहा है। मैं इसके बारे म आपको अलग से बता सकता हू।

दूसरा, मैं आपका ध्यान सीमाशुल्क के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को तस्करी-विरोधी कार्यवाही करनी होती है। लेकिन सीमाशुल्क अधिनियम लागू करने के बारे मे क्या कहा गया है ? भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को इस सम्बन्ध मे जांच करने, जांच करवाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा नहीं चला सकती। आप इसे क्या कहते हैं, एक पुलिस बल ? जहां तक सीमा शुल्क और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का सम्बन्ध है इन सीमावर्ती क्षेत्रो मे इनके बीच काफी प्रतिद्वन्द्वात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के पास सीमा शुल्क की जांच करवाने अथवा इस सम्बन्ध में किसी पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह पुलिस तस्करी-विरोधी भूमिका कैसे निभा सकती है।

मैंने सभा के समक्ष अपने कुछ विचार रखे थे। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय हित में इन पहलुओं पर विचार करे।

सर्वप्रथम हमें एक ऐसी सुदृढ़ नीति तैयार करनी चाहिए जिससे सभी अर्ध-सैनिक बलों की पुनरीक्षा की जाए और इन्हें इस देश की आवश्यकता के उच्चतम स्तर तक विकसित किया जा सके।

दूसरे, मैं अपीलीय अधिकार के बारे में मेजर जनरल खन्डूरी द्वारा उठाए गए मुद्दे के सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहूंगा, इसे दोहराना चाहूंगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लगाई गई अपील सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी आवश्यक हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कार्यकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर लिए गए किसी भी निर्णय के अपीलीय पक्ष की जांच करने हेतु अर्धसैनिक बलों के लिए एक विशेष न्यायालय के गठन पर विचार किया जाए। धन्यवाद महोदय।

3 59 म० प०

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

*श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई): सभापति महोदय, मैं अपनी मातृभाषा में बोलूंगा। मानव के जन्म से ही वह सभी विषमताओं से जूझता आया है। प्रारम्भ में उन्होंने संघर्ष किया और बाद में वे संगठित हुए तथा उन्होंने एक ग्रुप का गठन किया। इस प्रकार समाज अस्तित्व में आया। वे समाज का हिस्सा बन गए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के साधनोपाय ढूंढने का प्रयास करने लगे। लेकिन कुछ समय पश्चात् समाज का एक हिस्सा जिसे हम अधिकारवादी बल के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं, समाज पर अपना अधिकार और सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था और यह हिस्सा समाज से अलग हो गया और इससे समाज विभाजित हो गया। हमने देखा है कि इन सत्तावादी बलों ने राज्य में ऐसा तंत्र सृजित कर दिया जिससे उनके अपने हित सुरक्षित रहें। ऐसे राज्य तंत्र के सृजित होने के बाद विवाद की शुरुआत आवश्यम्भावी थी। मनुष्य और राज्य तंत्र के बीच ऐसा विवाद नई बात नहीं है। शुरू से ही यह उनका अधिकार रहा है। राज्य तंत्र ऐसे नियम और कानून बनाता है जिससे उनके अपने हित सुरक्षित रहें अथवा दूसरे शब्दों में समाज के कुछ वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। इस प्रकार राज्य तंत्र और मनुष्य के बीच शुरू हुआ विवाद निरन्तर चला आ रहा है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक, 1992 पारित किया जा रहा है। इसलिए पहले हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सरकार और आम सैनिक के बीच विवाद तो निश्चित रूप से होगा ही। सभापति महोदय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन 1962 में भारत-चीन सीमा विवाद के

4.00 म० प०

दौरान हुआ। इस बल का दोहरा कार्य है। एक ओर इसे सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने, सीमा के पार होने वाले अपराधों, तस्करी को रोकने और भारतीय सीमा में घुसपैठ अथवा यहां से गैर-कानूनी रूप से सीमा पार जाने पर रोक लगाने का दायित्व सौंपा गया है तो दूसरी ओर इस बल को आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में बैंक सुरक्षा और अन्य संवेदनशील कार्यों के लिए तैनात किया जाता है। इस प्रकार इस बल को बाह्य और आंतरिक दोनों कार्य सौंपे गए हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि पुलिस और सेना के कार्यकरण में एक मूलभूत अन्तर है। पुलिस और सेना की कार्यवाही को बराबरी का दर्जा देना उचित नहीं है। उनका कार्यक्षेत्र अलग-अलग है। उनके कार्य को समानता की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल को भिन्न तरह की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस बल की सेवा शर्तों का उल्लेख विधेयक के उपबंधों में किया गया है। इन शर्तों का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस बल के कार्यकरण सम्बन्धी व्यवस्था का निर्धारण इस प्रकार किया जाए जिससे इस बल को अधिक क्षमता एवं अनुशासन में संचालित किया जा सके। पुलिस और सेना के कार्यों को बराबरी की दृष्टि से आंकना उचित नहीं है और इस बल को पुलिस ड्यूटी के लिए तैनात करना भी उचित नहीं है। हमें इस तरह का दृष्टिकोण अपनाकर ही समूचे मामले का आकलन करना चाहिए। अन्यथा विधेयक का मूल प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा।

---

*मूलतः बंगला भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, इस बल को बैंक सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है और इसका प्रयोग बैंक डकैती को रोकने के लिए किया जाता है। और इस बल को एशियाई खेल कैं० खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया। इसके अतिरिक्त इस बल को आंतरिक दंगा-फसाद जैसी घटनाओं को रोकने का भी दायित्व सौंपा गया है। लेकिन इस बल का प्रयोग आंतरिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग हमारी सीमा की रक्षा-सुरक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्हें बाहरी ताकतों से लड़ने और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। महोदय, राज्य की प्रवृत्ति सेना को अमानवीय बनाने की है। हमने यह प्रवृत्ति दासता, सामंतवाद के दिनों से पूंजीवादी प्रथा तक देखी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांस्कृतिक पहलू और विकासात्मक पहलू की उपेक्षा कर दी जाती है। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस बल का मानसिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का विकास इस तरह से हो जिससे बल की कार्यक्षमता और अनुशासन के मानदण्ड अपनी शीर्षावस्था को प्राप्त हों। उनकी स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक गौर किया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक के खण्ड 13 में यह व्यवस्था की गई है कि बल के सदस्यों पर ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, राजनैतिक सम्बद्धता आदि में भाग लेने पर प्रतिबन्ध रहेगा। महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उन्हें यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने से क्यों रोका जाए। अपनी मानसिक क्षमता और व्यक्तित्व को विकसित करना मनुष्य का लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे संविधान में यह अधिकार दिए गए हैं कि व्यक्ति अपने विचार यूनियनों, एसोसिएशनों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। इस सुरक्षा बल को इस संवैधानिक अधिकार से क्यों वंचित रखा जाए? आज हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच विवाद पैदा करने के लिए धर्म का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है।

पुलिस साम्प्रदायिक दंगों में अपने धर्म के लोगों को बचाकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है। अब बल को धार्मिक एसोसिएशन में भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन उन पर ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, राजनैतिक एसोसिएशन में भाग लेने पर प्रतिबन्ध रहेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति ने बल के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया है। हमें यह देखना होगा कि भारत-तिब्बत सीमा बल के प्रत्येक सदस्य का लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहे।

जहां तक दण्ड का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि अधिकारियों और साधारण सैनिकों के बीच दण्ड व्यवस्था में अन्तर है। लेकिन यह उचित नहीं है। उनके साथ एक समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में विधेयक में उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था में भिन्नता दर्शायी गई है। हम समझते हैं कि सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध और अन्य आपराधिक कृत्यों पर एक समान रवैया अपनाया जाना चाहिए। इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अधिकारी और साधारण सैनिक पर एक ही नियम लागू होने चाहिए।

हमें समाचार पत्रों और कभी-कभी सेना में जानकार लोगों से यह पता चलता है कि सेना में भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। मंत्री महोदय के अनुसार वहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आंतरिक व्यवस्था की गई है। यह किस तरह का दण्ड विधान है? वहां दो प्रकार का भ्रष्टाचार है। एक व्यक्ति से सम्बन्धित है और दूसरा आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यह भ्रष्टाचार आंतरिक व्यवस्था

से नहीं रोका जा सकता। मेरा सुझाव तो यह है कि बाहरी दुश्मनों से बचाव के लिए अनिवार्य गोपनीयता बनाई रखनी चाहिए। लेकिन, प्रशासन आदि अन्य बातों के सम्बन्ध में गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में खुली चर्चा होनी चाहिए।

महोदय, हम सेना की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत हैं। 1962 से यह बल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, इसकी भूमिका प्रशंसनीय है। हम उनके कुशल कार्य के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हम उनके चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए जिसे वे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमें उनसे यह भी अनुरोध करना चाहिए कि वे और अधिक सजग रहें ताकि पाकिस्तानी गुरिल्ला प्रशिक्षित कमान्डो हमारे भूभाग में प्रवेश न कर सकें। हम इस सभा के माध्यम से सेना से यह अनुरोध करते हैं कि मातृभूमि की रक्षा का उनका कार्य अत्यधिक प्रशंसनीय है और उनसे और अधिक जागरूकता और सजगता की आशा करते हैं।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर तक फैले काफी लम्बे और 2800 से 5400 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैली सीमा की जलवायु की अत्यन्त प्रतिकूल स्थितियों में रक्षा करने के अलावा वे विभिन्न अन्य कार्यों में सहायता कर रहे हैं जैसे इन्हें राजधानी में अनेक अति विशिष्ट लोगों की और विदेशों में स्थित हमारे उच्चायोगों एवं पंजाब में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि पंजाब सतत आतंकवादी गतिविधियों के कारण समस्याग्रस्त राज्य बना हुआ है, इसलिए यहां और अधिक सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है।

मेरे विद्वान सहयोगी मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी और श्री सुधीर सावन्त, जिन्हें सैन्य बलों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसलिए मैं अपने मित्रों की बातों को नहीं दोहराऊंगा। मैं इस अवसर का उपयोग इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को केवल दो सुझाव देने के लिए करूंगा।

1962 में इस बल के गठन के तीन दशक के बाद यह विधेयक लाया गया है। इसलिए हमें इस विधेयक का पूरा अध्ययन करना चाहिए। यदि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्य कर रहे लोगों द्वारा कुछ गलतियां, चूक हो जाती है इस विधेयक में इस बात का उल्लेख किया है कि उक्त गलतियों के लिए उनकी जांच किस प्रकार की जाए और उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

चूंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देने का साहस नहीं करूंगा।

मेरा सरकार से यह सुझाव है कि कृपया वर्तमान प्रावधानों को जांचा जाए कि इनसे उनके परिवारों की किस तरह से मदद की जा सकती है और नीति में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं जिससे

उन लोगों के परिवारों की उदारता से मदद की जा सके जो कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में सेवारत हैं और जो अपने कर्तव्य-पालन के दौरान अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।

मैं एक और सुझाव भी देना चाहता हूं। जिन परिस्थितियों तथा विकट जलवायु स्थितियों के अन्तर्गत उन्हें अपना कर्तव्य पालन करना होता है, उनको ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति लाभ उठाने के लिए जितना सेवाकाल उनके लिए अनिवार्य रखा गया है उसमें कमी की जानी चाहिए अथवा इसके विकल्प में सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों में वृद्धि की जानी चाहिए।

मैं, माननीय मंत्री जी को ये दो सुझाव देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक इस सदन में 32 वर्षों के बाद मन्त्री जी द्वारा लाया गया है। सबसे पहली बातें जो हम माननीय मंत्री जी से साफ करना चाहते हैं, वह यह है कि ऐसी कौन सी कठिनाई आ गई है कि पुराने कानून से काम नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से अब यह बिल लाए हैं? दूसरी बात यह है, सीमा सुरक्षा बल बाहरी खतरों से देश को बचाने के लिए बनाने गया है। देश के हित में उससे कानून व्यवस्था के नाम पर काम लिया जाता है जिससे बहुत खतरा महसूस होना चाहिए। तीसरा हमारा कहना यह है कि हमारे देश में जो अर्द्ध सैनिक बल का भिन्न-भिन्न तरह से गठन हुआ है जैसे सी०आर०पी०, बी०एस०एफ०, आतंक विरोधी बल और इस तरह से भारतीय तिब्बत और सुरक्षा बल का जो यह गठन हुआ है इन सबका एक ही काम है। लेकिन यह भिन्न-भिन्न तरह से गठन करके, अलग-अलग करके, इसको हम मानते हैं कि यह सब बल देश के बचाव के लिए बनाया गया है लेकिन हम सभी बलों से इस वक्त एक ही काम ले रहे हैं। देश के अन्दर जो कानून, व्यवस्था बिगड़ रही है उसी को काम में लगा रहे हैं।

चौथी बात यह है कि इस बिल में जो सजा देने का प्रावधान रखा गया है इसमें दो तरह की चीजें हैं—एक है सजा में अधिकारी के लिए कुछ दण्ड और उनके सिपाहियों के लिए कुछ दण्ड दिया गया है। पहले अंग्रेज राज्य में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि भारतीय सैनिक को या भारतीय अधिकारियों को कुछ सजा मिलती थी और इंग्लैंड वालों को कुछ सजा मिलती थी। आज के समय में, वर्तमान युग में जब हमारा देश आजाद है, अबसे आगे बढ़ा-चढ़ा देश कहलाता है तो इस तरह की व्यवस्था करना हम उचित नहीं समझते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि यह जो बिल आप लाए हैं इस पर पुनः विचार करें। आज यह मानुष कहां जा रहा है, आज मानुष कितना टैक्नीक बनता जा रहा है यह सब देखते हुए सारी चीजों पर विचार करते हुए, इस बिल को फिर से विचार करके लाना ही बेहतर होगा और देश के हित के लिए यह अच्छा होगा। यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, जो कार्य 29 साल से लटका पड़ा था उसको आज यह सरकार करने जा रही है। भारत, तिब्बत सीमा पुलिस का गठन जिन स्थितियों में हुआ उससे सारा देश वाकिफ है। जिस समय हमको शासन के दौरान "भारत-चीनी भाई-भाई" की अफीम खिला कर देश पर हमले के प्रति सजग नहीं किया गया, जब अचानक चीन ने मित्रता के साथ दगा करके हमला

किया तब हम असहाय स्थिति में खड़े थे और ऐसी स्थिति में जबकि चीन सीमाओं के पूरे क्षेत्र से वाकिफ था, हमारी सेना के कई अच्छे-अच्छे लोग उस तिब्बत के क्षेत्र में मारे गए, इसलिए कि वे रास्तों से अनभिज्ञ थे। कोई व्यक्ति हमको मार्ग तक बताने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारे नागरिक असहाय स्थिति में आकर खड़े हो गए और इसी में से यह बात उभरी कि सेना के अलावा हमको एक पुलिस बल का भी गठन करना चाहिए और वह गठन तिब्बत क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र के लिए ही स्थापित किया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि देर आए दुरूस्त आए, आज इतने विलम्ब के बाद, अक्तूबर, 1962 के बाद सरकार ने कुछ भी सही, गलत ही सही, लेकिन एक विधिवत अनुशासित ढंग से तिब्बत सेना का कार्य चले, सेवा-शर्तें ठीक प्रकार से हों। जिस तरह से यह बिल हमारे सामने उपस्थित किया है, इस बिल का जहां तक प्रश्न है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि इतना बढ़िया इस भारत, तिब्बत सेना पुलिस का पिछले कई सालों मे कार्य रहा है कि इस सीमा पुलिस को अवार्ड मिला। 40 जीवन रक्षक पदक इसको प्राप्त हुए हैं, 22 राष्ट्रपति के पदक इस भारत-तिब्बत सेना पुलिस को प्राप्त हुए हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा अच्छा जिसका काम है आज उस काम को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार एक अच्छा कार्य करने जा रही है। लेकिन जैसा खंडूरी जी ने कहा जो सेना में मेजर जनरल रह चुके हैं पूरा एक्ट पढ़ने के बाद मुझे भी यह लगता है कि बड़ी जल्दी मे इस बिल को लाया गया है, ठीक प्रकार से इसका अध्ययन नहीं किया गया है, ठीक प्रकार से देखा नहीं गया है। सेना के नियम पुलिस पर लागू करने जा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि सेना का कर्तव्य अलग प्रकार का होता है और पुलिस का कर्तव्य अलग प्रकार का होता है। यह बात सही है कि सीमा पर सेना लड़ती है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भी सेना से किसी दृष्टि से कम नहीं है, जिन परिस्थितियों में इस बल को काम करना पड़ता है, उसको देखते हुए इनकी सेवा शर्तें उपयुक्त नहीं हैं। मुझे दुख है कि जहां यह सारा एक्ट उनके लिए लाया गया है, जहां अनेक कठोर नियम उनके लिए रखे जा रहे है, उनको देखते हुए उनकी सेवा शर्तें, सुविधाएं, परिवार के भरण-पोषण तथा अन्य सुविधाओं की तरफ समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। 1991-92 के बजट में आपने इस बल पर 113.25 करोड़ रुपया व्यय किया था, इस बिल के आने के बाद इसमे कोई खास अंतर आने वाला नहीं है, 10.8 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय होगा, जजों की नियुक्ति करने में, अटार्नी जनरल नियुक्त करने में और स्थापन शाखा के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति आदि में यह व्यय सरकार को करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, कल ही मैं उत्तर जम्मू-कश्मीर से लौटकर आया हूं, मुझे मालूम है कि वहां पर नागरिकों मे असुरक्षा की भावना है। वहां पर भी इस प्रकार के बल का गठन किया गया था, इसका भी वही उद्देश्य था जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का है, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमा क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों मे सुरक्षा की भावना जागृत करना, सीमा पर से तस्करों का भारत में अनाधिकृत प्रवेश रोकना, यह कार्य इस बल को सौंपा गया था, लेकिन आज जम्मू मे क्या स्थिति है। आज वहां पर जे०के०पी० में किसी की आस्था नहीं रह गई है, जे०के०पी० के जवान विश्वसनीय नहीं रहे हैं। बार्डर क्षेत्र में बहुत बड़े तबके ने और रिटायर्ड सेना के लोगों ने एक स्वर से एक ही बात कही, मुझे खेद है और सरकार को धिक्कार है कि सीमा पर रहने वाले लोग इस सरकार की गलत नीतियों के कारण सुरक्षित नहीं हैं। उनके मन में बहुत बड़ा डर है कि बार-बार कहने के बावजूद, लाल किले पर

प्रधान मन्त्री की जोरदार घोषणा के बावजूद नहीं लगता कि कश्मीर हमारा रहेगा। मैं जो स्थिति देख कर आया हूं, मेरा दल देख कर आया है, आज पूरा कश्मीर हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, वहां पर कहीं भी भारत के किसी अधिकारी ने जाकर झंडा नहीं फहराया। 5 अगस्त के दिन और सभापति जी, मुझे तो इस बात का डर है कि सरकार द्वारा कठोर कदम न उठाने के कारण जम्मू का भी बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे हाथ से धीरे-धीरे निकलता जा रहा है। डोडा जहां पर मैं डा० लक्ष्मीनारायण जी के साथ गया था, वहां पर उग्रवादियों और मिलिटेंट्स ने अपने पांव जमा लिए हैं, उससे लगता है कि जम्मू भी एक दिन खतरे की स्थिति में आ जाएगा। इससे बचने का एकमात्र रास्ता है। आज आतंकवादियों के पास ए०के० 47 और ए०के० 57 रायफल्स हैं, लेकिन नागरिकों के पास नहीं हैं। लेकिन प्रत्येक हिंदू परिवार के पास जो पुराने शस्त्र थे, राइफलें थीं उनको जोर जबरदस्ती से दो साल पहले जमा करा लिया गया। आज सारे हिंदू असहाय बन कर जम्मू में खड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि आखिरकार हमारी रक्षा कौन करेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माताओं ने हमारे तीन लोगों के ग्रुप को कहा कि आप यहां से जा रहे हैं हम आपको जाने नहीं देंगे, आपका घेराव करेंगे, हमारा क्या होगा, आप आए थे बी०जे०पी० की तरफ से आश्वासन देने के लिए, आप हमारे लिए कोई न कोई व्यवस्था कर दीजिए। हमारे घरों की जो राइफलें छीन ली गयी हैं, शस्त्र छीन लिए गए हैं वे तो दिला दीजिए। हमारे व्यक्ति लड़ेंगे, जवान, पिता, पति लड़ेंगे उसके बाद मौका आएगा तो 10-10 व्यक्तियों को मारने के बाद हम स्वयं भी मर जाएंगे। आप यह नहीं कर सकते है तो कृपा करके पोटाशियम साइनाइड के कैप्सूल भेज दीजिए। यह स्थिति है माताओं की और बहनों की, वे कहती है कि जो घटनाएं कश्मीर में हुई हैं वह स्थिति हम किसी भी रूप में यहां पर नहीं लाना चाहते। हम अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, कृपया करके आप अपने लीडर्स आडवाणी जी और अटल जी को जाकर कहें, यदि हमारे हथियार, शस्त्र सरकार नहीं दे सकती, तो कृपा करके आप हमारे लिए पोटाशियम साइनाइड के कैप्सूल भेज दीजिए।

1962 में चीनी आक्रमण के समय जो स्थिति भारत की थी और जिस आधार पर भारत, तिब्बत सीमा पुलिस का गठन किया गया था, मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर दम है, अगर सोच का कहीं न कहीं माद्दा है तो कृपा करके जे०के०पी० पर, पूरी कश्मीर सीमा पर जो अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है, जो जे०के०पी० का ट्रेनिंग सेंटर है उधमपुर में, वहां पर मिलिटेंटस को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां ट्रेनिंग करके जो आता है वह उग्रवादियों को ट्रेनिंग देता है, आज ऐसी स्थिति जे०के०पी० की है, इसलिए मेरा निवेदन है कि पूर्व सैनिकों के आधार पर कोई बल बनें जो पूरे सीमा क्षेत्र को, जम्मू क्षेत्र को बचाए। वर्ना मुझे डर लगता है, श्रीमान नरसिंह राव जी की बार-बार घोषणाओं के बावजूद भी कश्मीर आज खतरे मे है, काश्मीर की आबरू खतरे में है, वहां की मां-बहनें खतरे में हैं, कृपा करके शस्त्र बल बनाए जिससे वहां स्थिति संभल सके वर्ना बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिन सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है, उन्होंने अपने अमूल्य सुझावों से सरकार को निर्णय लेने की दिशा में योगदान किया है ।

सबसे पहले मैं सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं सम्माननीय सभा को भी बताना चाहूंगा कि हमें यह विधेयक काफी समय पहले लाना चाहिए था । भारत तिब्बत सीमा पुलिस के गठन का यह तीसवां वर्ष चल रहा है । इस बारे में एक प्रश्न पूछा गया था; कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की विशेष आवश्यकता क्या है ? सभी बलों को एक साथ मिला देने और सबके लिए एक ही नीति अपनाने के बारे में विचार क्यों नहीं किया जाता ? महोदय, प्रत्येक बल को अपनी एक विशिष्ठ भूमिका निभानी होती है और इसी तरह भारत तिब्बत सीमा पुलिस को गठन की भी इस समय आवश्यकता अनुभव की गई जब चीनी आक्रमण वास्तविकता बन गया और उस समय हमें एक ऐसे बल की आवश्यकता अनुभव हुई जोकि लगभग 10,000 फीट अथवा 15,000 फीट अथवा इससे भी अधिक ऊंचाई वाले भू-भाग पर मोर्चा जमाने में सफल हो ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घण्टी तो बजाई जा रही है ।

4 31 म०प०

अब गणपूर्ति है । माननीय मन्त्री जी अपनी बात जारी रख सकते हैं ।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मैं यहां उठाए गए मुद्दों के बारे में उत्तर देने की कोशिश कर रहा था । भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में उन भू-क्षेत्रों पर मोर्चा जमाने के विशिष्ट प्रयोजन से एक नाजुक समय में गठित किया गया था जिन क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित पुलिस बल ही आवश्यक था । इसे सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही एक अंग माना गया था क्योंकि उस समय हमने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए कोई अलग अधिनियम नहीं बनाया था और यह एक बहुत ही छोटा बल था । बाद में इस बल की संख्या में वृद्धि हुई और इसकी आवश्यकता भी बढ़ी । इसके लिए अब एक ऐसा समय आ गया है जब हमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए एक विशेष अधिनियम पारित करना चाहिए ।

इस विषय में एक प्रश्न किया जा सकता है कि इस पर व्यापक चर्चा क्यों नहीं आयोजित की गई । इस विधेयक के अन्तर्गत अधिकतर उपबन्धों पर इस सभा में पहले ही चर्चा की जा चुकी है जोकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सेना अधिनियम और अनेक ऐसे सम्बद्ध अधिनियमों के

अन्तर्गत इस सभा में पहले से ही पारित किए जा चुके हैं। इस प्रकार, वास्तव में इसमें इन अनेक उपबन्धों का सम्मिश्रण है जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों में समाहित हैं।

हमें इस बात की प्रसन्नता है जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपने कार्य-क्षेत्र मे ख्याति अर्जित की है। हाल ही में उत्तरकाशी में भूकम्प राहत कार्यों के दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एशियाई खेलों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। पंजाब में तथा अन्य स्थानों पर भी इसने अच्छे कारनामों का प्रदर्शन किया है। वास्तव में यदि ऐसे क्षेत्रों के लिए कोई अन्य पुलिस बल मौजूद होते तो हमने उन क्षेत्रों से भारत तिब्बत सीमा पुलिस को हटा लिया होता। वास्तव में, मैं यह चाहता हूं कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को उन सीमा वर्ती क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जहां यह बल अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है और जिनके लिए यह बल प्रशिक्षित होता है। लेकिन, इसके साथ-साथ उन्हें अन्य प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे आतंकवाद, उग्रवाद आदि जो गतिविधियां विकसित हो रही हैं, उन पर काबू पाया जा सके। अतः इन्हें अनेक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार नए परिदृश्य के सन्दर्भ मे हमने यह समझा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए एक अलग अधिनियम सार्थक रहेगा जिससे इस बल को यह सन्तोष हो सकेगा कि उनका भी एक पूरा बल है, उनका अपना एक अधिनियम है और उनकी उचित देखभाल हो सकेगी।

महोदय, माननीय सदस्यों ने जो इतने अच्छे सुझाव दिए हैं, उनके लिए मैं उनका वास्तव में आभार व्यक्त करता हूं। जब इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को तैयार किया जाएगा, तो माननीय सदस्यों द्वारा किए गए बहुत से सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा और यदि कल्याण अथवा अन्य मामलों में कोई विसंगतियां हैं तो उन्हें इन नियमों के अन्तर्गत दूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम के होते हुए इस बल के लिए एक अलग अधिनियम बल का प्रश्न है, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के प्रभावकारी विनियमन और प्रशासन के लिए जो तमाम अपेक्षाएं हैं, उनको केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम पूरा नहीं कर पाता। यह अधिनियम उनके लिए पर्याप्त नहीं है और इसी वजह से एक अलग अधिनियम लाया गया है।

आदरणीय मित्र, श्री खंडूरी ने बहुत ही युक्तिसंगत बातें कही हैं। इनमें से कुछ सुझाव तो बहुत ही उत्तम हैं। श्री खंडूरी ने एक बात यह भी कही है कि कठोर सजा देने का अधिकार क्यों है। इन्होंने पूछा है कि सेवा से निकालने और वेतन भत्ते तथा देय धन को जब्त करने सम्बन्धी उपबन्ध क्यों रखे गए हैं। मैं इन दोनों बातों का उत्तर देना चाहूंगा चूंकि इनके सम्बन्ध में कुछ भ्रम हो सकता है। सैनिक अदालत द्वारा सुनाई गई सजा की केन्द्र सरकार अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पुष्टि करने का उपबंध काफी समय से चला आ रहा है और यह सेना अधिनियम, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम तथा अन्य सशस्त्र सेनाओं से संबंधित अधिनियमों मे भी हैं। माननीय सदस्यगण भी इसके बारे में जानते हैं। इस उपबन्ध के जरिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे सैनिक अदालत द्वारा शक्तियों के प्रयोग पर उचित नियन्त्रण रखा जा सके जिससे अन्याय न होने पाए। आरोपी व्यक्ति सजा की पुष्टि से पूर्व पुष्टि अधिकारी को याचिका पेश कर सकता है। उसे यह अधिकार प्राप्त है कि सजा की पुष्टि हो जाने के बाद भी केन्द्र सरकार अथवा महानिदेशक अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसे इस अर्थ

निर्धारित किया गया हो, को एक और याचिका भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि धारा 88 के अन्तर्गत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा लगे कि धारा 83, 84 अथवा 85 के अन्तर्गत दी गई सजा अन्यायोचित, अवैधानिक अथवा अधिक है तो वह विधेयक के खंड 59 के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त है कि वह स्वतः कार्रवाई के पुनरीक्षण कर सकता है। ऐसे अधिकारी सजा को रद्द अथवा माफ कर सकता है अथवा निम्न सजा भी दे सकता है। यहां यह उल्लेख करना अधिक संगत होगा कि पुष्टि से पूर्व की याचिका और पुष्टि के बाद की याचिका की महाधिवक्ता-न्यायाधीश द्वारा जांच की जाती है जिसका मुकद्दमे से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इस प्रकार सजा के मामले में बल के सदस्यों की अन्तवर्ती तन्त्र के माध्यम से न्यायिक पुनरीक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।

दूसरी बात देय धन में कमी करने के बारे में कही गई है। ऐसी बात नहीं है कि सारा का सारा धन उनसे लिया जा रहा है अथवा वह जब्त किया जा रहा है। वास्तव में सामान्य भविष्य निधि, जोखिम-लाभ निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना तथा ऐसे अन्य लाभों के धन को जब्त नहीं किया जाएगा। यह उपबन्ध केवल वेतन और भत्तों को वंचित करने के सम्बन्ध में है जो सजा दिए जाने के समय देय होता है। मैं समझता हूं कि मैंने इस बात को साफ कर दिया है।

कठोर सजा क्यों दी जाती है ? कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि सजा इतनी कठोर क्यों दी जाती है। कठोर सजा का उपबन्ध सभी तरह की स्थितियों पर काबू पाने के लिए आवश्यक समझा जाता है। उदाहरण के लिए, अनधीनस्थता की घटनाएं भी हो सकती हैं जोकि कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि किसी शत्रु अथवा आतंकवादी को गोली मारने से मना कर देना अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी का सैल्यूट करने से इन्कार करना आदि। ऐसा संभव नहीं है कि एक ही परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले अनेकों सम्भव अपराधों के लिए एक विशेष सजा की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

इसी तरह स्टेनगन अथवा ऐसी किसी चीज की चोरी के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में यह वांछनीय है कि अलग-अलग प्रकार की सजा का उपबन्ध किया जाये। इसलिए यह सही नहीं है कि प्रत्येक अपराध के लिए कठोर सजा का उपबन्ध है।

एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि जो सजा सेना अधिनियम में उल्लिखित है, वही ही क्यों दी जाती है। क्या यह जान-बूझकर किया गया है ? मौत की सजा देने के प्रावधान पर फिर से विचार किए जाने की आवश्कता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को शत्रु का भी सामना करना पड़ता है। इस बल के जवान समान परिस्थितियों में सीमावर्ती में शत्रुओं का सामना करते है। इसके परिणाम भी एक समान ही हैं। अतः यदि आप अच्छा परिणाम चाहते हैं तो अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए, इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुशासन भी एक जैसा ही होना चाहिए। इसके लिए हमने भली-भांति सोच-विचार कर इन्हें इसलिए सेना के समान सजा देने के प्रावधान किए हैं क्योंकि इसके जवान भी उसी तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं जैसे कि सेना के जवान।

एक अन्य प्रश्न भी पूछा गया था :

"आप इस बात को सेना से क्यों जोड़ रहे हैं ?"

जब इस बल के जवान सीमावर्ती क्षेत्रों में मोर्चा पर तैनात रहते हैं तो वास्तव में वह जवान उन्हीं की तरह की परिस्थितियों में होते हैं। यदि कानून किसी अन्य प्रकार का होगा तो उससे उनके कार्यकरण के स्तर पर किसी तरह की भिन्नता और कठिनाई सामने आ सकती है। इसलिए हमने यह सोचा कि इस मामले में भी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के लिए भी सेना अधिनियम के प्रावधानों को अपनाना ही लाभकारी होगा।

अगली बात सेना अधिनियम को अक्षरश: अपनाने की है। हमारे एक भूतपूर्व सेना अधिकारी ने यह प्रश्न किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या यह अधिनियम अक्षरश: सेना अधिनियम है। इसमें कुछ बातें सेना अधिनियम से ली गई हैं, कुछ सीमा सुरक्षा बल अधिनियम से हैं, कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम से ली गई हैं और कुछेक केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल अधिनियम से ली गई हैं। इस प्रकार, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, ऐसा इसलिए भी है चूंकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को विविध प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है। अनुभव ने हमें यह सिखलाया है कि इस बल के जवानों को अधिक कुशल, अधिक सक्रिय और अधिक सार्थक बनाने के लिए, इनके अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि युद्ध की अवस्था में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल को सेना के नियन्त्रण के अधीन ही शत्रु का मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए, मैं सोचता हूं कि उचित ढंग से उचित स्तर पर इन सभी को एक कर देने में कोई बुराई नहीं है।

एक और भी बात पूछी गई है कि इनको अपील के अधिकार का उपबन्ध क्यों नहीं दिया गया। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अपील के अधिकार का उपबन्ध नहीं है। जैसाकि मैंने कहा है कि उन विशेष क्षेत्रों में यह विधेयक सेना अधिनियम और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा तब तक प्रभावी नहीं मानी जाती जब तक समुचित अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि नहीं कर दी जाती जिस कारण अन्याय के अवसर समाप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में, जैसाकि मैंने पहले कहा है, वर्तमान अधिनियम में नियमों में आवश्यक उपबन्ध किए जाएंगे और उन पर विचार भी किया जाएगा जहां तक अपील के अधिकार का सम्बन्ध है मैंने पहले भी आरम्भ में बता चुका हूं और मैं इस बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता।

एक अथवा दो बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को आज भी शक्तियां प्रत्यायोजित हैं। चूंकि इन्हें देश की सीमाओं पर तैनात किया जाता है और उन्हें सीमा पर होने वाले अपराधों और तस्करी को रोकना होता है, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। अत: अभी भी यह शक्तियां उनको प्राप्त हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 100 से 110 के अन्तर्गत शक्तियां जो तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी आदि के बारे में हैं और जो कार्यों के कुशल सुनिष्पादन के लिए अनिवार्य हैं, उनको दी जाती हैं। इसी कारण से, बल के सदस्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए धारा 154 का उपबन्ध किया गया है।

एक प्रश्न मजदूर संघों को बनाने के अधिकार के बारे में पूछा गया था। जब तक हम कड़ा अनुशासन नहीं बनाए रखते तब तक वास्तविक कार्य करना और बलों के चरित्र को बनाए रखना संभव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 36 में भी स्पष्ट कहा गया है कि संसद को सशस्त्र सेनाओं के

सदस्यों के मूल अधिकारों को कम करने तथा रद्द करने का भी अधिकार है। इसकी अनुमति है और आवश्यक है एक आन्तरिक व्यवस्था में सैनिक सभा का प्रावधान है जिसमें फोर्स के सदस्य खुल करके अपनी शिकायतें रखते हैं, व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार-विमर्श करते हैं या बल के अन्य प्रभावित सदस्यों की शिकायतें रखते हैं। इसके अलावा 'प्रार्थना पत्र' की भी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बल के सदस्य अपनी शिकायतों को रख सकते हैं। वे इस विधेयक के अनुच्छेद 14 और 15 के अन्तर्गत याचिका भी दायर कर सकते हैं।

जहां तक धर्म तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, इसके लिए स्वतन्त्रता है। इसमें कोई प्रतिबन्ध तथा समस्या नहीं है।

एक अन्तिम प्रश्न यह है क्या अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए दण्ड में कोई अन्तर है? किए गए अपराधों की सजा के लिए अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को एक समान समझा जाता है। अपराध को देखकर सजा निर्धारित की जाती है। अन्यथा नहीं।

कल्याण सम्बन्धी उपायों आदि के बारे में जिसका यहां तक उल्लेख किया गया है उन्हें नियमों में लाया जा सकता है। इसके बारे में हम सचेत हैं। हम निश्चय ही इस पर ध्यान देंगे।

महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हाल ही में, जैसाकि आप जानते हैं, आई० टी० बी० पी० के स्टाफ के लोग सबसे ऊंची चोटी माउण्ट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे हैं। उनमें एक महिला भी थी जिसका नाम श्रीमती सन्तोष यादव है। उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। यह एक बहुत अच्छी बात है कि इस बात का सम्मान किया गया था। वे फिर से भारत-जापान संयुक्त महिला अभियान दल में गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में काफी प्रगति की है। मैं आशा करता हूं कि वे तथा राष्ट्र आई० टी० बी० पी० राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे।

मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसे सर्वसम्मति से पारित करें। सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और हम निश्चय ही देखेंगे कि उन्हें नियमों में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय : श्री खंडूरी कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे।

श्री एम० एम० जैकब : मेरा विचार है कि मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं मंत्री जी से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने न्यायालय की अपील से बारे में उल्लेख किया है। आप क्या सिफारिश करने का प्रयास कर रहे हैं? अपील के लिए एक अलग से स्वतन्त्र न्यायालय होना चाहिए। सेना तथा इन सभी अर्धसैनिक बलों के लिए जिसका आपने उल्लेख किया है 'जज एटोरनी जनरल' के बारे में है। होता यह है कि प्रक्रिया चैनल उसी व्यक्ति के माध्यम से होती है। यदि थल सेना का मामला है तो आफिसरों का ग्रुप या लोग जिनका उस मामले में स्वार्थ निहित नहीं होता वे न्यायालय के निर्णय तथा न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए वे इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इसलिए, सिफारिश यह थी कि अपील के लिए एक विशेष न्यायालय होना चाहिए जो स्वतन्त्र हो तथा उसका

बल से किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो और बल का भी 'जज अटारनी जनरल' इस प्रणाली का एक अंग होगा। इसलिए इन लोगों के लिए मानवीय रूप से स्वतन्त्र रूप से कार्य करना सम्भव नहीं है। कोर्ट मार्शल के निर्णय को जज अटारनी जनरल (महान्यायवादी) द्वारा साधारणतया चुनौती नहीं दी जाती है। क्योंकि न्यायालय में जो कार्य होता है वह उनके अपने अधिकारियों की सलाह के तहत ही होता है। अतः यह कहना कि वे इससे जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता था कि आपको कृपया स्वतन्त्र न्यायालय तथा अपील के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का विचार करना चाहिए जिसमें विशेषतौर से कोर्ट मार्शल के मामलों तथा बल के सभी मामलों को लिया जा सके। ...(व्यवधान)... दूसरी बात धन संबंधी पहलू के बारे में है। मैंने कहा था कि इस अधिनियम में जैसे सेना अधिनियम में यह प्रावधान है कि उन मामलों में भी जहां नुकसान नहीं हुआ है या सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है आदि दण्ड के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है लेकिन यह कहना आम बात है कि कमांडिंग आफिसर सात दिन के वेतन या 14 दिन के वेतन के बराबर जुर्माना करते हैं। कोर्ट मार्शल या बल न्यायालय 'फोर्स कोर्ट' जुर्माने के रूप में सजा के लिए दण्ड की कोई राशि निर्धारित कर सकता है। मेरा सुझाव है कि एक सैनिक को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए जैसा कि हम सेना में कहते हैं—

[हिन्दी]

पेट में लात मत मारिए।

[अनुवाद]

आप उन्हें शारीरिक रूप से यातना दें। आप उन्हें अन्य प्रकार का दण्ड दें। आप उन्हें शारीरिक सजा जो काफी कठोर होती है, दें। आप उन्हें जेल की सजा दें। इसलिए मैंने सिफारिश की थी कि जुर्माने के रूप में सैनिक पर इस तरह का जुर्माना नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यह सिफारिश नहीं है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, एक निवेदन मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं बताया कि 29 साल तक इस सारे मामले को क्यों लटकाये रखा गया। दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि इनकी सेवा-शर्तों में आप सुधार करेंगे या नहीं, उसका कारण यह है कि देश में इस तरह की जितनी फोर्सेज हैं, उन सबकी सेवा-शर्तें अलग-अलग प्रकार की हैं, जैसे बी०एस०एफ०, सी०आर०पी०एफ० और भारत तिब्बत सीमा पुलिस—सबकी सेवा शर्तें अलग प्रकार की हैं, जब कि तीनों फोर्सेज बोर्डर पर काम करती है, फिर इनकी सेवा शर्तें भिन्न प्रकार की क्यों हैं। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार के एवार्ड भारत तिब्बत सीमा पुलिस को मिले हैं, उसे देखते हुए, इनकी सेवा शर्तों को अधिक बढ़ाकर, इनके वेतनमान को अधिक बढ़ाकर क्या आप इनकी सेवा शर्तों को अधिक उदार बनायेंगे या क्या करेंगे, इसे स्पष्ट करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री एम०एम० जैकब: महोदय, न्यायालयों के स्वतन्त्र प्रक्रिया के बारे में मेरे माननीय मित्र द्वारा जो प्रथम मुद्दा में उठाया गया था उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान विधेयक जोकि आपके समक्ष है जिसे मैंने आपको पारित करने के लिए कहा है जज अटोर्नी जनरल (महान्यायवादी) जिनके बारे मे मैंने अभी उल्लेख किया है जो मामले से संबंधित नहीं होते हैं। अतः वह स्वतन्त्र रूप से याचिका की जांच करेंगे। यही मुद्दा है विशेष न्यायालय सभी बलों के लिए स्वतन्त्र न्यायालय का होना भविष्य के लिए एक अच्छा सुझाव है। हमें न केवल इस बारे में गम्भीरता से सोचना है बल्कि अन्य बहुत सी बातों पर एक साथ विचार करना है। यह एक नया सुझाव है जिस पर सभी बलों सभी ग्रुपों को इसकी सम्भावनाओं और व्यवहार्यता के बारे में विचार करना है।

बलों के सदस्यों की सेवा शर्तों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में उल्लेख किया गया है जब अधिनियम बनाया जाता है तो उस समय समीक्षा तथा गहन अध्ययन का अवसर मिलता है यदि उसमें कुछ रह गया हो या किसी चीज की कमी हो तो हम उसमें निश्चय ही प्रावधान कर देते हैं। क्रियान्वयन के समय उस मुद्दे को ध्यान में रखा जाता है और यदि कोई बात आवश्यक हो तो इसे नियमों में जोड़ दिया जाता है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 157 तक विधेयक अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 157 विधेयक में जोड़े दिए गए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम०एम० जैकब : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

4.52 म०प०

सेना (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 21 पर चर्चा करेगी।

श्री कृष्ण कुमार।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि सेना अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

हमारी सशस्त्र सेनाएं हमारे समाज की एक बहुत अनुशासित और देशभक्त वर्गों में से एक है। उन्होंने अपना जीवन देश की स्वतन्त्रता तथा अखण्डता की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, राष्ट्र, के लिए बलिदान तथा वचनबद्धता के लिए चुना है। ऊँचा मनोबल व अनुशासन हमारी सशस्त्र सेनाओं के कार्य का चिन्ह हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र सेनाएं कारगर ढंग से कार्य करें इसके लिए सशस्त्र सेनाओं में शान्ति व युद्ध के दौरान दोनों समय में आदेश होते हैं जिससे कि जवानों, नाविकों तथा वायुसैनिकों को अपनी उचित शिकायतों को दूर करने का मौका मिल सके। सशस्त्र सेनाओं की सेवा शर्तें और उनसे संबंधित मामले एक अलग कानून-सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम तथा वायुसेना अधिनियम द्वारा शासित होते हैं।

महोदय, भारतीय सेना के कार्य संबंधित कानून अब सेना अधिनियम, 1950, के अन्तर्गत आते हैं। मूलतः सेना अधिनियम उपबन्धों, कमीशन, नियुक्ति, पंजीयन, सेवा-शर्तें अपराध, मार्शल से संबंधित दण्डीय प्रक्रिया तथा सजाओं के निष्पादन से संबंधित है। उसके लिए, इन मामलों पर सैनिकों के आचरण के बारे में सेना नियम और विनियम और अधिक जानकारी देते हैं। सेना अधिनियम, 1950, की उद्घोषणा के बाद सेना का विस्तार हुआ है तथा उसके कार्यों में भी विभिन्नता आई है। लेकिन सेना अधिनियम में पिछले चार दशकों के दौरान कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया। सेना अधिनियम, 1950 को भी कुल मिलाकर सेना अधिनियम, 1911 में से लिया गया है। 1911 के अधिनियम को भारत के संविधान और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए 1950 के अधिनियम में केवल कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं।

महोदय, भारतीय सेना के पिछले चार दशकों के कार्यकरण के अनुभव के आधार पर सरकार ने इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिए प्रस्ताव इस सम्माननीय सदन के समक्ष लाना उचित समझा। इन संशोधनों का उद्देश्य सेना की बढ़ी हुई संख्या और संसाधनों को और अधिक कारगर ढंग से संचालन करने के लिए और अधिक लचीला और शक्तियों का और अधिक बेहतर प्रत्यायोजन करना है। इसका दूसरा उद्देश्य कठोर, पुराने और अप्रचलित प्रावधानों को समाप्त करना है जिन्हें सन 1911 के अधिनियम से इस अधिनियम में शामिल किया गया है, जो आधुनिक न्यायशास्त्र के अनुरूप नहीं थे। कुछ प्रावधान सेना में असमानताओं को दूर करने से संबंधित हैं। इनकी तुलना भारतीय वायु सेना और नौसेना के कार्य करने की परिस्थितियों से की गई है जो इन अधिनियमों से संचालित होते हैं जिन्हें हाल ही में प्रख्यापित किया गया है।

महोदय, मूल सेना अधिनियम में 196 धाराएं हैं। इन सभी धाराओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद सरकार अब केवल 22 धाराओं में संशोधन कर रही है। इन 22 धाराओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

पांच धाराओं की पहली श्रेणी में संशोधन केवल अंगराग प्रकृति के हैं क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा बदल दिया गया है। परन्तु सेना अधिनियम, में जिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता का उल्लेख है वह 1898 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। अतः इस अधिनियम में जहां कहीं पर भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 का उल्लेख किया गया है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा बदले जाने का विचार है। यह केवल उस विधान का अनुसरण मात्र है मूलभूत नहीं।

अन्य नौ धाराओं को आवश्यक माना गया है क्योंकि हम 'फील्ड पनिशमैंट' से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करना चाहते हैं। 'फील्ड पनिशमैंट' स्वतन्त्रता से पहले अंग्रेजी शासन काल से चला आ रहा है कमान अधिकारियों को सेना के दोषी जवानों, कनिष्ठ अधिकारियों को दण्डित करने का अधिकार दिया गया था। यह दण्ड कठोर श्रम का होता था। दोषी को रस्सियों, लोहे की जंजीरों, बेड़ियों आदि से भी बांधा जाता था और उसे एक निश्चित अवधि तक किसी गड़ी हुई खड़े खम्भे जैसे वस्तु से खड़ा बांध दिया जाता था। यह सब बहुत अप्रचलित है और आधुनिक विधिशास्त्र के अनुकूल नहीं है। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस प्रावधान को इस्तेमाल किए जाने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। यद्यपि यह सेना अधिनियम में उपलब्ध था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी सेना में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है और न ही किसी सैनिक न्यायालय ने ऐसा कोई दण्ड दिया है। चूंकि ये प्रावधान केवल अधिनियम में थे और इन्हें आगे बढ़ाया गया है और यह अप्रचलित हैं। इसलिए यह अनुपयुक्त है। यह नहीं होना चाहिए। अतः 'फील्ड पनिशमैंट' से संबंधित इन प्रावधानों को समाप्त किया जाना है। अतः 22 धाराओं में से केवल 9 धाराएं 'फील्ड पनिशमैंट' के प्रावधानों को समाप्त करने से संबंधित हैं।

महोदय 22 में से केवल आठ धाराएं वास्तविक हैं।

पांच धाराएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की पारिभाषिक शब्दावली को बदलने से संबंधित हैं। नौ धाराएं 'फील्ड पनिशमैंट' के प्रावधानों को समाप्त करने संबंधी है और शेष केवल आठ धाराओं अर्थात 85, 90, 122, 123, 127, 135, 142 और 169 में संशोधन किया जाना है।

5.00 म०प०

इन धाराओं में संशोधन करने के लिए सरकार के तर्कसंगत अनुरोध को सभा के समक्ष रखने के लिए मैं आपका थोड़ा समय लूंगा। धारा 85 में संशोधन करने का तात्पर्य कमान अधिकारियों को जे०सी०ओ० को फटकार या सख्त फटकार लगाने की शक्ति देना है। मौजूदा अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है, अब फौज की संख्या काफी बढ़ गई है। अत: यह सोचा गया है कि अनुशासन को लागू करने के लिए कमान अधिकारी के स्तर पर ही मामूली दण्ड देने के लिए कुछ प्रावधान आवश्यक हैं। सेना संवर्गों का दर्जा भी बढ़ा दिया गया है ताकि सभी कमानों की 75 प्रतिशत कमान अब लेफ्टीनेंट कर्नलों की, जैसा कि कि पहले होता था, बजाय कर्नलों द्वारा संभाली जाए, अत. इसमें उच्च स्तर के अधिकारी भी हैं। अत: कमान की कारगरता बढ़ाने और अधिक अनुशासन के लिए इस प्रावधान की मांग है।

धारा 90 के सम्बन्ध में, मूल धारा में केवल केन्द्र सरकार को अधिकारी की पत्नी और वैध बच्चों इत्यादि को भरण-पोषण के लिए उसके वेतन और भत्तों में से कटौती करने के आदेश जारी करने का अधिकार है। अब केन्द्रीय सरकार इतनी बड़ी सेना के लिए यह आदेश जारी नहीं कर सकती है। यह प्रावधान कई दशक पुराना है। अब केन्द्र सरकार चाहती है कि इस शक्ति को अधीनस्थ स्तर पर किसी भी निर्धारित प्राधिकारी को प्रदत्त किया जा सकता है ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके।

तीसरा प्रावधान अपराधों की सुनवाई से सम्बन्धित है। हम अपराध के बाद के तीन वर्ष के समय जिसमें अपराध की सुनवाई हो सकती है, में से उस समयावधि को निकालना चाहते हैं जब तक कि अपराध खिन्न व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में नहीं आ जाता है। यह पूर्णत: आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 469 के अनुरूप है। इसके विरुद्ध यह तर्क है कि कई मामलों में विशेषकर धोखाधड़ी जासूसी आदि में, जब तक अपराध का पता चलता है या उनके सम्बन्ध में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं तब तक मामले कालातीत हो जाते हैं। अत: अपराध के अधिकारियों के ध्यान में अपराध के आने तक लगने वाले अपेक्षित समय को इन तीन वर्षों के समय में से निकाल देने का विचार है। अनुभव के आधार पर यह आवश्यक समझा गया है।

धारा 123 में संशोधन सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों की देयताओं से सम्बन्धित है। पहले यह अवधि छह माह की होती थी। परन्तु अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि जो अधिकारी दोषी हैं और जिन्होंने अपराध किया है और उनकी सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आ गया है वह बच निकलते हैं क्योंकि उन्हें छह माह के अन्दर मुकद्दमा चलाने के लिए नहीं लाया जा सकता है। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं और इस अनुभव के आधार पर हम उन व्यक्तियों को अलग रखना चाहते हैं जो समय पर गिरफ्तारी या अनुशासनात्मक कार्यवाही से बच रहे हैं अर्थात वह अवधि जो न्यायालय इत्यादि ने उन्हें स्थगन के रूप में छह माह की अवधि में से मंजूर की है। अन्यथा लोग छह माह के लिए स्थगन ले लेंगे और कानून के शिकंजे से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार लोग छिपे रह सकते हैं और गिरफ्तारी से बच सकते हैं और छह माह बाद वह कहते हैं कि वह कानून के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अत. इस अवधि को अलग करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कुल समयावधि को छह माह से तीन वर्ष

तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा करने का कारण प्रशासनिक सुविधाएं हैं और इसमें विलम्ब के कारणों और न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले सामान्य समय को भी ध्यान में रखा गया है।

इससे अगली धारा सशस्त्र सेनाओं के लिए नितान्त लाभकारी है। मूल अधिनियम में सैनिक न्यायालय किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाता है और उसे छोड़ देता है तो भी सिविल देयताएं और आपराधिक देयताएं उस पर रहेंगी। अत: अपमानित व्यक्ति उस पर अपराधिक न्यायालय में आरोप लगा सकता है। परन्तु सरकार यह महसूस करती है कि यह दोहरे कानून के जोखिम के विरुद्ध है और इस प्रावधान को मूल अधिनियम में से हटा देना चाहती है। अत: यदि संशोधन प्रभावी होता है और यदि कोर्ट मार्शल उसे बेकसूर पाता है तो बाद में कोई भी व्यक्ति उसे आपराधिक न्यायालय नहीं घसीट सकता है। अत: सेवारत जवानों के लिए एक बहुत ही लाभदायक धारा है।

इससे अगली धारा सरकार की गतिविधियों में विस्तार के कारण आवश्यक है। मूल अधिनियम में केवल भारत सरकार के रासायनिक परीक्षक के दस्तावेजों और जांच रिपोर्टों को ही साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब अदालती कानून और अन्य अनेक दायरों को बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार के अन्य अनेक तकनीकी निकाय हैं जिनकी रिपोर्टों को भी साक्ष्य के दायरे में लाया जाना चाहिए। अत; रासायनिक परीक्षक के अलावा कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को भी इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है।

अन्त में जांच बोर्ड में असैनिक लोगों को नहीं बुलाया जा सकता है। धारा 135 में यह संशोधन करने का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए सेना के मामलों में दुर्घटना या अपराध या इसी तरह की किसी घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करने वाले सैनिक न्यायालय द्वारा असैनिक लोगों को साक्ष्य के लिए बुलाया जा सकता है।

अन्तिम धारा एक बार फिर लाभदायक है। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है और यदि उसे कारावास की सज्जा दी जाती है तो उसके द्वारा सिविल कानून में कारावास मे पहले ही बिताए गए समय या जांच-पड़ताल के दौरान सैनिक हिरासत में बिताए गए समय को उस सजा मे से अलग करना पड़ेगा। (व्यवधान)

मैंने एक संक्षिप्त विवरण दिया है, संशोधनों का औचित्य प्रस्तुत किया है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना में कई वर्षों तक बहुत चर्चा करने के बाद इन संशोधनों को इस माननीय सभा के समक्ष लाया गया है। यह संशोधन काफी पहले होने चाहिए थे और ये संशोधन सेना अधिनियम के कार्यकरण में उत्तरोत्तर सुधार आरम्भ करने की प्रकृति के हैं।

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि यह सम्मानीय सभा नए संशोधनों पर अनुकूल दृष्टि से विचार करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सेना अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब प्रस्ताव में संशोधन।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को उस पर 15 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"(2)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को उस पर 20 अक्तूबर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"(3)

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, मैं सेना (संशोधन) विधेयक, 1992 पर कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सशस्त्र सेवाओं से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर विचार करना अच्छी बात है। सरकार ने इस सभा में 1992-93 के लिए रक्षा मंत्रालय की वित्तीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में की गई चर्चा के आधार पर इसकी जरूरत के मुताबिक जानबूझकर निधियां प्रदान न करने में अपनी समझबूझ का परिचय नहीं दिया है। मेरे विचार से यदि यह जानबूझकर नहीं किया गया है तो यह राष्ट्र की हानि है और इसमें समझबूझ का अभाव है, और यदि जानबूझकर किया गया है तो यह बहुत ही बुरी बात है।

भारत सरकार इस वर्ष के दौरान बजट का 13% खर्च करने जा रही है जोकि कुछ योजना खर्च के बराबर है। इसके बावजूद भी मांगों को 'गिलोटीन' किया गया और बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। मुझे बताया गया है कि इस सदन में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार एक नई प्रवृत्ति शुरू की गई है जो कि ठीक नहीं है। अच्छे समय में रक्षा बजट पर गोपनीयता के विचार से सरसरीतौर पर चर्चा होती थी और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता था। परन्तु इस वर्ष उन औपचारिकताओं को भी पूरा नहीं किया गया है। इससे सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है।

उदासीनता का एक उदाहरण हाल ही का है। पश्चिमी कमान, जोकि पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है, जो तुरन्त कार्रवाई करने वाला संगठन है और सर्वोत्तम युद्धक संगठन है वह 7-8 दिन तक सेना के कमाण्डर के बगैर रही। हमें मालूम हुआ है कि सेना के कमाण्डर सेवानिवृत्त हो रहा था। शायद यह वर्ष पहले की बात है। परन्तु इस सरकार के पास सेना के कमांडर की नियुक्ति करने का समय नहीं था। इस कमांडर को पंजाब के आर-पार शत्रु का सामना करना था। रक्षा के प्रति इस तरह के दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया जा रहा है।

आज हम इस सेना अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं। 1950 में सेना के लिए संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत इस अधिनियम को विशेष रूप से बनाया गया था ताकि अनुशासन और

आज्ञाकारिता के उच्च स्तर को बनाए रखा जा सके। इसका मूल ध्येय युद्ध की तैयारी सुनिश्चित करना था जिससे लड़ाकू सेनाओं के मनोबल को उस स्तर तक पहुंचाता है जिससे वह हंसते-हंसते और उत्साह पूर्वक अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। वह देश के गौरव के लिए मरते हैं। परन्तु सेना अधिनियम में संशोधन करने से या केवल सेना अधिनियम होने से युद्ध के लिए तैयारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है। इसके अन्य बहुत से पहलू भी हैं।

आज आपकी अनुमति से मैं इनमें कुछ पहलुओं की चर्चा करूंगा। युद्ध के लिए तैयार रहने का अति महत्वपूर्ण पहलू प्रशिक्षण और उपस्कर है। आज प्रशिक्षण और उपस्करों की हालत संतोषजनक नहीं है। वर्षों से गैर व्यवसायिक कार्यों में सेना के अत्यधिक दुरुपयोग से ऐसी हालत उत्पन्न हो गई है जिससे सेना के प्रशिक्षण का कुछ भी लेना नहीं होता है। क्योंकि 'पीस स्टेशनों' पर तैयारी के दौरान सेना को उनके कार्यों से इत्तर कार्यों में लगाया जाता है और सेना के उपस्करों का अधिकतम उपयोग गैर-सैनिक कार्यों में किया जाता है। हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां सेना के महत्वपूर्ण व्यक्ति और शायद सरकार ने भी यह विचार करना छोड़ दिया है कि यह सेना के प्रशिक्षण, कल्याण तथा युद्ध तत्परता के मार्ग में बाधा है।

नागरिक अधिकारियों की सहायता के बहाने उन्हें मदद पहुंचाने के लिए सेना का निरन्तर और घोर दुरुपयोग सभी को ज्ञात है। आज यह बात इतनी आम हो गयी है कि जब सेना के लोगों को नागरिक प्रशासन की सहायता हेतु जाने के लिए कहा जाता है तो वे इस बात को इस प्रकार लेते हैं कि मानो यह उनके प्रशिक्षण का एक भाग है कि जैसे यह युद्ध की तैयारी हो। यह प्रवृत्ति 1983 के पश्चात् अधिक हो गयी है। और इन समस्त वर्षों में यह इस कांग्रेस दल सरकार की देन है जहां अस्थायी तौर पर नागरिक प्रशासन की सहायता हेतु सेना का उपयोग किया जाना एक परम्परा सी बन चुकी है। ब्लू-स्टार में सेना का उपयोग किया जाना और इसका दूरगामी प्रभाव यह है कि जिसके लिए शायद सेना को आज भी भुगतना पड़ रहा है। मैं स्पष्ट कारणों से इसके विस्तार में जाना चाहूंगा। लेकिन मैं सभा और सरकार को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना का दुरुपयोग किया जाना खराब है। लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक और बदतर बात यह है कि निश्चित क्रम के मामलों में भी हमेशा सेना का प्रयोग किया जाता है। यह बात साबित करने के लिए मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। देश के किसी न किसी भाग में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलायी जाती है। सैन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो कि युद्ध के लिए बने हैं। ऐसा क्यों होता है? इन वर्षों में केन्द्र सरकार ने क्यों नहीं राज्य सरकारों को अपने साज-सामान और अपने संगठन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है? जब सेना की आवश्यकता हो तो अर्द्ध सैनिक बलों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष करीब मई के महीने में पूरी सेना तथा 'कोर आफ इंजिनियर्स' को तैयार रहने के लिए कह दिया जाता है। वे अपना प्रशिक्षण बन्द कर देते हैं तथा बाढ़ सहायता के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वे अपने को सभी आवश्यक साज-सामान से लैस करना शुरू कर देते हैं और पूरे देश से उन्हें बाढ़ में सहायता पहुंचाने के लिए टैक्सी या दमकल वाहिनी की भांति बुला लिया जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। किसी को भी इन उपकरणों और उनके प्रशिक्षण की महत्ता की चिन्ता नहीं है।

दूसरा उदाहरण विभिन्न हेलीपैड़ों पर उतरने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का है।

यह कार्य भी अनोखा है। यह संदेह किया जाता है कि हेलीपैडों पर कुछ उग्रवादियों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री रखी जा सकती है और जिन स्थानों में ये अति विशिष्ट व्यक्ति वायु मार्ग से पहुंचते हैं वहां सेना को जाना चाहिए और उन हैलीपैडों की जांच करनी चाहिए। अब कतिपय परिस्थितियों में सेना द्वारा विस्फोटक पदार्थ को ढूंढ निकालने के कार्य की भी आशा की जाती है। इस कार्य हेतु उनके पास उपकरण नहीं हैं। न तो उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया गया है और न ही इसके लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को एक बार रक्षा मन्त्रालय के विचारार्थ भी रखा गया था कि सेना को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया था और सेना इस प्रकार के कार्य को कर रही है। मैं इस बात को उभारना और इस पर जोर देना चाहूंगा कि सेना का दुरुपयोग न किया जाए। आप सैन्य अनुशासन और अन्य चीजों की बात कर सकते हैं परन्तु एक सख्त सेना अधिनियम द्वारा अथवा इसमें सुधार लाने या संशोधन की कोशिश कर लेने से ही युद्ध तत्परता नहीं आ जायेगी।

दूसरी बात, जिस पर मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहूंगा वह यह है कि लापरवाही, उदासीनता बरतते हुए तथा अपराधिक रूप से सेना को आपरेशन पवन के अंतर्गत श्रीलंका भेज दिया गया था जिसका परिणाम उन लोगों के "न्यूरेमबर्ग ट्रायल" के रूप में होना चाहिए था जिन्होंने निरर्थक, बिना अच्छी तैयारी के और एक व्यर्थ के मिशन में हमारे जवानों और अधिकारियों की हत्या कर दी थी।

5.17 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

आज आप सैन्य अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। क्यों नहीं आप आपरेशन पवन के दोषी व्यक्तियों को सजा देने हेतु एक अधिनियम बनाने पर विचार करते हैं? क्यों नहीं आप उन व्यक्तियों को सजा देने के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं को एक ऐसे मिशन पर भेजा जो इनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था? क्या आप उन लोगों का दर्द, आक्रोश महसूस करते हैं जिन्होंने अपने पति को खोया है, जिन बुजुर्ग माता-पिता ने अपने बच्चों को खोया है? दिल्ली में एक चिकित्सा अधिकारी था जो एक कैप्टन था। उसके बुजुर्ग माता-पिता ने मुझसे भेंट की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके बेटे को मारा गया। उस चिकित्सा अधिकारी को लिट्टे द्वारा उस समय मारा गया जब वह नागरिकों की चिकित्सा कर रहा था। युद्ध में इस प्रकार की बातें नहीं होती है। लेकिन आपरेशन पवन युद्ध नहीं था। यह न तो युद्ध था और न ही शांतिकाल था तथा सेना को इसमें बहुत ही लापरवाही तथा निर्दयता से झोंक दिया था। भारतीय शांति सेना के एक उच्च कमांडर ने स्वयं की लिखित एक पुस्तक में लिखा है कि सेना को मानों एक हाथ पीछे बांध कर लड़ने के लिए कहा गया था। क्या सेना के साथ पेश आने का तथा युद्ध तत्परता, उच्च नैतिकता तथा अच्छे अनुशासन की बात करने का यही तरीका है? महोदय, आपरेशन पवन के कारण सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है। यह भारतीय सेना के लिए बहुत ही दुःखद अध्याय था। सबसे दुःखद बात यह थी कि कम से कम तीन उच्च अधिकारियों को उनकी कुछ गलतियों के लिए बर्खास्त किया गया था। हमारा रक्षा मन्त्रालय लोगों को जिम्मेदार ठहराने में बहुत जागरूक है। किसी ने भी यह देखने की परवाह नहीं की कि गलती किसकी थी और

ये वरिष्ठ अधिकारी क्यों असफल हो गए लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और रक्षा मन्त्रालय में, उच्च तबके में तथा उन लोगों से, जिन्होंने इन्हें इस अनुत्तरदायित्वपूर्ण मिशन में भेजा था, कोई पूछ-ताछ नहीं की गयी ।

अन्त में, शांतिकाल में सेना के उपयोग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि दुश्मनों को मारने के लिए सेना को प्रशिक्षित किया जाता है । अपने ही लोगों से लड़ने का प्रशिक्षण इसे नहीं दिया जाता है । न ही इसे इस प्रकार के कार्यों, जैसे शांतिकाल में बाढ़ सहायता तथा विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है जोकि एक दैनिक कार्य बन चुका है ।

यदि आपको इस प्रकार के बलों की आवश्यकता होती है तो आपके पास अन्य अर्द्ध सैनिक बल हैं । इस प्रकार के अनेक अर्द्ध सैनिक बल हैं और कुछ समय पूर्व ही हमने एक के बारे में चर्चा की थी । अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि शांतिकाल में नागरिक प्राधिकारियों को सहायता पहुंचाने के नाम पर अथवा आतरिक सुरक्षा के नाम पर सेना का इस्तेमाल किए जाने सम्बन्धी मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

नैतिकता के साथ अन्य सम्बन्ध जवानों और ईकाइयों की गतिशीलता है । जवानों में यह विश्वास होना चाहिए कि उन्हें समाज और सरकार से न्याय मिलेगा । महोदय, बेहद दुःख की बात है कि आज इस बात का अभाव है । आज अगर कोई बात है तो यह कि सरकार उदासीन, असंवेदनशील है और वास्तव में जानबूझ कर सैनिकों को बदनाम कर रही है । और इस प्रकार की भावना का औचित्य है । जिस प्रकार इस सरकार ने समान पद—समान पेंशन के मुद्दे को निपटाया है वह शर्मनाक और घृणित है । सेना के लोग और विशेषकर सेवानिवृत सैनिकों को महसूस होता है कि उनके साथ छल किया गया है । यहां लम्बी चर्चा तथा निश्चित वायदों के पश्चात, एक समय वृद्धि के नाम पर सैनिकों को जो कुछ दिया गया है वह शर्मनाक है । बड़ी संख्या में लोगों को वंचित कर दिया गया है । उन लोगों को भी जिन्होंने सेवानिवृत्ति के पश्चात सिर्फ कुछ महीने ही कार्य किया है उन्हें भी इस एक समय की वृद्धि से वंचित कर दिया गया है । आप किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं ? क्या आप चाहते हैं कि ये लोग सड़क पर हों ? इन लोगों को इस प्रकार का न्याय दिया जा रहा है । मैं आपको एक बात बता दूं । आप सैनिक अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं और आप बहुत कठिन शर्तें रख सकते हैं । लेकिन यदि आप उन्हें अनुशासनहीन बनाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी अधिनियम और संशोधन का कोई फायदा नहीं होगा ।

अब दूसरी ओर सेनाध्यक्षों की बात आती है । मैंने आपको एक पद एक पेंशन का उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया था कि किस प्रकार आपने सैनिकों की समस्याओं का समाधान किया है । अब दूसरी ओर सेनाध्यक्ष हैं । आज वित्तीय शक्तियों के सबंध में सेनाध्यक्षों के पास कोई अधिकार नहीं हैं । रक्षा मन्त्रालय में बैठकर काम करने वाले एक डाक अधिकारी के पास सेनाध्यक्षों से अधिक वित्तीय अधिकार हैं । सेनाध्यक्षों को वित्तीय अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं है । इन मुद्दों पर अरुण सिंह समिति ने विस्तारपूर्वक विचार किया है और इस समिति ने यह सिफारिश की है कि सेनाध्यक्षों को वित्तीय मामलों में कम से कम भारत सरकार के सचिव के बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए । लेकिन यह

सरकार विगत एक वर्ष से निद्रा में मग्न है। उन्होंने अरुण सिंह समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही अथवा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मैंने इस बारे में उनसे अनेकों बार कहा है परन्तु उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। प्रत्येक बार उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विचारार्थ है। आप इस साधारण बात का भी समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या रक्षा मंत्रालय में उत्तरदायित्व की कोई भावना नहीं है? क्या प्रबन्धन की कोई अवधारणा नहीं है? ऐसा किस प्रकार हो सकता है कि सेनाध्यक्ष, जो 15 लाख लोगों का संचालन करते हैं तथा जिनके अधिकार में हजारों, करोड़ों रुपये के उपकरण रहते हैं, पर कुछ लाख रुपयों की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। रक्षा मन्त्रालय में किस प्रकार का प्रबन्धन चल रहा है? कृपया इन सभी पहलुओं पर ध्यान दें।

रक्षा-व्यवस्था पर पिछले वर्ष हुई चर्चा में, मैंने इन सभी प्रश्नों का उल्लेख किया था। लेकिन रक्षा-मंत्रालय ने उत्तर ही नहीं दिया था। अब, रक्षा-मन्त्रालय अत्यन्त व्यस्त दिखाई देता है। वह बहुत-सी गतिविधियां वर्शा रहा है। इस मन्त्रालय में जबरदस्त कार्य चल रहा है और वहां कर्मचारी दिन में 10 से 20 घण्टे तक कार्य कर रहे हैं और सभी ओर से बड़ी मात्रा में कच्चा-माल प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन उत्पादन कोई नहीं हो रहा है। रक्षा-मन्त्रालय पर पिछले वर्ष चर्चा के दौरान मैंने पहले भी उल्लेख किया था और कुछ मुद्दे उठाये थे। निस्संदेह, रक्षा-मन्त्रालय ने इनमें से किसी भी मुद्दे पर कार्रवाही करने का कष्ट ही नहीं किया। सभी पहलुओं में से जिनका कि मैंने उल्लेख किया था, एक पर भी यह प्रतिक्रिया नहीं की गई कि उनके बारे में क्या घटित हुआ है। अत, इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमें उनसे मिलती है। मैं रक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उनके मन्त्रालय में व्याप्त "विश्लेषण से अस्त-व्यस्तता" के रोग के बारे में वह सचेत रहें तो शायद बेहतर होगा।

विधेयक पर उचित चर्चा पर आने से पहले, मैं एक और पहलू को छूना चाहता हूं और ऐसा मैं बड़े कष्टपूर्वक कर रहा हूं। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि मैं राष्ट्र के प्रति और संसद के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में विफल होऊंगा, अगर मैं इस असुखद पहलु को उद्घाटित नहीं करता हूं। अतः, बड़ी अनिच्छा से, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के पूर्ण बोध से, मैं कहता हूं कि देश के लिए यह बहुत बुरी बात है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का चयन और कालावधि आज असुखद मतभेदों के घेरे में है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं सरकार से यह चाहता हूं कि वह इन मुद्दों पर सजग रहें। इस प्रकार के मतभेद नहीं होने चाहिएं, क्योंकि उनसे ऊपर से निचले स्तर तक के अधिकारियों के मनोबल प्रभावित होते हैं।

यदि सरकार शीर्षस्थ नियुक्तियों में हस्तक्षेप करना चाहती है, तो फिर नीचे के पदों के बारे में तो स्थिति बहुत ही नाजुक हो जायेगी। ऐसा किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए।

इससे संबद्ध एक और पहलू आज विचाराधीन न्यायिक-मुकदमों की संख्या है। काफी समय से न्यायिक-मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उनमें से कुछ हमारे सामाजिक-परिवेश में रवैये में परिवर्तन को इसके लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। लेकिन आप उस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, जब लेफ्टीनेंट जनरल के दर्जे का अधिकारी न्यायालय में न्याय पाने के लिए जाता है अथवा थलसेना अध्यक्ष से कनिष्ठ दर्जे का अधिकारी उसके विरुद्ध किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में एक याचिका

दाखिल करता है। हम आपसे यह चाहते हैं कि इन न्याययिक मामलों का विश्लेषण करें। मुझे आशा है कि ऐसा किया जा रहा है। सेनाओं के दर्जों के बारे में देश के उस पर जो संदेश भेजा जा रहा है, वह हानिकर है। क्योंकि यह थल-सेना के लिए अच्छा नहीं है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के द्वितीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र विजेता लेफ्टीनेंट जनरल दर्जे के एक अधिकारी को अगर न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है, तो फिर पदोन्नतियों और नियुक्तियों के तरीके में अवश्य ही कुछ दोष हैं। मैं कहूंगा कि या तो रक्षा मन्त्री महोदय इसमें संलप्त हैं अथवा उन्होंने सेनाओं में नियुक्ति और साथ ही साथ नियोजन में चल रही हेराफेरियों की अनुमति दे रखी है। यह एक अति खतरनाक दौर है।

यदि तत्काल सुधारात्मक कारंवाई नहीं की जाती है, तो अनुशासनप्रिय थल-सेना को एक ऐसी अवस्था मे धकेला जा रहा है, जिससे कि गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी। आप एक ऐसी दलदल मे फंसते जा रहे हैं, जहां से निकलना अत्यन्त कठिन है। अतः, अत्यन्त कठोर और कारगर कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। मैं यह सभा में भाषण देने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं, मै यह दृढ़ विश्वासपूर्वक कह रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर गहराई से विचार करें कि ससार की अति-अनुशासनप्रिय थलसेना मे क्या घटित हो रहा है, आप इस थलसेना को कहां से गए है ?

अब मैं विधेयक की धाराओं पर आता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि थल-सेना अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। 'सैन्य-विधि नियमावली' नामक एक पुस्तक है। जब मैं सेना में था, यह कहा गया था कि इस पुस्तक को अद्यतन बनाया गया है, लेकिन मैंने पाया है कि कुल मिलाकर यह पुस्तक पहली पुस्तक का पुनर्मुद्रण है। हमें इस भारतीय सैन्य-विधि नियमावली एवं रक्षा सेवा विनियम पुस्तक में संशोधन करने की जरूरत है। इस पुस्तक का बड़ा भाग अभी भी पुराने राजा के विनियमों और रानी के विनियमों से लिया हुआ है। अतः, इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

खंड 2, 3, 4, 5 और 8 के बारे में मैं आपसे सहमत हूं कि इन्हें अब अधिनियम में रखने की कोई जरूरत नहीं है। खंड 6 और 7 जे० सी० ओ०, जिन्हें अब घटाकर कमांडिंग अधिकारियो के स्तर पर लाया-गया है, की समरी-डिसपोजल से सम्बन्धित हैं। यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने में बहुत सारा वक्त नष्ट किया गया था। खंड 9 में अवधि बढ़ गई है। मैं इसे एक यथार्थ प्रशासनिक कठिनाई मानता हूं, लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कि केवल समय बढ़ा दिए जाने के कारण ही, इससे मामलों के निपटान में अकर्मण्यता अथवा उदासीनता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अतः इस पर सूक्ष्म दृष्टि रखे जाने की आवश्यकता है।

मुझे खंड 10, जोकि मुकदमा चलाये जाने से सम्बन्धित हैं, पर आपत्ति है। अगर एक व्यक्ति सेना में सेवाकाल के दौरान कुछ किए जाने का दोषी पाया जाता है, तो छह माह की अवधि तक भी उस थलसेना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता था। आप द्वारा जो कारण बताया गया है कि अवधि-पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग भाग सकते हैं। अतः छह माह की अवधि काफी नहीं है। मेरा सुझाव यह है। आपने इस खंड में दो परिवर्तन किए हैं। एक तो आपने यह कहा है कि अगर एक व्यक्ति अनुपस्थित रहकर इन छः महीनों से बचने की कोशिश करता है अथवा यदि एक व्यक्ति अपना उपचार करवाने के कारण छिप जाता है, तो उसे छूट दे देनी चाहिए। इस प्रकार, सरकार के पास इस मामले

में मुकदमा चलाने और अपनी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए यह छह माह की अवधि है। लेकिन साथ ही साथ आपने इस अवधि को भी तीन वर्षों तक बढ़ा दिया है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच या दस वर्षों में इस प्रकार के कितने मामलों में छह माह की अवधि लागू की गई थी और कितने मामलों में, वे कार्रवाई करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं ? मैं नहीं समझता कि आपके पास अनेक ऐसे मामले हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई मामले हैं, तो फिर हमें यह जानकारी दें कि वे मामले क्या हैं। अन्यथा, मैं समझता हूं कि थलसेना अधिनियम के अनुपालन में जिन लोगों ने अपनी सारी जिन्दगी लगा दी है उनके लिए तीन वर्ष की यह अवधि बढ़ाना अनुचित है। उन्हें एक विशेष अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया है। अगर आप इसे तीन वर्ष तक और जारी रखना चाहते हैं, तो यह उनके गले पर लटकती तलवार जैसा है, जोकि उचित नहीं।

अब, मैं खंड 13, 14 और 15 पर आता हूं। इस बारे में कुछेक मनोरंजक और रोचक टिप्पणियों के अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। विधेयक के खंड 13, 14 और 16; आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 को 1973 की संहिता के साथ स्थानापन्न करने के इरादे से हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि 1898 की यह संहिता 1973 में अवैध अथवा अनुपयुक्त हो जाती है, तो थलसेना फिर भी इन सभी वर्षों मे 1973 से 1992 तक इस संहिता को कैसे लागू करती रही है ? थलसेना द्वारा इस 1898 की संहिता को कैसे लागू किया जा रहा है, जबकि यह अब एक वैध दस्तावेज नहीं है ? अतः, थलसेना अथवा प्राधिकारियों के स्तर पर कोई लापरवाही है। वास्तव में, इसमें 1973 में ही संशोधन हो जाना चाहिए था।

दूसरे खंड 19 में ब्रिटिश अधिकारियों को हमारे थलसेना अधिनियम से विलग रखा गया है। 42 वर्षों के बाद भी यह कहना कितना हास्यास्पद होगा ! थलसेना अधिनियम 1950, यानि यह 42 वर्षों से ही था। ब्रिटिश अधिकारियों को अभी भी इस थलसेना अधिनियम के अन्तर्गत समझा जा रहा है स्पष्ट है कि इस अधिनियम में 19:0 में नहीं तो 1950 अथवा इसके आसपास संशोधन होने चाहिए थे। अब, काफी देर हो चुकी है।

इससे पूर्व कि मैं अपनी बात समाप्त करूं—मैंने एक संशोधन प्रस्ताव दिया है—मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि समरी कोर्ट मामले के अलावा कोर्ट मार्शलों के विरुद्ध याचिका की एक विशेष अदालत होनी चाहिए। यह जरूरी है। जैसाकि मैंने कुछ क्षण पहले भारत-तिब्बत सीमा पुलिस विधेयक के सम्बन्ध में कहा था, कोर्ट-मार्शलों के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए स्वतन्त्र एजेंसी अवश्य होनी चाहिए। कोर्ट-मार्शलों के पास व्यापक शक्तियां हैं। वे सब मिलाकर स्वतन्त्र और निष्पक्ष है। लेकिन ऐसे मामले भी हो सकते हैं। अतः, अभियुक्त को एक याचिका-न्यायालय, जोकि सेनाओं की पूर्णतया. स्वतन्त्र एजेंसी है, से सन्तुष्टी होनी ही चाहिए।

अतः, मैं इस बात का सुझाव देता हूं और यह मैंने अपने संशोधन प्रस्ताव के ब्यौरे मे दिया था। मैंने उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन स्वतन्त्र विशेष याचिका न्यायालय की अवधारणा को स्वीकार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं उपबंधों तथा अन्य सहित इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मेजर जनरल खंडूरी जी की भावनाओं का पक्षधर हूं क्योंकि जब सशस्त्र बलों के बारे में अथवा सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी बात पर इस माननीय सभा में चर्चा होती है, तो उनकी बातों में हमेशा स्वागत योग्य विशेषता होती है।

इसके अतिरिक्त बिना संवीक्षा अथवा अपना दिमाग इस्तेमाल किए। 7,000 करोड़ रुपए में जो हम व्यय करते हैं, पर हमने जो पहले बहस की है, मैं समझता हूं कि हम सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के प्रति अपनी चिन्ता प्रदर्शित करने के लिए ही नहीं बल्कि उसकी समस्याओं के प्रति हमारी सहानुभूति प्रदर्शित करना है।

आखिरकार, वे अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में एक बहुत ही कठिन कार्य कर रहे हैं; और वे लोगों का एक ऐसा समूह है, जिनके मूल अधिकार कम हैं; वे अन्य साधारण नागरिकों की भांति अपनी शिकायतों पर बातचीत करने में असमर्थ रहते हैं, यद्यपि शिकायतों के निराकरण के लिए उनके पास एक माध्यम है।

इस विधेयक को लाने के लिए मैं राज्य मंत्री, श्री ए० कृष्ण कुमार को बधाई देता हूं, यद्यपि जैसा कि प्रथा रही है, हम इस विषय के महत्व के बारे में बोलते है, लेकिन जैसाकि आप सभा की उपस्थिति से देख सकते हैं, हम इसका अभ्यास नहीं करते; संभवतः 50 भी सदस्य नहीं होंगे, यद्यपि मैं गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं।

कुछ ही दिन पहले, हमने भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई है, स्वतन्त्रता सेनानियों और जिन लोगों ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और अपना स्वतन्त्र दिवस भी मनाया है। लेकिन जिन सुरक्षा बलों से, नौसैनिक-विद्रोह ने हमारी उम्मीद से भी अधिक जल्दी स्वतन्त्रता दिलाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। मैं मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खडूरी द्वारा व्यक्त भावनाओं का समर्थन करता हूं और मुझे केवल सेवारत सैनिकों में लापरवाही और गिरते मनोबल की भावना के बारे में ही प्रारंभिक जानकारी नहीं है, बल्कि उनके बारे में जिन्होने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष इस सेवा को अर्पित किए हैं और जो हमारे भूतपूर्व-सैनिक फिलहाल हैं, के बारे में भी ऐसी जानकारी है। मैं आज की सशस्त्र सेनाओं द्वारा अदा की गई भूमिका के विस्तार में नहीं जाना चाहता। अगर कोई समाचार-पत्रों की कुछ टिप्पणियों को देखें, तो उसे ज्ञात होगा कि स्थिति दोहराई जा रही है। कोई कहता है कि थलसेना को अग्नि-शमन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मैं मानवेन्द्र सिंह द्वारा लिखित लेख से कुछेक पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। यह पंक्तियां निम्न प्रकार से हैं :

> "जम्मू में डोडा पर दोबारा कब्जा पाने के लिए हाल ही के सैनिक-अभियान में लड़ाई की भीषणता से नई दिल्ली में निर्णयकर्ताओं को अवश्य ही चिन्ता होनी चाहिए। हर तरह से कुछ घण्टों तक डोडा भारत से छिन चुका था और भारतीय प्रभुसत्ता को फिर से स्थापित करने का अभियान सैनिक-सहायता पर निर्भर था। भारत की अखंडता बनाए रखना निश्चित रूप से सैनिक सक्षमता पर आधारित है। लेकिन बेचैनी वाली बात यह है जिस नियमितता से एक मजबूत स्थान से केन्द्र ने डोडा को मुक्त कराने हेतु थलसेना का स्वयं सहारा लिया।

यह प्रवृत्ति मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मानती है कि थलसेना एक चिरस्थायी अग्नि-शमन सेवा है और यह किए गए शारीरिक नुकसान की अनदेखी करती है। चाहे यह केवल अहमदाबाद अथवा कहीं और की सांप्रदायिक समस्याएं हों, दिल्ली अनिवार्य रूप से यह मानती है कि थलसेना का उपयोग सही है।"

निस्सन्देह, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी ने उसकी भूमिका उन द्वारा किए गए आपरेशन-ब्लूस्टार और उसके फलस्वरूप घटनाक्रमों का उल्लेख किया है। यह पंक्तियां आगे निम्न प्रकार से हैं:

"असैनिक गड़बड़ का थलसेना कभी भी एक समाधान नहीं है और इसे तैनात करने का एक क्षयकारी-प्रभाव है। आपरेशन-ब्लूस्टार से हुए नुकसान का अभी भी निपटारा करना बाकी है, इसके फलस्वरूप दिखाई दी बगावत का सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया है। थलसेना का प्रशिक्षण भी ऐसे हस्तक्षेप का शिकार है जोकि अनिवार्य रूप से राजनैतिक समस्याओं के कारण है।"

सैनिक बलों तथा भूतपूर्व सैनिकों ने, न केवल कड़े संघर्ष से प्राप्त देश को स्वतन्त्रता तथा आजादी की ही रक्षा की है, बल्कि हमारे देश की अखंडता, प्रभुसत्ता तथा एकता को बनाए रखने में भी हमारी सहायता की है। कई बार उन्होंने अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा दी है। यह वीरता तथा त्याग की कथा है। मुझे विश्वास है कि आप दीमापुर अथवा कोहीमा अथवा यहां दिल्ली में कब्रिस्तान में अवश्य गए होंगे वहां जाकर जो दिखलाई पड़ता है, वह है वे जवान लोग जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया; चाहे वह ब्रिटिश हों अथवा भारतीय हों, चाहे वह भारतीय राष्ट्रीय सेना के हों, चाहे भारतीय नौ-सेना के हों। यह क्या कहती है, "जब आप वापस जाए, उन्हें हमारे बारे में बताए; उनके भविष्य के लिए हमने अपना वर्तमान दांव पर लगा दिया।" यही वे लोग हैं जिनकी समस्या के बारे में हमें विचार करना है। इस वर्ष बजट में उनके लिए आवंटित 17 हजार करोड़ रुपए की राशि, जिस पर हमने चर्चा तक नहीं की।

आज से केवल डेढ़ वर्ष पहले मैं सैनिक अस्पताल में लैफ्टिनेंट जनरल के साथ वाले कमरे में ठहरा था। वे सैनिक बलों से अनुशासन तथा कल्याण के प्रभारी थे। उन्होंने उन 4,687 अपंग अधिकारियों तथा व्यक्तियों, युवा लोगों के लिए 5 करोड़ रु० देने का अनुरोध किया था जो कि श्री लंका से वापस आए थे।

हमारी हितैषी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कहा, "हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, बाकी के 4 करोड़ रु० आप कैंटीन निधि अथवा कैंटीन के लाभ में से लीजिए।" यह लैफ्टिनैंट जनरल यह धन किसलिए चाहते थे। इनमें से आधे लोग कमर के नीचे से घायल थे, उनमें से कुछ अपनी टांगें खो चुके थे, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी आहार लेने की क्षमता खो दी थी। वे अपंग हो गए थे, वे जीती-जागती मौत देख रहे थे। उनके सम्बन्धी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे आए और उन्होंने सेनाध्यक्ष तथा उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया। लेकिन हमारा प्रावधान था केवल एक करोड़ रु०।

यह सहानुभूति है, यह समझ है और यह प्यार, लगाव तथा सम्मान है जोकि हम उन्हें देते हैं।

इसलिए सेना ने उन्हें कृत्रिम टांगें तथा कृत्रिम अंग देने के लिए 5 करोड़ की राशि उपयुक्त पायी थी।

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का मामला है, जिसके बारे में मेजर जनरल खंडूरी ने कहा था, अब तक उन तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों को अमल में नहीं लाया गया है। एक रैंक एक पेंशन और दूसरी कैरियर के बारे में क्योंकि ये लोग बहुत छोटी आयु में कई बार 33 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाते हैं जबकि वह और 30 अथवा 27-28 वर्ष तक सेवा के योग्य रहते हैं।

इससे देश को हानि होती है न कि उन लोगों को हानि होती है। वे अनुशासित सभापति होते हैं तथा देश उनके प्रशिक्षण पर खर्च करता है। वे अनुशासित होते हैं, लेकिन राष्ट्र समर्पित, प्रशिक्षित और अनुशासित जनशक्ति की सेवाओं से ऐसे समय में वंचित रह जाता है, जबकि उसको जरूरत सबसे ज्यादा होती है।

आज देश में 35 लाख के लगभग भूतपूर्व सैनिक हैं और हमें अभी भी कुछ करना है, क्योंकि हम एक-दूसरे पर काम डालते रहते हैं। केन्द्र समझता है कि वह राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य समझता है कि वह केन्द्र की जिम्मेदारी है। अन्ततः वह जिम्मेदारी कोई पूरी नहीं करता है।

हमारे कुछ सेवानिवृत्त तथा सेवा कर रहे जनरलों ने भी इस पर टिप्पणी की है। यह 'यूनाइटेड सर्विसेज इन्स्टीट्यूट जर्नल' है, जिसके सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति मुख्य संरक्षक हैं। यह ऐसा मुद्दा है जिसके मुख्य संरक्षक हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटारमन् और हमारे भूतपूर्व रक्षा मन्त्री, जो कि मेरे मंत्री थे, हैं। इसमें एक अनुच्छेद है कि सेनाओं को न्यायालय में पदोन्नति के लिए मुकदमा दायर करने से बचाना चाहिए, जैसाकि प्रादेशिक सेना के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल वी० के० मधोक (सेवा-निवृत्त) द्वारा कहा गया है।

मैं उद्धृत करता हूं :

> "तथापि, इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है कि तन्त्र में अपना विश्वास खोना सैनिक के लिए सबसे अधिक दुखदायक है।"

यह तंत्र, चाहे वो प्रोन्नति के सम्बन्ध में हो, चाहे वह पुरस्कार के सम्बन्ध में और चाहे वह सजा के सम्बन्ध में हो।

> "चूंकि आदर्शवाद के साथ-साथ यह प्रेरक तत्व है जोकि उसे, यदि आवश्यकता हो तो अपना जीवन कुर्बान करने के लिए प्रेरित करते हैं न कि अपना वेतन त्यागने के लिए।"

एक सिपाही वेतन के बदले में अपना जीवन कुर्बान नहीं करता है। वह आदर्शवाद के कारण ऐसा करता है और इस मनोबल को बढ़ाने के लिए तथा उनसे मानवेत्तर कोशिशों को करवाने के लिए ऐसा किया जाता है। चाहे वह सियाचीन में हो, चाहे वह अब्दुल हामिद अथवा कर्नल तारापोर, या होशियार सिंह अथवा काश्मीर में मेजर सोमनाथ शर्मा रहा हो, यह मनोबल तथा अनुशासन है।

> "आपसे अति मानव वाले काम कौन करवाता है ? मनोबल ?···

तथा न्यायालय में प्रोन्नति के लिए बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या तथा अपनी गोपनीय बातों का भेद खोलना इस बात में मदद करता है।"

कल ही माननीय राज्य रक्षा मंत्री डा० संजय सिंह अथवा किसी और द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि 800 से अधिक प्रोन्नति के मामले और कोर्ट मार्शल न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं।

मेरे पास 22 जुलाई के टाइम्स आफ इण्डिया की एक छोटी सी कटिंग है, जिसमें कहा गया है कि "बीमार सेना अधिकारियों को कोर्ट मार्शल में उपस्थित होने के लिए दबाव डाला गया।" इस सम्बन्ध में अखबारों मे प्रतिदिन आ रहा है। अब यह सत्य है कि चाहे वह पदोन्नति का मामला हो, कोर्ट मार्शल का मामला हो, अथवा अनुशासन का मामला हो, अधिक से अधिक लोग कानूनी अदालतों पर निर्भर हैं अथवा हर मामले में कानून का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है।

मैं माननीय राज्य रक्षा मंत्री की बात से सहमत हूं, 15 मिनट पहले जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि "हमारे मामलों में कानूनी अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं? आप ऐसे संशोधन को किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें यह कहा गया हो कि न्यायिक संशोधन होना चाहिए?" इस सम्बन्ध में मैं बाद में बातचीत करूंगा। यही कारण है कि मैं न्यायिक संशोधन चाहता हूं।

सेवाशर्तों के सम्बन्ध में मेजर जनरल भुवन चन्द्र खन्डूरी ने भी यह मुद्दा उठाया है, उन्होने एक तथ्य का उल्लेख किया है, जिसके बारे में आज के 'पायनियर' में भी समाचार है कि सशस्त्र सेनाओं में 9,000 अधिकारियों की कमी है, नौ-सेना में 2,000 अधिकारियों की कमी है, वायु-सेना में 600 अधिकारियों की कमी है और लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। मैं इसे गलत साबित करना चाहता हूं। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है और हमारे सीमा क्षेत्र पर भू-राजनीति तथा भू-सामरिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन यदि युद्ध हो जाता, तो इसके क्या परिणाम होते? अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमें विश्वास में लें चाहे वह किसी तरह की कमी का मामला हो अथवा स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस तथा व्यापक कदम उठाने का मामला हो, चाहे वह अधिकारी संवर्ग मे कमी का मामला हो? क्योंकि यह कनिष्ठ अधिकारियों का मामला है, विशेषकर समाचार पत्रों में कैप्टन के रैंक का उल्लेख किया गया है।

उन्होंने संवर्ग समीक्षा का भी उल्लेख किया है। वास्तव में माननीय मंत्री जी ने अपने शुरू के वक्तव्य के दौरान यह उल्लेख किया था कि 1979 और 1983 में हुई संवर्ग समीक्षा के परिणाम-स्वरूप अधिकारियों को अत्यधिक लाभ मिला था। लगभग 50 से 80 वर्ष पूर्व एक कर्नल एक ब्रिगेड कमाण्ड करता था। अब एक कर्नल एक बटालियन कमाण्ड करता है। जहां एक कर्नल 3000 सैनिक या इससे अधिक कमाण्ड करता था वहां आज वह केवल 850 ही कमाण्ड करता है। ये हैं आपके संवर्ग समीक्षा की उपलब्धि। बीच में अधिकारियों का आधिक्य है, इसलिए लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और अधिक लोग इस सेवा में आगे नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि मद्रास में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में केवल एक पाठ्यक्रम में ही पूरे प्रशिक्षार्थी हो पाए थे। दूसरे पाठ्यक्रम को लोगों में रुचि

की कमी को देखते हुए बन्द कर देना पड़ा अथवा बन्द किया जा रहा है। इसलिए, हमें इस बारे में सोचना होगा कि क्या आज के वातावरण के लिए भर्ती की वर्तमान प्रणाली तथा सेना की शर्तें उपयुक्त हैं अथवा हमें राष्ट्रीय ना की सहायता लेनी पड़ेगी ? क्योंकि अब एक समय आयेगा, जबकि हमें नेतृत्व के लिए युवा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

भारत एक युवा राष्ट्र है। हमारे देश में 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है। मेरे विचार से ससार मे सबसे अधिक युवाओं का राष्ट्र भारत है। मेरे विचार से किसी ने किसी पुस्तक में लिखा है कि विश्व में बुजुर्ग राष्ट्र भी हैं। हमारे राष्ट्र में 60 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्ति भी पूरे विश्व में सबसे अधिक हैं और 30 वर्ष से नीचे की आयु के व्यक्ति भी पूरे विश्व में सबसे अधिक हैं। यही विरोधाभास है।

अब मैं विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। इस बात की बहुत चर्चा है कि मंत्री महोदय ने विधेयक के उद्देश्यों और कार्यों के कथन मे कहा है कि सेना अधिनियम 1950 को पहली बार संशोधित किए जाने की मांग की जा रही है क्योंकि 1950 से कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। 22 जुलाई, 1950 से मूलभूत ढांचा उसी तरह से ही रहा है। परिवर्तित परिस्थितियां क्या हैं ? उन्होने उसकी व्याख्या नहीं की है। उद्देश्यो और कारणों के कथन में कहा गया है :

"कुछ पुराने और अप्रचलित प्रावधानों को हटाने के विचार से सेना अधिनियम, 1950 को संशोधित करने का विचार है।"

वह कहते हैं कि एक फील्ड पनिशमेंट का प्रावधान है। इस पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं मेजर जनरल खण्डूरी से इस बात मे सहमत नहीं हूं। फील्ड पनिशमेंट क्या है ? मैं सेना अधिनियम का खण्ड 75 उद्धृत करता हूं। यह कहता है :

" 'फील्ड पनिशमेंट' : जब वारन्ट अधिकारी से नीचे के रैंक का कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अध्यधीन 'एक्टिव सर्विस' मे रहते हुए कोई अपराध करता है तो इस पर कोर्ट मार्शल का मामला दर्ज करना कानूनन सही होगा। ऐसी सजा को ही 'फील्ड पनिशमेंट' कहा जाता है। 'फील्ड पनिशमेंट' व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाने अथवा कठिन परिश्रम करवाने जैसी होगी लेकिन उसके जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली अथवा अंग भग करने वाली नही होगी और इसमें कोड़े लगाना भी शामिल नही होगा।"

'एक्टिव सर्विस' क्या है ? मैं फिर से सेना अधिनियम का खण्ड 3 उद्धृत करता हूं। यह कहता है :

"इस अधिनियम के अध्यधीन 'एक्टिव सर्विस' एक ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो उस समय के दौरान :

(क) बल से जुड़ा होता है अथवा उसका एक अंग होता है जोकि दुश्मन के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है; अथवा

(ख) सैनिक कार्यवाही में अथवा देश की ओर बढ़ने के लिए तत्पर अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से दुश्मन द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र की ओर बढ़ने की कार्यवाही में लगा होता है; अथवा

(ग) ऐसे बल से सम्बद्ध होता है अथवा उसका अंग होता है, जिसने दूसरे देश पर सैन्य कब्जा कर लिया है।

केवल सक्रिय सेना में ही फील्ड पनिशमेंट दिया जाता है। दिल्ली में यह सजा नहीं दी जा सकती है। यह सजा कलकत्ता मे नहीं दी जा सकती है। यह सजा केवल तभी दी जा सकती है जब सेना अधिनियम की धारा तीन में दी गई तीन शर्तें पूरी होती हों।

फील्ड पनिशमेंट किस तरह का होता है? मैं सेना नियमावली 1954 की धारा ।72 को उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है:

"फील्ड पनिशमेंट—कोर्ट मार्शल अथवा सेना अधिनियम की धारा 80 के अन्तर्गत अधिकार का प्रयोग करने वाला अधिकारी अपराधी के लिए—कोर्ट मार्शल के मामले में तीन माह से अनाधिक की अवधि की सजा देने के लिए और धारा 80 के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करने वाला अधिकारी 28 दिनों की सजा देने के लिए—निम्नलिखित दो सजाओं में से एक सजा का प्रयोग करें।

(क) फील्ड पनिशमेंट संख्या I और (2) फील्ड पनिशमेंट संख्या 2"

फील्ड पनिशमेंट संख्या । क्या है? मैं सेना नियमावली 1954 की धारा 173 को उद्धृत करता हूं···(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिक विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा की बैठक का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत काम शेष है। हमने इस मामले पर अधिकांश अन्य दलों के नेताओं से चर्चा की है। वास्तव में हमें केवल एक ही दिन का समय मिला है और नियम ।93 के अन्तर्गत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जानी है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा की बैठक 8 बजे तक बढ़ा दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सभा माननीय मंत्री की बात से सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक 8 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है।

अब श्री के० पी० सिंह देव आपकी बात जारी रख सकते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : अब मैं सेना नियमावली, 1954 की धारा 173 में वर्णित फील्ड पनिशमेंट संख्या 1 पर आता हूं। मैं इसे उद्धृत करता हूं:

"जब अपराधी को फील्ड पनिशमेंट संख्या 1 का दण्ड दिया जाता है तब उसे अपने दण्ड के दौरान, जब तक सैन्य अदालत अथवा वह अधिकारी जो धारा 80 के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करता है—जैसी भी स्थिति हो—अन्यथा आदेश नहीं देता, निम्नलिखित रूप से दण्डित किया जाए, अर्थात् :—

(क) उसे जेल में रखा जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि उसे बेड़ियों अथवा हथकड़ियों में रखा जाए, अथवा बेड़ियों और हथकड़ियों दोनों में जकड़कर रखा जाए, ताकि उसे फरार होने से रोका जा सके;

(ख) जब वह जेल में हो, उसे कुछ समय के लिए एक निर्धारित कार्य पर लगा दिया जाए और यह समय किसी भी दिन दो घण्टे से अधिक का न हो, परन्तु उसे लगातार किन्हीं चार दिनों में से तीन से अधिक दिनों तक और न ही कुल मिलाकर 21 दिनों से अधिक समय तक काम पर रखा जाये।"

यह कुल मिलाकर 3 माह, 21 दिन है। इसको कब इस्तेमाल में लाया जाता है? मेरा कहने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सेना आगे बढ़ रही हो, जब युद्ध कर रही हो, जब सेना शत्रु के सामने डटी हुई हो और जब वह विदेश/विदेशी क्षेत्र में हो। अतः यह इतना आसान नहीं है कि मानो, यह दिल्ली में हो रहा हो, दिल्ली छावनी या आमन्द पर्वत में हो रहा हो जिसे इस तथ्य के बाद अब बेचे जाने की मांग की रही है कि पिछले सत्र में श्री अन्ना जोशी ने एक प्रश्न पूछा था कि तीन वर्षों में रक्षा मंत्रालय ने 31000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। प्रश्न का संकेत देने पर भी माननीय रक्षा मंत्री ने यह उत्तर नहीं दिया कि रक्षा मंत्रालय ने कितना धन दिया। हमें याद है कि राजस्थान सरकार ने जब के० के० रेंज में भूमि दी थी तो उस समय केन्द्र सरकार से बहुत अधिक कीमत वसूल की थी और पूरे घाटे की अदायगी रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। मुझे मालूम नहीं है कि 31000 एकड़ उस 400 एकड़ का 70 गुणा से अधिक है। यहां पर चर्चा होने के बावजूद भी कुछ नौकरशाह, कुछ बाबू, डेस्क अधिकारी जिन्हें मेजर जनरल भुवन चन्द्र खन्डूरी शब्दों के साथ खिलवाड़ करता हुआ कह रहे थे। संसद ने केवल इतना कहा है कि छावनी की भूमि को बेचा नहीं जाएगा। भू उपयोग पद्धति के आधार पर इसे पहले वायुसेना और नौसेना को दिया जाएगा और उसके बाद राज्य सरकारों को दिया जाएगा। उसके बाद यह भूमि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और उसके बाद निजी उद्यमियों को दी जाएगी। अतः किसी पक्षधर चालाक बाबू ने कहा है चूंकि संसद ने केवल छावनी की भूमि के बारे में कहा है, तो हमें ब्रिटिश शासनकाल के दिनों की याद करनी चाहिए। उस समय छावनी क्षेत्र के अलावा क्या क्षेत्र बचा हुआ था? यह एक एक बहुत छोटा छावनी क्षेत्र था। कोई भी बाह्य बात संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः इस तरह से हम दूसरा घोटाला करने जा रहे हैं।

मैं सभा को सतर्क कर रहा हूं, यदि हम सतर्क नहीं रहते हैं तो कोई पक्षधर चालाक बाबू इसे हड़प लेगा।

मुझे विश्वास है कि आप बम्बई जरूर गए होंगे। यदि आपने सान्ताक्रूज देखा है तो ए० डी० ब्रिगेड का सारा क्षेत्र झुग्गी-झोंपड़ियों से अधिग्रहित कर लिया गया है और यह भूमि पहले ही रक्षा

मंत्रालय से हाथ से निकल गई है। यही मामला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के परिसर के अन्दर की भूमि के सम्बन्ध में है। 45 वर्ष के बाद भी हम उनसे छुटकारा नहीं पा सके हैं। यही हाल कोलाबा में नौ-सैनिक आसूचना कार्यालय से आगे की जमीन के सम्बन्ध में है। सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय अपने सिर पीट रहे हैं परन्तु कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आया है।

अतः कोई भी परिवर्तन करने से पहले हमें बहुत होशियार होना पड़ेगा। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इस फील्ड पनिशमेंट का न तो अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था और न ही हमने किया है। परन्तु यह एक निवारक उपाय है। मैं इसे माननीय मंत्री की इच्छा पर छोड़ता हूं। चूंकि मेजर जनरल खण्डूरी ने पहले ही कह दिया है कि वह इसे समाप्त करने से बुरा नहीं मानेंगे, तो मैं इस बात पर झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करते समय इतने दुःखी थे कि यह अनुशासन और नम्रता और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और आधुनिक असंगत विधिशास्त्र से बहुत परे है। अतः मैं एक मुद्दे पर आता हूं जो विधिशास्त्र से असंगत है जो अप्रचलित है और आधुनिक नहीं है और समरी कोर्ट परम मार्शल के अलावा कोर्ट मार्शल कार्यवाहियों के विशेष पुनरीक्षा न्यायालय पर यही संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है। मैं 21 अगस्त, 1981 को रक्षा सेवाओं के कर्मियों के लिए विशेष न्यायालय अपील विधेयक, 1981 लाया था।

6.00 म० प०

मैंने यहां कुछ प्रावधानों को केवल इसलिए समाविष्ट किया है कि यह सेना (संशोधन) विधेयक है और नौसेना तथा वायुसेना विधेयक को समाविष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं इसे धारा 127 के अन्तर्गत जान-बूझ कर लाया हूं, हालांकि 1981 का मेरा विधेयक सेना अधिनियम की धारा 164 में एक संशोधन था। क्योंकि सरकार एक विधेयक लाई है इसलिए यह सभा के साथ-साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और मामले को उभारने के लिए है। मेरे पास केवल यही एक विशेष विषय नहीं है। मेजर जनरल खण्डूरी जोकि एक बेहतरीन सिपाही है, एक ख्याति प्राप्त सिपाही हैं वह भी यही बात महसूस करते हैं, श्री शाहाबुद्दीन भी यही बात महसूस करते हैं और महाराष्ट्र के श्री सुधीर सावंत जोकि एक ख्याति प्राप्त सिपाही हैं और कई महत्वपूर्ण स्टाफ पदों पर कार्य कर चुके हैं, वह भी यही महसूस करते हैं। हम यह क्यों महसूस करते हैं? 1972 से 1981 तक अर्थात् 9 वर्षों तक पर्याप्त अनुसंधान करने के बाद 23 अप्रैल, 1981 को इस विधेयक को लाने से पहले मैंने जिन कारणों का उल्लेख किया और जिसे राष्ट्रपति की वित्तीय और अन्य दोनों मंजूरियां प्राप्त थी वह इस प्रकार थे :

"कोर्ट मार्शल द्वारा उनके प्रति निर्णय देने के बाद रक्षा सेवाओं के व्यथित व्यक्तियों की अपील की सुनवाई करने के लिए फिलहाल कोई न्यायालय नहीं है। हाल के वर्षों में अनेक सुरक्षा कर्मी कोर्ट मार्शल द्वारा उनके मामलों का समरी डिसपोजल के बाद कानूनी न्यायालयों का सहारा ले रहे थे और वह यह सूचित कर रहे थे कि मौजूदा प्रक्रिया उन्हें न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। न्यायाधीश, महाधिवक्ता की स्थापना और विभिन्न स्तरों पर इसकी शाखाएं कार्यपालिका प्राधिकार के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। एक छोटे संगठन में स्टाफ कैप्टेन (विधिक) से लेकर सेना प्रमुख के पद तक यह

ठीक ढंग से और स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर रहा है। यह उसी विभाग द्वारा विवेचित और संचालित होता है।"

मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि उनका बचाव करने के बजाय कौन सा विभाग अपने अधिकारियों को दुर्बल करने जा रहा है। हम देख चुके हैं कि 4,500 करोड़ रुपए के प्रतिभूति घोटाले में क्या हुआ। हरेक व्यक्ति ने एक-दूसरे को बचाना आरम्भ कर दिया है। इसे कुछ दबावों में कार्य करना पड़ा और मैं आपको बताता हूं कि वह दबाव कौन से थे। मैं अपनी बात जारी रखता हूं :

"व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायाधीश महाधिवक्ता के निष्कर्षों की स्वतंत्र जांच करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। यह विचित्र सी बात है कि उसी कार्यपालिका से, जिससे न्यायाधीश महाधिवक्ता को उसकी शक्ति प्राप्त होती हैं, न्यायाधीश महाधिवक्ता के निष्कर्षों की पुनरीक्षा और पुष्टि करने का अधिकार प्राप्त है। अत: अपीलें विशेष अपील न्यायालय को भेजने का प्रावधान होना चाहिए, जो सुरक्षा सेवाओं के प्राधिकारियों से कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों और सजाओं से मुक्त हो, ऐसे न्यायालय यह एक व्यवहारिक शब्द है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ में ऐसे न्यायालय थे, ग्रेट ब्रिटेन में ऐसे पुराने कोर्ट-प्रांगण स्थित न्यायालय हैं, फ्रांस में हैं, जहां चेम्बर आफ डिप्यूटीज इसके लिए निर्वाचित होते हैं, और अन्य देशों में हैं और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होते हैं।"

यह 23 अप्रैल, 1981 की बात है। उसके बाद जिस समय भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन रक्षा मंत्री थे, उस समय सिद्धान्त रूप में इस बात पर सहमति हुई थी कि एक विशेष अपील न्यायालय होगा। क्योंकि उस समय जनरल कृष्ण राव सेवानिवृत्त हो रहे थे और जनरल वैद्य कार्यभार संभाल रहे थे इसलिए इसे रोक दिया गया था ताकि नए सेनाध्यक्ष को उनके पूर्ववर्ती द्वारा किए गए कुछ कामों से नहीं लादा गया था। इस बात को अब लगभग 9 वर्ष बीत गए हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने मंत्रालय मे जाएं और उन पृष्टों को पढ़ें। वह देखेंगे कि सशस्त्र सेनाओं और नौकरशाही तथा देश के राजनीतिक नेतृत्व ने विशेष अपील न्यायालय होने की बात पर सहमति प्रकट की थी। उनकी जानकारी के लिए मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि लेफ्टीनेंट जनरल श्री एम० एल० थापर, भूतपूर्व सेना उपाध्यक्ष ने यूनाइटेड सर्विसेज संस्थान में एक सम्मेलन और कार्यशाला की अध्यक्षता की थी, जहां पर भारत के राष्ट्रपति मुख्य संरक्षक और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष संरक्षक हैं।

उस सम्मेलन और कार्यशाला में यह भी निर्णय लिया गया था कि यह सम्मेलन और कार्यशाला यह सिफारिश कर सकती है कि एक विशेष अपील न्यायालय होना चाहिए, न्यायिक पुनरीक्षा होनी चाहिए और यह सेना प्राधिकारियों से मुक्त होना चाहिए।

अब संशोधन क्या है ? संशोधन यह है कि कोई भी व्यक्ति, इस विधेयक के अधीन, जिसे कोर्ट मार्शल ने सजा दी गई हो, समरी कोर्ट मार्शल के अलावा, इस उद्देश्य के लिए गठित अपील न्यायालय में उसे सुनाई गई सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा इसे धारा 164 में आना चाहिए था। चूंकि सरकार धारा 164 में कोई संशोधन नहीं ला रही है, और यदि मैं धारा 164 में कोई संशोधन प्रस्तुत करता तो लोक सभा सचिवालय इसे अस्वीकार कर देता। अत: मुझे यह संशोधन

धारा 127 के जरिए लाना पड़ा, क्योंकि हम इसे समाप्त करना चाहते हैं और वह भी केवल इस पर प्रकाश डालने और इसे सदन में लाने के लिए। यह धारा 127 के अन्तर्गत नहीं आता है। मैं अपने संशोधन का हश्र जानता हूं। माननीय मंत्री इस पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें एक विवरण भी सुनाना है।

मैं फिर उद्धृत करूंगा :

"(ख) रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए एक विशेष याचिका न्यायालय की स्थापना की जाए, जिसमें तीन न्यायाधीश हों जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर से कम स्तर के न हों और जिन्हें सेना कानून का ज्ञान हो।

3. विशेष याचिका न्यायालय हेतु न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मनोनीत किया जाए।

4. निम्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई और निपटारे के लिए उच्च न्यायालय में अपनाई गई प्रक्रियाओं को विशेष याचिका न्यायालय में अपनाया जाए, जो कि मामलों के तथ्य पर भी विचार करेगा।

5. विशेष अपीली अदालत का निर्णय अन्तिम होगा और इसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की जाएगी।

6. विशेष अपीली अदालत को अपने यहां दायर प्रत्येक अपील पर अधिक से अधिक 90 दिनों के अन्दर अपना निर्णय देना होगा।

7. विशेष अपीली अदालत का मुख्यालय दिल्ली में या उच्चतम न्यायालय की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किसी अन्य स्थान में होगा।"

महोदय, मैं जनरल मगला को उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अनुशासन के पहलू का जिक्र किया है जो कि विशेष रूप से इस वस्त विषय से सम्बन्धित है।

जनरल मंगला, जो कि सेना के महाधिवक्ता है, ने 22 जुलाई को कहा था : "जल्दी, स्वच्छ और कम खर्चीला न्याय..." भारतीय सेना के न्यायिक विभाग जो कि सेना का अल्प रूप से ज्ञात एक अंग है जो अपना 99वां स्थापना दिवस मना रहा है का कानूनी विशेषज्ञों में से एक, महाधिवक्ता का यह विचार इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वहां मुकदमों को छांटने में कुछ सप्ताह भर लगते है और अधिक से अधिक तीन वर्षों के अन्दर उनका निपटारा कर दिया जाता है. असैनिक न्यायपालिका के लिए ईर्ष्या का विषय होना चाहिए। वहां अब तक हमारे 800 लोग न्यायालय में आ चुके है जिनमें जैसा जनरल खण्डूरी ने बताया है, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल आदि भी शामिल है जो कि न्यायालयों में भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं।

महोदय, मैं आगे और उद्धृत करता हूं :

"सैनिक विधि शास्त्र सिर्फ सैन्य कर्मचारियों पर ही लागू होता है—इस प्रकार की विशेष व्यवस्था इस बड़े सैन्य संगठन जिस पर बाहरी आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, में कड़े अनुशासन बनाए रखने की महान आवश्यकता को ध्यान मे रखकर की गई है।"

कारगर शब्द तो उद्धृत मैं अब कर रहा हूं :

"उदाहरण के लिए, असैनिक जीवन में कार्य से अनुपस्थिति को एक मामूली अपराध माना जाता है जबकि सेना में इस प्रकार की घटना को एक गम्भीर अपराध के रूप में लिया जाता जिसमें निश्चित तौर पर कड़ी सजा दी जाती है क्योंकि इस प्रकार की घटना के फलस्वरूप युद्ध में हार भी हो सकती है।"

इसमें इसका जिक्र नहीं है, अगर आप पैटन वाले दृश्य को याद करें। जनरल पैटन ने एक यंग प्राइवेट को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वह रण-क्षेत्र से भाग आया था। युद्ध के समय क्या मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल पद के पांच या तीन अधिकारियों से युद्ध में लड़ने की बजाय मुकदमे को निपटान हेतु कोर्ट मार्शल की बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा रख सकते हैं या क्या जब सेना मार्च कर रही हो तब दण्डात्मक कार्यवाही करने की बात सोची जा सकती है? इस पर चिन्तन करने का मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं।

अगर सीमाओं की रक्षा प्रभावी ढंग से की जानी है तो सैनिकों का बहादुर और आज्ञाकारी होना जरूरी है और एक अलग सैन्य कानून से ये बातें सुनिश्चित हो जाती है।

इसलिए, इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है, हालांकि मेरा विवेक कहता है कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री इस मुद्दे को अपने रक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और ऐसे लोग जो भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं और अवकाश प्राप्त करने वाले कुछेक अधिकार इस विशेष अपीली न्यायालय हेतु विधेयक को संसद में रखेंगे जो आधुनिक प्राचीन एवं असगत न होकर आधुनिक सोच एवं प्राकृतिक न्याय पर आधारित होंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बे समय के बाद यह विधेयक लाया गया है और वस्तुतः इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। माननीय मन्त्री ने बताया कि ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए सेना अधिनियम को 1911 के बाद 1950 में संशोधित किया गया था। अब चार दशकों के बाद सरकार इस अधिनियम के कुछेक खण्डों में संशोधन करना चाहती है। ब्रिटिश सेना का दर्शन तो भाड़े के सैनिक तैयार करना था। उस दर्शन मे अभी भी बदलाव नहीं आया है। ऊपर से मामूली परिवर्तन कर देने मात्र से दर्शन नही बदल जाता है। वही दर्शन अब तक जारी है और अब चार दशको के बाद मन्त्री महोदय उसके कुछ पुराने, आपत्तिजनक एवं अश्लील अनुच्छेदो जिन्हें हम अपने विधि संबधि में इतने वर्षों तक ढोते रहे हैं, मे परिवर्तन करने की खातिर कुछ संशोधन प्रस्तुत किया है। इतने दिनों तक सरकार सोती रही है और अब चार दशको के बाद इसकी नींद टूटी है तो इसमें संशोधन करने की कोशिश चल रही है। ठीक है, हम इस संशोधन का समर्थन करते हैं क्योंकि

कभी न हो इससे बेहतर है कि देर से ही कुछ हो जाए। इसमें कुछ संशोधन किए जाने हैं, यह ठीक है। लेकिन इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और मैं पहले बोलने वाले अपने दो साथियों की इस बात से सहमत हूं कि इसमें बहुत सारे संशोधनों का होना जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और यहां तक कि न्यायालय ने भी कई बार सरकार को इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की चेतावनी दी है। मैं कोर्ट मार्शल के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि कोर्ट मार्शल अपने-आप में पूर्णतया दोष-मुक्त व्यवस्था नहीं है, इसमें कई खामियां हैं। जहां सेना में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, वहीं न्याय की भी किसी रूप में अवहेलना नहीं की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार व्यवस्था में मौजूद खामियों की आलोचना की है तथा सरकार को बदलते समय के साथ सामंजस्य बनाने और इस व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार करने की सलाह भी दी है। मैं उच्चतम न्यायालय के 1982 में दिए गए एक निर्णय को उद्धृत करता हूं जिसका पाठ इस प्रकार है:

"हमारी प्रणाली अभी भी प्राचीन ही है। देश में चल रही परिवर्तन की हवा सेना के बन्द और अनुल्लंघनीय बाड़े को छू नहीं पाई है" कोर्ट मार्शल में व्याप्त स्पष्ट विसंगति की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहेंगे जहां मुकदमे के निर्णयों के निष्कर्षों के तर्कसंगत आधारों का उल्लेख आदेशों में नहीं किया जाता है, यहां तक कि मृत्यु-दण्ड सुनाए गए मुकदमे में भी ऐसा नहीं किया जाता है। इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि अनुशासित एवं समर्पित भारतीय सेना में यह शिकायत नहीं पनपे कि उन्हें न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया से वंचित रखा जाता है।"

पुनः, अपने एक अन्य निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा:

"साक्ष्य, कानून-निर्माण, निष्कर्ष और पर्याप्त सजा आदि की समीक्षा करने हेतु एक भी अपील करने की व्यवस्था नहीं होना इस देश में व्याप्त इस बड़ी कमी को उजागर करती है जहां असैनिक क्षेत्र में न्यायालयों की विभिन्न श्रेणियां बनी हुई हैं जिनमें अपील-दर-अपील करने की प्राथमिकता है।"

महोदय, आप जानते होंगे कि हमारी न्यायिक प्रणाली में संविधान के अनुच्छेद 136(2) और 227(4) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सेना से सम्बन्धित अपीलें नहीं की जा सकती हैं। उनमें सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अन्तर्गत सेना से सम्बद्ध लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जा सकती है। अतः ये पुरानी चीजें अभी भी चल रही हैं, इनमें मामूली रूप से बाहरी परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं। महोदय, जो लोग देश की सम्प्रभुता एवं स्वाधीनता की रक्षा नहीं करते हैं, वे लोग कैसे उन लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं जो हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा करने हेतु सीमाओं पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं।

महोदय, वहां बहुत सारी समस्याएं हैं। जनरल खण्डूरी पहले ही हमारी सेनाओं का असैनिक कार्यों में उपयोग की बात बता चुके हैं। वहां व्यापक असंतोष है। सेना के ड्यूटी-चार्टर में लिखा है:

"जब भी जरूरत हो, सरकार की सहायता करना, उसे शांतिपूर्वक कार्य चलाने में सहायता देना।"

बाढ़-पीड़ितों, भूकम्प पीड़ितों एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओ के पीड़ितों को बचाने मे सेना हमेशा आगे आती है। लेकिन कभी कभी तो आतरिक शांति बनाए रखने में भी उनका उपयोग किया जाता है और उन्हें पुलिस का दायित्व सौंपा जाता है। इस प्रकार के कार्य निभाने के लिए पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों को समुचित रूप से संगठित किया जाना चाहिए। लेकिन सेना को बार-बार बुला लिया जाता है जिससे उनमें असंतोष पनपता है। सेना दुश्मनों को मारने के लिए है न कि अपने देश के लोगों को। इस प्रकार की विसंगति जारी है लेकिन सरकार उनकी शिकायतों को भुलाए बैठी है। असैनिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने हेतु सेना को अक्सर बुला लिया जाता है और यह बात असैनिक अधिकारी भी जानते हैं कि सेना के द्वारा गोली चलाए जाने की कोई जांच नहीं होगी और इस प्रकार से वे अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। इस पहलू पर भी समुचित रूप से गौर किया जाना चाहिए जिससे हमारी सेना का असैनिक कार्यों में अत्यधिक दुरुपयोग न हो सके।

फिर उनके भर्ती एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। वहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी है। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान महालेखा परीक्षक एवं नियत्रक की मई की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें सेना की भर्ती-प्रणाली मे भ्रष्टाचार, भर्ती किए गए जवानों की प्रशिक्षण केन्द्रों में उपेक्षा आदि का जिक्र किया गया है। रिश्वत स्वीकार करने, प्रश्न-पत्रो के लीक हो जाने और उत्तर-पुस्तिका बदल दिए जाने जैसे कदाचारों के लिए भी इसे लताड़ा गया है। 1986-87 से 1990-91 के बीच इस प्रकार के कदाचार के सम्बन्ध मे 48 के करीब अनुशासनात्मक मामले में कार्यवाहियां शुरू की गई। चूंकि नियुक्ति अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी सेना के ही होते है अत: अधिकारियों और दलालों के बीच साठ गांठ की बात खुलेआम कही जा रही है, जो कि बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। चयनित उम्मीदवारों के केन्द्र पर पहुचने के बाद उनके प्रशिक्षण में एक से उन्नीस सप्ताह तक का विलम्ब हो जाने की भी रिपोर्ट है।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सभी 11 प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल मिलाकर 30.93 लाख प्रशिक्षण 3 सप्ताह का ही उपयोग हो पाता है जबकि कुल 55.78 लाख प्रशिक्षण सप्ताह उपलब्ध हैं। इन लोगो के द्वारा सिर्फ आधे समय का ही उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से सरकार द्वारा प्रशिक्षण की उपेक्षा की जाती है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि कई प्रशिक्षण केन्द्रों पर नये रंगरूटों के प्रशिक्षण मे सैनिक कृषि कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाने लगी है। ऐसी स्थिति मे अगर इस प्रकार की उलझन पैदा करने वाले कदाचार को चलने दिया जाता है तो एक नये रंगरूट से एक अच्छे जवान बनने की कैसे उम्मीद की जा सकती है ?

महोदय, प्राक्कलन समिति ने भी इस स्थिति में परिवर्तन करने हेतु कुछ ठोस सुझाव दिए हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सेना में शिकायतो को दूर करने हेतु कोई सन्तोषप्रद व्यवस्था नही है। विभिन्न कानूनी न्यायालयों मे करीब 800 मुकदमे लम्बित है और सेना के लोग न्यायालयो का चक्कर लगा रहे हैं जो कि एक स्वस्थ संकेत नही है। चूंकि वे लोग सन्तुष्ट नही है और उनके अन्दर आशंकाए भी विद्यमान हैं, इसलिए वे लोग न्यायालय में जा रहे हैं। एक अपीलीय न्यायालय स्थापित करने का सुझाव श्री सिंह देव द्वारा पहले ही दिया जा चुका है और उस स्वतत्र निकाय में पीड़ित जवान अपनी शिकायतो को दर्ज करवाके वहां से राहत पा सकते है। सेना के ऊपरी पदो मे अच्छी संभावनाओं का अभाव है। वहां लेफ्टिनेंट कर्नल बनने मे 16-17 साल, कर्नल बनने मे 19 से 25 साल,

ब्रिगेडियर बनने में 28 साल एवं मेजर जनरल में 30 से 32 साल लगते हैं। कमी के कारण प्रतिभाशाली युवक सेना की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। एक रिपोर्ट यह भी है कि सेना के तीनों अंगों में कई हजार अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। लेकिन असैनिक क्षेत्र में लोगों को आधे समय में ही अच्छी संभावनाएं मिल जाती हैं जो कि सेना के लोगों को पूरे समय में नहीं मिल पाती है। जैसा कि आपने देखा कि इन तीनों अंगों में हजारों अधिकारी हैं लेकिन उन्हें अच्छी संभावनाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस बात पर भी समुचित रूप से गौर किया जाना चाहिए। शांति के दौरान कुछ समय के लिए उन्हें परिवार के साथ रहने का मौका मिल पाता है। लेकिन अधिकांशतः उन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है जिसके कारण वे लोग अपने परिवारों के साथ नहीं रह पाते हैं तथा अपने बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं एवं अन्य पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनके बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं इन प्रश्नों पर भी समुचित रूप से विचार नहीं किया जाता है। सरकार को इन सारी समस्याओं का खास ध्यान रखना चाहिए तथा उनमे व्याप्त असन्तोष को दूर करना चाहिए।

अन्त में, मैं सरकार का ध्यान भूतपूर्व सैनिकों एवं युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं की समस्याओं की ओर खींचना चाहूंगा। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में विस्तार से बताया है। मैं जनरल खण्डूरी की इस बात से सहमत हूं कि 'एक रैंक-एक पेंशन' की व्यवस्था एक छल था। पूर्व की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध थी। अल्पबहुमत वाली सरकार पर से जब खतरा टल गया तो वह उन भूतपूर्व सैनिकों के साथ विश्वासघात कर गई। सरकार ने 'एक रैंक-एक पेंशन' योजना के दायरे से कई लोगों को बाहर कर दिया।

ये सारी समस्याएं अभी मौजूद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र सरकार के विभागों में उन लोगों के लिए किए गए आरक्षण का समुचित रूप से पालन नहीं होता है। इसलिए इस पर निगरानी रखने वाला कोई तंत्र होना चाहिए जिससे भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न सेवाओं में स्वतः नियुक्त हो सके। प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 भूतपूर्व सैनिक सेना की सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं और अब इस समय कुल 35 लाख भूतपूर्व सैनिक हमारे यहां हैं जो कि सिविल क्षेत्र में नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। वे लोग काफी कुर्बानी देने के बाद और अपने जीवन का श्रेष्ठतम भाग देश की रक्षा के लिए सेना में बिताकर सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन बाहर आने पर इनकी उपेक्षा की जाती है। इनके लिए जो सुझाव अथवा कार्यक्रम अथवा योजनाएं आरम्भ की जाती हैं, उनके नियमित कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सम्बन्ध में तैयार की गई योजनाएं उचित ढंग से लागू की जाएं ताकि सेना के लोग स्वयं को उपेक्षित न महसूस करें और अपनी ड्यूटी को बेहतर ढंग से करने के लिए प्रोत्साहित हों।

यद्यपि सरकार द्वारा लाया गया संशोधन एक अच्छा संशोधन है, अभी काफी कुछ और भी किया जाना है। इसके लिए एक व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। इस तरह के छोटे से संशोधन से काम नहीं चलेगा। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखें और एक व्यापक संशोधन लाया जाए। सेना के बारे में जो मौलिक अधिनियम है, वह अंग्रेजी शासन द्वारा धनलोलुपता अधिनियम के रूप में लाया गया था। समय में परिवर्तन के साथ भी हम अभी भी इसी अधिनियम को अपनाते आ रहे हैं। इसलिए इस सभा में एक व्यापक विधेयक लाए जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को हाऊस में रखते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने अमेंडमेंट की आवश्यकता अपने भाषण में बताई है। लेकिन, अभी जिस प्रकार से हमारे कई साथियों ने यहां पर भाषण करते हुए बताया तो मेरे ख्याल में मन्त्री महोदय के भाषण में भी यह वाक्य आया था कि "दोज आर कासमेटिक चेंजेस"। पूरे ध्यान से, लगन से आज सेना की आवश्यकता क्यों है, क्या आपत्तियां हैं जिससे न्याय मिलने के लिए उनको झेलना पड़ता है। या आर्मी के जो नियम हैं उनके अन्तर्गत उनको क्या-क्या कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं इसके बारे में मन्त्री महोदय ने या आर्मी के बड़े-बड़े आफिसर्स ने विचार नहीं किया है। ऐसा मुझे इस बिल को और इसमें दिए गए प्रावधानों को देखते हुए महसूस होता है।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातों का उल्लेख किया है। मैं भी गम्भीरता से एक बात को दोहराना चाहता हूं कि आज की स्थिति में सेना में न्याय नहीं मिलने के कारण लगभग हर साल पांच हजार अधिकारी कोर्ट में जाते हैं न्याय पाने के लिए, यह तो खाली अफसरों की संख्या है, जवानों की क्या स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में हमारे अधिकारी और जवान न्याय के लिए, अपने हक के लिए कोर्ट में जाते हैं तो जैसा मेजर जनरल खण्डूरी साहब ने यहां एक बात कही कि एक तरफ तो हम उनको परमवीर चक्र, वीर चक्र, गैलेंटरी आवार्ड्स देते हैं और दूसरी तरफ वे न्याय के लिए सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इन एवार्ड्स का औचित्य क्या रह जाता है। कोर्ट में जाने पर उनका समय, पैसा और शक्ति खर्च होती है, फिर आर्मी एक्ट का उपयोग क्या है। इसलिए मैं आपके जरिए मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर और सोच-विचार करें। आपके ही पुराने रिटायर्ड अधिकारियों ने पुस्तकें लिखी हैं—

[अनुवाद]

"हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है "रोड टू करप्शन"। रिटायर्ड मेजर जनरल वर्मा जी, मैं सेना में भ्रष्टाचार के मार्ग पर नहीं जाना चाहता।"

[हिन्दी]

रिटायर्ड मेजर जनरल वर्मा जी ने एक किताब लिखी है। उसमें सारी बातें लिखी है कि ट्रेनिंग में, भर्ती में, पोस्टिंग में, प्रमोशन में हर स्टेज पर भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से उनका जो प्रॉपर हक होता है वह उनको नहीं मिलता है। उसके लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। अभी हाल ही में हमारा एक जवान जो चार साल कोहिमा में रहा, उसके बाद उसको शिलांग पोस्टिंग हुई जहां वह दो साल कम्बाट फ्रन्ट पर लड़ा, फिर वह पुणे में आ गया तो उसको वापस ट्रेनिंग के लिए वहां भेजा जा रहा है। वहां कोर्स ऐसा है—

[अनुवाद]

"चार टर्म्स उसे मिलिट्री इंजिनियरिंग कालेज, पुणे में पूरी करनी होती हैं और चार टर्म्स महु में पूरी करनी होती हैं।

[हिन्दी]

7 टर्म्स उसने पूरी कर ली हैं, पास हो गया है, आठवीं पास कर रहा था तो उसका जो अधिकारी था उसने किसी बात पर उसको चांटा मारा। डाक्टर का प्रमाण पत्र है।

[अनुवाद]

"उसके कान का पर्दा 95 प्रतिशत तक फट गया है। इसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ेगा।"

[हिन्दी]

आफिसर उसको बोला कि तुम कम्प्लेंट न करो, हम आपस में समझौता कर लेंगे। क्योंकि मारने वाला आफिसर मेजर जनरल का दामाद था और उसको अपनी प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग पर जाना था। हिंडरेंस न हो इसलिए उसको वैसे ही रहने दिया गया और मारने वाला आदमी प्रमोशन पर चला गया। बाद में इसकी इनक्वायरी हुई, उसको कहा गया कि तुम्हारी शिकायत क्या है। उसने कहा कि

[अनुवाद]

डाक्टर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

डाक्टर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

[हिन्दी]

आपको आश्चर्य होगा कि उसको निर्णय मिल गया कि यह बकवास है। इसने अपने अधिकारियों के खिलाफ फिजूल तकरीर की है और इसके लिए इसको ही दण्ड देना चाहिए।

[अनुवाद]

यह निर्णय लिया गया। जिस जवान ने चार वर्ष तक कोहिमा में और दो वर्ष तक श्रीलंका में लड़ाई लड़ी और जिसे केवल तीन महीने तक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेना था, उसके साथ इस तरह से न्याय किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, उसको पनिशमेंट दी गई और उसको बाद में वहां से उस पोस्ट से विदड्रा कर लिया गया और फिर वह अपनी पोस्ट पर पहुंचने में कामयाब हुआ। उसका क्या दोष है? लेकिन यह मिलिट्री में होता है, और हौवा बनाया जाता है कि मिलिट्री के डिसिप्लिन, मिलिट्री की सीक्रेसी सख्त होते हैं। यह डिसिप्लिन का तरीका है? वह कहीं अपील भी नहीं कर सकता। अगर वह किसी सांसद के पास जाए और कुछ रिप्रेजेंट करने को बोले तो—

[अनुवाद]

ऐसा अनुशासन के खिलाफ है ।

[हिन्दी]

हम कुछ बोल नहीं सकते हैं । मैंने अपील की मैं लोगों का प्रतिनिधि हूं, मुझे बोलना चाहिए इसके लिए और···

[अनुवाद]

यही एक उचित मंच है जहां पर मैं उनकी शिकायतों को रख सकता हूं ।

[हिन्दी]

वह कहां जाए ? मैं आपके द्वारा रक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इनजस्टिस जो मिलिट्री में हो रहे हैं, उसके लिए वेन्टिलेशन कहां है और यह वेन्टिलेशन नहीं है, इसके लिए मेजर जनरल वर्मा जी ने कहा है कि हर साल 5000 अधिकारी कैप्टन से लेकर मेजर जनरल तक जस्टिस के लिए कोर्ट में जाते हैं । यह रक्षा मन्त्रालय के लिए शोभादायक बात नहीं है । इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जो इनजस्टिस हो रहे हैं, उसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान इस आर्मी ऐक्ट में होना चाहिए और जैसा अभी मित्रों ने बोला कि···

[अनुवाद]

अपील अधिकारी मिलिट्री से अलग होता है ।

[हिन्दी]

मिलिट्री का बड़ा आफिसर वहां बैठा लिया तो वही जस्टिस करेगा । (व्यवधान)

मैं डिसिप्लिन के बारे में नहीं बोल रहा हूं । लेकिन डिसिप्लिन के नाम पर जो इनजस्टिस चला है उसको आप ऐग्री करेंगे ? अगर ऐग्री करेंगे तो क्या यह शोभादायक बात है कि 5000 अधिकारी कोर्ट में जाते हैं ? नहीं तो उनको बन्दी करो, इमरजेंसी लागू करो ।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी जो बात है वह अप्वोइनमेंट प्रक्रिया के बारे में मैं कहना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

श्री देव ने बार-बार यही बात उठाई है ।

[हिन्दी]

रैंक्स के मामले के बारे में सारे देश में जो···

[अनुवाद]

कई हजार मामले न्यायालय में पड़े हैं ।

[हिन्दी]

क्योंकि हम पुराने कागजात वहां सबमिट नहीं कर सकते हैं तो इसके बारे में भी नया ऐक्ट लागू करें। आज कैंण्टोनमेंट की अवस्था ऐसी है जैसे कोई पुराना देहात हो। जहां है वहां अच्छा चल रहा है नहीं तो बाकी जगह किसी भी प्रकार के खर्च का प्रावधान न होने के कारण जितनी अमाउन्ट उनको सेंटर से दी जाती है, वह उनके जो सर्वेण्ट्स हैं, उनकी सालाना पगार के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी ऐसा होता है कि कैंण्टोनमेंट में अच्छी-अच्छी प्रकार की सुविधा होती है। इसका मतलब यह है कि उस प्रकार के खर्चे के लिए प्रावधान न होते हुए भी वहां खर्चा होता है। इसका मतलब यही है कि वह खर्चा दूसरे किसी भी क्षेत्र से निकालकर वहां खर्च किया जाता है। नहीं तो दूसरा उसमें कोई उपाय ही नहीं निकलता है। इसके लिए, ओल्ड ग्रांट्स के बारे में नए सिरे से विचार करके यदि आवश्यक प्रावधान इस आर्मी एक्ट मे किया जाए तो अनेक प्रकार की सुविधाए वहा की सिविल पोपूलेशन और मिलिटरी पोपूलेशन को मिल सकती हैं और उनको सिविल अमेनिटीज भी अच्छी प्रकार से हम वहां दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पूरा विचार करके आर्मी एक्ट में आवश्यक संशोधन आपको लाना चाहिए। जो भी प्रावधान आपने इसमें किए हैं, उनके सम्बन्ध में ज्यादा विवाद करने की बात नहीं है लेकिन वे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं और उन पर नए सिरे से विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। वह विचार हो और फिर उन अमेंडमेंटस को शामिल करके कोई काम्प्रीहेन्सिव एक्ट माननीय मन्त्री जी अगले सत्र में सदन में लाएं, यही बिनती करते हुए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : महोदय, मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं। काफी समय के बाद इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि सशस्त्र सेनाओं के बारे में हम काफी समय से इस इन्तजार में थे कि सेना अधिनियम के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। संसद सशस्त्र सेनाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर सकती है और यह मुद्दा है, साहस का। सेना में लड़ाई जीतने के लिए साहस का पर्याप्त महत्व होता है क्योंकि साहस के बिना कोई भी सैनिक पूरे बल के बिना अकेला देश के लिए प्राण देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। वह कुछ मूल्यों को दर्शाता हुआ, अपनी मातृभूमि के प्रति स्नेह रखता हुआ इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखता हुआ आगे बढ़ता है कि वह ही एक ऐसा प्रहरी है जिसे अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, वह ही एक ऐसी शक्ति ही है जिसे देश को संगठित रखना है, और वह ही एक ऐसा अधिकारी है जिसे देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है। इसलिए सशस्त्र सेनाओं के पिछले 16 वर्षों के बाद, जब मैं अतीत का स्मरण करता हूं तो मैं यह देखता हूं कि ये मूल्य धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इनकी जड़ों में कीड़ा लग गया है जोकि धीरे-धीरे इन्हें खाता जा रहा है और आज हमें केवल दिखावा ही नजर आता है, दिखावे की चमक-दमक नजर आती है और हम यही चाहते हैं कि इसी चमक दमक में ही चलते रहें। ऐसी अवस्था के लिए अकेली यह सभा ही जिम्मेवार है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं को एक ऐसी पवित्र गाय समझा गया है जिसे छूआ न जाये।

जब हमें संसद मे कोई प्रश्न उठाते हैं तो हमें रटा रटाया उत्तर मिलता है कि सार्वजनिक हित में फलां-फलां बात सम्भव नहीं है। जब यह सब पाकिस्तान की सेना को उपलब्ध है, जब यह सब साहित्य के लिखा है, विश्व के सभी प्रकाशनों में लिखा है, परन्तु यह सभा जो सूचना चाहती है, वह उसे उप-

लब्ध नही करायी जाती है । इसलिए, एक ऐसे समय मे, जबकि विघटनकारी शक्तियां लोकतंत्र की श्रेष्ठता को बदनाम करने मे लगी है, सशस्त्र सेना इस देश की ऐसी अतिम शक्ति है जोकि देश को एक रखने में सहायता कर सकती है, मैं यह दलील देना चाहूंगा कि हमे कुछ करना चाहिए, हमे स्थिति में सुधार करने के संगत कार्य करने चाहिएं । वास्तव मे यही होता रहा है कि हमें भारतीय सेना को जो विरासत मिली है, हम केवल उस पर ही निर्भर हैं । यह सेना अधिनियम विदेशियों द्वारा बनाया गया था और इसे भारतीय सेना अधिनियम की सज्ञा दी गई जोकि केवल भारतीय सेना के लिए ही बनाया गया था जबकि अंग्रेजी सेना के लिए, अंग्रेजी सिपाहियों के लिए अलग से अधिनियम बनाया गया था । भारतीय सिपाहियों के लिए इसमें अलग से खण्डों का प्रावधान था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी हम उन्हीं खण्डों को, उसी सजा को और उसी प्रक्रिया को ही अपनाते आ रहे हैं । हमें स्थिति का जायजा लेकर इस अधिनियम मे मूलभूत परिवर्तन करने चाहिएं । इस तरह के व्यर्थ प्रयास मूल कारणो तक तो पहुंचते ही नहीं । हमे मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता है और ये मूलभूत परिवर्तन केवल उन लोगों को ही नही अपनाने हैं जोकि वर्दी पहनते हैं अथवा अधिकारी वर्ग ऐसे परिवर्तन लाएगा बल्कि मूलभूत परिवर्तनों की शुरूआत करने की जिम्मेदारी इस सभा को ही अपने ऊपर लेनी होगी । आज हम देखते हैं कि सेना अंग्रेजों की विरासत के रूप में चली आ रही है क्योंकि वास्तव में सेना की संस्कृति और प्रत्येक बात से अंग्रेजीपन की बू आती है । गोरे साहिबों का स्थान आज काले साहिबों ने ले लिया है और चारों तरफ आप यही कुछ ही देख सकते हैं । मैं अपनी बात में काले साहिबों के स्थान पर भूरे साहिबों को रखने की अनुमति चाहता हूं । और आज हमने यही देखा है । आज सेना की क्या स्थिति है ? हमारी सेना में बहुत ही बहादुर सिपाही हैं और कनिष्ठ अधिकारी हैं जिनके कधो पर सेना की जिम्मेदारी है । जवानों द्वारा किए जा रहे बलिदानों आदि के बारे में काफी जुबानी हमदर्दी प्रदर्शित की जाती है, लेकिन शब्दों से इस स्थिति का जायजा नहीं हो सकता जिसमें से जवान गुजरते हैं । हमने ऐसे अवसर देखें हैं जब सिपाहियों पर कई टन बर्फ गिरती रहती है और उनके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं और हमने ऐसे शहीदों के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया है । वर्षों तक जवान अपने परिवार से दूर रहता है और वह भी कौन-सा जवान ? सेना में भी अलग-अलग तरह के जवान होते हैं । यह बात थल सेना के जवान के बारे में हैं । इसका जवान देश की सीमाओं पर सियाचिन जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात रहता है । जोकि अपना सारा सामान अपनी कमर पर बांधकर दुर्गम स्थानों पर किसी चौकी पर पहुंचने के लिए सात दिनों तक चलता रहता है और वर्षों तक इन परिस्थितियों में अमानवीय दशा में अलग थलग पड़ा रहता है । मुझे उन दिनों का स्मरण हो रहा है जब हम कहीं से जस्त की सी०जी०आई० चद्दरें खोजकर लाया करते थे ताकि हम अपना सिर तो छिपा सकें । मुझे उन दिनो का स्मरण हो रहा है जब आकाश से पैराशूट गिराए जाते थे जोकि हम घासफूंस के साथ बांधकर रहने के लिए इस्तेमाल करते थे । उन जवानों का जीवन भोजन के सहारे नहीं; ऊंचे-ऊंचे स्थानों पर कोई भी जवान भोजन नहीं खाता; बल्कि मिट्टी के तेल के सहारे जीते हैं । जवान मिट्टी के तेल के करीकेन के सहारे दो-दो रातें गुजार देता है ताकि वह अपनी चौकी तक पहुंच सके और वह अपनी चौकी की हिफाजत कर सके, इस तरह से लोग वहां पर जीवित रहते हैं । ऐसे भी कई स्थान हैं जहां पर आदमी पैदल नही जा सकता । लोग हैलीकाप्टर के सहारे वहां जाते हैं । हैलीकाप्टर भी 22,000 फीट की ऊंचाई तक केवल एक ही आदमी को ले जा सकता है । दुनिया के इतिहास मे ऐसी कहीं भी कोई घटना नहीं हुई कि 18,000 अथवा 20,000 अथवा 22,000 फीट की ऊंचाई पर भी लड़ाई लड़ी गई हो । केवल भारत और पाकिस्तान ही ऐसा उत्कर्ष स्थापित कर सकते हैं ।

यह सब घटित हो रहा है। ऐसा क्यों होता रहे ? मैं सियाचिन के बारे में बात कर रहा हूं। सियाचिन की ऐसी विकट स्थिति कैसे पैदा हुई है। क्या आपने पढ़ा है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? हम वहां एक ऐसे भू-क्षेत्र के लिए लड़ते आ रहे हैं जिसका कोई भी सामरिक महत्व नहीं है।

अत: वहां पर सेना को इन परिस्थितियों में रहना पड़ता है और आज सेना में क्या हो रहा है ? 70,000 बंदूकधारी जवान अर्दली के रूप में रहे हैं। यदि दिल्ली छावनी जाये तो वहां आप देखेंगे कि जवान क्या-क्या कार्य कर रहे हैं। वहां वे कोई प्रशिक्षण नहीं ले रहे होते, युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे होते, वहां जवान अपने अधिकारियों के बच्चों की देखभाल करते हैं। आप किसी जनरल के घर जाकर देखें तो आप पायेंगे कि पांच से दस के लगभग जवान वहां कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन किसलिए ? वे उनके घर के नौकर का कार्य करते हैं। ये सभी लोग इस तरह के कार्य कर रहे होते हैं जोकि अनधिकृत और अवैध होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ! सेना में 70,000 आदमी हैं। ये सभी बंदूकधारी की भूमिका निभा रहे हैं। क्या ये सभी लड़ने के लिए सक्षम हैं ? मैं भी यह अपना अधिकार समझता हूं कि मेरे यहां भी कोई नौकर काम करें। अधिकारियों की मैस में 50,000 लोग काम करते हैं। ऐसी मैं एक अथवा दो अधिकारी ही भोजन कर रहे हैं। यह स्थिति हमारी सशस्त्र सेनाओं की है।

अंग्रेजों ने एक सिद्धांत अपनाया था। वे जवानों से बातचीत नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने जे०सी०ओ० का एक ग्रेड रखा ताकि वह जवानों से बातचीत कर सके। विश्व के किसी अन्य देश की सेना में जे०सी०ओ० का ग्रेड नहीं है। यह ग्रेड केवल भारत तथा पाकिस्तान की सेनाओं में है। इन जे०सी०ओ० का कार्य क्या है ? इनकी आयु 40 वर्ष से ऊपर होती है। एक जे०सी०ओ० को युद्ध के दौरान एक पलाटून का नेतृत्व करना होता है जिसमें 25 वर्ष की औसत आयु के जवान होते हैं, जिसमें युवा जवान होते है। परन्तु चूंकि अंग्रेजों ने हमें जे०सी०ओ० का ग्रेड दिया है, हमने इसे अपनाया हुआ है। यह भी एक औपनिवेशिक विरासत है। इसलिए इन मुद्दों की तरफ हमें ध्यान देना होगा।

अब भ्रष्टाचार की बात को ही लीजिए। आरक्षी टुकड़ी में सैनिक जवान भोजन का इन्तजार करता रहता है, उन सुविधाओं का इन्तजार करता रहता है जोकि एक सामान्य प्राणी को मिलती हैं। लेकिन होता क्या है कि 'आपरेशनल' कार्यों के लिए धन सेना मुख्यालय से आता है। इसका आधा भाग तो कमांड मुख्यालय में खर्च हो जाता है। यह धन कश्मीर में जम्मू और उधमपुर जैसे स्थानो पर आरक्षी टुकड़ियों के दौरे करने के लिए खर्च हो जाता है। इसके बाद कोर्स मुख्यालय मे कुछ भाग खर्च हो जाता है। तदोपरांत डिविजन मुख्यालय की बारी आती है। जिन चौकियों या जिन जवानो के लिए यह धन आता है, उन्हें अततः कुछ भी नही पहुंचता। मैं आपको बताता हूं कि मैने स्वय अपना सिर छिपाने के लिए सी०जी०आई० चद्दरों की चोरी की। आज सशस्त्र सेनाओ की इस तरह की स्थिति है। हमें इस स्थिति को सुधार की दृष्टि से जायजा लेना चाहिए।

जवानों के लिए जो मीट आता है, उसमे पानी डालकर उसके वजन को बढ़ा दिया जाता है और उसको जवान खाते हैं। मिलिट्री इन्जीनियरिंग सर्विस सेना की सबसे अधिक भ्रष्ट संस्था है। मुझे इसके साथ काम करने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। आप इन सभी चीजों के बारे मे क्या करने जा रहे है ? हमें स्थिति में सुधार करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी होगी।

आज जिस स्थिति में सशस्त्र सेनाओं को कार्य करना होता है, उसकी हालत क्या है ? अधिकारी

बलों की क्या स्थिति है। मूल्यों का ह्रास हो चुका है। ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है चूंकि नेतृत्व की गुणवत्ता का व्यापक रूप से पतन हुआ है। नेतृत्व की गुणवत्ता के पतन होने के कारण क्या हैं ? यहां तक कि जनरल सुन्दर जी ने भी कहा है कि सेना के अधिकतर जनरल मीठे-ठग होते हैं। थलसेना अध्यक्ष के नाते जनरल सुन्दर जी ने यह वक्तव्य दिया है। लेकिन जब वह सेनाध्यक्ष थे तो उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया ? उन्होंने यह वक्तव्य दिया।

उनकी पदोन्नति के बारे में क्या होता है। आज सेना का कोई अधिकारी अपने उच्च अधिकारी की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने से बहुत घबराता है। कारण यह है कि यदि उसकी गोपनीय रिपोर्ट में एक भी टिप्पणी कर दी जाए तो उसका पूरा सेवाकाल बर्बाद हो जाता है चाहे सैकिंड लेफ्टीनेंट कार्यकाल में उसका कार्य कितना ही अच्छा क्यों न हो। वह लड़ाई में बर्बाद हो जाता है। मैंने सियाचिन में उत्कृष्ट अधिकारियों को कार्य करते देखा है। पिछली बार भी मैंने इस बात को उठाया था। केवल एक वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट खराब होने की वजह से उनकी पदोन्नति नहीं हो सकी। पिछली बार भी मैंने यह बात उठायी थी। इसकी तुलना में दिल्ली जैसे आसान स्थानों पर कार्यरत अधिकारी पदोन्नति पा जाते हैं। लेकिन जो लोग सीमा पर लड़ रहे है, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता है।

क्यों ? क्योंकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश नहीं कर सके। सेना में यह सामान्य प्रवृत्ति है और इसीलिए नेतृत्व के गुण का ह्रास हो गया है और सम्मानपूर्ण व्यवस्था टूट गई है और आज सिपाहियों की यही दशा है।

जब कोई नौजवान अधिकारी सेना में आता है तो वह सभी उम्मीदों और आकांक्षाओं तथा देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के निश्चय के साथ आता है। परन्तु शीघ्र ही दो से पांच वर्षों के अन्तर्गत वह उस व्यवस्था का भाग बन जाता है। यह व्यवस्था उसे अपने में समाहित कर लेती है और बाद में वह उससे बच नहीं सकता है। पदोन्नति में तुलनात्मक गुण-दोष क्या हैं ? वह तुलनात्मक गुण-दोष की बात करते है। इस तुलनात्मक गुण-दोष का निर्णय कौन लेता है ? क्या जिस व्यक्ति को लड़ाई के मैदान में सम्मानित किया गया है, जिसने सीमा पर सियाचिन जैसे स्थानों पर लड़ाई लड़ी है उसका कोई महत्व नहीं है ? अत: पदोन्नति के लिए इस तुलनात्मक गुण-दोष प्रणाली का निर्णय किया जाना चाहिए और युद्ध सम्बन्धी गुण-दोषों को पदोन्नति देने के समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अधिकारियों की एक स्वतंत्र शृंखला होनी चाहिए जो अधिकारियों की सक्षमता का निर्धारण करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि किन को पदोन्नत किया जाना है किन को नहीं। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और इसका समाधान तत्काल किया जाना चाहिए।

सेना में शिकायतों के समाधान की प्रणाली नहीं है। वह कहते हैं कि आप शिकायत कर सकते हैं। परन्तु शिकायत कैसे की जाए ? एक बार मैं भी इसका शिकार हुआ हूं। आपको अपने कमान अधिकारी की शिकायत करनी होती है। आपको केवल उसी से शिकायत करनी होती है। आपको उसी व्यक्ति की शिकायत उसी व्यक्ति से करनी होती है। उसके बाद यह शृंखला चलती रहती है और यह व्यवस्था खुद-ब-खुद प्रत्यावर्तित होती है और इन शिकायतों का कोई महत्व नहीं होता है। सिपाहियों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। कमानेत्तर अधिकारियों की शिकायतों के निराकरण के लिए स्वतंत्र निकाय होना चाहिए।

मैंने उन कुछ मुद्दों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो मेरे समक्ष थी और मैंने अपने पिछले अनुभव के आधार पर उन्हें प्रस्तुत किया है।

जहां तक सेना अधिनियम का सम्बन्ध है, एक अनावश्यक संशोधन सामने लाया गया है। अधिकांश मुद्दों पर श्री .०पी० सिंह देव और अन्य लोग बोल चुके हैं। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं।

सेना अधिनियम अपने आप में ही बहुत कठोर है। यदि मैं खण्डवार चलूं तो मैं इसे स्पष्ट सकता हूं। मैं 'समरी कोर्ट मार्शल' के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। उस समय पर सिपाही के लिए कोई अवसर नहीं होता है जब उस व्यक्ति को कमान अधिकारी के सामने लाया जाता है। वही निर्णायक और वही कमान करने वाला अधिकारी होता है। यदि वह व्यक्ति बिना अवकाश एक दिन अनुपस्थित रहता है तो उस कमान अधिकारी को उस व्यक्ति को एक वर्ष का कठोर कारावास देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे अनेक खण्ड हैं। यदि सेना अधिनियम को उन अपराधों और उन मुद्दों पर जो कि नितान्त रूप से सशस्त्र सेनाओं के लिए हैं तो मैं इसे समझ सकता हूं। क्या यह नितान्त रूप से सशस्त्र सेनाओं के लिए है ? हमारे पास भारतीय दण्ड संहिता है और हमें इस पर सोचना होगा। क्या कमान अधिकारियों को इतने कठोर अधिकार दे सकते हैं ? सेना से निकाल बाहर करने की सजा ही अपने आप में काफी है। परन्तु हम उसे सेना से बाहर निकाल कर दण्डित कर रहे हैं और फिर उसे जेल भी भेज रहे हैं। इसमें यही बात कही गई है। जरा सोचिए जब कोई व्यक्ति युद्ध के लिए जाता है तो वह युद्ध के लिए किसी दबाव या जबरदस्ती से नहीं जाता है। सेना अधिनियम उसे लड़ने की प्रेरणा नहीं देगा। वह अपनी कर्त्तव्य भावना, अपनी गर्व की भावना से लड़ने जाता है उसका आत्म अनुशासन उस पर थोपे गए अनुशासन से महत्वपूर्ण है। अतः हमें आत्मअनुशासन के वातावरण की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए जोकि अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

दो धाराएं मौजूद हैं अर्थात धारा 45 और धारा 63, धारा 45 "अवांछित आचरण" के सम्बन्ध में हैं। अवांछित आचरण को पहले ही आई० टी० बी० पी० विधेयक में शामिल गया है। अवांछित आचरण का निर्णय कौन कर रहा है ? यह व्याख्या पर निर्भर करता है। किसी वक्त ठीक से खड़ा न होना अवांछित आचरण हो सकता है और उसके लिए सरसरी तौर पर बिना किसी सुनवाई के एक साल की कैद की सजा दी जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। यदि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई देने में असफल रहते हैं या यदि आप अनजाने में सलामी नहीं दे पाए तो उसके लिए भी आपको जेल भेजा जा सकता है।

धारा 63 "अच्छी व्यवस्था और सैनिक अनुशासन के सम्बन्ध में है। इस बात का निर्णय कौन करेगा कि अच्छी व्यवस्था और सैनिक अनुशासन क्या है ? यहां पर एक फिर कमान अधिकारी या उससे उच्च अधिकारी की व्याख्या उसकी मनमानी होगी। अतः हमें उस अधिनियम, जिसे हम बना रहे हैं, में मनमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। यह कानून के शासन के प्रतिकूल है इसीलिए जो कानून के शासन के प्रावधान के विपरीत हैं, जो क्रूर और अहितकर हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए और उन्हें तत्काल निकाल दिया जाना चाहिए और जो केवल विशिष्ट अपराधों को उल्लिखित

करते हैं उन्हीं को इस अधिनियम में बनाए रखा जाना चाहिए। अन्यथा मान्यताओं का पतन होता रहेगा, मान्यताएं चूर-चूर होती रहेंगी और अधःपतन जारी रहेगा।

अपीलीय न्यायालय के सम्बन्ध में भी मैंने इस आशय का एक संशोधन दिया है कि एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायालय होगा।

यह स्वतंत्र विशेष अपील न्यायालय हमारी सभी सशस्त्र सेनाओं के लिए एक विशेष अपीलीय न्यायालय हो सकता है। यह न्यायालय आई०टी०बी०पी०, सी०आर०पी०एफ०, बी०एस०एफ० थल सेना, वायुसेना और नौसेना सहित सभी सशस्त्र सेनाओं के लिए होगा। इन सभी के लिए स्वतंत्र न्यायालय हो सकता है। प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक अधिकारियों का न्यायालय में जाना इस राष्ट्र, इस सभा के लिए शर्म की बात है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अत: मैं माननीय मंत्री से सिफारिश और अनुरोध करता हूं कि वह इन मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करें और सुरक्षा बलों के मनोबल के पूर्ण विस्तार में जाए और हरेक पहलू पर विचार करें। इस काम के लिए इस संसद से एक समिति गठित करें जो इसके विस्तार में जा सकती है, सेना में फिर से प्राण फूंकने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश कर सकती है और उसके अधःपतन को रोकने के लिए और अधःपतन को वश में करने के लिए उपाय सुझा सकती है ताकि सशस्त्र सेनाएं इच्छुक हों और इस राष्ट्र, इस संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये तैयार रहें।

श्री एस०एस०आर० राजेन्द्र कुमार (चिंगलपट्टू) : उपाध्यक्ष महोदय, सेना (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में ए०आई०ए०डी०एम०के० की ओर से मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं इस उपाय से प्रसन्न हूं यद्यपि यह उपाय देर से किया गया है। जहां तक देश को विश्व के अनेक उन सभ्य देशों के स्तर तक ले जाने का सम्बन्ध है जिन्होंने सैनिकों के लिए बर्बर दण्ड को पहले ही समाप्त कर दिया है यह विधेयक लोकतंत्रात्मक भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसके उन प्रावधानों का समर्थन करता हूं जिनमें अप्रचलित दण्ड प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की गई है।

हमारा राष्ट्र आज आंतरिक और बाह्य खतरों का सामना कर रहा है। हमारी रक्षा तैयारियां सीधे-सीधे हमारे सुरक्षा कर्मियों के मनोबल पर आधारित हैं। किसी कारंवाई में राष्ट्र की विजय या पराजय में मोर्चे पर डटा हरेक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अत: छोटे रैंक के सुरक्षा कर्मियों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जो प्रतिकूल मौसम मे युद्ध करते हैं, विपरीत दशाओं में रहते हैं, पारिवारिक जीवन से दूर रहते हैं और फिर राष्ट्रहित के लिए बलिवेदी पर अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति धरती पर उनके महत्व से इन्कार नहीं कर सकता है।

तथापि, पिछले काफी समय से देश की आन्तरिक सुरक्षा सुरक्षित नहीं है। उग्रवादियों की घुसपैठ निरन्तर रूप से अनियंत्रित है। एल०टी०टी०ई० के उग्रवादी तमिलनाडु में डी०एम०के० के

बदनाम शासन में अपना दरबार चला रहे थे। प्रतिद्वन्द उग्रवादी समूह के नेता पद्मनाभन की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई डी०एम०के० की सरकार कारगर रूप से कार्रवाई नहीं कर सकी। यह तब तक जारी रहा जब तक इस देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री उग्रवादियों के बर्बर हमले का शिकार नहीं हो गए।

अन्ततः तमिलनाडु के लोगों ने पुरुची थालयवी जयललिता को एल०टी०टी०ई० के उग्रवादियों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने के लिए बाध्य कर दिया। आज पुरुचि थालायवी के गतिशील नेतृत्व में एल०टी०टी०ई० की गतिविधियों को कारगर ढंग से कम कर दिया गया है। अब तमिलनाडु में एल०टी०टी०ई० की घुसपैठ को रोका जाना है जिसके लिए केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार को वहां के पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए विशेष सहायता मंजूर करनी चाहिए तथा सुरक्षा परियोजना के रूप में सेतु समुद्रम परियोजना को भी उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए।

मुझे इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि सुरक्षा कर्मियों में उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके साथ किए जा रहे व्यवहार के कारण निराशा बढ़ रही है। उनमें से अनेकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे दे दिए हैं और स्वैच्छिक इस्तीफे प्राप्त हो रहे हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे उस प्रवृत्ति का संकेत मिलता है जिससे एक नागरिक स्वेच्छा से इस राष्ट्र की प्रादेशिक अखण्डता के हितों की रक्षा करने का इच्छुक नहीं है। सांविधिक प्रावधानों का इस्तेमाल करके उसे उस जिम्मेदारी का त्याग करने के लिए प्रवृत किया जाता है। यदि यही दृष्टिकोण रहा तो एक दिन हमारी रक्षा प्रणाली चूर-चूर हो जाएगी। मैं एक दोषदर्शी तो नहीं हूं परन्तु मैं एक परिणामवादी बनना चाहता हूं। मुझे संदेह है कि हमारे सुरक्षा बलों ऐसे भेदिए भी मौजूद हैं जो अन्दर से ही हमारे देश की सुरक्षा को नष्ट करने पर आमादा हैं। अनेक कदम उठाने होंगे। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं:

सिविल अशांति को दबाने के लिए सेना को तैनात करने का सहारा भी नहीं लिया जाना चाहिए। सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु भी घटाकर कर 16 वर्ष की जानी चाहिए तथा सैनिकों का चयन सीधे ही सैनिक स्कूलों से किया जाना चाहिए। सीधे भर्ती कोटे के साथ उन्हें जे०सी०ओ० बनने के लिए भी अवसर दिया जाना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों के अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति 45 वर्ष की आयु से पहले रक्षा बलों से सेवानिवृत्त न हो सके।

7.00 म०प०

नौसेना में शिक्षा और न्यायिक स्कंधों में भर्ती की गई महिलाओं की तरह थल सेना और वायुसेना में भी उन्हें भर्ती किया जाना चाहिए। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कोटे मे वृद्धि की जानी चाहिए ताकि सेवानिवृत होने के बाद भूतपूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में विविधता ला सकें। उनके वेतन को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सेवानिवृत वरिष्ठ रक्षा कर्मियों के वाणिज्यिक व्यवसाय की खोज के लक्ष्य को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

7 01 म०प०

[श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुए।]

इससे जासूसी के मामले नहीं होंगे। सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को राज्यपाल और वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर बतौर नियुक्त करने और वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। तथापि, वह अपनी सेवानिवृति के केवल 5 वर्ष बाद ही राजनीति में भाग ले सकते हैं। चूंकि वह देश का शासन अच्छी तरह से चलाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

सुरक्षाबलों में गोपनीय रिपोर्ट लिखने की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। एक सुरक्षा कर्मी के सभी कार्यों का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा संचालित स्तरीकृत परीक्षणों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। अनेक ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं जिनमें कनिष्ठ सुरक्षा कर्मियों की गोपनीय रिपोर्टें दुर्भावनापूर्ण ढंग से लिखी गई हैं जिसके कारण सुरक्षा कर्मियों में हताशा बढ़ी है और स्वैच्छिक रूप से त्यागपत्र देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसे केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब गोपनीय रिपोर्ट लिखने की प्रणाली को समाप्त किया जाए। इसके माध्यम से आप निहित स्वार्थों पर भी रोक लगा सकते हैं और कार्य स्थल पर ईमानदारी और सच्चाई को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

पदोन्नति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल ईमानदार व्यक्तियों को पदोन्नति दी जाए ऐसे व्यक्तियों का झूठ पकड़ने सम्बन्धी एक विशेष जांच की जानी चाहिए और जो लोग इसमें खरे उतरते हैं उन्हीं को पदोन्नत किया जाना चाहिए। और, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सत्यनिष्ठा वाले लोग ही इस पद पर कार्य कर सकें, किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई विशेष प्रकार की शिकायतों की जांच रक्षा अधिकारियों के एक बहु-सदस्यीय दल के द्वारा कराई जानी चाहिए, जोकि केवल एक तदर्थ निकाय हो। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति को अपील करने का प्रावधान देते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या आप अपना भाषण पढ़ रहे हैं? आपको अपना भाषण पढ़ने के लिए अनुमति लेनी चाहिए?

श्री एस०एस०आर० राजेन्द्र कुमार : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, हाल की जानकारी के अनुसार, यह कहा गया था कि राजीव गांधी हत्या के मामले में पकड़े गए 26 अभियुक्तों को रिहा करवाने के लिए 'लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम' के घातक हथियारों से लैस 15 सदस्यों का एक दल जाफना से भारत के लिए रवाना हुआ है। रक्षा मंत्रालय को इसके अनुसार काम करना होगा और, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को तुरन्त सहायता देनी होगी ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से इन बातों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इस आशा के साथ कि माननीय मंत्री मुझे उत्तर देंगे, मैं इन उपायों का समर्थन करता हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सेना अधिनियम के संशोधन

सम्बन्धी विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे हमारी भारतीय सेना पर, तथा विगत में विरोधियों के विरुद्ध लड़े गये युद्धों में उनके प्रदर्शन पर और जो अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व उन्हें सौंपे गए थे, उनको ईमानदारी से निभाने पर गर्व है। हमें यह पता चला कि भारतीय सेना को कई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए थे ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाया जा सके।

महोदय, हम जानते हैं कि कोई भी युद्ध केवल सेना की अधिक संख्या अथवा उनके द्वारा उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों से नहीं जीता जा सकता। यह भी आवश्यक है कि सशस्त्र बल का आत्मबल और मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए। उनके हृदय में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और उन्हें किसी भी काम के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वे अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहेंगे, तब ही वे दुश्मन से लड़ सकते हैं और अपने देश की हिफाजत कर सकेंगे। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि हमें यह देखना चाहिए कि सशस्त्र बल अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थानों में उन्हें ऐसे आत्मबल और मनोबल को ग्रहण करने हेतु उचित शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने देश के लिए सब कुछ त्याग सकें।

मैं अपनी सेना की प्रशंसा करता हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ हथियारों आदि के मामले में शायद हम संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य बड़े राष्ट्रों से पीछे हैं। लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि जहां तक हमारे सैनिक सशस्त्र बल के मनोबल का सम्बन्ध है, इसमें हम किसी से पीछे नहीं है। मैं उन कतिपय परिस्थितियों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से उस विधेयक पर बोलने लिए खड़ा हुआ हूं जिसके अन्तर्गत सैन्य सशस्त्र बलो ने कुछ अपराध किए थे जिसके लिए वे दंड के पात्र हैं। उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण मे यह उल्लेख किया गया है कि सैनिक अधिनियम, 1950 मे संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि अधिनियम के कतिपय भाग अव्यवहार्य अप्रचलित और बहुत पुराने हो गए हैं। मैं इस विचार से सहमत हूं। चार दशकों के बाद शायद कुछ प्रावधान अव्यवहार्य हो गए हैं। विश्व के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, मैंने भी कुछ प्रावधानों को अप्रचलित पाया है। संशोधित विधेयक में व्यक्त प्रावधानों से सहमत होते हुए मैं एक संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता हूं। यह संशोधन सेना के दोषी अधिकारी को दी सजा देने के सम्बन्ध में है। मेरा यह प्रस्ताव है कि जो अधिकारी बलात्कार जैसा घिनौना कार्य करते हैं और स्त्रियों व बालिकाओं का अपमान करते हैं उन्हें सजा-ए-मौत दी जानी चाहिए। हमें केवल आजीवन कारावास या इस तरह के किसी भी सजा से सन्तुष्ट नही होना चाहिए। इस तरह के अपराधों के लिए सजा-ए-मौत दी जानी चाहिए। मैं इस सजा का प्रस्ताव कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों म और विशेषत: मणिपुर मे।

मणिपुर में सेना अधिकारियों के लिए सैन्य सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम लागू किया गया। 'कॉबिंग आपरेशन' के नाम पर उन्होंने घर के सभी पुरुष सदस्यों को बाहर निकाल दिया और लड़कियों के साथ बलात्कार किया। मैं सभा में उसका विवरण नही दे सकता क्योंकि मुझे यह कहते हुए शर्मिन्दगी महसूस हो रही है लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, यह सोच सकते है कि सैन्य सशस्त्र बल के अधिकारी निर्धन लड़कियों पर क्या अत्याचार करते है। मैं यहां पर आपको मणिपुर के उखरूल

जिले में हुई घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मिस रोज नाम की लड़की पर सेना के एक कप्तान ने, एक लेफ्टिनेंट ने अत्याचार किया। परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को बाहर कर दिया गया और उसके बाद उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। जैसाकि आप जानते ही हैं, लड़की के लिए पवित्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। वे सोचते हैं कि यदि पवित्रता नष्ट हो गई तो जीवन नष्ट हो गया। इसलिए, मिस रोज ने रस्सी के सहारे पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने अपने प्रेमी को पत्र लिखा था "मैं तुमसे शादी करना चाहती थी लेकिन मुझे फलां-फलां कैप्टन व लेफ्टिनेंट ने बर्बाद कर दिया है। मेरी पवित्रता नष्ट हो गई है इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं।" क्या आप ऐसा सोच सकते हैं?

यह घटना तब की है जब मैं तत्कालीन मणिपुर सरकार में कैबिनेट मंत्री था। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास किया और इस घटना की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया लेकिन हम उन दोषी अधिकारियों को सजा नहीं दे सके। इस घटना से युवा आंदोलित हो गए और वे लोग आंदोलन करने लगे। उन्होंने सशस्त्र बल से बदला लेने के लिए एक संगठन का गठन किया। यह स्थिति अभी भी वैसी ही है। ऐसे अपराधों के लिए सजा-ए-मौत देने का प्रावधान होना चाहिए जैसाकि संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में प्रचलित है। समाचारपत्रों के अनुसार उन देशों में, माता-पिता और परिवार के बड़े सदस्यों के समक्ष लड़कियों पर अत्याचार करने पर दोषी व्यक्तियों को सजा-ए-मौत दी जाती है। इसलिए हमें भी ऐसा प्रावधान करना चाहिए। वे माननीय सदस्य जो इस तरह की सजा देने का विरोध कर रहे हैं, यदि वे हमारे स्थान पर होते तो हमारी बातों से सहमत होते। कारावास या नौकरी से निकाल देना, ऐसे छोटे दंड देने से कुछ भी नहीं होगा।

जहां तक व्यवहार्य हो, सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति को राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ देना चाहिए।

अन्ततः सशस्त्र बलों के दोषी व्यक्तियों के लिए अपीली न्यायालय की व्यवस्था प्रदान करने हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना करने हेतु इस सभा में जो कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, मैं उनमें से कुछ एक प्रस्तावों से सहमत हूं।

मैं सभी माननीय सदस्यों की इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे सशस्त्र बलों को विश्व में अद्वितीय बनाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह सरकार द्वारा पुरःस्थापित दुर्लभ विधेयकों में से है, इसलिए इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

यह विधेयक वर्ष 1950 में ऐसी स्थिति में लागू किया गया जब हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ समझौता करके स्वतन्त्रता प्राप्त की थी और श्री आचिन लैंके ब्रिटिश इन्डिया के अन्तिम कमाण्डर-इन-चीफ थे। स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड माऊंटबैटन भी ब्रिटिश इण्डिया के अन्तिम गवर्नर जनरल थे। ऐसी स्थिति में यह विधेयक अस्तित्व में आया। ब्रिटिश शासन के दौरान पहले जो विधेयक बनाया गया था वह भी 1857 में हुए स्वतन्त्रता संग्राम की स्थिति में बना था। इसको बर्दीधारियों ने ही शुरू किया था और उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उस विधेयक में कई

दंडात्मक एवं अमानवीय प्रावधानों का समाविष्ट किया। उस तरह से यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। मैं इसे सन्तोषजनक नहीं कहता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया कदम है।

महोदय, मैं उस समय संयुक्त चयन समिति में था जब वर्तमान आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर विचार किया गया था और अधिनियमित किया गया था। यह भी अच्छी बात है कि सेना अनुशासन से सम्बन्धित वर्तमान विधेयक हमें वर्तमान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की भावना और प्रावधानों के अनुरूप उस दिशा में ले जाता है।

अब, मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। शस्त्रों का महत्व है, इन्सानों का महत्व है, लेकिन भौतिक का भी कम महत्व नहीं है। आपने देखा होगा कि हाथ के संचालन के लिए दिल और दिमाग होता है और इन्सान के पास हाथ, दिल और दिमाग होता है। महोदय, मैं अपने देश में प्रचलित वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में कुछ बल देकर कहना चाहता हूं। आप जानते है हमारा देश बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक होते हुए भी एक राष्ट्र है।

इस तरह से यह अपने में बहुत सी बातों का समाविष्ट करता है जिसे दुनिया में एक साथ देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति मे, मैं प्रशिक्षण पर बल देना चाहता हूं। प्रशिक्षण से मेरा मतलब पार्टी सम्बन्धी प्रशिक्षण से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने का तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने से है। इसमे राजनैतिक प्रशिक्षण भी शामिल है पर पार्टी सम्बन्धी प्रशिक्षण शामिल नही है। कुछ लोग उस तरह से राजनीति को गलत समझते हैं। देशभक्ति, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातन्त्र और संविधान की भाषा में कहा जाए तो ऐसा समाजवादी प्रशिक्षण, देना जिससे कि उनकी समझ में यह बात आ सके कि उनको हमारे सीमाओं की और हमारे स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है, और इसके साथ-साथ आपतकाल के समय भले ही आपको अच्छा नहीं लगता हो, हमे अच्छा नहीं लगता हो और हम उसकी मांग नहीं करते हों तब भी सभी परिस्थितियों में हम मना नही कर पाते ऐसी स्थिति मे अब भी देश की यह धारणा है कि जब देश में साम्प्रदायिक अथवा उस प्रकार का कोई उतार-चढ़ाव आता है तब भी सशस्त्र बल तटस्थ रहता है जिन पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए और अच्छा प्रयास करना होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जबकि हम संयुक्त राज्य अमरिका साम्राज्यवादियों के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास में शामिल हुए हैं, जिसकी साम्राज्यवादी भावनाएं है, हालांकि हममे से कई लोग इस बात से इन्कार कर दें लेकिन यह वास्तविकता है। आज भी ईराक को धमकाया जा रहा है और यदि ऐसी बात है तो विश्व के सारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठा सकते है लेकिन सेना की मदद से संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्राज्यवादियों का सामना विश्व के लिए कठिन होगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने सशस्त्र सेना को सैद्धांतिक, राजनैतिक दबाव से तथा अमेरिका साम्राज्यवादियो के आन्तरिक हस्तक्षेप से बचाना होगा जो हमारे सशस्त्र बल के मनोबल को गिराना चाहते है।

इसी तरह सीमा पार से रात और दिन साम्प्रदायिक प्रचार हो रहा है। हमारे सशस्त्र बल को इससे भी निपटाना होगा। इसके साथ-साथ उनको आन्दोलित नहीं करना चाहिए। मैंने कई अवसरों पर रेडियो पाकिस्तान सुना है। वे अल्लाह की आराधना करते हुए कहते है कि अफगानिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान के मुजाहीदीनों को भारत की यात्रा करनी चाहिए। मैं इस सप्ताह की बात कर रहा

हूं। अतः अभी भी वे सब एक हो गए हैं और यह बात सब जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, हमारे सशस्त्र बल इस तरह के सैद्धांतिक प्रभाव अथवा उत्तेजित करने वाले कार्यों के प्रति बहुत सतर्क हैं और उन्हें इस तरह से सतर्क रहना चाहिए। उनको उत्तेजित नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ सेना सतर्कता स्कंध को और अधिक दृढ़ करना होगा।

हमारी सेनाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण कठिन कार्यों पर लगाया जाता है क्योंकि उन्हें दुश्मनों से आमने-सामने लड़ना नहीं होता है बल्कि "मारो और भागो" की रणनीति आदि का मुकाबला करना होता है और ऐसी स्थिति में सेना के पहुंचने तक कुछ लोग मारे जा चुके होते हैं। मैं कश्मीर और पंजाब के बारे में यह कह रहा हूं कि वहां वास्तविक अपराधी सेना के पहुंचने तक भाग चुके होते हैं और संभवतः कई निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। अतः सेना के आसूचना विभाग को सुदृढ़ करना अभी बहुत ही आवश्यक है, इतनी इसकी पहले जरूरत कभी नहीं पड़ी।

भूतपूर्व सैनिकों के बारे में तो मैं कहूंगा कि वे अपने प्रशिक्षण के कारण देश के सबसे अनुशासित बल होते हैं। बहुत सारे इलाकों में उन्हें जमीन या सामुदायिक भूमि आवंटित की जाती है, फिर भी मैं समझता हूं कि वे कठिनाई झेलते हैं। मैं कोई उदाहरण देकर इसे नहीं बता रहा हूं। उनके प्रति पूरी सहानुभूति और देश प्रेम की भावना रखने के बावजूद मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं क्योंकि ऐसा करना उनके हितों के विरुद्ध है। अतः मेरा कहना यह है कि स्वनियोजित उत्पादन प्रयासों में राज्य को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। इससे देश के अन्दर उत्पादित वस्तुओं में वृद्धि होने के साथ-साथ उन लोगों को एक सम्मानजनक और सक्षम जीवन आधार भी मिल सकेगा। जिन्होंने देश की सेवा की है।

मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहूंगा कि सिर्फ यही नहीं कि उन लोगों को सड़क के किनारे कुछ स्थानों पर सामुदायिक भूमि दे दी जाए जैसाकि हो रहा है, बल्कि उनके लिए एक गारंटीशुदा प्रावधान होना चाहिए कि उन्हें स्वनियोजित उत्पादन प्रयास के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु राज्य को उनकी सहायता करनी ही पड़ेगी। इससे वे लोग दूसरे लोगों के सामने, खासकर पिछड़े इलाकों में, अधिक प्रभावी ढंग से उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं पूर्वी भारत, मध्य भारत और देश के अन्य भाग, जो उत्पादन संस्कृति विशेषकर स्वनियोजित उत्पादन संस्कृति में पिछड़े हैं।

आप लोगों का अधिक समय लिए बगैर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में हमारा एक देश-भक्तिपूर्ण, धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी दृष्टिकोण है, फिर भी मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि क्या यह जरूरी है कि हम अपनी बटालियनों का नामकरण पुराने तर्ज पर करें जैसे कि राजपूत बटालियन आदि। क्या आज के सन्दर्भ में ऐसा नाम रखना जरूरी है ? मैं समझता हूं कि सरकार और हमारे जनरलों को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि क्या आज की परिस्थितियों में वैसा ही नामकरण जरूरी है। ब्रिटिश शासकों के लिए उसकी जरूरत थी और उन्होंने उसका उपयोग किया। लेकिन आज के सन्दर्भ में तो एक मिली-जुली सशस्त्र सेना होनी चाहिए जोकि हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए एक बेहतर उदाहरण भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर सभापति जी, मैं अपनी बात केवल दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । सन् 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में बदल दिया गया और सन् 1950 का जो आर्मी एक्ट था, उनको नहीं बदला गया । इसका क्या कारण है ? अभी आप जो फार पनिशमेंट एण्ड हार्ड लेबर के सैनिक ट्रायल में देरी नहीं लगे, इस सम्बन्ध में अमेंडमेंट लाए हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात निवेदन करूंगा कि फौज का जहां-जहां इस्तेमाल करना हो, वहां पर करना चाहिए । हमने अपनी फौज का इस्तेमाल कश्मीर, नागालैंड, असम पंजाब में किया है । इसका मतलब यह हुआ कि हमारी फौज दुश्मन से नहीं लड़ रही है बल्कि नागरिकों से लड़ा रहे हैं । मैं समझता हूं कि यदि इस तरह का प्रावधान चलता रहा तो राम जन्म भूमि के मामले में भी फौज को नागरिकों पर लगा दिया जाता तो अच्छी बात नहीं थी । हमें इस पर विचार करना है कि फौज का सही इस्तेमाल कहां हो सकता है ?

दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि आपने 6 माह का समय ट्रायल के लिए सैनिक के तीन साल के रिटायर होने के बाद का रखा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं । तीसरी बात यह है कि आज फौज के जो सीनियर आफिसर्स हैं, वे सिविल कोर्ट में क्यों आ रहे हैं इसका क्या कारण है ? क्या फौज के नियम इतने खराब हो गये हैं, क्या उन पर विश्वास नहीं रहा । इस सम्बन्ध में भी विचार करें ।

सभापति जी, मैंने भी अमेंडमेंट दिया है कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाये जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेज होंगे और उनमें वकील करने का जो प्रावधान किया गया है, इस पर मंत्री जी विचार करेंगे । यह स्पेशल कोर्ट 90 दिनों में निर्णय ले ।

सभापति जी, मैंने जो रचनात्मक सुझाव दिए हैं, इस पर मंत्री जी विचार करें कि सेना को नागरिकों से न लड़ाया जाये और इस प्रकार का अविश्वास पैदा न कराया जाए । मंत्री जी गम्भीरता से इसका उत्तर देंगे । आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, यह एक स्वागत योग्य कदम है और मैं माननीय मंत्री को सेना अधिनियम में तीसरा संशोधन लाने हेतु बधाई दे रहा हूं । सेना अधिनियम, 1950 सेना अधिनियम, 1911 का संशोधित संस्करण है । उसके बाद उसमें कोई व्यापक संशोधन नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि यही एकमात्र विधेयक है जिसमें किसी ने संशोधन करने की नहीं सोची, किसी ने भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया । वस्तुत: जब भी जरूरत पड़ी सेना के लोगों ने हमारे देश में साहस का परिचय दिया है । अतः मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की जरूरत है । वे हमारे देश और हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं और उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर शीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं अभी उनकी समस्याओं का जिक्र नहीं करना चाहता हूं । हालांकि भारतीय सेना को सशक्त एवं अनुशासित बनाने की दृष्टि से सेना अधिनियम की समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

माननीय मंत्री को मेरा पहला सुझाव यह है कि सेना अधिनियम, 1950 ऐसा अधिनियम है

जिसे ब्रिटिश शासन ने बनाया था, इसलिए इसमें काफी परिवर्तन करना आवश्यक है क्योंकि पूरे विश्व में बदलाव आ रहा है और समस्याएं कुछ अलग प्रकार की हैं तथा अनुशासन भी सुनिश्चित करना है। परिस्थितियों के पूर्णतया बदल जाने के कारण इस अधिनियम की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए और माननीय मन्त्री को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिससे व्यापक मुद्दों, समस्याओं और कमियों का समाधान हो सके। इस आधे-अधूरे दृष्टिकोण से सहायता नहीं मिलेगी।

अब, मैं संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। अधिनियम की धाराएं 75 और 76 कठोर सजा से सम्बन्धित हैं। इस संशोधन करने वाले विधेयक की सहायता से कठोर सजा के प्रावधान को खत्म किया जा रहा है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह कठोर सजा पुरानी, दण्डात्मक और असभ्य व्यवस्था है। इसे समाप्त करना चाहिए।

विधेयक का खण्ड 2 धाराओं 75 और 76 को समाप्त करने से सम्बन्धित हैं। खण्ड 3, 4 और 5 भी सेना अधिनियम की उपधारा (1) से 'कठोर सजा' हटाने से भी सम्बन्धित है।

खण्ड 6 में इस अधिनियम की धारा 85 में संशोधन का प्रस्ताव है। सेना अधिनियम की धारा 85 कमान अधिकारी को किसी जूनियर कमीशंड अधिकारी की वेतन एवं भत्तों को रोकने की सजा देने का अधिकार देता है, जहां उक्त अधिकारी के कारण सरकार को हानि एवं क्षति उठानी पड़ी हो तथा उसके विरुद्ध दोष सिद्ध हो चुका हो। विधेयक में यह उपबन्ध है कि यह कार्य एक कर्नल के द्वारा किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि अनावश्यक बिलम्ब टालने हेतु यह कार्य एक कर्नल की जगह लेफ्टिनेंट कर्नल को सौंपा जाना चाहिए। मैं इस संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। चूंकि इन मामलों में अनावश्यक बिलम्ब को हम देखते रहते हैं और एक कर्नल को निर्धारित अवधि में इन मामलों को देखने का समय नहीं मिल पाएगा। अतः मेरा सुझाव यह है कि बिलम्ब को टालने हेतु यूनिट कमांडर, अगर वह एक लेफ्टिनेंट पद का अधिकारी है, की शक्ति में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए ताकि इसे शीघ्रतापूर्वक लागू करने के साथ-साथ अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। मैं जोर-शोर से प्रस्ताव करता हूं कि कमांडिंग यूनिट का लेफ्टिनेंट कर्नल के पास जूनियर कमीशंड अधिकारी को कड़ी सजा देने, उसकी वेतन तथा भत्ते को रोकने की शक्ति मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : अपने वायदा पर अटल रहिए। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं संशोधन की बात पर आ रहा हूं। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

अत: मैं उस संशोधन से सहमत हूं। खण्ड 7 को यथारूप में पारित किया जाना चाहिए। मैं उस संशोधन से भी सहमत हूं।

विधेयक का खण्ड 9 अधिनियम में दी गई वर्तमान समय सीमा को दो साल तक बढ़ाने से संबंधित है। वस्तुत: यह संशोधन अनावश्यक और अप्राधिकृत है क्योंकि प्रस्तावित संशोधन में प्राधिकारियों को तीन साल की अवधि बीत जाने के बाद भी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देने की बात की गई है अर्थात तीन साल के बीत जाने पर भी अगर अपराध का पता चलता है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि तीन साल की अवधि बीत जाने पर अगर किसी

अपराध का पता चलता है किंतु अपराधी की पहचान नहीं हो पाती है तो निश्चित रूप से मामला खिंचेगा । अतः मेरा कहना यह है कि यह संशोधन अप्राछिकृत है क्योंकि तीन साल के बाद दोषी का पता लगाना बहुत कठिन है । मैं इस संशोधन को अप्राधिकृत और अनावश्यक मानता हूं ।

और अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना की कानूनी प्रणाली में व्याप्त खामियों को दूर करना आवश्यक है । सेना अधिनियम की धारा 123 अपराधी को उसे सेवा-निवृत्ति के छः महीने के बाद मुक्त कर देती है ।

महोदय, एक अधिकारी अपने पद से सेवा-निवृत्त होने के छः महीने बाद अपने सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है । महोदय, अब इस अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर देने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है ।

वर्तमान में बहुत सारे अधिकारी इस खण्ड के उपबन्धों से लाभ उठा रहे हैं । अतः मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं । सैनिक न्यायालय में बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । यह एक स्वागतयोग्य कदम है ।

अन्त में, मैं मुकदमे की सुनवाई के लिए दूसरी बार मौका देने के बारे में कहना चाहूंगा । अगर हम इस विधेयक को पारित कर देते हैं तो इसके खंड 11 के अनुसार दूसरी बार कोई मौका नहीं दिया जाएगा । मेरा अधिनियम नागरिक कानून से ऊपर नहीं है । अतः हमें प्रत्येक व्यक्ति को विधि न्यायालय में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए जिससे कि न्याय मिल सके ।

अब मैं कैप्टन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । अगर इस प्रस्तावित संशोधन के खंड 12 को पारित कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह सारे इससे शक्ति कैप्टन को मिल जाएगी । यह शक्ति इससे बड़े अधिकारी को मिलनी चाहिए जिससे कि परिपक्व निर्णय लिया जा सके ।

अब मैं और विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । मैं एक बार फिर माननीय मन्त्री से एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि बहुत सारी खामियों को दूर किया जा सके और सेना-कर्मियों की समस्याओं का निराकरण हो सके । उन्हें पारिवारिक आवास, स्थानांतरण आदि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इस अधिनियम को ब्रिटिश शासन ने बनाया था और तब से लेकर इसमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है । मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह सदन में एक पूर्ण विधेयक लाएं जिससे सैन्यकर्मियों की समस्याओं को सुलझाया जा सके और उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके ।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : सभापति महोदय, मैंने प्रारम्भ में ही विधेयक प्रस्तुत करते समय इस विधेयक तथा इसके प्रत्येक उपबन्ध की औचित्य का विस्तार से वर्णन किया था । मगर मुझे इसे दोहराने की अनुमति हो तो मैं इसे फिर कहता हूं ।

इसमें 22 उपबन्धों में संशोधन की बात कही गई है जिनमें से 5 में तो सिर्फ बाह्य रूप से परिवर्तन किया जाना है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 में 1973 में किए गए परिवर्तन के

फलस्वरूप आवश्यक हो गया है। अतः इन सम्बद्ध उपबन्धों में साधारण तौर पर सिर्फ नामकरण में परिवर्तन किया जाना है।

लगभग नौ उपबन्ध कठोर सजा को समाप्त करने से सम्बन्धित हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अतः मूल रूप से परिवर्तन सिर्फ आठ धाराओं में ही किया जाना है और इनमें से प्रत्येक के औचित्य के बारे में मैं अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में ही विस्तार से बता चुका हूं।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बहस में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जनरल खंडूरी जैसे बहुत से विशिष्ट सदस्य हैं, जिन्हें सशस्त्र सेना में भी सेवा करने का अनुभव है। एक बहुत ही विशिष्ट और महान सैनिक, श्री सिंहदेव, जो के मेरे साथी भी हैं, पहले रक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।

मैं अपने वक्तव्य समाप्त करने की दृष्टि से या बहस पर यथासंभव संक्षेप में जवाब देने की खातिर सभी विशिष्ट वक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर ही मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करूंगा। सर्वप्रथम, मैं कठोर सजा के बारे में कहूंगा। सरकार की राय में मूल सेना अधिनियम में कठोर सजा का जो प्रावधान है, वह कमांडर या कमांडिंग अधिकारी को रस्सी से बांधने, लोहे की जंजीर में जकड़ने जैसी पुरानी और अमानवीय सजा का आदेश देने का अधिकार देता है।

ये आधुनिक न्यायशास्त्र के अनुरूप नहीं हैं। वे निश्चित रूप से पुराने हैं। जैसाकि मैंने कहा है कि स्वतन्त्रता के पश्चात देश में किसी भी फौजी अदालत (कोर्ट मार्शल) द्वारा कभी भी "फील्ड पनिशमेंट" का दंड नहीं दिया गया। अतः किसी भी मामले में, यहां तक कि व्यवहारिक रूप से भी इसे आवश्यक नहीं समझा गया। श्री के० पी० सिंह देव जी ने सिर्फ इस बात का उल्लेख किया है कि सेना द्वारा किए जा रहे किसी आपरेशन के समय संभवतः जब सेना आगे बढ़ रही होती है तो "फील्ड पनिशमेंट" आवश्यक हो सकता है। लेकिन सैन्य बलों में यह धारणा है कि ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनके द्वारा किसी फौजी कार्यवाही के दौरान "फील्ड पनिशमेंट" के बगैर भी संक्षिप्त रूप (समरी कोर्ट) से फौजी अदालत के अनुशासन को लागू किया जा सकता है।

अतः सेना अधिनियम की धारा 71, 80, 83, 84, 85 तथा 120 के अन्तर्गत किसी को फटकार देने से लेकर मृत्यु दंड तक के रूप में संक्षिप्त दंड दिया जा सकता है। अतः 'फील्ड पनिशमेंट' से सम्बन्धित प्रावधानों को हटा देने के बाद भी इस अधिनियम के प्रावधान, किसी फौजी कार्यवाही के दौरान सेना में अनुशासन बनाए रखने तथा आदेशों को लागू करवाने हेतु सरकार की दृष्टि में पर्याप्त हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर अनेक माननीय सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं वह सेना के लिए एक अलग अपील सम्बन्धी न्यायाधिकरण की आवश्यकता है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि सैन्यबलों में कार्यरत लोगों पर कोई अन्याय नहीं किया जा सके। माननीय सदस्य श्री के० पी० सिंह देव ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। उच्चतम न्यायालय के फैसले अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए प्रासंगिक विचार पर रक्षा मंत्रालय में एक समय यह विचार व्यक्त किया गया था कि एक अलग न्यायिक पुनर्विचार तन्त्र पर विचार किया जा सकता है। लेकिन उस समय से ही इस मुद्दे

पर मंत्रालय ने विस्तारपूर्वक विचार किया है। सैन्य वर्गों का यह विचार है फौजी अदालत पर इस प्रकार के न्यायिक पुनर्विचार की कोई भी व्यवस्था सेना के कड़े अनुशासन को अलग मोड़ देगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी धारा 227(4) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के निरीक्षण के अधिकार द्वारा तथा अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रदान कर फौजी अदालत का सम्मान किया है। अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखकर तथा अपने विचार से सैन्यबलों के अनुशासन का सम्मान किया है। (व्यवधान) मैं आपको एक अवसर दूंगा।

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : हम अस्सी बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है। अतः हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि फौजी अदालत के फैसले को शीघ्र ही, चाहे फौजी अदालत की समाप्ति के पश्चात् अथवा जब इसकी प्रक्रिया चल रही हो, नागरिक न्यायालय में ले जाया जाए। इससे कमान अधिकारी का अधिकार छिन जाएगा और इससे वास्तविक कार्यों में सेना के अनुशासन के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा। अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शिकायतों की सुनवाई हेतु पहले ही अनेक प्रावधान हैं। सेना के किसी भी अधिकारी को अन्याय महसूस होने पर केन्द्र सरकार को अभिवेदन देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसे समयबद्ध तरीके से निपटाना होगा। केन्द्र सरकार से नीचे किसी भी प्राधिकरण को इस शिकायत का खंडन करने का अधिकार नहीं है। जे०सी० ओज तथा ओ० आर्स० के लिए साधारण प्रावधान है प्राधिकारी सेनाध्यक्ष होता है।

फौजी अदालत द्वारा दंड दिए जाने पर स्थायी होने से पूर्व और स्थायी होने बाद के व्यक्तियों के लिए याचिका का अलग-अलग प्रावधान है। फिल्ड में सिर्फ 28 दिन की ही सजा हो सकती है। उसकी भी पुष्टि होना आवश्यक है। इसी प्रकार पुष्टि होने के पश्चात की याचिका का निपटारा सिर्फ केन्द्र सरकार के स्तर पर ही किया जा सकता है। अतः ये सुधारात्मक प्रक्रियायें सेना में पहले से ही मौजूद हैं।

मैं इस प्रकार के किसी भी परामर्श का स्पष्ट रूप से खंडन करूंगा कि किसी बटालियन मैदानी कार्यवाही का कमान अधिकारी या जवानों के साथ पक्षपात बरतेगा···(व्यवधान) महोदय, मैं चाहूंगा कि व्यवधान न उत्पन्न हो। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य बहुत कुछ जानते हैं।

कमान अधिकारी किसी ब्रिगेड या टुकड़ी का मुख्य अधिकारी होता है। सैन्य परम्परा के अनुसार आशा की जाती है कि वह अपने जवानों की रक्षा करेगा और मैं नहीं समझता हूं कि वह अन्यायपूर्ण तरीके से कार्यवाही करेगा। फिर भी किसी भी मामले में याचिका दायर करने का प्रावधान है। मैदानी फौजी अदालत के मामले में भी केन्द्र सरकार, सेना तथा महाधिवक्ता के पास याचिका दायर किया जाता है। एक निम्न स्तर के अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी इस पर पुनर्विचार करते हैं। अतः किसी भी तरह से 'फिल्ड आफिसर उच्च अधिकारियों को, जो सेनाध्यक्षों के स्तर के होते हैं, प्रभावित नहीं कर सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया वहां विद्यमान है और इसलिए इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के परामर्श को अस्वीकार किया जाता है।

जैसाकि मैंने कहा कि मंत्रालय में हमारा यह विचार है और मैं भी इससे पूर्ण रूप से सहमत

हूं कि सेना अधिनियम में किसी भी प्रकार का नवीन हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले और सैन्य बलों का अनुशासन कम होता जाए। सैन्य बल देश में अनुशासन के अन्तिम प्रकार हैं। वे राज्य की शक्ति का, विशेषकर देश में उत्पन्न भू-राजनीतिक स्थिति का, देश में उत्पन्न आन्तरिक गड़बड़ी की स्थिति में, अन्तिम शस्त्र है। सैन्य बलों से निरन्तर नागरिक प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए कहा जाता है। अतः हमें सैन्य बलों में अनुशासन भंग करने की दिशा में कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम सैन्य बलों में अनुशासन का पतन नहीं देख सकते हैं।

मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि धारा 125 के अन्तर्गत छह महीने के अवधि दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गयी है क्योंकि यह देखा गया था कि अनेक अधिकारियों ने पलायन किया था। कानूनी कार्यवाही के कारण छह महीने की अवधि में कुछ लोगों को गिरफ्तार करना कठिन है। इसके लिए हमें तीन वर्ष चाहिए। यह नए अपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुरूप भी है।

अनेक माननीय सदस्यों द्वारा किया गया अवलोकन हम लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन से सम्बन्धित नहीं था। जैसाकि जनरल खंडूरी जी ने कहा था कि अनुदान की मांगों पर चर्चा करते समय हमें रक्षा बजट पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन हमने जिस अवसर को खो दिया है उसकी जगह सैन्य अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर नहीं लिया जा सकता है।

'लिट्टे' को दिए गए प्रशिक्षण, अनेक मुकद्दमों, सैनिक कार्यवाही, भर्ती, प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार आदि पर अनेक टिप्पणी की गयी थी। मैं इन सब बातों का उत्तर देना चाहूंगा परन्तु इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और वे कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बाधा न डालें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहूंगा और फिर अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। यह बात न्यायालय में सैन्य बलों के आचरण से सम्बन्धित मुकद्दमों का अत्यधिक होना है।

जहां तक मुकद्दमों की बात है करीब 1000 मामले न्यायालय में लम्बित पड़े हैं। मैं कहता हूं कि विश्व में हमारी सेना चतुर्थ सबसे बड़ी सेना है। मैं यह उल्लेख करना नहीं चाहता हूं कि हमारी सेना में कितने जवान हैं। लेकिन इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी सेना विश्व में चतुर्थ बड़ी सेना है, 1,000 लम्बित मामले अधिक नहीं है। ऐसा सेना अधिनिनियम के कार्यकरण में दोष के कारण नहीं बल्कि लोगों में अत्यधिक जागरूकता के कारण हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 1950 से लेकर आज तक, सेना अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात इसके एक भी प्रावधान अथवा विनियम को देश के किसी भी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि ये प्रावधान कानून के विरुद्ध नहीं है।

न्यायालय के मामलों में भी 95% मुकद्दमों का फैसला सरकार के पक्ष में होता है और सिर्फ 5% ही सरकार के विरुद्ध में जाते हैं।

मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इन संशोधनों को बहुत विचार करने के पश्चात ही लाया गया है। यह अन्तिम नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। सिर्फ 22 खण्डों के सन्दर्भ में अत्यावश्यक है और शेष 100 खण्डों के सम्बन्ध में, सेना के अधिकारियों की एक समिति इस मामले में छान-बीन कर रही है और एक वर्ष के अन्दर ही यदि आवश्यक पाया गया तो हम आगे अधिक विस्तृत संशोधन इस समिति की सिफारिशों और चर्चाओं के अनुरूप लाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यह सिफारिश करता हूं कि यह सम्माननीय सभा इन संशोधनों को स्वीकार करे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य महोदय ने इस सम्माननीय सभा से अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति प्राप्त की है।

एक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी जी का संशोधन संख्या 3 है। वह यहां उपस्थित नहीं है।

मैं अब श्री दाऊ दयाल जोशी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 पर विचार करने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"सेना अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : खण्ड 6 में श्री रमेश चेन्नितला और श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा लाए गए संशोधन हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंक बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 और 8 विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : खंड 9 में श्री रमेश चेन्नितला और श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया जाना है।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10—धारा 123 का संशोधन

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 3—

"तीन वर्ष" के स्थान पर

"छह महीने" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4—

"तीन वर्ष" के स्थान पर

"आठ महीने" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

सभापति महोदय : अब मैं खंड 10 में जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी और श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 और 6 मतदान के लिए रखे गए और
अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं खंड-10 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : श्री सिंह देव और श्री सुधीर सावन्त आप खंड 11 में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अब श्री खंडूरी अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

खंड 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

11. मूल अधिनियम की धारा 127 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"127. (1) इस अधिनियम के अध्यधीन कोई व्यक्ति जो किसी समरी सेना न्यायालय के सिवाय किसी सेना न्यायालय के निष्कर्ष या दण्डादेश द्वारा स्वयं को व्यथित समझता है, वह दंडादेश के विरुद्ध विशेष अपील न्यायालय में अपील कर सकता है;

(2) रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए एक विशेष अपील न्यायालय होगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रैंक के सैनिक विधि की जानकारी रखने वाले तीन न्यायाधीश होंगे;

(3) विशेष अपील न्यायालय के न्यायाधीशों का नाम निर्देशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा;

(4) विशेष अपील न्यायालय द्वारा उसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा जो उच्च न्यायालयों द्वारा निचले न्यायालयों के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई तथा निपटान के लिए की जाती है तथा वह मामले के तथ्यों पर भी विचार करेगा;

(5) विशेष अपील न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा तथा इसके विनिश्चय के विरुद्ध किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील नहीं की जाएगी;

(6) विशेष अपील न्यायालय, इसके समक्ष प्रस्तुत की गई अपीलों पर अधिकतम 90 दिन की अवधि के भीतर-भीतर विनिश्चय करेगा; और

(7) विशेष अपील न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जैसाकि केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय के परामर्श से विनिश्चित करे।" (18)

महोदय, मन्त्री जी से शुरू में ही इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी देने का अनुरोध किया था। उन्होंने दो कारण बताए हैं। जब श्री के०पी० सिंह देव जी का विधेयक आया, उस समय उन्होंने बताया कि ऐसा समय-समय पर सेना मुख्यालयों की धारणा परिवर्तन आने से होता है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि धारणा में परिवर्तन क्यों होता है। क्या यह इस कारण होता है कि किसी को उनकी धारणा पसन्द नहीं आती अथवा 1981 से 1992 तक परिस्थितियों में कोई ऐसे विशेष परिवर्तन आए हैं जिनके कारण आपको अपनी धारणा बदलनी पड़ी है। आपने ऐसा तो नहीं कहा है।

दूसरी बात आपने यह कही है कि पहले ही एक अपील······

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह धारणा में परिवर्तन के कारण नहीं हुआ क्योंकि अभी तक अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : नहीं, आपने कहा था कि परिस्थितियों में बदलाव आ गया है और अब सभा के लोगों ने अपनी धारणा बदल दी है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : नहीं, सेना के लोगों की सदा यही धारणा रही है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : दूसरी बात यह है कि वर्तमान व्यवस्था में सही रूप

से नहीं चल रही है क्योंकि हम किसी विभाग से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपने ही कर्मचारियों के विरुद्ध कोई निर्णय लेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें न्यायाधीश सेना न्यायालय की धारणाओं से असहमत हों, ऐसे कितने मामले हुए हैं क्योंकि यदि आपको वास्तविकता का पता चलेगा तो आप देखेंगे कि यह मानवीय रूप से सम्भव नहीं है कि कोई विभाग अपने ही लोगों से सहमत न हो। प्रत्येक सेना न्यायालय में 'जज एडवोकेट जनरल ब्रांच' का एक प्रतिनिधि होता है और इसीलिए मानवीय रूप से यह सम्भव नहीं है कि वे अपने ही लोगों के विरुद्ध अपनी धारणा अभिव्यक्त करे।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं अलग से सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

सभापति महोदय : अब मैं मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 18 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड-11 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड-11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

8.00 म०प०

सभापति महोदय : अब खण्ड 12 आता है। हमारे पास खण्ड 12 के लिए श्री रमेश चेन्नितला और श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत किए गए दो संशोधन हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपना संशोधन नहीं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 से 19 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 19 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 19 अगस्त, 1992 के 11.00 म०पू० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 अगस्त, 1992/28 श्रावण, 1914 (शक) के 11 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस दिल्ली।